राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७१ वां दिवस [संख्या ३२

बुधवार, दिनांक १२ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

——

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ७५५

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७५६

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री गामा।

सिरोही कालेज के छात्रावास का भवन

७५७. श्री गामा (आबू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने सन् १९६० में सिरोही कालेज के विद्यार्थियों के छात्रावास भवन निर्माण हेतु रु० १,६४, ८३५ की स्वीकृति प्रदान की थी? यदि हां, तो यह स्वीकृत निर्माण कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया?

(२) क्या राज्य सरकार ने १९६४-६५ में छात्रावास के नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को आगामी बजट में इस कार्य हेतु धनराशि का प्रावधान रखने के आदेश प्रसारित किये थे? अगर हां, तो इसके क्रियान्वित करने के लिए उस विभाग द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये?

(३) क्या यह सही है कि सिरोही कालेज के विद्यार्थियों में दो तिहाई विद्यार्थी गण बाहर ग्रामीण क्षेत्र के हैं?

Page No. 2

(श्री गामा)

(४) यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत छात्रावास भवन के निर्माण का काय जुलाई, ६७ के पूर्व प्रारम्भ करने की व्यवस्था कर देगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा न पड़े ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी हां, मंत्री मण्डल के निर्णय के अनुसार भूतपूर्व सिरोही राज्य द्वारा निर्मित अधूरे भवन को पूर्ण कराया जाकर छात्रावास बनाना था लेकिन श्री मोहब्बतसिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा एवं प्रमुख जिला परिषद्, जिलाधीश प्रधानाचार्य एवं अभियन्ता निर्माण विभाग के यह सुझाव थे कि पुराने भवन को होस्टल में परिणित करना ठीक नहीं है और धनराशि का अपव्यय होगा अतः नया भवन बनाया जाये। इसलिए कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

(२) जी हां, लेकिन मितव्ययता के कारण नये कार्य हेतु धन का प्रावधान नहीं किया जा सका।

(३) जी हां।

(४) धनाभाव के कारण यह फिलहाल मुमकिन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जिन माननीय सदस्य ने कहा उनके कहने से ड्राप कर दिया गया या और कोई विशेष कारण थे ?

राव श्री धीरसिंह : उनके सुझाव के ऊपर दुबारा विभाग ने विचार करके यह तय किया कि नया ही बनाया जाये, पुराने में एडीशन्स नहीं किये जायें और उसके बाद में सन् १९६४-६५ मे प्रावधान रखा गया लेकिन पाकिस्तान एग्रेशन से उस वक्त में तमाम नव निर्माण के कार्य बन्द कर दिये गये थे इसलिए वह एक्ट-अपॉन नहीं हो सका, उसके बाद में वह लेप्स हो गया और जो डिसीजन मंत्रीमण्डल का था इसलिए दुबारा मंत्री मण्डल के समक्ष हो पेश किया जाकर इसको चेन्ज किया जा सकता था। यह अभी तक हो नहीं पाया है और इस वक्त में फाइनेन्स के शार्टेज की वजह से अभी लेना नामुमकिन है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ऐसी हालत में जब फाइनेन्स आपके पास नहीं है तो जो प्रपोजल पहले वाला था उसको आप री-कन्सीडर कर सकते हैं इस लाइट मे कि जब आपके पास पैसा नहीं है तो उस प्रपोजल को रीकन्सीडर क्यों नहीं करते ?

राव श्री धीरसिंह : वह प्रपोजल जो था १९६४-६५ के बदले में रखा लेकिन उस समय तक निर्माण कार्य एग्रेशन की वजह से बन्द हो गए और वह भी प्रावीजन करके निर्माण विभाग को नहीं दे सकते अब और शार्टेज होगी। अगर उस समय एक्ट-अपॉन हो जाता तो खर्च हो जाता। अब इस समय में पोजीशन पहले से ज्यादा टाइट हो गयी। मंत्री मण्डल ने इस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया है इसलिए यह पेन्डिंग में पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या ७५८

श्री मूलचन्द डागा ।

पाली नगरपालिका द्वारा मनसूख किये गये पट्टे

७५८. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली नगरपालिका ने १ जुलाई, १९६६ से आज तक किन किन लोगों के पट्टे दिये हुए मन्सूख किये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) यह पट्टे किन किन तारीखों को किस आधार पर मनसूख किये ? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) ऐसे कितने पट्टे हैं जिनका कलेक्टर का एप्रूवल होने के बाद भी नगरपालिका ने मनसूख किये हैं तथा किन आधारों पर ? उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

खाद्य-मंत्री, (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है.......

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री केशरीसिंह ।

एक्साइज व टैक्सेशन विभाग

७५९. श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राज्य में एक्साइज व टैक्सेशन का एक ही महकमा था तो उस वक्त सन् १९६३-६४ में अलग अलग डिविजनों का क्या बजट था और कितना कितना अमला था ?

(२) एक्साइज व टैक्सेशन क्यों पृथक किये गये थे ?

(३) दोनों महकमें अलग अलग होने के बाद इनका बजट क्या रहा और अमला कितना कितना हर डिवीजन में रहा ?

आबकारी मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राज्य में जब एक्साइज व टैक्सेशन का एक ही महकमा था उस समय संयुक्त रूप में उसका बजट सन् ६३-६४ में निम्न प्रकार था ?

	आय	व्यय
आबकारी	५२०·०० लाख	६२·३१ लाख
कर	६८०·०० लाख	२४·०९ लाख

सयुक्त एक्साइज व टैक्सेशन महकमे में जो अमला था वह संलग्न सूची 'ख' में बताया गया है ।

(२) कर संबन्धी जटिल कानूनों को भली प्रकार लागू करने की दृष्टि से एक्सा-

Page No. 4

(श्री मथुरादास माथुर)

इज व टैक्सेशन महकमों को अलग अलग किया गया। इस कार्य के लिए विशेष योग्यता व अनुभव रखने वाले अधिकारियों की आवश्यकता है।

(३) दिनांक १-७-६४ को एक्साइज व टैक्सेशन महकमे अलग अलग होने के बाद इनका अलग अलग बजट रहा, वह संलग्न सूची 'क' में बताया गया है और जो अलग अलग अमला रहा यह संलग्न सूची 'ख' में बताया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केसरीसिंह : क्या मंत्री यह बतायेंगे कि शामिल रहते हुए एक ही डिप्टी कमिश्नर को कानून से सही रूप से परिणत नहीं कर सकते थे ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा अनुभव किया गया कि वर्कलोड बहुत हैवी हो गया था और टैक्सेशन का लीगेलाइजेशन होता जा रहा है और स्पेशेलाइजेशन भी होता जा रहा है इसलिए उसके लिए अलग अलग आफिसर्स की जरूरत महसूस की गयी और यह महसूस इसलिए हुई थी कि स्टेट एक्साइज और टैक्सेशन विभाग अलग अलग हो गये और सेल्स टैक्स विभाग का इसीलिए कार्मशियल टैक्सेशन हो गया इसमें सेल्स टैक्स है, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स है, उसमें पैसेंजर्स टैक्स और गुड्स टैक्स भी है और दिन पर दिन जो टैक्स लगाते जा रहे हैं वह इस डिपार्टमेन्ट को दे रहे हैं। यह स्पेशेलाइज्ड टैक्सेशन का डिपार्टमेन्ट बन गया इसलिए अलग किये गये हैं....

श्री केसरीसिंह : अवसर बड़े बड़े आफिसर्स दुहरा तनख्वाह पाते हैं कमिश्नर हुआ जैसे वह एक ही रहता और इन्स्पेक्टर्स हो जाते तो क्या गवर्नमेन्ट को उसमें कोई दुविधा थी ?

श्री मथुरादास माथुर : वह पासीबल नहीं है। कमिश्नर अलग अलग हैं। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज से हटा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स और इन्सपेक्टर्स अलग अलग हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मितव्ययता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए इन दोनों महकमों को पुनः एक करने का सरकार विचार नहीं रखती है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या ७६०

श्री रामानन्द अग्रवाल :

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७६१

श्री आईदान सिंह :

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए स्थगित करने की कृपा करें।

Page No. 5

श्री अध्यक्ष : पोस्ट पोन्ड ।

श्री मुकुटबिहारी लाल ।

फिल्म की खरीद

७६२. **श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : क्या जन सम्पर्क विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) कुमारी विमला की फर्म आर्ट्स एण्ड आर्ट्स की कितनी फिल्में जन सम्पर्क विभाग द्वारा खरीदी गई हैं ? तथा कितनी कितनी कीमत पर ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त फर्म को सीमा पर शूटिंग की आज्ञा देने से पूर्व गृह सचिव द्वारा कुछ शर्तें लगाई गई थीं ? और रक्षा मंत्रालय की आज्ञा तथा कुमारी विमला की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने आदि की शर्तें रखी गई थीं ? यदि हां, तो उन शर्तों का कहां तक पालन किया गया ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि कुमारी विमला को आदिवासियों पर फिल्म बनाने का कार्य दिया गया ?

(४) क्या यह सच है कि कुमारी विमला को फिल्म बनाने के लिए स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से 'रॉ-मेटेरियल' का परमिट विभाग द्वारा दिलाया गया ?

(५) क्या यह सच है कि कुमारी विमला को फिल्म बनाने का काम देने से पहले कोई टेन्डर नहीं मांगे गये ?

(६) क्या यह सच है कि 'यह कदम नहीं रुकेंगे' फिल्म को [मूल] रूप से पहले सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया था ?

(७) क्या यह सच है कि फिल्म 'यह कदम नहीं रुकेंगे' में विशिष्ट व्यक्तियों के फोटो दिखाये गये हैं ?

(८) क्या यह सच है कि कुमारी विमला एवं उसके सहयोगियों द्वारा जन सम्पर्क मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र में चुनावों के दौरान सरकारी वाहनों में दौरा किया और चुनाव प्रचार कार्य किया ?

(९) क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

जन सम्पर्क मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) एक फिल्म की १२ प्रतियां २०,०००) रु० में खरीदी गई हैं ।

(२) जी हां, सभी शर्तों का पालन किया गया है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां ।

(५) जी हां ।

(६) इसकी राज्य सरकार को जानकारी नहीं है । फिल्म की जो प्रतियां खरीदी गई हैं वे सेंसर द्वारा स्वीकृत हैं ।

(७) जी नहीं, परन्तु इनके फोटो के बहुत ही क्षणिक शॉट्स इस फिल्म में हैं ।

Page No. 6

(श्री हरिदेव जोशी)

स्वर्णदान तथा इस प्रकार के योग दान युद्ध प्रयत्नों के अनिवार्य भाग थे और राजस्थान ने इस दिशा में जो जो गौरव प्राप्त किया था उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इन शॉट्स को शामिल किया गया था जहां ये शॉट्स आये हैं वहां राजस्थान के मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री आदि के भी चित्र हैं।

(८) जी नहीं।

(९) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा सीमा के संबंध में फोटो खींचने के या फिल्म बनाने के संबंध में कोई आदेश अब तक नहीं दिये गये थे ?

श्री हरिदेव जोशी : सीमा क्षेत्र में जो उनके नियम हैं उनके अनुसार ही फोटो लिए जाते हैं और जिस प्रकार से मिलिट्री आफिसर्स ने गाइड किया उसी प्रकार से फोटो लिए गए।

श्री भैरोंसिंह : क्या केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह कब ली गयी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : उसके तुरन्त बाद ही और माननीय सदस्य को जानकारी के लिए मैं यह कह दूं कि मिलीट्री अथारिटीज ने भी इस फिल्म के लिए और दूसरी फिल्म के लिए अपने लिए हुए फोटोग्राफ्स को उसके लिए दिया है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि भारत सरकार सीमा के फोटो लेने के संबंध में अलग से आज्ञा पत्र प्रदान करती है।

श्री हरिदेव जोशी : वह अपनी सुविधा और अपनी व्यवस्था के अनुसार ही आज्ञा देती है और प्रत्येक काम के संबंध में जिसको फोटो लेना वह ठीक नहीं समझते उसके लिए नहीं कह देते हैं। जिसको पब्लिसिटी व्यू पाइन्ट से और दूसरे कारणों से उपयुक्त समझते हैं वे अपनी रहनुमाई में फोटो लेने की इजाजत देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यही है। आप कह रहे हैं कि अनुमति दे दी थी.... ...

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं हैं जो कि सीमा क्षेत्र के हों इसलिए यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि सीमा क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो फिल्म बनाई गई है तो उसमें सीमा क्षेत्रों के फोटो लेने की भारत सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, यह ठीक नहीं है। उन्होंने ठीक समय पर उसकी इजाजत दी और जो इस कम्पनी का आग्रह था कि फिल्म को डवलप करने के लिए अमुक प्रकार के फोटोग्राफ्स चाहते हैं अपना

Page No. 7

(श्री हरिदेव जोशी)

फिल्म के उपयोग के लिए तो जो फोटोग्राफस उनके पास अवेलेबल थे, वे उन्होंने दिए हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने इस बात पर एतराज किया था कि उनके पास भारत सरकार का कोई अनुमति पत्र नहीं है इस लए उनको फोटो लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी मुझे डिटेल्ड जानकारी नहीं है। मगर इतनी जरूर जानकारी है कि डिफेंस अथोरिटिज को पहले से हमने लिख दिया था और भारत सरकार को भी लिख दिया था और जिसके आधार पर ही उस जगह के लिए अनुमति दे दी गई।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बरानां) : क्या यह सच है कि जैसा आपने प्रश्न के दो खण्ड में बताया कि सभी शर्तों का पालन किया गया था, उन शर्तों में क्या यह शर्त नहीं लगाई गई थी कि कोई भी फिल्म नहीं खरीदी जायेगी और रॉ-मेटिरियल नहीं दिया जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : क्या मतलब ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : जो गृह सचिव ने अपनी टिप्पणी लिखी थी उसमें उन्होंने उन शर्तों को लिखा था कि इनको कोई भी रॉ-मेटिरियल गवर्नमेंट, कोटा सिस्टम के आधार पर उपलब्ध नहीं करेगी। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि सरकार कोई भी फिल्म नहीं खरीदेगी, क्या ये बातें उन शर्तों के अन्दर थी ?

श्री हरिदेवजोशी : कोई भी फिल्म नहीं खरीदेगी से क्या मतलब है ? फिल्म नहीं खरीदने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने फिल्म खरीदने के लिए ही तो फिल्म बनवाई था। जहां तक कोटा देने का सवाल है स्टेट गवर्नमेंट से तो जैसे दूसरी इण्डस्ट्रीज को कोटा दिया जाता है फिल्म का कोटा नहीं दिया जाता। जब कहीं जरूरत होती है, रिकमण्ड करना होता है तो करते हैं और उस रिकमण्डेशन के आधार पर कोटा दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि यह फिल्म सरकार ने बनवाई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : फिल्म बनाने के लिए सरकार को अप्रोच किया गया था और फिल्म की थीम को अप्रूव करने के बाद यह फिल्म खरीदी गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, बात साफ नहीं हुई।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अध्यक्ष महोदय। क्या इसके टेंडर मांगे थे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह ऐसी चीज नहीं है। फिल्म ऐसी चीज नहीं है कि जो मार्केट में रेडिली अवेलेबल हो और

Page No. 8

(श्री हरदेव जोशी)

जिनके टेंडर मांगे जा सकें और टेंडर के आधार पर खरीदी जा सके।

श्री भैरोंसिंह : फिल्म प्रोड्यूज करने वाले तो और भी व्यक्ति हो सकते हैं। क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने फिल्म बनाने के लिए और उस फिल्म को राज्य सरकार खरीदेगी। इस बात का आग्रह करने के लिए पत्र लिखे थे और राज्य सरकार ने उनके पत्रों को स्वीकार नहीं किया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह बात सही है कि कुल छः पार्टीज सामने आई थीं और उनमें से कोई भी एक लाख से कम में फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थीं....

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इसमें प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने विशेष तौर से जितनी ब्लॉक समितियां हैं उनको स्पेशली रिकमण्ड किया है कि इस फिल्म को ही खरीदें और उन्होंने बहुत सी फिल्में खरीदी हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। अलग से प्रश्न।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या इस फिल्म के अन्दर क्रिस्टीना कीलर जैसी कोई कीलर आई थी ?

श्री अध्यक्ष : No reflections on anybody who is not present.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : प्रश्न यह है कि क्या यह बिमला कुमारी वही हैं जिन्होंने कि आपके चुनाव में सरकारी गाड़ियों में जाकर प्रचार कार्य किया और बहुत सी युवतियों को साथ लेकर आपकी मदद की ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order, Order ?

प्रश्न संख्या ७६३

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या ये बिमला कुमारी वही हैं जिनको कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जयपुर में आई थीं तब, आपने विशेष तौर से इधर उधर के कामों के लिए तैयार किया था ?

श्री अध्यक्ष : Order please।

प्रश्न सं० ७६३

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रो० केदारनाथ।

(पुनः प्रश्न सं० ७६२)

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार फिल्म बनाने के लिए रूल्स तो होने चाहिए। कोई भी आदमी सरकार को अप्रोच कर ले और सरकार की कृपा हो जाय उनको ही अनुमति मिल जाय, यह तो कोई नियम नहीं है।

Page No. 9

(श्री भैरोंसिंह)

फिल्म प्रोड्यूज करने के लिए अप्लीकेशन दी जावे, इण्डीजुअल्स सामने आवें और उनको परमिशन दी जाय नियमों के अनुसार तो इसलिए सरकार को कुछ तो नियम बनाने चाहिए ताकि उन नियमों के अनुसार जो अप्लीकेशन दें उनको अप्लीकेशन मंजूर की जाय। फिल्म बनाने के लिए अनुमति देना है तो यह नहीं हो कि जिस पर सरकार की कृपा हो गई उसको फिल्म बनाने की अनुमति दे दी और बाकी के लोग वैसे ही रह जावें। मैं जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आपने एक लाख रुपये की सीमा तय की थी और इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन निर्धारित किये थे कि अमुक प्रकार की और अमुक कीमत की फिल्म बनेगी तो उसको सरकार खरीदेगी ?

श्री हरदेव जोशी : मैं निवेदन कर दूं कि इस समय जब कि फिल्म का प्रश्न सामने आया, पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया था और उस समय जो हाई पावर कमेटी थी बोर्डर पब्लिसिटि के बारे में तो उस कमेटी ने यह निश्चय किया कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर और खास तौर से राजस्थान की सीमा पर जो आक्रमण किया है उसकी पब्लिसिटी हो। इसमें हिन्दुस्तान के पक्ष में पब्लिसिटी किस प्रकार की जाय, क्या क्या साधन काम में लिये जायं। कई प्रकार की चीजों को सोचा गया था और उनमें यह भी एक उपाय था कि इस प्रकार की फिल्म का प्रदर्शन किया जाय क्योंकि उस सीमा क्षेत्र के अन्दर पढ़े लिखे लोग कम हैं और दूसरी चीजें भी थी, इसलिए यह तय किया गया कि फिल्म प्रदर्शित किया जाय। अब उसके अन्दर कई लोग आए थे, राजस्थान के भी आए थे, बोम्बे से भी आए थे, देहली से आए थे और दूसरी जगहों से भी आए थे। उन सब को उस फिल्म का आईडिया दिया गया था कि इस प्रकार की वे लोग फिल्म बनायें तो उस फिल्म को परचेज किया जायगा। जिसने कम कीमत दी उसको स्वीकार किया गया। जैसा मैंने आप से निवेदन किया कि छः पार्टीज सामने आई थीं और उनमें से ५ ने तो एक लाख से ऊपर के कोटेशन दिए थे जब कि केवल इम आर्ट्स एण्ड आर्ट्स ने अपना कोटेशन तीस हजार का दिया था इसलिए यह काम इनको दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : यह बात नहीं है। जिस समय फिल्म प्रोड्यूज करने की बात आई उस समय तक लड़ाई बन्द हो चुकी थी। जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय कोई कोटेशन नहीं मांगे गये थे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस समय मिलीट्री आपरेशन चल रहे थे उस समय तक फिल्म नहीं बनी थी। इसने खुद ने दरख्वास्त दी थी और काफी समय के बाद में दरख्वास्त दी थी कि इस प्रकार की फिल्म बनाई जाय। केवल एक आदमी को ऑब्लाईज करने के लिए यह फिल्म बनाई गई और माननीय मंत्रीजी अभी भी ओब्लाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : यह करेक्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अभी भी उससे फिल्म प्रोड्यूस करा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग भीलों के बारे में फिल्म बना रहा है, डूंगरपुर बांसवाडा में उस फिल्म का नाम तो मुझे मालुम नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह इण्डोजुअल के बारे में क्यों इतने कवश्चन अलाऊ किये जा रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी उत्सुकता को....

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल नाम लिया था तो आपने रोक दिया था। आज कुमारी विमला, कुमारी विमला का चार बार नाम लिया है और इस तरह से पर्टीकूलर पर्सन का नाम लेना परम्पराओं के विरुद्ध है। आपकी कल की व्यवस्था के अनुसार यह परम्परा के विरुद्ध है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने जैसा...

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि यह फिल्म, इस फिल्म का आर्डर ड्यूरिंग पाकिस्तान आपरेशन हो दिया था और उनको समय भी उतना ही दिया गया था। उसी दरमियान के अन्दर फिल्म आई इसलिए यह कहना कि बाद में फिल्म बनाने के लिए कहा गया सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप चाहें तो मैं होम सेक्रेट्री का चिट्ठी बता दूं कि होम सेक्रेटी ने क्या लिखा है और कब चिट्ठी लिखी है।

श्री हरिदेव जोशी : यह उसी दमियान में आर्डर दिया गया था और उसी दरमियान फिल्म बने यह हमने चाहा था। यह बात दूसरी है कि सीज फायर हो गया, यह दूसरी बात है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या यह सच है....

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि यह आपरेशन की फिल्म नहीं बन सकी है। वहां से मिलिट्री हट गई, सीज फायर हो चुका था। आप मिलिट्री आपरेशन को फिल्म बना कर मोरल फोर्स को बूस्ट अप करना चाहते थे। मेरी समझ में नहीं था कि जब वहां पर न तो टैंक हैं, न वहां पर फौज है, न वहां पर किसी प्रकार की मोर्चाबन्दी है, न मिलिट्री का मूवमेंट है तो किस प्रकार से आप मोरल फोर्स बूस्ट अप कर सकते हैं। जैसलमेर की बेरेक्स की फोटो लेकर और उन बैरक्स में मिलिट्री मूवमेंट करा कर मोरल बूस्ट अप करना चाहें तो उसमें आप कहां तक सफल हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक्चुअल आपरेशन की कोई फिल्म नहीं बनी है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक फिल्म की थीम का सम्बन्ध है और जो फोटोग्राफी हुई है वह जरूर आपरेशन के बारे में है लेकिन जिस तरह की वहां की पोपुलेशन है,

Page No. 11

(श्री हरिदेव जोशी)

उस प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार के लोग हैं उन सारे लोगों को हिन्दुस्तान के लिए किस प्रकार से काम करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है और उनकी नेशनेलिटि को बूस्ट अप करने के लिए वह है। यह फिल्म तो हमेशा २ काम देगी।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या यह सच है ....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या उस फिल्म के अन्दर आपके विशेष तौर से फोटो हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : प्रश्न संख्या ७६४।

श्री विजयसिंह रावत : हम तो यह जानना चाहते हैं ....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री भैरोंसिंह : मंत्रियों के फोटो उसमें है तो वे कौन से आपरेशन में गये थे ?

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं सुझाव दूंगा कि अगर मंत्रीजी को फिल्म में अपनी तस्वीर दिखाने का ऐसा ही शौक है तो अपनी २ तस्वीर को फिल्म बना लें और सरकार को बेच दें। हम इसको अनुमति देते हैं और आप भी इस पर दस्तखत कर दें

श्री अध्यक्ष : Order please !

गंगानगर जिले में कृषि विकास

७६४. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने गंगानगर जिले के कृषि विकास का औद्योगिक विकास से सम्बन्ध रखते हुए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी नहीं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, जी नहीं।

श्री केदारनाथ : क्या आपने सर्वे करने की जरूरत महसूस नहीं की एग्रो-इन्डस्ट्रियली बेस्ड इकोनोमी के लिए ? गंगानगर सबसे बड़ा एग्रीकलचर का सेन्टर है तो क्या आपने सर्वे करने की जरूरत महसूस नहीं की ?

श्री मथुरादास माथुर : Industries based on raw material available in Ganganagar have been surveyed. और उस सर्वे के बेसिस पर हम कोशिश भी करना चाहते थे कि इन्डस्ट्रीज वहां लगना चाहिए। उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने निर्णय किया था कि दो काटन मिल वहां पर लगाये जायं क्योंकि वहां

(श्री मथुरादास माथुर)

पर काटन काफी पैदा होता है और शुगर फैक्ट्री का एक्सपान्शन किया जाय और डिस्टीलरी का एक्सपान्शन किया जाय। डिस्टीलरी का एक्सपान्शन हुआ है बाकी काटन मिल नहीं हो पाये। उनका अरेन्जमेंट नहीं बन पाया है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह सही है कि राजस्थान के आर्थिक और टैक्निकल सर्वे की रिपोर्ट में हर जिले की स्थिति देनी पड़ती है कि इस तरह की योजना तैयार हो ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट में अलग अलग जिलों में टैक्निकल और इकोनोमिकल सर्वे की गई है, किन्तु उनमें क्या क्या इन्डस्ट्री और किस तरह की वहां पर लगाई जायं इसका डटेल्ड सर्वे नहीं हुआ है। रॉ-मेटीरियल-मिनरली बेस्ड और कामर्सियल क्राप्स के बेसिस पर कोई डिटेल्ड सर्वे नहीं हुआ है, परन्तु गंगा नगर का डिटेल्ड सर्वे थर्ड प्लान के लिए नहीं किया गया हो ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशन : डिटेल्ड सर्वे नहीं होता है तो उसके विकास में बाधा पड़ती हैं, क्योंकि किस जिले में क्या उद्योग लगाये जायं यह पार्टियां जानना चाहती हैं। अगर उनको यह नहीं मालूम होगा तो जो पूंजी बाजार में आना चाहती है वह नहीं आ सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसी पार्टियों के लिए डिटेल्ड इकोनामिक सर्वे में जाना पड़ेगा। उस सर्वे के अनुसार दो काटन मिल, शुगर फैक्ट्री का एक्सपान्शन का बताया है, लेकिन रिसोसज नहीं होने के कारण इनको नहीं ले सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल !

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : प्रश्न सं० 755 Sir।

श्री अध्यक्ष : You have missed the bus, Sir.

प्रश्न संख्या ७६५

श्री मोतीलाल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह !

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न संख्या ७६६।

उपमन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें अधिक सूचना की आवश्यकता नहीं है। कुछ ग्राम सेविकाओं के बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है। वहां के कार्यालय में देरी क्यों हो रही है। स्वर्णकारों को आप लगा रहे है और आप कहते हैं कि सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री प्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, ७५५ का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : समय बचेगा तो ७५५ और जितने भी रात सौ होंगे उनको लेने का प्रयत्न करेंगे।

प्रश्न संख्या ७६७

श्री परसराम !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

एक/माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या ७६५ ?

श्री अध्यक्ष : Yes, I take it later on if there is time.

श्रीमती मदन कोर।

पच पदरा व डीडवाना की नमक की खानें

७६८। श्रीमती मदन कोर (पचपदरा) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भारत सरकार ने पचपदरा और डीडवाना की नमक की खानें राजस्थान सरकार के अधिकार में कब दीं ?

(२) उक्त नमक की खानों का नमक राज्य सरकार किस दर से खरीदती है ? क्या दोनों खानों के नमक की क्वालिटी में कोई अन्तर है ?

(३) पचपदरा की नमक खानों में प्रति वर्ष नमक का उत्पादन कितना है ? और क्या समस्त उत्पादित नमक राज्य सरकार प्रति वर्ष उठा लेती है तथा उठाने का तरीका क्या है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त नमक खानों में चार-पांच साल से नमक पड़ा हुआ है और आंधी व वर्षा से नमक नष्ट होता जा रहा है ?

राजकीय उद्योग मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) भारत सरकार ने पचपदरा एवं डीडवाना की नमक की खाने राजस्थान सरकार के अधिकार में १ अप्रेल, १९६० से दी थीं।

(२) दोनों खानों का नमक राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर खरीदा जाता है : सेंट १-१०, अनसेंट १-५ प्रति क्विन्टल (पचपदरा) प्रथम दर्जा ५७ पैसा द्वितीय दर्जा ४६ पैसा (डीडवाना)। पचपदरा का नमक बनिस्पत डीडवाना के अच्छा है क्योंकि इस नमक में सोडियम क्लोराईड की डीडवाना के बनिस्पत अधिक मात्रा पाई जाती है।

(३) तकरीबन २.५० लाख से ३ लाख क्विन्टल नमक का उत्पादन पचपदरा की नमक की खानों में होता है जिसे राज्य सरकार खरीदती है एवं यह प्रयत्न करती है कि सभी नमक की निकासी हो जाय तो अलाटमेंट सिस्टम से होती है।

(४) नमक पुराना व नया दोनों ही स्टाक में रहते हैं। नमक नष्ट नहीं हो रहा है।

श्रीमती मदन कौर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बचा हुआ नमक रहता है उसका क्या होता है ?

श्री मथुरादास माथुर : बचे हुए नमक को बेचा जाता है ।

श्रीमती मदन कौर : ४—५ सालों का नमक पड़ा हुआ और नष्ट हो रहा है आंधी और वर्षा से उसका क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो नमक पड़ा हुआ है पचपदरा और डीडवाने में, डीडवाने में नहीं रहता है लेकिन पचपदरा में पुराना नमक बचा हुआ है तो उसको फ्री सेल करने के लिए सोचा जा रहा है और उसके रूल्स बन रहे हैं । उसके अन्दर दो तरह का नमक है । एक नया नमक जो कि साथ-साथ में निकलता है उसको सेंट नमक कहते हैं और पुराना जो नमक है उसमें सेंट भी है और अनसेंट भी है । हम सोच रहे हैं कि पचपदरा में नया नमक तो उठा लेते हैं और पुराने नमक को नहीं उठाते हैं तो दोनों की रेटों में कमी-बेशी करके उसको फ्री करके सेल करने की कोशिश कर रहे हैं । पचपदरा में कम नमक उठ पाता है क्योंकि पचपदरा में इतने वेगन्स नहीं मिल पाते हैं तो वहां पर रोड बनाने का फैसला किया है ताकि ट्रकों से वह नमक उठ सके ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पुराना नमक इकट्ठा होने के क्या कारण हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : बिक्री नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह : बिक्री के सम्बन्ध में क्या सरकार ने नोटिस जारी किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स बने हुए हैं और लोगबाग आते हैं और नमक उठाते हैं । यह परम्पराओं और पीढ़ियों से चला आ रहा है । अब हम सोच रहे हैं कि इसको फ्री सेल कर दिया जाय और रेट कमी-बेशी कर दी जाय, नहीं तो अच्छा नमक तो उठ जाता है और पुराना रह जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नमक के एलाटमेंट के बाद राज्य सरकार ने नमक नहीं बेचा जाय इस सम्बन्ध में आदेश दिये हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि डीडवाने का नमक विशेषज्ञों की राय के अनुसार खाने के योग्य नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : डीडवाने का नमक कामर्शियल साल्ट था लेकिन अभी रूल्स और रेग्युलेशन्स बने थे तो उसमें तय किया गया था कि इसको इम्प्रूव किया जाय ताकि ह्यूमन कन्जम्शन के काम आ सके ।

श्री दौलतराम सारण : क्या....

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्रीमती मदन कौर ।

Page No. 15

श्रीमती मदन कौर : क्या पचपदरा के नमक-उत्पादकों ने राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया है कि जो नमक बचा हुआ है उसको फ्री सेल करने की परमीशन दी जाय ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे प्रार्थना पत्र दिये हैं तो उन पर विचार करके फ्री सेल करने का फैसला किया गया हैं स्कीम बना कर और रेट्स में कमी बेशी करके पुराने नमक को बेचने के लिये कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पचपदरा के नमक उत्पादक जब तक सरकार की अनुमती नहीं मिलती है तब तक नमक नहीं बेच सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उत्पादकों से सरकार खरीदती है ?

श्री भैरोंसिंह : सरकार खरीदती है तो वर्षों तक नमक क्यों पड़ा रहा ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार खरीदती है। वे बेच नहीं सकते हैं। वे सरकार को नमक बेचते है। सरकार के पास लिस्ट बनी हुई है उस हिसाब से वह एलॉट करती हैं। अब उसने निर्णय किया है कि इसको फ्री सेल करने की इजाजत दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि जिस वर्ष में नमक का उत्पादन हुआ और उस वर्ष में नमक उत्पादकों ने बचने के लिए या सरकार को दे देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये तो सरकार ने तत्काल ही क्यों नहीं सारा नमक खरीदा ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार के पास रूल्स यह हैं कि नमक जब खरीदती है तो उसका ७५ परसेंट नमक की कीमत सरकार एडवांस कर देती है और सरकार की भी नमक में केपीटल अरेस्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : वही तो हम कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें निवेदन है कि हमारे पास नमक ३-४ लाख क्विंटल बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है कम ही है। नया नमक बिकता जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : जिस वर्ष नमक का उत्पादन हुआ तो उस उत्पादन के तुरन्त बाद नमक उत्पादन-कर्ता को या को देना चाहिये और उसके लिये प्रार्थना पत्र दिये तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट लेती है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं लिया है।

श्री मथुरादास माथुर : लेती है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि गवर्नमेंट के पास नमक के लिए वेगन्स नहीं मिलते हैं और वहां पर कोई रोड नहीं है और वेगन्स नहीं मिलते हैं तो नमक पड़ा रह जाता है।

श्री भैरोंसिंह : उसके लिए उत्पादनकर्ता क्यों भुगते ?

श्री मथुरादास माथुर : ५-७ लाख क्विंटल पड़ा है क्योंकि भेज नहीं सके और

Page No. 16

(श्री मथुरादास माथुर)

जो बजट में प्रोविजन था वह हमने पार्टियों को दे दिया फिर नमक किस पैसे से खरीदें। तो कई ऐसी असुविधाएं होती हैं। मैं मानता हूं इसलिये उन असुविधाओं को दूर करने के लिये हमने इस नमक का फ्री सेल करने का फैसला किया है और वहां पर सड़क बनाने का फैसला किया ताकि वहां पर ट्रक जा सकें।

श्री भैरोंसिंह : इससे सरकार को भी काफी नुकसान है और जनता को भी नुकसान है। पचपदरा के नमक-उत्पादक रात दिन कोशिश करते रहते हैं कि उनके नमक की बिक्री हो। प्रार्थना पत्र देते हैं पर सरकार परचेज नहीं करती है इससे वे डिसकरेज होते हैं और गवर्नमेंट को घाटा होता है। सरकार के पास फीगर्स तैयार नहीं हैं कि अगले साल कितना उत्पादन हुआ था और कितना सैल हुआ था और कितना नुकसान हुआ है। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ७६९. श्री मदनसिंह।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि सरकार किस भाव पर खरीदती है और किस भाव पर बेचती है? अगर आपके पास जानकारी हो तो दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार जिस भाव में खरीदती है वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। और बेचने के लिए सरकार जिस भाव में खरीदती है उस पर ट्रान्सपोर्ट चार्जेज वगैरह लगाकर बेचती है और वह नोटफिकेशन गजट में इश्यू किया गया है।

श्री अध्यक्ष : Next. श्री मदनसिंह। सिंचाई मंत्री।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : जितना नमक उत्पादन होता है....

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री Please :

एक माननीय सदस्य (विरोधीपक्ष) : यह तो नमक हराम हैं।

पांच देवल बांध का सर्वे

७६९. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पांच देवल बांध शिवगंज तहसील का सर्वे हो गया है? अगर हां, तो उसका निर्माण पांच देवल या ग्राम चोलीला या गोतमजी के मंदिर के पास को साइट में से कौनसी साइट पर बनाने का निर्णय ले लिया गया है?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : जी हां, इस बांध की साइट गोतमजी के मंदिर के पास है।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं पड़ा।

(उत्तर पुनः पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष : Next, श्री बद्रीप्रसाद!

श्री मदनसिंह : उस साइट पर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय पधार कर उस साइट को देखें कि वहां पर क्या टैक्निकल पाइंट है । वहां पर जानबूझ कर बदमाशी की जा रही है और वहां की सारी जमीन को खराब किया जा रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय पधारें । मैं साथ में जाऊंगा और देखें वहां से उसके अलावा अच्छी साइट और है ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य....

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 'बदमाशी' शब्द कहा है यह अनपार्लियामेन्ट्री है । अनपार्लियामेन्ट्री लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिये । 'बदमाशी' शब्द अनपार्लियामेन्ट्री है । आप माननीय सदस्य को आयन्दा के लिए कह दें ।

श्री अध्यक्ष : यह शुद्ध होता जा रहा है दिन पर दिन ।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस के सदस्य ने कांग्रेस के मंत्री को कहा है, आपको आपत्ति क्यों हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): पार्लियाट्री में है 'बदमाश' या नहीं ?

श्री रामकिशन (वैर): पार्लियामेन्ट्री है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): पार्लियामेण्ट्री है साहब ।

श्री रामकिशन : बद से बुरा और माशी से भोजन करने वाला !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): बात तो सही कही है, जरा नरम शब्द यूज किया है ।

श्री अध्यक्ष : सद्भावना के आधार पर और उचित संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

श्री रामकिशन : बुरी आजीविका पर खाये, उसके लिए उचित है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : 'बदमाशी' शब्द भी पार्लियामेन्ट्री है ?

श्री अध्यक्ष : सद्भावना से कहा गया है, जैसे बच्चे को कहते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : जो इस बांध के लिए साइट तय की है, उसके सम्बन्ध में यहां पर यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वह साइट ठीक है या नहीं । माननीय सदस्य ने सूचना दी है, उसके आधार पर इसको री-एक्जामिन करा लूंगा । यह देखा जायगा कि यह उपयुक्त नहीं है तो काम शुरू नहीं किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री मदनसिंह : आप पधारें तो मुझे सूचना दे दीजिये ।

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : हां, आप समारोह रख दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

ग्राम रामपुरा की जंगलात की भूमि

७७०. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर, जिला अलवर ने करीब १–१/२ साल पहले ग्राम रामपुरा की जंगलात विभाग की कुछ जमीन माल विभाग को सुपुर्द किये जाने की कलेक्टर अलवर को सिफारिश की थी ?

(२) क्या इस सिफारिश के कागजात अलवर जिला जंगलात सलाहकार समिति के विचार के लिये रखे गये हैं ? इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

क्या सरकार इस जमीन को वन विभाग से माल विभाग को काश्त के लिये सुपुर्द करने की आज्ञा प्रदान करने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(१) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) जी नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता — यह मेरे सामने रिकमन्ड करके भेजा है। सोलह साल में पहला जो सवाल दिया है उसका भी गलत जवाब दिया गया है।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) — सोलह साल में पहले प्रश्न का उत्तर दिया है वह भी गलत दिया है। सोलह साल में आज नम्बर आया है और तब भी गलत रिप्लाई मिला है।

श्री अध्यक्ष — श्री रावतराम

सुजानगढ़ में बुनकर बस्ती का निर्माण

७७१. श्री रावतराम (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ (चूरू) में उद्योग विभाग की ओर से बुनकर बस्ती का निर्माण किया गया ? यदि हां, तो इस बस्ती पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि खर्च की ?

(२) क्या यह सही है कि बुनकर बस्ती के निर्माण में तत्सम्बन्धी व्यक्तियों द्वारा किये गये घोटाले की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया और उस पर जो लाखों रुपये खर्च किये थे, वे बेकार गये ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) इस बस्ती का अब भविष्य क्या है ?

Page No. 19

(श्री रावतराम)

(५) क्या यह सही है कि बुनकर सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने इस बस्ती के मामले में काफी गड़बड़ी की है ? और उनके विरुद्ध कई बार जांच भी की गई ? यदि हां तो वे कौन व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? उक्त पदाधिकारियों के नाम व उनके विरुद्ध जो शिकायतें है उनका विवरण तथा जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : (१) यह सही है कि सुजानगढ़ (चूरू) में बुनकर सहकारी समिति द्वारा एक बुनकर बस्ती का निर्माण किया गया है इसके निमित्त उपरोक्त सोसायटी को एक लाख बीस हजार रुपये का ऋण व पन्द्रह हजार रुपये का अनुदान दिया गया है।

(२) इस मामले में घोटाले की कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु जिला उद्योग अधिकारी, बीकानेर द्वारा इस बस्ती को दी गई रकम के उपयोगिता के प्रमाण पत्र में त्रुटि पाई गई थी और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी नहीं, निर्माण रोका नहीं गया है, परन्तु निर्माण पूर्ण न होने के कारण इस समिति को आगे रुपया नहीं दिया गया है। रुपये बेकार जाने का प्रश्न नहीं उठता।

काम रोकने के लिये समिति जिम्मेदार है चूंकि सहकारी समिति इस कार्य में रुचि नहीं ले रही है इसलिये यह बस्ती को किसी अन्य संस्थान को स्थानान्तरण करने अथवा प्रत्येक मकान को बेचने का प्रश्न विचाराधीन है।

(४) इस बारे में निर्णय लेने के लिये एक समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(५) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

इस समिति के हिसाब के लेखा परीक्षण के लिये सहकारी विभाग को लिखा गया है। अभी तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही उचित कार्यवाही की जावेगी।

रिपोर्ट के अभाव में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि सोसाइटी के जरिये एक लाख ३५ हजार रुपये दिये गये बुनकर सहकारी समिति को मकान बनाने के लिए तो फिर बुनकर सहकारी समिति दोषी नहीं और फिर कोई दोषी नहीं। इस बस्ती का निर्माण पूरा हो गया। वह बन गई बस्ती।

श्री मनफूल सिंह : निर्माण पूरा हो जायगा।

श्री अवधलाल (हिन्डौन) : वह पैसा दिया है यह कब दिया है। १ लाख २५ हजार रुपये, १ लाख ३५ हजार रुपये दिये हैं-

Page No. 20

(श्री श्रवणलाल)

पन्द्रह हजार रुपये सहायता के दिये हैं यह कब दिये हैं, कौनसी तारीख को दिये हैं।

उद्योगमंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सारी स्थिति को थोड़ा स्पष्ट कर दूं जिससे कोई गलतफहमी न रहे। अध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया हैंडलूम्स बोर्ड की ओर से एक पैटर्न आफ असिस्टेंस है, उसके अनुसार १ लाख २० हजार रुपये लोन और १० हजार रुपये सब्सीडी दी जानी चाहिये, जब काम कम्पलीट हो जाय तब सब्सीडी की पहली किश्त देनी चाहिए। यह है। जो जानकारी विभाग को मिली है उसके अनुसार रुपया पूरा खर्च किया जा चुका है, जितना रुपया दिया है उतना रुपया खर्च किया जा चुका है किन्तु कुछ तो कीमत बढ़ने के कारण से, कुछ पैटर्न मे थोड़ा मोडीफाई करने से पैसा ज्यादा खर्च हुआ और कुछ अधूरा रह गया है। अब प्रश्न यह है कि या तो हैंडलूम्स बोर्ड ज्यादा पैसा देवे, पैटर्न से ज्यादा तब कम्प्लीट हो अथवा राज्य सरकार ज्यादा लोन देवे तब कम्प्लीट होवे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता !

श्री दौलतराम सारण : क्या ऋण देने से पहले...

श्री अध्यक्ष : Order Please ! प्रश्न कर्ता !

श्री रावतराम : मैं यह जानना चाहूंगा कि बुनकर सहकारी समिति के जरिये दिया तो इस सहकारी समिति के पदाधिकारी कौन कौन थे ? मैंने जानने की कोशिश की है। सहकारी समिति के पदाधिकारी थे जिनके जरिये लोन और सब्सीडी बस्ती बनाने के लिए खर्च हो रहा था, क्या यह सही है कि सरकारी समिति के पदाधिकारियों ने गबन किया है ? उसकी शिकायत गवर्नमेंट को की गई है लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। यह सरकार ने किया है कि बस्ती का निर्माण रोक दिया है, आगे कार्यवाही नहीं हो रही है। किन किन लोगों ने गबन किया है। क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास किसी ने गबन किया हो, इसकी सूचना नहीं है। मेरे पास सूचना यह है कि खर्च तो जितना रुपया दिया गया उनसे ज्यादा हो गया। जो पी. डब्ल्यू. डी. का एस्टीमेट है उसके अनुसार कोलोनी के लोगों ने अपनी ओर से कुछ ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब अस्सी हजार रुपया ज्यादा दिया जाय तब इनकम्प्लीट बस्ती पूरी हो सकती है।

श्री श्रवणलाल : पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी कौन कौन थे ?

एक माननीय सदस्य : पदाधिकारी कौन कौन थे ?

श्री रावतराम : जब आपके पास शिकायत नहीं है तो बस्ती का निर्माण किस लिए रोका है ? क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : पैसे के प्रभाव में रोका हुआ है।

श्री श्रवणलाल : प्रश्न संख्या दो के उत्तर में बताया है कि कुछ त्रुटि पाई गई है। क्या बता सकते हैं कि क्या त्रुटि है? क्या पैसे का दुरुपयोग किया है। जो मैटीरियल था, उसको इकट्ठा करने में या उसको किस प्रकार करने में गबन किया है। किस बात का गबन का रूप देते हैं आप?

श्री हरिदेव जोशी : मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं, अध्यक्ष महोदय। मेरे पास गबन के केस की कोई शिकायत नहीं है। दो कारण रहे हैं, एक तो पैटर्न माने कमरा इतना लम्बा, इतना चौड़ा होना चाहिए। उसके बदले लम्बा चौड़ा ज्यादा कर दिया अपनी सुविधा को देख कर अथवा जहां दीवार नहीं लगनी चाहिए वहां दीवार खड़ी कर दो। इस प्रकार से एक्स्ट्रा एक्सपेंडीचर हुआ है। कुछ भाव बढ़ने के कारण, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्पेंडीचर के कारण बीवर इस हालत मे नहीं है कि खुद खर्च कर सकें और बस्ती को कम्प्लीट कर सकें। इसलिए सोसाइटी ने गवर्नमेंट से मांग की कि हमें अस्सी हजार रुपया और दिया जाय। गवर्नमेंट ने चाहा, आल इंडिया हैंडलूम बोर्ड है वह ज्यादा पैसा दे देवे। वह अपने पैटर्न से ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं है।

श्रीअध्यक्ष : श्री शेखावत।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितने परिवार मकान बनाना चाहते थे?

श्रीअध्यक्ष : Order Order ! श्री शेखावत।

श्री श्रवणलाल : नहीं, यह बड़े महत्व का सवाल है।

अध्यक्ष : Order please !

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय के पास प्रश्न अत्यधिक हैं जिनकी परेशानी है।

(व्यवधान)

Order please !

श्री दौलतराम सारण : एक लाख ३५ हजार का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : यह लाखों रुपया खा जाते हैं।

श्री श्रवणलाल : एक जगह का ही सवाल हो तो मान लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इन बस्तियों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : धन का दुरुपयोग कर रहे हैं यह लोग। हम पूछ रहे हैं कि पदाधिकारी कौन कौन हैं तो बताते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दस दफा पूछ चुका हूं कि पदाधिकारी कौन कौन है?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मेरा पूछना यह है....

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, इस सहकारी समिति के अध्यक्ष, मंत्री और दूसरे पदाधिकारी कौन कौन थे ?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : यह चारों खा गये ।

एक माननीय सदस्य : एक लाख, ३५ हजार....

श्री नत्थीसिंह : यह चारों खा गये ।

श्री हरिदेव जोशी : यह जानकारी इमीजियेटली मेरे पास नहीं है । मैं कोशिश करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है....

श्री लादूराम सुलानिया : नाम नहीं है तो यह बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री शेखावत ।

श्री लादूराम सुलानिया : बाई रिक्वेस्ट मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री शेखावत खड़े हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बस्ती के निर्माण के लिए सरकार की ओर से इस समिति को टेक्निकल एडवाइस देने के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे यह जानकारी नहीं है कि गवर्नमेन्ट की ओर से कोई टेक्निकल एडवाइजर अपाइन्ट किया गया ?

श्री श्रवणलाल : जानकारी क्या है, आप बता दें, जानकारी क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पहले माननीय सदस्य सुन लें । मैं पूरा कर दूं । मेरी बात पूरी सुन लीजिये ।

श्री श्रवणलाल : सुनें क्या । यह एक केस नहीं है, अनेक केस हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : किसी भी सहकारी समिति के पास किसी काम के लिए कोई टेक्निकल एडवाइजर होता है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है । सोसाइटीज भी प्राइवेट लोगों की तरह ट्रीट की जाती है, इसलिए उनको अपनी एडवाइज के लिए प्राइवेट लोगों को एन्गेज करना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऋण और ग्रान्ट इन एड इन्स्टालमेंटस में दिये जाते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है । प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर इन्स्टालमेंटस पर ऋण और ग्रान्ट-इन-एड दिये जाते हैं । माननीय सदस्य को याद होगा पब्लिक एकाउन्टस कमेटी इस केस को एग्जामिन कर चुकी है और उसकी रिपोर्ट हाउस की टेबिल पर रखी जा चुकी है । एक अधिकारी ने इन्कम्प्लीट कोलोनी के लिए कम्प्लीट हो गई ऐसी रिपोर्ट दे दी इसलिए इन्क्वायरी चली, जो अधिकारी, जिसने गलत रिपोर्ट दी थी उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो कर एक आदमी की

(श्री हरिदेव जोशी)

सर्विसेज समाप्त हो गई, दूसरे के खिलाफ एन्क्वायरी चल रही है।

श्री रावतराम : जिनके खिलाफ गबन के आरोप थे, उनके खिलाफ कलेक्टर चूरू को शिकायत की गई कलेक्टर ने जांच करके काम बन्द करवा दिया, जांच के कागजात भेजे, बाकी बस्ती अधूरी पड़ी है वह बिल्कुल बेकार है, उसमें जानवर जाते हैं किसी काम की नहीं रही। तो जिन आदमियों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते, छुपाते क्यों हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कहा है कि मैंने आज पूरी फाइल को स्टडी किया है, उसमें किसी ने कोई गबन किया हो यह खबर नहीं मिली है। जो एलीगेशन्स आफीसर्स के खिलाफ हैं, वह यह है कि इन्कम्प्लीट कॉलोनी के लिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया कि कम्प्लीट हो गई, इस आधार पर चार्ज शीट दी। यह एलीगेशन्स उसके खिलाफ है, किसी आफिस बीयरर ने या आफिसर ने पैसा खा लिया हो ऐसी शिकायत नहीं है। पर गवर्नमेंट ने पैसा दिया उससे अधिक खर्च हो गया है।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please ! बहुत ज्यादा प्रश्न हैं।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय श्री रावतराम। Order please !

श्री हरिदेव जोशी : मैं एक निवेदन कर दूं, अगर कोई माननीय सदस्य मुझे जरा सी भी जानकारी दें, क्योंकि रेकार्ड पर मेरे पास जानकारी नहीं है, गबन की कोई जानकारी दें उनके आधार पर मैं डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि इसके मुखिया श्री रूपाराम, जिनको कांग्रेस से चुनाव टिकट दिया गया और इसी कारण इन सारे मामले को दबाया जा रहा है।

श्री रावतराम : मैं एक जानकारी....

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय श्री रावतराम....

The Chair is on its legs. Please resume seat.

Please resume seat.
Please resume seat.

कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी समझते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : क्या....

श्री अध्यक्ष : Order please !

माननीय रावतराम। स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री शेखावत।

Page No. 24

श्री रावतराम : एक सूचना के तौर पर निवेदन कर रहा हूं। यदि सहकारी समिति के पदाधिकारियों ने गड़बड़ी की है तो क्या जांच करा लेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : वह मैं कह चुका हूं। आप मुझे इन्फोर्मेशन दीजिये मैं जांच करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सोडियम सल्फेट का उत्पादन

६७२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) डीडवाना सोडियम सल्फेट कारखाने से व क्यारी प्रथा से अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना सोडियम सल्फेट का उत्पादन हुआ है ?

(ख) इस सोडियम सल्फेट को कब कब किस किस प्रक्रिया से अबतक किन किन को दिया गया है ? इसके डिस्पोजल के संबन्ध में कोई नियम बनाये हों या और कोई आदेश जारी किये गये हों तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) डीडवाना सोडियम सल्फेट कारखाने से एवं क्यारी प्रथा से जिस वर्ष से जितना जितना सोडियम सल्फेट का उत्पादन हुआ उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस प्रकार से उत्पादन किये हुए सोडियम सल्फेट को टेन्डर प्रथा द्वारा दि.. गया है एवं जिससे उच्चतम दरें प्राप्त हुई, उसको दिया गया।

यह उपरोक्त विवरण केवल उसी सोडियम सल्फेट के लिये दिया गया है जो सरदी में प्राकृतिक सरदी का लाभ उठा कर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोडियम सल्फेट खोदा भी जाता है जिसका विवरण संलग्न तालिका में प्रस्तुत हैं। इस प्रकार खोदा हुआ सोडियम सल्फेट ६५-६६ तक एलॉटमेंट के आधार पर सीधे उपभोक्ताओं को दिया गया। एलॉटमेंट संचालक उद्योग एवं रसद विभाग मुख्य प्रबन्धक लवण राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता था।

सन् ६६-६७ में टेन्डर प्रथा चालू कर दी गई एवं सबसे ऊंची प्राप्त दरों पर तालिका में लिखित फर्म्स को दिया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ६६-६७ के अन्दर १०९ मैट्रिक टन सोडियम सल्फेट १०५ रुपया पर मैट्रिक टन के हिसाब से बेचा गया और १७६० मैट्रिक टन सोडियम सल्फेट ३२६ रुपया पर मैट्रिक टन के भाव से बेचा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : जब से हमने टेन्डर प्रथा चालू कर दी, हाइयेस्ट बिड पर बेचा है।

श्री भैरोंसिंह : एक केस में १०५ रुपया प्रति मैट्रिक टन के भाव से और दूसरे में ३२६ रुपया प्रति मैट्रिक टन के भाव से बेचा है।

श्री मथुरादास माथुर : कोई पर्टिक्यूलर केस हो तो बताइये । जब हमने फैसला किया इन कन्सल्टेशन विथ फाइनेन्स डिपार्टमेंट कि ओपन बिड करना चाहिये वहां ३२६ रुपया प्रति मैट्रिक टन के भाव से बेचा है। इसके पहले १०५ था, उसमें एक आध पार्टी को १८५ में बेचा गया हो तो पता नहीं। आप बतायेंगे तो जांच करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : ३२६ रुपया प्रति मैट्रिक टन की रेट निर्धारित होने के बाद १०५ रुपया प्रति मैट्रिक टन के भाव से कुछ ने उठाया है।

श्री मथुरादास माथुर : अगर अलोट हो कर सेल हो चुका है उस भाव में तो बाद में उठाया है।

श्री भैरोंसिंह : उसके लिए भी टाइम प्रेस्क्राइब्ड है ।....

श्री मथुरादास माथुर : उसमें उठा लिया है तो ठीक है, नहीं तो केन्सेलेशन होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह ३२६ प्रति मैट्रिक टन की रेट किस आधार पर निर्धारित की ?

श्री मथुरादास माथुर : टेन्डर्स मांगे गये, उसमें टैक्निकल फाल्ट की वजह से टेन्डर रिजेक्ट हो गये, तब दुबारा टेन्डर मांगे, वह भी रिजेक्ट हो गये, उनमें हाईयेस्ट बिड ३२६ रुपया था। क्योंकि सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था इसलिये ३२६ के हिसाब से लोकल डीलर्स को बेचा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर इन्वाइट किये गये थे उसमें ३६५ रु० प्रति मैट्रिक टन की हाईयेस्ट रेट थी और दूसरे में ४०५ हाइयेस्ट रेट आई थी पर दोनों टेन्डर्स को टैक्निकली रिजेक्ट किया फिर ३२६ कैसे आरबीट्रेरिली तय कर लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : सब्जेक्ट टू करेक्शन, पहली बार का याद नहीं पर सेकिन्ड बार हाईयेस्ट ३२६ रेट आई और उसी को पकड़ा ।

श्री अध्यक्ष : श्री आलम अली ।

श्री भैरोंसिंह : पहली बार ज्यादा रेट थी मेरी जानकारी के अनुसार ३२६ से ज्यादा आई, पहली बार ज्यादा रेट आई उसको बेसिस न मान कर ३२६ क्यों माना ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि पहला रिजेक्ट हो गया, रीटेन्डरिंग हुआ तो हमने समझा कि ज्यादा रेट आयेगी, दूसरी बार ३२६ रेट हाइयेस्ट आई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसमें टेन्डर इन्वाइट नहीं किये और सलेक्टेड फर्म्स से क्वोटेशन्स मांगे ?

श्री मथुरादास माथुर : सलेक्टेड फर्म्स को लिख कर भेज देते हैं, उन्होंने टेन्डर भेज दिये ।

श्री भैरोंसिंह : कोटेशन्स मांगे गये, टेन्डर नहीं, कोटेशन और टेन्डर में फर्क है ।

Page No. 26

श्री मथुरादास माथुर : फर्क है, मुझे मालूम है। कोटेशन्स मांगे होंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नमक का व्यापार करने वाली सभी फर्म्स को नहीं लिख कर कुछ सलेक्टेड फर्म्स को लिखा गया ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं, एक दफा मांगे गये, दूसरी बार मांगे गये।

श्री भैरोंसिंह : मैं सैकिंड डिसीजन का कह रहा हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, सोडियम सल्फेट की हैं, नमक की नहीं, लिमिटेड फर्म्स हैं, उनको सबको चिट्ठी लिखी जाती है, उनके कोटेशन्स आते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री आलम अली !

श्री भैरोंसिंह : यह क्वश्चन बड़ा सीरियस है।

श्री अध्यक्ष : All questions are very serious.

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट के फाइनेन्शियल रूल्स बने हुए हैं। पहले तो कहा गया कि टेन्डर इन्वाइट किये। दरअसल कोटेशन्स मांगे गये। फिर कहते हैं कि सबसे कोटेशन्स मांगे गये। पत्र लिखने के कितने दिन बाद कोटेशन्स मांगे गये ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो बाद में बता दूंगा। सैकिन्ड टाइम में कोटेशन्स मांगे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके लिये गवर्नमेन्ट की हाई पावर कमेटी थी ?

श्री मथुरादास माथुर : न तो वह डिपार्टमेन्ट से फाइनेन्स में जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार सरकारी सैल और परचेज के लिए जो एक-एक लाख से ज्यादा अमाऊंट हो, उसके हाई पावर कमेटी के बिना एप्रूवल से न तो परचेज किया जा सकता है न सेल किया जा सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : इस केस में मुझे मालूम नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : रूल्स हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री आलमअली खां।

ग्राम बलारां में कृषि कार्य हेतु दी गई बिजली

७७३. **श्री आलमअली (फतेहपुर) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या गांव बलारां, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के श्री जयदेवजी शर्मा, श्री बंशीधर शर्मा व श्री समसुदीन कायम खानी को कृषि कार्य के लिए बिजली का कनेक्शन दिया गया है ?

Page No. 27

(श्री आलमअली)

(२) क्या यह गांव विद्युतिकरण स्कीम में है ? और क्या गांव के अन्य लोगों को इनसे पूर्व बिजली दी जाती रही है ?

(३) उक्त पैरा (१) में वर्णित लोगों के खेत उक्त गांव में स्थित ट्रान्सफोरमर से कितनी दूरी पर हैं।

(४) उक्त तीनों व्यक्तियों को किन-किन शर्तों पर बिजली दी गई ?

(५) क्या इन लोगों को दी गई, तथा गांव में अन्य लोगों को दी गई बिजली की शर्तों में भिन्नता है ? यदि हां, तो वह क्या और कितनी और क्यों है ?

(६) इन तीनों व्यक्तियों को जिन शर्त पर बिजली दी गई है उनका आधार क्या है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) श्री बंशीधरजी का कुआ गांव में जो पहले ट्रान्सफोरमर लगा हुआ था उससे करीब डेड़ मील दूर है और श्री जयदेवजी व शमशुदीनजी के कुए श्री बन्शीधरजी के कुए से करीब २००० फीट की दूरी पर अलग २ दिशा में हैं।

(४) (उत्तर नहीं दिया गया)

(५) जी नहीं, कोई भिन्नता नहीं है।

(६) इन लोगों को बिजली आर० एस० ई० बी० के फार्म पर दी गई अर्जी पर एस्टीमेट बनाकर एवं मिनिमम गारंटी लेकर दी गई है।

श्री आलमअली : बिजली देने में काश्तकारों के साथ लम्बी चौड़ी गड़बड़ी बरती गई है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या ?

श्री आलमअल : जिन काश्तकारों के लिए सवाल पूछा है, उन लोगों को बहुत परेशान किया गया है। परेशान करने के बाद भिन्नता बरती गई है।

श्री अध्यक्ष : क्या परेशान किया गया है और भिन्नता बरती गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री आलम अली : क्या यह सही है कि उनसे १६००-१६०० के बांड्स तीनों काश्तकारों से लिखवाये गए ?

श्री हरिदेव जोशी : जो रूल्स हैं वे सबके लिए हैं, वही रूल्स इनके लिए हैं। इसलिए भिन्नता नहीं बरती गई है। जो मिनिमम चार्जेज सबसे ली जाती हैं, इनसे भी ली गई हैं।

श्री आलमअली : कायदे के अनुसार कितने माइल्स पर बिजली ले जानी है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि श्री बन्शीधरजी का कुआं ट्रांसफोरमर से डेढ़ मील दूर था

(श्री हरिदेव जोशी)

और दूसरा जो कुआं है वह श्री वंशीधरजी के कुए से करीब २००० फीट की दूरी पर था ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जब बांड्स भरवाए गए तो फिर इनको बिजली देने में क्या दिक्कत थी ?

श्री हरिदेव जोशी : आप दूसरी बात पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि इसमें पूछा गया है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ? मैंने उत्तर दिया है, नहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।

श्री रामकिशन : प्रश्न यह नहीं है। आप समझ भी गए हो और जवाब भी वह दो। होता क्या है कि जिस जगह आप बिजली देते हैं उस पर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है। उसके बाद सप्लाई की मिनिमम गारंटी देते हैं उससे किसानों को नुकसान होता है। आज बिजली पूरी नहीं मिल सकती। तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि मिनिमम गारंटी वाली बात को सरकार हटाने के लिए तैयार है ?

श्री हरिदेव जोशी : सवाल केवल तीन इन्डवीजुअल्स के बारे में किया गया था ?

श्री रामकिशन : असल में वह माननीय सदस्य कह नहीं पाए कि बिजली ....

श्री हरिदेव जोशी : जो उन्होंने नहीं कहा उसका आधार आपने अपनी इच्छा से बना लिया। उन्होंने केवल तीन लोगों की ट्रांसफोरमर से दूरी की बात पूछी थी और कहा था कि उनके और दूसरों के बीच भिन्नता रखी गई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : इन तीन नामों के अलावा नए किसानों ने भी सरकार से बिजली लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री रामकिशन : असल प्रश्न यह है कि....

श्री हरिदेव जोशी : कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है।

(प्रश्न संख्या ७७४)

श्री अध्यक्ष। श्री नत्थीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम।

सैलीनाल बांध का निर्माण

७७५. श्री दौलतराम (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि देसूरी, जिला पाली के सेलीनाल बांध को बंधवाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब हुई ?

(२) क्या बांध का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री दौलतराम)

(३) यह योजना कितने लाख की है ?

(४) योजना का काम विभाग द्वारा हो रहा है अथवा ठेके पर ? ठेके का टेन्डर किसके नाम पर खुला ?

(५) क्या मजदूरों को मजदूरी समय पर दी जा रही है और मंहगाई को ध्यान में रखते हुए जो मजदूरी दी जा रही है, क्या वह उचित है ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां, दिसम्बर १९६६ में।

(२) जी हां।

(३) ८,६२,३१३ रुपए की।

(४) कार्य ठेके पर हो रहा है। ठेके का टेन्डर मेसर्स गेनसिंह प्रेमसिंह के नाम का खुला है।

(५) जी हां, यह कार्य ठेके पर होने से मजदूरों की मजदूरी ठेकेदार द्वारा ही दी जाती है। अतः विभाग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

श्री शंकरलाल (जेतारण) : इसका रिटर्न कितना होता है, कितनी भूमि पर सिंचाई होने की संभावना है।

श्री हरिदेव जोशी : ६०० एकड़ में होगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय ने कहा कि मजदूरों को मजदूरी देने का सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जैसे सरकार ने मिनिमम वेजेज एक्ट बना रखा है तो क्या यह सही नहीं है कि अगर वे मिनिमम वेजेज से कम मजदूरी देते है तो सरकार इसमें दखल करके उनको पैसा पूरा दिलाये।

श्री अध्यक्ष : कानूनी प्रश्न।

श्री हरिदेव जोशी: दूसरा विभाग इसको डील करता है।

एक माननीय सदस्य : क्या विभाग के पास शिकायत है कि मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : Next। श्री सांवर मल बासोतिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह कि इन्टरसी पार्टीज का डिस्प्यूट है for which Court of law is quite competent जिसमें सरकार पिक्चर में आती हो, उसमें बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरमल बासोतिया।

सवाई माधोपुर में पैट्रोल पम्प के लिए दी गई भूमि

६७६. **श्री सांवर मल बासोतिया (नवलगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करें:—

(१) क्या सवाई माधोपुर में पेट्रोल पम्प के लिए जमीन आई. ओ. सी को न

(श्री सांवरमल बासोतिया)

देकर किसी प्राइवेट पार्टी को आवंटित की गई थी ? क्या यह सही है कि सन् १९६५ में उक्त आवंटन आदेश को रद्द करके पुन: आई. ओ. सी. के नाम में आवंटन किया गया ?

(२) यदि हां, तो प्राइवेट पार्टी को कौन से नियमों के अतर्गत जमीन का आवंटन किया गया तथा बाद में ऐसे कौन से कारण बन गए जिससे प्राइवेट पार्टी को किया गया आवंटन रद्द करके पुन: आई. ओ. सी. के नाम आवंटन किया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) (१) जी हां, आवंटन आदेश को नवम्बर १९६६ में रद्द किया गया है।

(२) प्राईवेट पार्टी को यह भूमि आवंटन राजकीय आदेश के अनुसार नहीं होने के कारण इसको निरस्त किया गया।

श्री सांवर मल बासोतिया : (विरोधी पक्ष द्वारा शोरगुल करने के कारण अश्रव्य)।

श्री परसराम मदेरणा : आदेशों के बावजूद एलाटमेंट के आर्डर्स हुए। उस अधिकारी के विरुद्ध कमिश्नर डिपार्टमेंटल एन्क्वायरीज के पास वह मामला विचाराधीन है।

(शोरगुल)

श्री सांवरमल बासोतिया : (अश्रव्य)।

श्री परसराम मदेरणा : कतई नहीं।

(१२ मध्याह्न)

श्री मुकुट बिहारी गोयल : वैसे इस दफ्तर का सवाल था।

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन) : On a point of order, Sir.

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है, हमसे बात करते हो क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य, दोनों तरफ से।

श्री विजय सिंह रावत : Mind your tongue.

श्री गिरधारीलाल व्यास : Mind your tongue.

श्री अध्यक्ष : No body to mind the tongue but they are to rightly use the tongue.

श्री श्रवणलाल : Point of order, Sir. जिस प्रकार से बेंच नम्बर जे पर माननीय सदस्य जो उपस्थित हैं वे कृपया

Page No. 31

(श्री श्रवणलाल)

देखें । उनकी दो की सीट पर तीन बैठे हैं और उनको·······

श्री अध्यक्ष : Order please ।

श्री हरिदेव जोशी : ७७७ रह गया ।

गाम घमोरा में कुओं के लिए बिजली

७७८. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं जिले के घमोरा ग्राम में किस तारीख को विद्युतीकरण किया गया और उसके बाद कितने कुओं को तारीख ३१-५-६७ तक बिजली दी जा चुकी है ? प्रत्येक कुओं के लिये कितनी लम्बी लाइन ले जानी पड़ी हैं ?

(२) तारीख ३१-५-६७ को इस प्रकार के कितने मामले पेन्डिंग पड़े रहे जिनमें सिक्योरिटी की रकम जमा कराई जा चुकी थी और बिजली की लाइन नहीं खींची गई ?

(३) ग्राम घमोरा में ता० ३१-५-६७ तक जिन-जिन कुओं को बिजली दी गई है उनमें से कितने ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही कुए के लिये मेन ट्रान्सफोर्मर से कुए तक लाइन गई हैं ।

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) तारीख ३०-३-६५ को । तारीख ३१-५-६७ तक कुल ४ कुओं को बिजली दी जा चुकी हैं । लाइन की लम्बाई नीचे दी जाती है :

नाम	लम्बाई (फुटों में)
श्री दीपसिंह	६५०
श्री जसवन्तसिंह	२३००
श्री सोहनसिंह	६००
श्री कल्याणसिंहगुलाबसिंह	आधा मील

(२) ८ अर्जियां पेन्डिंग पड़ी हैं और जिन्होंने सिक्योरिटी वगैरा के पैसे जमा कराये रखे हैं और इनमें से ७ की अभी तक लाइन नहीं खेंची है ।

(३) सिर्फ एक कुआ ।

श्री शिवनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सिक्योरिटी जमा हो चुकी हैं तो ८ पेन्डिंग में हैं तो उनको बिजली दी क्यों नहीं गई अभी तक ?

श्री हरिदेव जोशी : उनकी सिक्योरिटी का पैसा बहुत लेट बाद में आया है माने ११ जुलाई और इस तरह से लेट आया है इसलिये अब उनका काम जारी है और काम जल्दी पूरा कर दिया जावेगा ।

श्री शिवनाथ सिंह : इस ११ जुलाई को तो आई ही नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पहले की जुलाई को आई हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : ३. ४. ६७, १० ४, ६७, १०। ७। ६७, १० ।४। ६७ इस

(श्री हरिदेव जोशी)

तरह से उनका बाद में आया है और उनका २७।८।६५ का पैसा जमा हुआ है। जिनका पहले आ गया उनको पहले दिया जावेगा और जिनका बाद में आया उनको बाद में दिया जावेगा।

श्री शिवनाथसिंह : मैं जानना चाहूंगा कि सिक्योरिटी जमा होने के बाद में कितना पीरियड होता है जिसमें कनेक्शन दे दिया जाना चाहिये। एक आदमी को ४००)५००) जमा कराना पड़ता है। ६. ६ महीने तक रहे तो कितना समय आप उचित समझते हैं इसके लिये।

श्री हरिदेव जोशी : मिनिमम अभी तो नहीं कह सकता पर कोशिश हम करेंगे कि कम से कम समय लगे। अगर अधिक समय की लगने की सम्भावना हो तो सिक्योरिटी का पैसा नहीं लिया जावे, यह ज्यादा वाजिब होगा।

श्री गिरधारिलाल व्यास : इसमें जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : Order please १० प्रश्न और है अभी।

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

श्री रामचन्द

श्री श्रवणलाल : यह व्यवस्था का प्रश्न है। एक सदस्य जब सदन में आ गये है और मोजूद है यहां तो अधिकार है कि वे प्रश्न पूछें, इस तरह से मौन नहीं रह सकते। यह पल्लीवालजी का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मुझे बता दीजिये। Yes ७७८ व्यवस्था का नहीं सुविधा का प्रश्न है यह तो। ७७८ Yes, Odrer।

मनोरंजन कर की वसूली

७७८. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी में ता० २६-५-६७ से नौटंकी ड्रामा चल रहा है जिसकी टिकिट रेट ७५ नये पैसे प्रति व्यक्ति है ?

(२) क्या कर विभाग द्वारा एन्टरटेनमेन्ट टैक्स वसूल किया गया है ? अगर हां तो कितना, अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त टैक्स का रुपया संबंधित इन्सपैक्टर द्वारा हजम कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस की जांच कराने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह सही है कि स्टाम्प टिकटों पर नहीं लगाये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): (१) जी हां। यह सही है कि गंगापुर सिटी में दिनांक २३।५।६७ से २६।५।६७ तक नौटंकी ड्रामा चला था जिसकी टिकट दर ७५

(श्री मथुरादास माथुर)

नये पैसे (मनोरंजन कर सहित) प्रति व्यक्ति थी।

(२) जी हां, विभाग द्वारा सम्बन्धित नाटक कम्पनी से मनोरंजन कर के रूप में १८६,६० नये पैसे वसूल किया गया था।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। यह सही है कि टिकटों पर स्टाम्प नहीं लगाये गये थे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस नोटंकी में राजवी रूपसिंहजी ने भी काम किया था ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर आपत्ति प्रकट करता हूं। आप माननीय सदस्य के सम्बन्ध में न कहें इस तरह ऐसी यदि परम्परा पड़ी तो एक माननीय सदस्य दूसरे माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कई बातें कहेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह भी कोई परम्परा नहीं है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि उस नोटंकी का ड्रामा जिस समय हो रहा था उस समय सेठजी को ड्रामा में प्रवेश नहीं होने दिया गया था।

श्री मथुरादास माथुर : यह जुदगाना सवाल है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : नोटंकी जैसा ड्रामा हो, एक आदमी को ७५ पैसा एन्टरटेनमेंट टैक्स देना पड़े, वह ५ रोज चले और फिर भी टैक्स केवल १८६.६० पैसा ही वसूल हो ?

श्री मथुरादास माथुर : ७५ पैसा। कुल एन्ट्री थी।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : गलती हो गई।

श्री श्रवणलाल : उस नोटंकी के पात्र कौन कौन थे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया अलग से प्रश्न। श्री रामचन्द्र।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : असल में हजम तो जरूर हुआ है। फाइनेन्स मिनिस्टर हिसाब लगाकर देख लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो एन्टर टेनमेन्ट टैक्स लेने का अधिकारी हूं। अगर माननीय सदस्य भी करें तो उनसे भी लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्रीजी ने यह कहा है कि उन्होंने टिकट नहीं लगाये। तो इससे क्या यह जाहिर नहीं होता है कि उन्होंने अधिक एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की चोरी करने की कोशिश की। लेकिन जब शिकायत हो गई तो पैसा वापिस आपको जमा करा दिया। क्या यह सही नहीं है कि जब ही पैसा वसूल किया तब ही जमा कराना चाहिये था। पर तब तो उसको जमा नहीं कराया गया और बाद में जब शिकायत हुई तो जमा कराया गया है।

Page No. 34

श्री मथुरादास माथुर : The case was made out against Brijendra Singh Manager Bharat Sangeet Natak Co.

श्री नत्थीसिंह : हिन्दी में बोलें साहब।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये ५०) उन पर दफा १० क्लाज ३ आफ राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट टैक्सेज एक्ट के नीचे जुर्माना किया गया।

श्री श्रवणलाल : जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है उनका उस शहर में सिनेमा चलता है और इसलिये उन्होंने यह प्रश्न पूछा है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : यह बात बिलकुल सही है। सिनेमा का नुकसान क्यों हो जावे प्रिविलेज प्रोटेक्शन होना चाहिये। लोग उनके सिनेमा में नहीं जावें और नौटंकी में चले जावें ऐसी सूरत में इनको प्रोटेक्शन मिलना ही चाहिये मन्त्री महोदय से।

प्रश्न संख्या ७७९

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज।

प्रश्न संख्या ७८०।

नगरपालिका सरदार शहर

७८० श्री मेघराज : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका सरदार शहर के चैयरमैन और वाइस चैयरमैन को सन् १९-५८ से १९६५ तक कितनी बार निलम्बित किया गया? तथा किस आरोप में? निलम्बन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(२) नगरपालिका सरदार शहर के निर्वाचित बोर्ड को उपरोक्त अवधि में कितनी बार भंग किया तथा किन किन आरोपों के आधार पर? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या ७८१

श्री सहदेव शर्मा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बालसिंह।

जिला जैसलमेर में माध्यमिक पाठशालाएं खोलने की मांग

७८२. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में १९६५-६६ में एक भी माध्यमिक पाठशाला नहीं खोली गई जबकि वहां की जिला परिषद

Page No. 35

(श्री बालसिंह सोठा)

ने सरकार से अनुरोध किया था कि इस जिले में तीन माध्यमिक पाठशालाएं खोली जावें ? अगर हां, तो क्यों और क्या भविष्य में सरकार माध्यमिक पाठशालाएं खोलने की व्यवस्था इस जिले में कर रही है ? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

उप मन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : जी हां। जिला परिषद् जैसलमेर से जिला जैसलमेर में माध्यमिक शालायें खोलने का राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु ६६-६७ के आय व्ययक में प्रावधान नहीं होने के कारण संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री बालसिंह सोठा : जालोर जैसलमेर जैसे बैकवर्ड एरिया में प्राथमिकता देकर माध्यमिक शालाएं खोली जावें।

राव श्री धीरसिंह : बैकवर्ड इलाके में कोशिश की जा सकती है। जब प्रावधान रक्खेंगे तब करेंगे। इस साल तो प्रावधान रक्खा नहीं है। जब रक्खेंगे तो करेंगे इसको भी।

श्री बालसिंह सोठा : इस साल जैसलमेर जिले में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में बदलने का कोई प्रावधान नहीं रक्खा है ?

राव श्री धीरसिंह : यह तो मैंने जवाब में ही कह दिया है कि इस साल प्रावधान नहीं रखा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मन्त्रीजी इसको उचित समझते हैं कि जैसलमेर जैसे बैकवर्ड एरिया में जिसके डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है किसी प्राथमिक शाला को मिडिल स्कूल बनवाने का बजट द्वारा प्रावधान नहीं किया जावे ?

राव श्री धीरसिंह : बजट से धनराशि प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो बैकवर्ड एरिया को कन्सीडर किया जावेगा। आज तो कोई प्रावधान है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : बजट में कोई प्रावधान नहीं है इस प्रकार का कि अमुक जिले में किया जावेगा और अमुक जिले में नहीं किया जावेगा अप ग्रेड।

राव श्री धीरसिंह : अपग्रेड करने का सवाल नहीं है। पर बजट में जो स्थिति है उसमें प्रावधान किस तरह से हो और हमारे पास पैसा आये तो बैकवर्ड एरिया को देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन बड़ा जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैं वापिस आपको चान्स दे दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय जानकारी रखते हों तो क्या कृपया उत्तर देंगे कि जैसलमेर में माध्यमिक शालाएं हैं या बिल्कुल ही नहीं हैं।

Page No. 36

राव श्री धीरसिंह : इसके अन्दर प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कितनी प्राथमिक शालायें जैसलमेर जिले में हैं। क्रमोन्नत करने के लिये पूछा है। मैं निवेदन करूंगा कि प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने के बारे में, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा, मौजूदा बजट में प्रावधान नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया।

माननीय विरोधी दल के नेता

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सिर्फ यह जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि क्या जैसलमेर जिले में माध्यमिक शाला जैसी संस्था है या है ही नहीं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने प्रारम्भिक शालाओं को अपग्रेड न करने के लिये निर्णय लिया है लेकिन माध्यमिक को हायर सैकेन्डरी करने का प्रावधान रखा है।

राव श्री धीरसिंह : फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रावधान होते हुए भी कुछ माध्यमिक शालाओं को हायर सेकेन्डरी बनाया गया।

राव श्री धीरसिंह : केवल गर्ल्स स्कूल्स के लिये यह प्रावधान है, बोयज में नहीं बनाया गया।

श्री बालसिंह सोठा : जैसलमेर के २५-३० मील के एरिया में कोई मिडिल स्कूल नहीं है यह जानकारी देना चाहूंगा। और यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसलमेर और जालोर में एजुकेटेड परसेन्टेज क्या है और राजस्थान का क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बालसिंह सोठा : यह खास प्रश्न है। जैसलमेर, जालौर में सिर्फ ८ परसेन्ट है जब कि बाकी राजस्थान में १५ परसेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : आपने काल कर लिया था मेरा प्रश्न। काल करने के बाद प्रश्न खड़ा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नहीं होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टेक्निकली फिर रिकन्सीडर कर लें।

श्री अध्यक्ष : आपने रिकन्सीडर करने के लिये कहा है और....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये रिप्लाई देने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष : All right ।

ग्लासवूल और फाईबर एवं वूलन वर्स्टेड के कारखाने का लाइसेन्स

७८३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जयपुर में ग्लासवूल और फाईबर एवं वूलन वर्स्टेड (Woollen worsted) के कारखाना लगाने के लाइसेन्स किसी को जारी किया गया था ? यदि हां, तो किसको व कब ? और इस सम्बन्ध में अब क्या प्रगति हुई ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री मनफूलसिंह) : जी हां। श्री महावीर प्रसाद और मुरारका बम्बई को दिनांक २०.७.६० को ग्लास वूल फाइबर तथा टेंम्पर्ड सेफ्टी ग्लास जयपुर में बनाने के लिये लाइसेन्स दिया गया था। पार्टी के उचित कदम न उठाने पर भारत सरकार ने पार्टी को दिनांक १२.१२.६२ को शोकाज नोटिस दिया व जनवरी १९६३ में लाइसेन्स रद्द कर दिया। इसके अतिरिक्त सैमी वर्स्टेड (Semi worsted) धागा ६.२४ लाख पौंड प्रति वर्ष बनाने के लिये राजस्थान फाइन वोर्स्टेड स्पिनिंग मिल जयपुर को भारत सरकार द्वारा ५.११.५९ को लाइसेन्स दिया गया था। जो भी उचित कदम नहीं उठाने पर भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या दोनों के दोनों लाइसेन्स रद्द हो चुके जो जयपुर में कारखाने लगाने के लिये थे ?

उद्योग मंत्री, (श्री हरिदेव जोशी) : दोनों के दोनों रद्द हो चुके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार ने रद्द किये ?

श्री हरिदेव जोशी : लाइसेन्सदार ही लाइसेन्स देता है, उसको अधिकार है वह शो कॉज नोटिस देता है और रद्द भी वो ही करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार चिन्ता नहीं रखती है कि भारत सरकार जिन उद्योगों के लिये लाइसेन्स दे उन उद्योगों को यहां स्थापित कराने में सहायता दी जा सके ?

श्री हरिदेव जोशी : सहायता का प्रश्न नहीं है। उन्होंने इनीशियेटिव ही नहीं लिया गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने देखा कि लम्बे अर्से तक इनिशियेटिव नहीं ले रही है। लम्बी अपुर्चुनिटी दी गई कारखाने स्थापित करने के लिये। सहायता देने और न देने का सवाल नहीं है। लम्बी अपुर्चुनिटी दी गई उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार के लाइसेन्स ग्रान्ट होते हैं कि वे राजस्थान में इन्डस्ट्रियेलाइजेशन में भाग ले। लेकिन राजस्थान सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती कि ऐसे लोग इनिशियेटिव नहीं ले रहे हैं उनसे लिवायें, उनको दिक्कतें क्या हैं उनको दूर करें। वे आवें तब तक बैठे रहें कि राजस्थान में काम करें या नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : आपने पूछा कि लाइसेन्स किन किन को दिया यह लिस्ट दे दी

(श्री हरिदेव जोशी)

गई। राजस्थान का इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट उनको बुलाता है, उनकी डिफिकल्टीज को पूछता है। पावर अथवा मेटिरियल अथवा फाइनेन्स के बारे में डिफिकल्टीज है तो गवर्नमेन्ट के सामने रखते हैं और असिस्टेन्स चाहते हैं तो डिपार्टमेन्ट देता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : On a point of order, Sir! अध्यक्ष महोदय, केवल दो प्रश्न रह जाते हैं जो काफी इम्पोर्टेन्स के हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो नहीं रहते हैं कई प्रश्न रहते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : प्रश्न संख्या ७८४ और ७८५ ले लीजिये। मेरा ७५५ ले लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जोशीजी के साथ रियायत की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य का सवाल ले लिया तो अन्य माननीय सदस्य भी कहेंगे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : They are not present in the House now.

श्री अध्यक्ष : I want to be assured about this.

श्री रामकुमार नन्दवाना : मेरा ७८४ ले लीजिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं तो कभी कभी ही पूछता हूं। अन्य माननीय सदस्यों के भी हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यदि ये हिन्दी में बोलें तो इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७५५। श्री विशम्भरनाथ जोशी।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : Thank you, Sir.

सेकेन्डरी स्कूल माधोराजपुरा के निलम्बित प्रधानाध्यापक।

७५५. **श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) श्री नटवर बिहारीलाल, प्रधानाध्यापक सेकेन्डरी स्कूल माधोराजपुरा, जिला जयपुर को किस अपराध में व कब से निलम्बित कर रखा है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को १० मई सन् ६७ तक न चार्ज शीट ही दी गई व न कोई जांच ही शुरू की गई है ?

(३) सरकार उक्त अधिकारी को कब तक उनका जुर्म बतला कर जांच शुरू करेगी तथा जांच कितने समय में पूरी कर लेगी ?

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) श्री नटवरबिहारीलाल को वित्तीय अनियमिततायें और सरकारी राशि का गबन

(राव श्री धीरसिंह)

करने के आरोप में २४-१२-६६ से निलम्बित किया गया है ।

(२) जी हां । जिन स्थानों पर उन्होंने काम किया है वहां के हिसाब की जांच हो रही है । उसके पूरा होने पर चार्ज शीट दी जावेगी ।

(३) हिसाब की जांच इस मास के अन्त तक पूरी होने की आशा है । तत्पश्चात् आगे की कार्यवाही की जावेगी ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : क्या सरकार की जानकारी में नहीं है कि हैडमास्टर पहली जुलाई से रिटायर भी हो चुके हैं ?

राव श्री धीरसिंह : रिटायर हो चुके हैं लेकिन जो अनियमिततायें की हैं उसके लिये कानूनन जो एक्शन होना चाहिये वह देख लेंगे । रिटायर हो गये तो एक्शन थोड़े ही बन्द हो जावेगा ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : क्या सरकार की जानकारी में यह नहीं है कि रिटायर हो जाने के बाद पब्लिक कन्डक्ट रूल्स के काबिल नहीं है और जांच पूरी कानूनन नहीं कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसको देख लीजिये उन परिस्थितियों में ।

राव श्री धीरसिंह : जो कानूनन होगा वही किया जावेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बकाया धन-राशि कब तक........

श्री अध्यक्ष : No supplementary !

श्री मोतीलाल : ७६९ ।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आपका द्रौपदी का चीर है । जो कभी कभी पूछते हैं उनको सुविधा दी जाय ।

७६५ । समाज कल्याण मन्त्री ।

अनुसूचित जाति छात्रावास, ग्राम नाना के भवन निर्माण का ठेका

७६५. श्री मोतीलाल (रेवदर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या 'नाना ग्राम' (पाली) में अनुसूचित जाति छात्रावास की इमारत निर्माण का ठेका ५०,०००) रु० पचास हजार में दिया गया था ?

(२) क्या इमारत का कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण रूपेण पूरा किया गया है ?

(३) यदि इमारत का कार्य अपूर्ण है तो उसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(श्री मोतीलाल)

(४) अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो अब इसके लिए कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

सहकारिता मंत्री (श्री परसराम मदेरना) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा ग्राम नाना में अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन निर्माण हेतु राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ को २२,५००) रु० का अनुदान दिया गया था।

(२) एक रसोई घर, एक भण्डार, दो बड़े कमरे पूर्ण हैं और प्लास्टर बाकी है। एक बड़ा कमरा अपूर्ण है और दूसरे कमरों की दिवारें २, २॥ फुट तक बनी हुई हैं।

(३) इस विभाग के पत्र १९. ९. ६४, २१. १. ६५, २३. ११. ६५, ७. ८. ६६, २९. ११. ६६ द्वारा संस्था को अधूरे कार्य पूरे करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

(४) संस्था द्वारा सूचित किया गया है कि ठेकेदार से विवाद के कारण कार्य अधूरा पड़ा था अब इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : इसमें आपने जो बताया है किस तारीख को यह स्वीकृत हुआ था और उनके पास कब पहुंचा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले के ले लिये और बाद के नहीं लेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं जानता था यह प्रश्न पैदा होगा। मैं ले सकता हूं यदि सप्लीमेन्टरी न पूछे जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा राइट है। मैं सदन में मौजूद हूं तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : १२ बजे ही प्रश्न समाप्त हो चुके।

श्री लादूराम सुलानिया : कार्य पूरा हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द।

खानों का ठेका

७६०. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कपूलरी के फुलर अर्थ खानों का ठेका देने के लिये खनिज विभाग ने इन खानों को सात हिस्सों में बांटकर ६०.६० हजार रुपये में ठेका देने की योजना बनायी थी ?

(२) क्या यह सही है कि अब यह योजना रद्द करके केवल एक व्यक्ति को ही सारी खानों का इकट्ठा ठेका २०,००० रु० में दिया जा रहा है ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(३) पहली योजना को रद्द करके ३,००,००० रुपये का घाटा खाकर इकट्ठा ठेका देने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री खनिज (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ठेका अब तक दे दिया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह प्रोपोजल किसी को १ लाख २० हजार में देने का विचाराधीन है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं। आपकी इन्फोरमेशन करेक्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जवाब में जी नहीं इसलिये कहा गया कि गांव का नाम गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य की इनफोरमेशन गलत है चार प्लाट्स हैं उनको बांटकर दिया जायेगा इसके बारे में दो चार दिन में फैसला कर दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न संख्या ७६७।

हरिजन छात्रावास परबतसर

७६७. श्री परसराम (परबतसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) परबतसर के हरिजन छात्रावास की जमीन का पट्टा किस के नाम है ?

(२) परबतसर हरिजन छात्रावास की कार्यकारणी के कितने सदस्य हैं और उसकी सालाना कितनी बैठकें होती हैं ?

(३) इसके साधारण सदस्यों की बैठकें कब बुलाई जाती हैं ?

(४) वर्ष १९६६.६७ में इस छात्रावास के लिये कितना चन्दा प्राप्त हुआ और समाज कल्याण विभाग से कितनी रकम प्राप्त हुई।

सहकारिता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) परबतसर जिला नागोर में अनुसूचित जाति का विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास है यह मकान किसी की निजी सम्पत्ति नहीं। छात्रावास भवन का एक भाग जिसमें ३ कमरे टिनशेड के हैं वो बलाइयों की पंचायत के हैं उनका किराया नहीं दिया जाता। अतः पट्टे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) परबतसर हरिजन छात्रावास की कार्यकारणी के सदस्यों की संख्या २० हैं जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। छात्रावास की वार्षिक जनरल मीटिंग एक बुलायी जाती है।

(४) समाज कल्याण विभाग द्वारा ६६.६७ में १६५२०.०० रुपये की रकम

Page No. 42

(श्री परसराम मदेरना)

अनुदान के रूप में स्वीकृत की गयी है। चन्दों के रूप में इस छात्रावास को सन् ६६.६७ में ११७ रुपये की धनराशि की प्राप्ति हुई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री परसराम: क्या कभी इसका आडिट कराया गया है?

श्री परसराम मदेरणा : ६५-६६ से आडिट कराया जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : ६६-६७ का किन कारणों से आडिट नहीं किया जा सका।

श्री परसराम मदेरणा : अब तक इसकी जानकारी नहीं मिली है ६५-६६ को आडिट रिपोर्ट मिल चुकी। पिछले वित्तीय वर्षों का जरूर हुआ था। आडिट इन्स्पेक्शन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आडिट करके भेजते हैं। आडिट पिछले सालों का बराबर होता रहा। किसी प्रकार की फाइनेन्शियल इरेगुलेरिटी इस संस्था की सामने नहीं आई।

श्री लाबूराम गुजारिया : आडिट रिपोर्ट में क्या एलीगेशन्स लगाये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषकों को लकड़ी उपलब्ध करने की व्यवस्था

७५६ श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर में कृषकों के लिये हल, कुल्हाड़ी आदि कृषि-औजारों तथा अपने घरों की छावन (Shades) के लिये लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती रही है?

(२) जयपुर स्टेट के समय उक्त कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जाती थी?

(३) क्या यह सही है कि जयपुर रियासत के जमाने में कृषकों को कृषि-औजार तथा मकानों की छावन हेतु टोकन प्राइस (सांकेतिक शुल्क) पर परमिट मिलते थे?

(४) उक्त व्यवस्था कब और क्यों बन्द की गई?

(५) कृषकों की इस कठिनाई को दूर करने हेतु राज्य सरकार अब क्या विचार रखती है?

उत्तर

१—कृषक अपनी आवश्यकतानुसार लकड़ी बाजार से खरीद सकते हैं। गत २ वर्षों से वन श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा

Page No. 43

भी टालें कायम की जाकर ऐसी लकड़ी दी जा रही है।

२—जयपुर स्टेट के समय जंगल के आसपास खेती करने वालों खालसा के कृषकों को उनकी आवश्यकता की लकड़ी खुले जंगल से रायल्टी परमिट से दी जाती थी।

४—जी हां

४—सन् १९५७-५८ से बन्द है। बनों की सुरक्षा के लिए यह प्रथा बन्द करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। क्यों कि इस प्रथा के कारण जंगलों का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा था।

५— अभी कठिनाई नहीं मालुम हो रही है।

बेंगू में बिजली

७६३. श्री हरिसिह क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या १९६६-६७ में बेंगू में बिजली लाने का लक्ष्य था और क्या यह लक्ष्य पूरा हो गया ? यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक पूरा किया जावेगा ?

(२) बिजली लाडपुरा से होकर आवेगी या बस्सी से ? ट्रान्सफोर्मर कितने लगेंगे और कहां कहां पर ?

(३) कृषकों को बिजली के प्रत्येक यूनिट पर कितनी रियायत दी जावेगी एवं उद्योग कर कितनी दी जावेगी ?

उत्तर

१ जी हां। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। क्यों कि पहले बस्सी से बेगूं तक की लाइन ११ के० बी० की १४ मील एल० डी प्रोग्राम में थी। लेकिन कार्य करने के लिये रुट सर्वे करने पर ज्ञात हुआ कि २६ मील की लाइन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह ११ के० बी० लाइन बस्सी से बेगूं तक थी अतः रवाइज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिये अधीक्षक अभियंता कोटा को कहा गया था और यह लाइन के० बी० की करनी जरूरी हो गया। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं बनी है। अतः विद्युतीकरण कब हो सकेगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

२ बिजली बस्सी से जाने की योजना है अभी यह नही कहा जा सकता कि ट्रांसफार्मर कहां कहां लगेंगे।

३ रियायत किसी को भी नहीं दी जावेगा ?

सीनियर अध्यापकों की ग्रेड

७७४. श्री नत्थीलाल (भरतपुर) क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि एस. टी.सी. स्कूलों में रु० २२५-४८५ वाली ग्रेड जुनियर अध्यापकों को दे दी गई है जबकि सीनियर अध्यापक अब तक रु० १५०-२५-३००

Page No. 44

वाली ग्रेड में ही हैं। यदि हां तो इसका कारण क्या है ?

(उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ

झाफड़ पत्थर की खानों से निकाले गये पत्थर पर कृषकों से रोयल्टी की वसूली

७७9. श्री रामचन्द्र खण्डेला (खण्डेला) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में झाफड़ा, कंकर, काली मिट्टी आदि पर रोयल्टी नहीं ली जाती है ?

(२) क्या सीकर जिले में ग्राम मलिकपुर, लाडपुर, तानपुरा, जानकीपुरा, ढाल्यास, जाजोद का माईनिंग वर्क प्राउट का ठेका किसी को दिया गया है ? यदि हां, तो किसको व कितने रुपयों में दिया है ?

(३) क्या इन गांवों को झाफड़ा पत्थर की खानों को खनिज विभाग में माईनिंग क्षेत्र घोषित किया है ?

(४) क्या यह सही है कि काश्तकार अपने खातेदारी के खेतों में अपने घरेलू व कृषि कार्यों के लिए झाफड़ा पत्थर निकालते हैं तो ठेकेदार उनसे रायल्टी वसूल करते हैं व इन काश्तकारों को झाफड़ा पत्थर नहीं निकालने दिया जाता है व इस अनुचित कार्यवाही के लिए खनिज विभाग ने ठेकेदार की पुलिस द्वारा सहायता करने को भी लिखा है ?

(५) क्या सरकार किसानों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई समुचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जो नहीं इस खनिज के रेन्टकम रायल्टी तथा रायल्टी कलेक्शन का कान्ट्रेक्ट समाप्त कर दिये गये हैं। किन्तु जहां २ पर इस खनिज के समूचे पट्टे किये हुए हैं या किए हैं वहां पर रायल्टी की छूट केवल किसानों को है बशर्ते कि वे पट्टाधारी के खनन क्षेत्र के उस हिस्से से माल खोद कर न लावें जहां पट्टाधारी का खनन कार्य चालू हो।

(२) जी हां। मलिकपुर, लाडपुरा, भानपुरा की रेवेन्यू बाउन्ड्री का झाफड़ा कंकर का खनन पट्टा श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा मलिकपुर वाले जो ११०) रु० का वार्षिक पृथक भाटक पर निलाम द्वारा दिया गया हैं।

(३) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम १९५९ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(४) जी नहीं। अपने घरेलू व कृषि कार्यों के लिये पत्थर निकालने पर नहीं किन्तु, ठेकेदार द्वारा उसके क्षेत्र से कुछ काश्तकारों द्वारा जबरन झाफड़ा कंकर उठाने बेचने तथा मामला फसाद होने की शिकायत लिखित आने पर खनिज अभियन्ता जयपुर द्वारा

कोतवाल, श्री मानोपुर को अनधिकृत कार्य रोकने के लिये लिखा गया था।

(५) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में वर्णित सुविधाओं के होते हुए किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये। फिर भी किसी को शिकायत आने पर समुचित कार्यवाही की जावेगी।

रामचन्द्रपुरा व ठीकरया ग्रामों को बिजली

७८१. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भांकरोटा से बगरू तक की बिजली लाइन का कार्य कब आरम्भ हुआ था, और कब पूरा हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि इस लाइन पर अभी तक किसी भी कुए को बिजली नहीं दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि भांकरोटा और बगरू के बीच में रामचन्द्रपुरा और ठीकरया ग्राम भी आते हैं ? यदि आते हैं तो विद्युत बोर्ड ने इन ग्रामों को क्यों नहीं बिजली हेतु स्वीकृत किया ?

उत्तर

(१) ७ फरवरी, १९६७ को आरंभ होकर मार्च १९६७ को पूरा हुआ।

(२) जी हां।

(३) यह ग्राम योजना में शामिल नहीं थे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी कर्मचारियों को किराया भत्ता देने का आधार

३२६. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के कुछ शहरों के कर्मचारियों को मकान किराया वेतन के आधार पर दिया जाता है ?

(२) क्या उक्त सुविधा देने का आधार निम्नलिखित है :

(क) कि वह स्थान शहर होना चाहिये।

(ख) कि उस स्थान की जनसंख्या एक लाख से अधिक होनी चाहिए।

(ग) कि उस स्थान की भूमि की कीमत अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक हो।

(घ) कि उस स्थान में अन्य स्थानों की अपेक्षा महगाई अधिक हो।

(३) क्या उक्त आधार अलवर शहर पर लागू नहीं होता ?

(४) क्या गंगानगर टाऊन पर भी उक्त बातें लागू होती हैं ? यदि नहीं होती तो

वहां के कर्मचारियों को मकान किराया किस आधार पर दिया जाता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) —

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) गंगानगर टाऊन पर भी उक्त बातें लागू नहीं होतीं परन्तु वहां के कर्मचारियों को मकान किराया देने का आधार वहां की आबादी का द्रुत गति से बढ़ना है। जिसके कारण किराये के मकान प्राप्त करने में भी बड़ी कठिनाई होने लगी। चूंकि गंगानगर में अधिकतर राज्य कर्मचारी बाहर के थे तथा वहां पर उपलब्ध राजकीय आवास भी राज्य कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए काफी कम थे। इसलिए वहां किराया भत्ता दिया गया।

सी० टी० ओ० स्पेशल, सर्किल जयपुर

३२७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सी० टी० ओ० स्पेशल सर्किल जयपुर का पद कौन से वर्ष से प्रारम्भ किया गया था और इसको प्रारम्भ करने का मकसद क्या था ?

(२) शुरू से १९६६-६७ तक प्रति वर्ष इस सर्किल में कितने २ असैसमेंट के केस आए। सालवार सूची देने का कष्ट करें।

(३) इन केसों की संख्या जिलेवार बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

(१) सी० टी० ओ० स्पेशल सर्किल, जयपुर के दो पद हैं। सी० टी० ओ० स्पेशल सर्किल प्रथम, जयपुर का पद सितम्बर १९६३ में प्रारम्भ किया गया था व सी० टी० ओ० स्पेशल सर्किल द्वितीय जयपुर का पद जुलाई १९६६ में प्रारम्भ किया गया था। इनको प्रारम्भ करने का मकसद यह था कि वहां बिक्री करने वाले करदाताओं के केसेज पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

(२) इन दोनों सर्किलों में शुरू से वर्ष १९६६-६७ तक २०५७ केसेज आवे। जिनकी सूची संलग्न है।

(३) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No. 47

अलवर जिले के शराब के ठेकेदारों पर बकाया रकम

३२८. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर जिले में गत वर्ष कितनी शराब बिक्री का ठेका दिया और कितने रुपये का दिया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) किन किन ठेकेदारों की तरफ कितनी कितनी ठेके की रकम अभी तक बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) बकाया राशि की वसूली करने के सम्बन्ध में सरकार ने सम्बन्धित ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? और नहीं की है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अलवर जिले में सन् ६६-६७ में शराब की बिक्री का ठेका १३,२६,३३२ रुपये का दिया गया था (Circlewise) सूची संलग्न है ?

(२) सूची वाकियात संलग्न है ।

(३) १९६५-६६ व १९६६-६७ की कोई बकाया नहीं है अतः वसूली का प्रश्न पैदा नहीं होता जहां तक १९६२-६३ से १९६४-६५ की बकाया का सम्बन्ध है ठेकेदारों ने सरकार द्वारा उनकी मांग के अनुसार शराब उपलब्ध नहीं करने एवं गारन्टी का निर्धारण अधिक होने के कारण गारन्टी में कमी की रकम को वसूल न करने के लिये उजरात पेश किये हैं जो मामला विभागीय कमेटी के विचाराधीन है । कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार वसूली के सम्बन्ध में निर्णय लेगी ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई) ?

विदेशी शराब की दुकानें

३२९. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान भर में विदेशी शराब की दुकानें कितनी हैं और किस किस शहर तथा कस्बों में हैं ?

(२) राजस्थान में विदेशी शराब वर्ष भर में कितने रुपयों की आती है और सरकार को वर्ष भर में इस तरह के शराब से कितना लाभ होता है ।

उत्तर

(१) राजस्थान में विदेशी शराब की १३१ दुकानें हैं । शहर व कस्बेवार सूची १ संलग्न है ।

(२) विदेशी शराब की खरीद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । गत वर्षों में विदेशी शराब से आबकारी शुल्क के रूप में हुई आय के आंकड़ों की सूची (२) संलग्न है ।

Page No. 48

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

शराब की डिस्टलरीज

३३०. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में शराब की कुल कितनी डिस्टलरीज हैं और कहां कहां पर हैं ?

(२) क्या कोई नई डिस्टलरीज फिर स्थापित हो रही हैं। यदि हां, तो कहा कहां पर ?

उत्तर

(१) राजस्थान में शराब की ६ डिस्टलरीज उदयपुर, गंगानगर, मण्डोर, अटरू, प्रतापगढ़ और अजमेर में हैं।

(२) जी हां।

कोटा, सवाई माधोपुर और भूपाल सागर में।

ग्राम नाथूसर में मिडिल स्कूल ग्राम बंधड़ा में हायर सैकेन्डरी स्कूल तथा अध्यापकों को नई वेतन श्रृंखला में ओप्शन देने की सूचना

३३१. श्री चुन्नीलाल (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या ग्राम नाथूसर तहसील नोखा में मिडिल स्कूल खोलने का सरकार का निश्चय था ? अगर हां तो क्यों नहीं खोली गई ? और खोली जावेगी तो कब तक ?

(२) क्या राज्य सरकार ने बंधड़ा तहसील नोखा में हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने का निश्चय किया है ? अगर हां, तो सरकार कब तक खोलेगी। अगर नहीं खोलेगी तो क्यों नहीं ?

(३) क्या नई वेतन श्रृंखला १९६१ में अध्यापकों को ओप्शन देना आवश्यक था ? यदि हां, तो क्या अध्यापकों को इसकी विधिवत् सूचना दी गई थी ? यदि नहीं तो उन्हें नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन ?

उत्तर

(१) जी नहीं। धनाभाव के कारण संभव नहीं है।

(२) जी नहीं। शालाओं को क्रमोन्नत करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्रावधान नहीं है।

(३) राजाज्ञा के अनुसार हर कर्मचारी को पुरानी वेतन श्रृंखला या नई वेतन श्रृंखला में रहने का आप्सन देना था। साथ ही यह भी प्रावधान था कि यदि कोई कर्मचारी अपना आप्सन निश्चित समय में नहीं देगा तो समझा जावेगा कि उसने नई वेतन श्रृंखला १-९-६१ से चाही है।

Page No. 49

अध्यापकों के स्थानान्तरण

३३२. श्री हरजीरामबुरड़क (लाडनू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अध्यापकों के स्थानान्तरण के मामलों में सरकार की क्या नीति है तथा क्या स्थानान्तरण के लिए कोई निश्चित नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

अध्यापकों के स्थानान्तरण के मामलों में सरकार की नीति के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गए नियुक्ति व स्थानान्तरण नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है?

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्कालय में रखी गई)

डिस्ट्रिक्ट लाईब्रेरी, सवाई माधोपुर का भवन

३३३. **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, सवाई माधोपुर राजकीय भवन में स्थापित है अथवा किसी प्राइवेट मकान में?

(२) इस भवन की कभी मरम्मत अथवा सफेदी राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् आज तक करवाई गई अथवा नहीं?

(३) यदि नहीं, तो क्यों?

(४) क्या यह सही है कि भवन यह वर्षो से मरम्मत अथवा पुताई चाहता है तथा इसकी हालत बिल्कुल खराब हो रही है?

(५) राज्य सरकार भविष्य में इस हेतु क्या विचार रखती है?

उत्तर

(१) राजकीय भवन में स्थापित हैं।

(२) जी नहीं।

(३) इस भवन का सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) राजस्थान की सूचि पर नहीं होने के कारण मरम्मत व सफेदी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। भवन सूचि पर आजावे इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

(४) जी हां।

(५) उत्तर ३ के फलस्वरूप प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक शाला (प्राईवेट), ग्राम जयतुसर को सहायता एवं अनुदान

३३४. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(१) क्या यह सही है कि ग्राम जयतुसर, तहसील श्रीमाधोपुर में प्राथमिक शाला (प्राईवेट) को सरकार द्वारा एड दी जाती है ? यदि हां, तो कब से व कितनी कितनी सहायता गत वर्षों में मिली ?

(२) क्या उपरोक्त स्कूल को भवन निर्माण हेतु व अन्य कार्यों हेतु विभाग द्वारा व अन्य विभागों द्वारा कोई सहायता की रकम यदि हां, मिली है ? तो कब-कब व कितनी-कितनी व किस-किस साल में ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल के लिये व्यवस्था कमेटी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन हैं, और व्यवस्थापक कौन है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल संबंधी शिकायत आई० ओ० एस०, सीकर को जनता द्वारा की गई ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

उत्तर

(१) जी हां । ज्ञानोदय विद्यापीठ जयतुसर (श्रीमाधोपुर) को सत्र १९६१-६२ से सहायता मिल रही है जो निम्न प्रकार है:—

सत्र	राशि	
१९६१-६२	७०१-००	
१९६२-६३	३४३-००	
१९६३-६४	६५८-००	
१९६४-६५	५२८-००	
१९६५-६६	५५४-००	इस राशि का वास्तविक भुगतान सत्र ६६-६७ में हुआ है ।
१९६६-६७	६२६-००	

(२) शिक्षा विभाग द्वारा और कोई सहायता नहीं दी गई ।

(३) जी हां । स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न लिखित पदाधिकारी व सदस्य हैं:—

१—श्री कालीदास स्वामी — संचालक
२—श्री लक्ष्मीनारायण — उप संचालक
३—मालीराम शर्मा — मंत्री
४—श्रीमती जिनेन्द्र कुमारी — उप मंत्री
५—श्री मधुसूदन — कोषाध्यक्ष
६—श्री कालूराम — सदस्य
७—श्री नानगराम — ”
८—श्री गणेशराम — ”
९—श्री मुरलीधर — ”
१०—श्री जैसाराम — ”
११—श्री छोटूराम — ”
१२—श्री कानसिंह — ”
१३—श्री सीताराम — ”
१४—श्री बृजमोहन — ”
१५—श्री विद्यालय निरीक्षक, सीकर.

(४) जी नहीं ।

Page No. 51

धौलपुर कालेज में विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था

३३५. श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) व श्री बनवारीलाल (बोनपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर कालेज में विज्ञान की शिक्षा की क्या व्यवस्था है ? यदि व्यवस्था नहीं, तो क्यों, और सरकार कब तक करना चाहती है ?

(२) क्या यह सच है कि धौलपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों में विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से है, तथा हायर सेकेन्डरी कक्षा में कितने छात्रों ने गत तीन वर्षों में विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण की ? वार्षिक संख्या देने का कष्ट करें ?

उत्तर

(१) धौलपुर कालेज में विज्ञान की व्यवस्था कालेज स्तर पर नहीं थी, मुख्यतः यह व्यवस्था भवन के अभाव में नहीं हो पायी थी। सरकार ने इस वर्ष से विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया है।

(२) जी हां। १९५५ से। गत तीन वर्षों में विज्ञान परीक्षा पास करने वाले छात्रों का ब्योरा इस प्रकार है:—

सत्र	छात्रों की संख्या परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण छात्र
१९६४-६५	६२	३६
१९६५-६६	८३	५०
१९६६-६७	११५	६०

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल

३३६. श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर के प्रिन्सिपल कौन हैं और कब से हैं, तथ उनकी नियुक्ति की पुष्टी कब की गई व उनकी क्या योग्यता है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा का कार्यालय

३३७. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर—पश्चिमी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार कार्य के आधिक्य को दृष्टिगत रखते हुए अजमेर में डिप्टी डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन का अस्थायी दफ्तर लगाने के प्रश्न पर विचार करेगा ?

उत्तर

जी नहीं, न तो ऐसी कोई आवश्यकता है और धनाभाव के कारण ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव भी नहीं।

सिंधी भाषा

३३८. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री शिक्षा मंत्री)

क्या सरकार सिंधी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में कालेज शिक्षा तक रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

जी नहीं ।

पुरुषार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

३३९. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार पुरुषार्थियों के बच्चों को हायर सैकेण्डरी तक निःशुल्क शिक्षा को व्यवस्था करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब से व्यवस्था हो सकेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

गर्ल्स मिडल स्कूल, छीपा बड़ोद का भवन

३४०. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छीपा बड़ोद, जिला कोटा में गर्ल्स मिडिल स्कूल का भवन बहुत जीर्ण अवस्था में हैं ? अगर हां, तो अगले सत्र व वहां की लड़कियों को बैठाने की क्या व्यवस्था सरकार ने की है ? अगर नहीं की है, तो क्यों ?

(२) क्या भवन के निर्माण हेतु कोई रकम जनता छीपा बड़ोद ने इकट्ठी की हैं ? अगर हां, तो कितनी व क्या कोटा कलेक्टर चेरिटी से फन्ड ने १०,००० रु० देने का आश्वासन दिया हैं ? अगर हां, तो भवन का निर्माण न होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) जी हां । लड़कों उच्चतर माध्यमिक शाला के पुराने भवन में लड़कियों के बैठाने की व्यवस्था को जा रही है ।

(२) जनता द्वारा १५,००० रु० व जिलाधीश कोटा द्वारा १५,००० रु० चेरीटी फण्ड से देने का आश्वासन दिया है ।

कालेजों में साइन्स क्लासेज

३४१. श्री बनबारी लाल (धौलपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष कितने कालेजों में सांइन्स क्लासेज खोली जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां । इस ही सत्र से चालू करने का राज्य सरकार का विचार है ?

(श्री शिक्षा मंत्री)

(२) चालू वित्तीय वर्ष में अन्य किसी भी कालेज में साइन्स क्लासेज खोलने का राज्य सरकार का विचार नहीं है।

सादड़ी (जि० पाली) में स्कूल होस्टल

३४२. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है राज्य सरकार ऐसे स्कूलों के साथ होस्टल सरकार की ओर से खोलती है जिनकी छात्र सख्या ५०० (पांच सौ) या उस से अधिक हो ?

(२) यदि हां, तो सादड़ी (जिला पाली) की सेकेण्डरी स्कूल की छात्र संख्या प्रायः साढ़े सात सौ से अधिक होते हुए भी वहां सरकार की ओर से होस्टल क्यों नहीं खोला गया है ?

(३) इतनी बड़ी छात्र संख्या देखकर सादड़ी (जिला पाली) की सेकेण्डरी स्कूल के साथ सरकार कब होस्टल खोलेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) धनाभाव के कारण।

(३) धन उपलब्ध होने पर।

पंचायत समिति नीम, का थाना की प्राथमिक शालायें

३४३. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नीम का थाना पंचायत समिति में कितनी प्राथमिक शालायें हैं और कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(२) क्या विद्यार्थियों की संख्या के उचित अनुपात से अध्यापक कम है। यदि हां, तो किस अनुपात में।

(३) सरकार द्वारा शिक्षा हेतु इस समिति को प्रतिवर्ष कितना धन दिया जाता है और वास्तविक खर्च से कितना कम रहता है।

(४) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई पंचायत समिति की मांग आई हैं। यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाया गया है।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

किशनगढ़ में डिग्री कालेज का भवन

३४४. श्री सुमेरसिंह (किशनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ में डिग्री कालेज का नए भवन बनाने के लिए

Page No. 54

(श्री सुमेर सिंह)

कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी। यदि हां, तो कितनी और कब।

(२) क्या यह भी सत्य है कि वहां पर इस समय जो डिग्री कालेज है उसमें कमरों की कमी है और इस अभाव में वहां शिक्षार्थियों को बड़ी असुविधा हो रही है? यदि नहीं, तो क्या व्यवस्था है?

(३) क्या सरकार ने नए भवन के लिए कोई स्थान तय कर लिया है? यदि हां, तो किस जगह?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २४-९-६० को २,००,००० रु० की मंजूरी हुई थी।

(२) जी हां।

(३) जी हां, कालेज भवन के पास म्यूनिसपल बोर्ड की ८.२५ एकड़ जमीन नये कालेज भवन-निर्माण हेतु देने का सरकार ने सन् १९६५ में ही तय कर लिया था।

मिडिल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों व शिक्षा प्रसार अधिकारियों का संशोधित वेतन मान

३४५. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या शिक्षा विभाग में मिडिल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और शिक्षा प्रसार अधिकारियों का वेतन मान संशोधित कर उन्हें स्केल नं० २१ (फर्स्ट ग्रेड) देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(२) यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

जैसलमेर में डिप्टी इन्सपेक्टर, शिक्षा का कार्यालय

३४६. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जिला जैसलमेर में पंचायत समिति, सम व पंचायत समिति, जैसलमेर की प्राथमिक स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जैसलमेर में डिप्टी इन्सपेक्टर का ऑफिस खोल रहे हैं? अगर नहीं, तो क्यों? और सरकार अन्य क्या व्यवस्था करने जा रही है?

उत्तर

कुछ जगह उप-निरीक्षकों के कार्यालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जिनमें जैसलमेर का नाम भी प्रस्तावित है।

फतहगढ़ में हाई स्कूल

३४७. **श्री जसराज** (भिनाय—सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 55

(श्री जसराज)

(१) क्या यह सही है कि फतहगढ़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में हाई स्कूल नहीं है ?

(२) क्या सरकार फतहगढ़ में हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी, नहीं।

(२) चालू वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

ढसूक में मिडिल स्कूल

३४७ **श्री जसराज** (भिनाय सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम ढसूक, पंचायत समिति अराई में मिडिल स्कूल नहीं है, और न उसके आसपास ७ मील की दूरी पर कोई मिडिल स्कूल ही है ?

(२) ढसूक में प्राथमिक शाला, ढसूक कहां चल रही है ? क्या वह बिल्डिंग मिडिल स्कूल के लिये पर्याप्त नहीं है ?

(३) क्या सरकार को पता है कि ढसूक से बहुत से बच्चे पढ़ने के लिये बहुत दूर दूर जाते है ?

(४) क्या सरकार ढसूक में मिडिल स्कूल चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं। ढसूक से ६ मील पर हायर सेकेन्ड्री स्कूल अराई है।

(२) पंचायत समिति के भवन में। यह भवन माध्यमिक शाला के लिये पर्याप्त नहीं है।

(३) जी हां।

(४) धनाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

पायलॉट बेसिक पाठशाला केकड़ी के भवन की मरम्मत

३४९. श्री **देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केकड़ी नगर की पायलॉट बेसिक पाठशाला की पुताई एवं मरम्मत किए हुए कितने साल हो गए हैं ? सरकार अब कब तक इसकी मरम्मत कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

यह भवन १-७-५९ को किराये पर लिया गया था। किराया ४० रु० माहवार है। मकान मालिक का नाम हनुमन्तसिंह है। यह किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्वीकृत है। मकान मालिक को कई बार मरम्मत कराने के लिये कहा गया है, किन्तु अभी तक मरम्मत नहीं की गई है।

ग्राम रोहिड़ा में छात्रावास

३५०. श्री गामा (आबू सु०) : क्या समाज-कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों की असुविधाओं के निवारण हेतु राज्य सरकार सिरोही जिले के रोहिड़ा ग्राम में छात्रावास भवन-निर्माण करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या निर्माण का कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

सिरोही जिले के रोहिड़ा ग्राम में विभागीय एवं अनुदित कोई छात्रावास नहीं चलाया जा रहा है, अतः इस ग्राम में छात्रावास भवन-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

रावली रेंज के बाघमाल कूप में आग

३५१. श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या वन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या मई सन् १९६७ से रावली रेंज के बाघमाल कूप में आग लगी थी ? यदि हां, तो कितना एकड़ जंगल जला ?

उत्तर

: । १५० एकड़ क्षेत्र में घास व सूखी गिरी पड़ी लकड़ी जली।

आयुर्वेदिक औषधालयों को औषधियां

३५२. श्री रामचन्द्र (खण्डेला) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कहां-कहां पर कितने-कितने औषधालय हैं ? विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाईज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) 'ए', 'बी', 'सी' श्रेणी के औषधालयों को कितनी कितनी दवाइयां दी जाती हैं ?

(३) आयुर्वेदिक दवाइयां बनाये जाने की राजकीय फार्मेसीज कौन-कौन सी हैं, तथा उनमें कितनी कितनी कीमत की दवाइयां तैयार की जाती हैं, तथा उनमें कच्चा माल दवाइयां तैयार करने के लिए कितने मूल्य का खरीदा जाता है, तथा उनके निर्माण में कितना खर्चा आता है ?

(४) क्या सभी औषधालयों को सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार दवाइयां दी जाती हैं ?

(५) क्या निर्धारित कोटा पर्याप्त रहता ?

उत्तर

(१) राजस्थान में १९०७ औषधालय वर्तमान में चल रहे हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाईज औषधालय की सूची निर्मित नहीं

Page No. 57

(श्री आयुर्वेद मंत्री)

है जिले बाईज उनको सूची संलग्न है कारण औषधालय जिला परिषद को सिफारिश से ही खोले जाते हैं।

(२) सी, बी और ए औषधालय को क्रमशः ६००) रु०, ९००) रु०, ५०००) रु० से ३०,००० रु० तक की वार्षिक औषधियां दी जाती हैं।

औषधियां औषध-पत्र के अनुसार दी जाती है मांग पत्रों का परीक्षण रोगी संख्या के आधार पर किया जाता है जहां रोगी संख्या कम होती है वहां औषध उसी अनुपात में कम कर दी जाती है। जहां रोगी संख्या अधिक होती है वहां औषध उसी अनुपात में बढ़ा दी जाती है।

(३) औषध-निर्माण के लिए राजस्थान अजमेर व उदयपुर इन दो स्थानों परमें रसायनशालाऐं हैं जहां औषधियां बनाई जाती हैं। अजमेर रसायनशाला की भरतपुर व जोधपुर में दो शाखायें है, जहां पर भस्म व चूर्ण का क्रमशः निर्माण होता है वर्ष १९६६-६७ में ८,०५,००० रुपये का कच्चा माल औषधियों के लिये क्रय किया गया है और ८,७६,४११) रुपये की औषधियां सप्लाई की गई हैं। निर्माण का खर्चा ४,६२,३०६ रुपये का हुआ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही आयुर्वेद औषधालय का 'अ' श्रेणी में परिवर्तन

३५३. श्री गामा (आबू सु.): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार ने सिरोही आयुर्वेद औषधालय को अ'' श्रेणी औषधालय में परिवर्तित करने का निश्चय किया है ?

(२) क्या यह सही है कि विभाग की मांग के अनुसार जिलाधीश सिरोही, ने इस औषधालय हेतु उपयुक्त सरकारी भवन भी उपलब्ध करने का आश्वासन आयुर्वेद विभाग को दे दिया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस वर्ष इस औषधालय को 'अ'' श्रेणी औषधालय में परिवर्तित कर देगी ?

उत्तर

(१) आयुर्वेद औषधालय सिरोही को 'अ' श्रेणी औषधालय में परिवर्तित करने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी हां, जिलाधीश, सिरोही ने औषधालय हेतु उपयुक्त भवन देने का आश्वासन दे दिया है अर्थाभाव के कारण चालू वित्तीय वर्ष में इस औषधालय को 'श्रेणी' में परिवर्तित करना प्रतीत नहीं होता।

सहायता प्राप्त औषधालय

३५४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा कुछ जगहों पर सहायता प्राप्त औषध-

-(श्री हरजीराम बुरड़क)

लय चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर में वहां कहां पर किन किन नाम से ऐसे औषधालय चलाये जा रहे हैं और उनको कितनी कितनी सहायता दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह सहायता किस प्रकार व किस आधार पर दी जाती है ?

(३) क्या सरकार यह चाहती है कि सहायता प्राप्त औषधालयों की संख्या बढ़े ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने औषधालयों के लिए और सहायता दी जायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, नागौर जिले में सहायता प्राप्त एक औषधालय है जिसका कि नाम तातेड़ आयुर्वेदिक औषधालय मेड़ता" है। जिसको सन् १९६६-६७ में १०४०) रु० की वार्षिक सहायता दी गई है।

(२) यह सहायता राजस्थान आयुर्वेद अनुदान नियम के अन्तर्गत दी जाती है।

(३। सरकार का लक्ष्य रोगियों को अधिक से अधिक चिकित्सा राहत पहुंचाने का है, इस लिए प्रतिवर्ष नवीन औषधालय खोले जाते हैं परन्तु ऐसे चिकित्सालयों को जिनसे जनता को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था होती है उनको अनुदान देकर चिकित्सा व्यवस्था में सहायता देना सरकार अपना कर्तव्य समझती है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये चिकित्सा अनुदान दिया जाता है केवल उन्हीं निजी चिकित्सालयों को अनुदान दिया जाता है और दिया जाता रहेगा जो अनुदान नियमों की पूर्ति करते हैं।

दलित वर्ग संघ

३५५. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान दलित वर्ग संघ को आरम्भ से १९६६-६७ तक कुल कितना रुपया दिया गया है ? वर्षवार ब्योरा दें।

(२) इस संघ का कार्य क्षेत्र कहां कहां है ?

(३) अब तक इस संघ ने दलित समाज के कल्याण हेतु क्या क्या कार्य किए हैं ? विस्तृत जानकारी दी जावे।

(४) क्या यह दलित वर्ग संघ आज भी कोई कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि कर रहा है तो क्या कार्य कर रहा है ?

उत्तर

(१), सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इस संघ का कार्य क्षेत्र पूरा राजस्थान है इसकी शाखायें पाली, झुन्झनू बांसवाडा, जैसलमेर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, फतहपुर, जोधपुर, परतापपुर, गंगानगर, लाखेरी, टोंक, कोटा, सवाई

Page No. 59

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर में हैं।

(३) इस संस्था द्वारा प्रारम्भ से ही अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रचार एवं प्रकाशन कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हरिजनों के लिये कुए खुदवाना नाइयों की दुकान पर उनकी हजामत करवाना, धर्मशालाओं, होटलों तथा मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश करवाना तथा उनसे झूठन न खाने व शराब न पीने की प्रतिज्ञायें करवाना प्याऊओं पर से तालियां हटवाना आदि कार्य भी संस्था करती है।

(४) हां, यह दलित वर्ग संघ, आज भी कार्य कर रहा है जो कार्य प्रश्न नम्बर ३ के प्रति उत्तर में बताये गये हैं वे ही कार्य संस्था वर्तमान में भी कर रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

भीलों के लिये मकानों का निर्माण

३५६. श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील बूंदी के ग्राम कडधा में भीलों के आवास के लिए मकान कब बने और कितने बने थे ?

(२) इन मकानों का शिलान्यास किस के द्वारा किया गया था ?

(३) इनकी लागत क्या लगी थी ? अभी उन मकानों में कौन कौन रहते हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि बूंदी के पास जैतसागर तालाब के पास भीलों के मकान अधूरे पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो यह कब बने थे और किस कारण अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं ?

उत्तर

(१) तहसील बून्दी के ग्राम गरडटा में भीलों के आवास के लिये वर्ष ६०-६१ में मकान बने थे मकान ३ पूरे २८ अधूरे बने थे ।

(२) इन मकानों का शिलान्यास किसी द्वारा नहीं किया गया ।

(३) इनकी लागत २१६५.१० पैसे है अभी उन मकानों में चाचा श्री भेरु व श्री देवी रहते हैं ।

(४) जी हां यह सत्य है यह अधूरे मकान ६१-६२ में बने थे इन मकानों के निर्माण कार्य की मजदूरी ठेकेदार को शर्त के अनुसार नहीं दी जाने से अधूरे रह गये हैं ।

बीकानेर जिले के ग्रामों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था

३५७. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(श्री भीमसेन)

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के निम्न गांवों के अनुसूचित जाति के निवासियों के पीने के पानी के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक कुआ या कुण्ड नहीं है—

(१) अमरपुरा तहसील बीकानेर
(२) सियासर पंचकोसा ,,
(३) बराला ,,
(४) बरजू ,,
(५) मोखनेरा तहसील लूणकरणसर
(६) सावनिया ,,
(७) जैतपुर ,,
(८) केला ,,

अगर हां, तो सरकार उपरोक्त गांवों के अनुसूचित जाति के निवासियों की पेय जल समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

बीकानेर के इन ग्रामों में पीने के लिये हरिजनों के लिये कोई अलग से कुआ या कुण्ड नहीं है। अनुसूचित जाति के निवासियों के सार्वजनिक कुए से और कुण्ड से स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के साथ पानी लेते हैं।

पंचायत समिति बीकानेर द्वारा ग्राम अमरपुरा तहसील बीकानेर के हरिजनों के कुआ बनाने हेतु ४०००) रु० की राशि स्वीकृत की है जिसकी पहली किस्त २००० रु० हरिजनों को दे दिया गया है।

सावनिया तहसील लूणकरणसर में एक कुण्ड सिर्फ हरिजनों हेतु बनाया गया है उसका उपयोग सावनिया के हरिजन कर रहे हैं।

अलसीसर कस्बे के अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये छात्रावास

३५८. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले के अलसीसर कस्बे में समाज कल्याण विभाग की सहायता से अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए एक छात्रावास चलाया जा रहा है ?

(२) क्या उक्त छात्रावास को संचालन समिति की तरफ से गत वर्ष फर्नीचर हेतु अनुदान की मांग की गई थी ? यदि हां, तो क्या फर्नीचर हेतु संस्था को अनुदान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसी ही दूसरी संस्थाओं को इसी कार्य के लिए इस संस्था की मांग के बाद भी अनुदान दिया गया है ?

(३) क्या इस वर्ष संस्था की तरफ से छात्रों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

(४) क्या उक्त छात्रवास की संचालन समिति ने छात्रावास भवन निर्माण हेतु अनुदान की भी गत वर्षों में मांग की है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

१) जी हां।

(२) गत वर्ष संस्था ने वर्तन व फर्नीचर क्रय करने हेतु सहायता की मांग की थी परन्तु समस्त अनुदानित छात्रावासों में नवीन दरें लागू करदी गई थीं। जिसके कारण बजट प्रावधान में कमी हो गई इस कारण उक्त कार्य के लिए किसी संस्था को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

(३) विचाराधीन है।

(४) संस्था को सूचित कर दिया गया था कि वित्तीय अभाव के कारण छात्रावास भवन निर्माण के लिये सहायता देना संभव नहीं है।

पिछड़ी जातियों के परिवारों को मकान एवं जल कूप निर्माण हेतु सहायता एवं अनुदान

३५६ श्री सूरजमल (सूरजगढ़ सु०): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या समाज कल्याण विभाग की ओर से पिछड़ी जातियों के परिवारों को मकान बनाने तथा जल कूप निर्माण हेतु किसी प्रकार की सहायता अनुदान के रूप में दी जाती हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता को देने की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में उक्त प्रकार की सहायता देने की अलग अलग व्यवस्था है ? यदि हां, तो उस व्यवस्था का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को कोई छात्र-वृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो यह छात्र वृत्ति किन किन कक्षाओं के बच्चों को दी जाती है ? तथा इसके वितरण की क्या व्यवस्था है? तथा १९६५-६६ में कुल कितने रुपये की राशि कितने विद्यार्थियों को जो अनुसूचित जाति के हैं, झुंझुनू जिले में बांटी गई है ?

(४) क्या जिला झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत समिति तथा भुवाना पंचायत समितियों में उक्त अवधि में विभाग की ओर से कोई राशि भेजी गई है ? यदि हां, तो कब कब और कितनी राशि किन किन कार्यों के वास्ते तथा क्या उसका उपयोग उस कार्य में हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां। मकान बनाने और पीने के पानी के कुए के लिये सहायता की धनराशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जाती है जो उक्त सहायता प्रार्थियों को देती है।

(२) देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जन जाति, विमुक्त जाति और घुमन्तु जातियों को मकान सहायता पचायत समितियों द्वारा उनको हस्तान्तरित धनराशि में से दी जाती है। नगरपालिका क्षेत्र में मेहतरों और अस्पृश्य समझे जाने वाले धन्धों में लगे मेहतर आदि को मकान सहायता सीधी विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिये आवश्यक प्रार्थना पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने होते हैं।

(समाज कल्याण मंत्री)

(३) व (४) छात्रवृति कक्षा १ से आगे समस्त उच्च कक्षाओं के लिये दी जाती है, पंचायत समिति क्षेत्र में कक्षा १ से ५ वीं कक्षा तक छात्र वृत्ति पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है और इससे आगे की कक्षाओं के लिये शिक्षा विभाग द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकृत की जाती है शहरी क्षेत्रों में समस्त कक्षाओं के लिये छात्रवृत्ति शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण के अधिकार स्कूल के प्रधानाचार्य को दे दिये गये हैं। सन् ६७-६६ में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये विभाग द्वारा पंचायत समिति को स्वीकृत धनराशि संलग्न तालिका में अंकित है। इसमें से कितनी छात्रवृत्ति दी गयी यह प्रश्न विकास विभाग से संबंधित है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री नेहरू छात्रावास समिति, अलसीसर द्वारा संचालित छात्रावास

३६०. श्री **रामनारायण चौधरी**–(**मंडावा**) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) क्या श्री नेहरू छात्रावास समिति, अलसीसर (झुंझुनू) ने उसके द्वारा संचालित छात्रावास में छात्रों की संख्या बढ़ाने की राज्य सरकार से मांग की है ?

(२) क्या सरकार छात्रों की संख्या बढ़ाने की स्वीकृति देने का विचार रखती ? नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जिला कल्याण अधिकारी, सीकर ने छात्रों की संख्या ५० करने की सिफारिश की है ? और इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्र काफी संख्या में उपलब्ध हैं ? इसकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) विचाराधीन है।

(३) जी हां।

पिलानी (जि. झुंझुनू) जलदाय योजना

३६१. श्री **मूलचन्द कटेवा (पिलानी)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या पिलानी कस्बा, जिला झुंझुनू में राज्य सरकार की ओर से जलदाय योजना चालू है ?

(२) अगर नहीं, तो क्या वहां जलदाय योजना की आवश्यकता है ?

(३) अगर हां, तो वहां अब तक योजना क्यों नहीं चालू की गई ?

(४) क्या राजस्थान सरकार अब जलदाय योजना अति शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ?

(५) अगर हां तो यह योजना कब तक चालू की जावेगी ?

Page No. 63

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां ।

(३) धनाभाव के कारण चालू नहीं की जा सकी ।

(४) धनराशि मिलने पर चालू की जा सकेगी ।

(५) स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा धनराशि को उपलब्धि पर कार्य चालू किया जा सकेगा ।

नल योजना नदबई

३६२. श्री नत्थीलाल (नदबई-सु०) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) नदबई नल योजना की स्कीम कब से चालू हुई ?

(२) क्या नदबई नल योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(३) क्या नगरपालिका द्वारा भी कुछ धनराशि जमा करवाई जावेगी ? अगर करवाई जावेगी तो कितनी धनराशि ?

(४) क्या यह सही है कि नदबई नल योजना की मिसल तकनीकी जांच हेतु भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर वर्क्स कलक्टर के पास गई है ? यदि हां, तो कितना समय हुआ है ? यह मिसल तकनीकी जांच होकर आई या नहीं ? अगर नहीं आई तो क्यों नहीं ?

(५) नदबई नल योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(१) चालू नहीं हुई है ।

(२) जी हां सर्वे हो चुका है योजना बनाई जा चुकी है तथा तकनीकी जांच के अनुसार संशोधित रूप में तैयार की जा रही है ।

(३) जी नहीं !

(४) जी हां, दिसम्बर ६६ में भेजी गई थी ६ माह हुये है स्कीम अभी तक संशोधित रूप में तैयार की जा रही है ।

(५) योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है अतः पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पानी के कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र, मंडावा

३६३. श्री राम नारायण चौधरी—(मंडावा) - क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या मण्डावा, जिला झुंझुनू के निवासियों के काफी आवेदन-पत्र पानी के कनेक्शन लेने के विचाराधीन हैं ?

(२) क्या मण्डावा की हरिजन बस्ती के लोगों ने पाईप लाइन को अपने मोहल्ले

(श्री रामनारायण चौधरी)

तक देने की मांग कर रखी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उनकी मांग को स्वीकार करने का विचार रखती है.?

उत्तर :

(१) जी हां कुछ आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(२) जी नहीं हरिजन बस्ती के नाम से कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मांग स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महणसर एवं अलसीसर की जलप्रदाय योजनाएं

३६४. **श्री राम नारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) महणसर और अलसीसर जिला झुंझनू की जल प्रदाय योजना का कार्य किस स्टेज पर है ? क्या उक्त ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं की टेक्नीकल स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम महणसर की जल योजना पिछले १० वर्ष से तैयार की जा रही है जो अभी तक भी तैयार नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या ग्रामवासी जन सहयोग की ५ प्रतिशत की रकम देने को तैयार नहीं हैं ?

(३) उक्त ग्राम की योजना की स्वीकृति कब तक हो जावेगी ? क्या सरकार का इरादा इस वर्ष की योजना में इस ग्राम को शामिल करने का है ? क्या इस ग्राम में बिजली आ चुकी है ?

उत्तर : (१) महणसर की योजना बनाई जा रही है। अलसीसर के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है।

(२) केवल महणसर ग्राम की एक पुरानी जल योजना की तकनीकी स्वीकृति सन् ५६ में की गई थी।

जी हां, जी नहीं। जमा कराने के लिए हां करदी है।

(३) योजनाएं बनाई जा रही हैं स्वीकृति के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होने पर विचार किया जायगा। जी नहीं। जो हां बिजली आ चुकी है।

वाटर सप्लाई स्कीम नवलगढ़

३६५. **श्री सांवर मल बासोतिया** (नवलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) नवलगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ ? अब तक इस स्कीम पर कुल कितना खर्चा कर दिया गया ?

(२) यह कार्य अभी कौनसी स्टेज पर है ?

(श्री सांवर मल बासोतिया)

(३) निश्चित रूप से इस स्कीम द्वारा पब्लिक को पानी सप्लाई का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

उत्तर

(१) सन् १९६३ से मार्च ६७ तक कुल ७.०५ लाख रुपया खर्च हो चुका है।

(२) कार्य निर्माणाधीन है तथा प्रगति पर है लगभग ५० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(३) आवश्यक धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर तथा बिजली के मिलने पर ही पानी वितरण का कार्य शीघ्र किया जा सकेगा। निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

नल योजना, सोजत शहर

३६६. श्री पुखराज कालानी (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सोजत शहर (पाली जिले) में नल योजना का कार्य चालू है ? यदि हां, तो यह काम कब से शुरू हुआ व इस योजना में कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना द्वारा शहर को अप्रेल माह में पानी सप्लाई करने कार्यक्रम का था ? यदि हां, तो क्या पानी की सप्लाई शुरू करदी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक पानी शुरू करने की योजना है ?

उत्तर

(१) जी हां, मार्च ६५ में खर्चा १.४० लाख रुपया होने का अनुमान है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता। आवश्यक धनराशि एवं सामान की उपलब्धि पर ही कार्य पूरा कर, पानी दिया जा सकेगा।

गंगापुर अरबन वाटर सप्लाई स्कीम पर खर्चा

३६७. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर, जिला सवाई माधोपुर का अरबन वाटर सप्लाई स्कीम में ३१ मार्च, सन् १९६७ तक किस-किस मद में कितना-कितना रुपया आरम्भ से खर्च किया जा चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि वाटर टैंक व पाइप लाईन तैयार है, लेकिन ट्यूब वेलों के कारण अभी तक नगर निवासियों को पानी नहीं दिया जा रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि नगर के ६० प्रतिशत कुओं में पानी नहीं है ? और नागरिकों को पानी २० पैसा प्रति घड़ा मिल रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि सिर्फ २ ट्यूब वेल तैयार हैं और बाकी के ट्यूब वेल का कार्य मशीन के अभाव में अधूरा है ?

Page No. 66

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

(५) सरकार कब तक कार्य को पूरा कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(१) ३१ मार्च १९६७ तक कुल ५९ ५४४७ रु० निम्न कार्य पर खर्च हो चुका है।

जलाशयों पर २,२४,०९७ रु०

आफिस बिल्डिग एवं रेजीडन्सीयल ५९१५९ रु० एवं लाइन एवं अन्य कार्य

२,११,११२ रु०

(२) वाटर टैंक तैयार हो चुका है। पाईप लाने का कुछ कार्य बाकी है। जी हां।

(३) पिछले कुछ वर्षों से बरसात न होने के कारण कुओं में पानी की कमी आ गई है। ऐसी कोई सूचना इस विभाग को नहीं है कि पानी बीस पैसा प्रति घड़ा मिल रहा है।

(४) जी हां।

(५) आवश्यक धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर साधारण तथा एक योजना को पूर्ण करने के लिए ३ वर्ष का अवधि लग जाती है।

नादोती तहसील के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था

३६८. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नादोती तहसील के ग्राम सौप, केमरी बड़ा गांव तथा अन्य अभाव ग्रस्त गांवों के क्षेत्र में जहां पेय जल उपलब्ध नहीं है, वाटर सप्लाई स्कीम को कब तक प्रारम्भ किया जावेगा और इसके लिये कितना रुपया स्वीकार करने का विचार है ?

(२) क्या उक्त स्कीम का सर्वे किया गया है।

उत्तर

(१) नादोती तहसील के लिए ग्राम सोप सहर नादोती कुलंश कैमा, बूरदता, तमेरी तेस गांव, रोसी और केमला कुल आबादी १७,४०० के लिए जल प्रदाय योजना बनाई जा रही है। जिसकी अनुमानित लागत ११, ९७,१०० रु० है।

(२) हां सर्वे कर लिया गया है।

ग्राम नरायना की जल योजना

३६९. श्री सुवा लाल चौधरी (दूदू) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नरायना ग्राम तहसील फुलेरा में नल योजना का शिलान्यास दिनांक ११-१-६१ को किया जा चुका है ?

(२) सन् ६७-६८ में इस योजना पर कितनी धन राशि खर्च करने की योजना है ?

Page No. 67

श्री सुवालाल चौधरी)

(३) इस नल योजना को कब तक सम्पूर्ण किया जाकर जनता को पानी सप्लाई किया जाने लगेगा ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) २५०००)रु०

(३) साधारणतया आवश्यक धनराशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर एक योजना को पूर्ण करने में ३ वर्ष की अवधि लग जाती है ।

जल प्रदाय योजना कोटपूतली

३७०. श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कस्बा कोटपुतली को नल प्रदाय योजना में राज्य सरकार सम्मिलित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां । योजना की स्वीकृति एवं धन राशि की उपलब्धि पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

तहसील पाली व देसूरी के ग्रामों की नल योजना

३७१. श्री दौलत राम आमरी (देसूरी सु०) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील पाली व देसूरी में कितने गांवों में नल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है ?

(२) कितने गांवों में कार्य चल रहा है व कब से ?

(३) कितने गांवों के लिये योजना विचाराधीन है ? और उनका कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) तहसील पाली व देसूरी के निम्न लिखित गांवों में नल योजना कार्य पूर्ण हो चुका है :

१.	तहसील पाली	रोहट पाली (शहरी योजना)
२.	तहसील देसूरी	रानी, बिजोड़ा सिमेल ।

(२) निम्न लिखित गांवों में नल योजना का कार्य चालू है :

तहसील पाली	गुन्दोज मार्च,	१९६७
तहसील देसूरी	धूसी-मार्च,	१९६७
	खोड-मार्च,	१९६७
	देसूरी-मार्च,	१९६७

Page No. 68

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(३) निम्नलिखित गावों की योजना विचाराधीन है:—

तहसील पाली	तहसील देसूरी
गुड़ा एनला	जवाली

प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी होने के बाद तथा आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर ही कार्य शुरू किया जा सकेगा।

वाटर सप्लाई स्कीम ग्राम सारूंडा

३७२. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा-सु०) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सारूंडा तहसील नोखा, जिला बीकानेर की वाटर सप्लाई स्कीम लागू की गई है ? यदि हां, तो कब की गई और इसकी व्यवस्था इस समय किसके द्वारा की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि यह स्कीम अभी बन्द पड़ी है यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६४ में स्थानीय पंचायत द्वारा

(२) जी हां। पंचायत इस स्कीम को चलाने में असफल रही है। और न ही उन्होंने ३ माह का मेन्टिनेन्स का खर्चा इस विभाग में जमा कराया है स्कीम बन्द पड़ी है।

कबीर मार्ग बनी पार्क जयपुर में पानी के निकास की व्यवस्था

३७३. श्री लादूराम मुलाणिया (फागी) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कबीर मार्ग (बनीपार्क, जयपुर) पर सड़क के पास बने हुए मकानों व दुकानों के पानी के निकास की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका इस क्षेत्र की सफाई का कार्य नहीं करवाती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर सिवर लेन भी नहीं है ?

(४) उपरोक्त कमियों को मिटाने के लिये क्या योजना है और क्या वह इस वर्ष पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(१) न्यास द्वारा पानी के निकास हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(२) सफाई का कार्य कराया जाता है।

(३) जी हां।

(४) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जयपुर शहर के लिए एक योजना–तैयार की गई है जिसमें उपरोक्त भी शामिल है। वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण इस वर्ष यह कार्य चालू होने की सम्भावना नहीं है।

नगरपालिका पाली में प्रश्न

३७४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्तमान नगरपालिका पाली के अध्यक्ष को नगरपालिका के सदस्य श्री माधुलाल भाटी व श्री भंवर लाल सदस्यों ने कितनी बार लिखित प्रश्न बोर्ड में उत्तर देने के लिये पेश किये तथा कब कब ? उनके प्रश्नों की सूचि सदन की मेज पर रखें ?

(२) क्या नगरपालिका के अध्यक्ष ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) श्री माधोलाल भाटी व श्री भंवर लाल मेहता सदस्यगण नगर पालिका पाली ने केवल तीन बार लिखित प्रश्न दिनांक २९-८-६६, २२-९-६६ व ३०-३-६७ को अध्यक्ष नगर पालिका पाली को पेश किये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) अध्यक्ष नगरपालिका पाली ने उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये क्योंकि ये प्रश्न उनकी दृष्टि में नियमानुसार नहीं थे।

नगरपालिका पाली में ५८ साल की आयु प्राप्त कर्मचारी

३७५. श्री मूलचन्द डांगा (पाली) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) पाली नगरपालिका में ऐसे कौन से कर्मचारीगण है जिनकी आयु ५८ साल से ऊपर हो चुकी है और आज वे कितनी उम्र मे हैं।

(२) क्या यह सत्य है कि उन कर्मचारियों को सेवाओं से मुक्त करने के लिये पाली नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अपना नोट बना कर नगर पालिका पाली के अध्यक्ष के समक्ष रखा था। यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? और नहीं हुई, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) पाली नगरपालिका में सर्व श्री मुरलीधर हर्ष व धन्ना लाल व्यास ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आयु ५८ साल से ऊपर हो चुकी है और आज उनकी उम्र क्रमशः ५२ व ५९ वर्ष है।

(२) जी हां। अधिशासी अधिकारी द्वारा एक नोट दिनांक २६-७-६६ को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था किन्तु बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में विशिष्ट परिस्थितियों में उनकी सेवाएं चालू रखने का निर्णय लिया।

चौ० हवाली शहर में श्मशान घाट

३७६. श्री लादूराम सुलाणिया (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चौ० हवाली शहर, झोटवाड़ा में कालवाड़ रोड पर गांव

(श्री लादूराम सुलानिया)

एवं स्टेशन के बीच घनी आबादी में शमशान है ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में जनता द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को इस शमशान को किसी दूसरे स्थान पर बदलने की प्रार्थना की गई है ?

(२) क्या इसके लिये कोई योजना है जिसके अनुसार इसे पक्का शमशान घाट बनाया जायेगा ?

उत्तर

(१) हां यह सही है । इस शमशान को अन्य स्थान पर बदलने के लिये नगर परिषद जयपुर में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

(२) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है ।

छबड़ा में पेय जल की व्यवस्था तथा छीपा बड़ौद में नल लगाने का कार्य

३७७. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छबड़ा, जिला कोटा में पेय जल की व्यवस्था के लिये सर्वे हुई थी ? अगर हां, तो कब और अब इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(२) क्या सरकार छीपा बड़ौद जिला कोटा में भी जल योजना के तहत नल लगाने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बूंदी नगरपालिका के प्रशासक

३७८. **श्री केशरी सिंह** (हिन्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बूंदी नगरपालिका का बोर्ड किस तारीख को डिजोल्व हुआ और प्रशासक कौन है ?

(२) प्रशासक को क्या एलाउन्स मिलता है ? और यह नगरपालिका का काम दिन में कितने घंटे करता है ?

उत्तर

(१) तीन वर्षीय अवधि समाप्ति पर पालिका बूंदी में बोर्ड को समाप्त कर दिनांक २४-१-६७ से वहां सब डिवीजनल आफीसर, बूंदी को प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

(२) प्रशासक को नियमानुसार उनके वेतन का १।५ भाग अलाउन्स के रूप में दिया जाता है । नगरपालिका का कार्य करने के लिये कोई घण्टे निर्धारित नहीं हैं और यह पालिका के कार्यभार के ऊपर निर्भर है चूंकि यह कार्य उनके लिये In addition to his own duty है ।

झोटवाड़ा में पीने के पानी, सफाई एवं रोशनी की व्यवस्था

३७९. श्री लादूराम मुलाणिया (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या झोटवाड़ा गांव में जो ७ अक्टूबर, १९६५ से नगरपरिषद जयपुर की सीमा में आ चुका है और इस गांव के क्षेत्र में निवासियों के पीने के पानी, दैनिक सफाई व रोशनी आदि की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(२) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को किसी एक पंजीयन समिति की ओर से सुझाव व प्रार्थना-पत्र भेजे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

(३) क्या सात हजार की आबादी के क्षेत्र की सफाई एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में नगरपरिषद को भेजे गये सुझावों एवं प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में उक्त समिति को प्रत्युत्तर भेजे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या नगरपरिषद एवं राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र के लिये उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कब प्रारम्भ हो जावेगी ?

उत्तर

(१) हां इस गांव के क्षेत्र में पीने के पानी दैनिक सफाई व रोशनी आदि की व्यवस्था है।

(क) रोशनी:—चुंगी चौकी झोटवाड़ा से जो सड़क खातीपुरा जाती है उसमें परिषद द्वारा ११ लाईट पाइन्ट लगाये गये हैं।

(ख) जल व्यवस्था :—गांव के कुओं के अतिरिक्त ओवर हैड टैंक द्वारा पानी सप्लाई करने की व्यवस्था है।

(ग) सफाई:—इस क्षेत्र में ३ कर्मचारी सफाई हेतु लगे हुए हैं एवं आवश्यकता अनुसार विशेष गैंग द्वारा भी सफाई करा दी जाती है।

(२) हां, झोटवाड़ा विकास समिति, व्यापार उद्योग मण्डल, चैम्बर आफ कामर्स की तरफ से गत ३-४ वर्ष में करीब ३३ पत्र प्राप्त हुए हैं। उनके अनुसार क्रम संख्या १ में वर्णित कार्यवाही की जा चुकी है।

(३) नहीं।

(४) हां, कार्यालय की कार्यवाही को अवगत कराते हुए विभिन्न समितियों को करीब १४ प्रत्युत्तर भेजे गये।

(५) जलदाय विभाग एवं अण्डर ग्राउन्ड बोर्ड विभाग से एस्टीमेट प्राप्त होने पर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

सीकर नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को दी गई अग्रिम धनराशि

३८०. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(१) नगर परिषद् सीकर द्वारा सन् ६२ से अब तक किस किस कर्मचारी को कितनी कितनी राशि अग्रिम में दी गई। इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त राशि में से कितनी रकम का एडजस्टमेंट हो गया है।

(३) इस समय कितनी राशि किस किस कर्मचारी में बकाया है।

(४) क्या यह सही है कि अग्रिम राशि ऐसे कर्मचारियों को भी दी गई है जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे।

उत्तर

(१) दिनांक ३१-३-१९६७ तक ५२१०५-६६ पैसे कर्मचारियों को अग्रिम दिये हुये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उक्त रकम में से १५६७३-६१ पैसे का एडजेस्टमेंट हो गया है।

(३) अब ३६४३२-०५ पैसे कर्मचारियों में बाकी हैं जिसका विवरण उक्त सूची में है।

(४) जी हां, केवल एक कर्मचारी श्री गोकुलचन्द कुमावत ओवरसीयर को दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीकर नगरपरिषद् के पास नागरिकों के कर सोगे की राशि

३८१. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सीकर नगर परिषद् के पास नागरिकों की कर सोगे में कितनी राशि अमानत के रूप में जमा है।

(२) क्या यह सही है कि यह राशि, बैंक बैलेन्स में नहीं है। यदि हां, तो क्यों।

उत्तर

(१) दिनांक ३१-३-६७ तक ६७१४९-८३ पैसे कर सोगे में अमानत के रूप में जमा हैं।

(२) जी नहीं।

नगरपालिका गंगापुर की सीमा

३८२. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका गंगापुर की सीमा क्या है तथा किस नोटिफिकेशन के मुताबिक सीमा कायम हुई है ?

Page No. 73

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

(२) क्या यह सही है कि नगरपालिका की सीमा में गांव मिर्जापुर, महु, बड़ीउदेई की भूमि भी आती है ?

( ) क्या यह सही है कि नगरपालिका सीमा का राजस्व विभाग ने अपने रिकार्ड में संशोधन नहीं किया है जिससे पंचायतें यह समझ कर इजाजत दे देती हैं कि भूमि पंचायत की सीमा में है ?

(४) इस गड़बड़ को मिटाने के लिये सीमा के पत्थर नगरपालिका से अब तक क्यों नहीं लगाये गये ?

उत्तर

१—नगरपालिका गंगापुर सिटी की सीमा आदेश क्रमांक १ (२) (१), एल० एस० जी० । ५४ दिनांक १०-८-१९५४ द्वारा निर्धारित हुई थी जो संलग्न परिशिष्ट के अनुसार है ।

२—जी हां ।

३—जी हां ।

४—नगरपालिका राजस्व विभाग से निरन्तर सम्पर्क कर रही है तथा राजस्व विभाग द्वारा मामले में निर्णय किये जाने पर नगरपालिका द्वारा पत्थरगड़ी की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

नगरपालिका गंगापुर द्वारा अवाप्त भूमि

३८३. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५६ से अब तक नगरपालिका गंगापुर द्वारा कितनी बीघा भूमि अवाप्त कराई गई और कितना कितना मुआवजा किस किस भूमि का कब कब राजस्व विभाग को जमा कराया गया ?

(२) उक्त भूमि में किस किस ने कितनी कितनी जमीन में मकानात तामीर किये हैं और कितने कितने रुपये प्रत्येक ने प्रिमियम के दिये हैं ?

(३) क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनमें मकान तामीर कर लिये गये हैं और भूमि का प्रिमियम नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

१—सन् १९५६ से नगरपालिका मंडल गंगापुर सिटी द्वारा अवाप्त की गई भूमि व समय-समय पर दी गई मुआवजे की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्टानुसार है ।

२—नगरपालिका द्वारा जांच की जा रही है ।

(श्री स्वायत शासन मंत्री)

३—ऐसे मामलों में नगरपालिका द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

नगरपालिका जालौर द्वारा सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन

३८४. श्री आईदानसिंह (भीनमाल): क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका जालोर ने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आवास हेतु गृह निर्माणार्थ भूमि आवंटन की कोई योजना बनाई थी?

(२) अगर हां, तो कितने सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटित की गयी?

(३) अगर नहीं, तो क्या कारण है? और यह भूमि उन्हें कब तक आवंटित करदी जावेगी?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सीमेन्ट फैक्ट्री लाखेरी के कामगारों की गृह निर्माण समिति

३८५. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन—सु०) क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेंट फैक्टरी के कामगारों ने गृह निर्माण समिति का गठन किया है? यदि हां, तो कब?

(२) इस गृह निर्माण समिति के अब तक कितने सदस्य बन चुके हैं और कितनी धनराशि जमा है?

(३) राज्य सरकार द्वारा अब तक गृह निर्माण समिति को कितनी धनराशि दी जा चुकी है? अगर नहीं दी गई है, तो क्यों?

(४) इस गृह निर्माण समिति को राज्य सरकार द्वारा सहायता तथा कर्ज देकर कार्य कब तक चालू करा दिया जायेगा?

(५) इस गृह निर्माण समिति के साथ लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी का मालिक सहयोग कर रहा है या नहीं?

(६) कम्पनी के कर्मचारीगण पक्के मकानों में रहते हैं या झोंपड़ियों में? यदि सब के मकान नहीं हैं तो भवन निर्माण समिति को कम्पनी कोई सहयोग देगी या नहीं?

उत्तर

(१) हां। लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के कामगारों ने गृह निर्माण समिति का गठन दिनांक २०-३-६१ को किया गया।

(२) इस समिति के ४० सदस्य बने हैं। समिति ने कितनी धनराशि जमा की है, यह जानकारी नहीं है।

(श्री गृह निर्माण मंत्री)

(३) अभी तक कोई धनराशि नहीं दी गई है, क्योंकि इस समिति के नक्शों एवं एस्टीमेट्स मुख्य अभियन्ता पी० डब्लू० डी० एवम् मुख्य नगर नियोजक के पास तकनी की जांच के लिए विचाराधीन है।

(४) तकनीकी जांच पूरी होने पर तथा फंड के उपलब्ध होने पर विचार किया जावेगा।

(५) इस विभाग की जानकारी के अनुसार मैनेजमेंट का सहयोग रहा है।

(५) कम्पनी के कर्मचारी कुछ पक्के मकानों में रहते है कुछ कच्चों में—इसलिए कम्पनी द्वारा समिति को ओर मकान बनाने में सहयोग देना चाहिए।

राजस्थानी भाषा में प्रचार

३८६. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)—क्या सार्वजनिक सम्पर्क मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विधान सभा में दिनांक १४-३-६४ के एक संकल्प के उत्तर में सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा राजस्थानी भाषा में प्रचार करने की ओर ज्यादा कोशिश करने का आश्वासन दिया था ?

(२) यदि हां, तो तब से लगाकर आज तक कितना साहित्य राजस्थानी में प्रकाशित हुआ है ? उसकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) यदि कोई साहित्य राजस्थानी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राजस्थानी भाषा में एक पुस्तक 'मायड रोहेलो" तथा एक फोल्डर 'मुख्य मिन्तरीजीरी अपील" प्रकाशित हुए हैं। सदन के पटल पर रखने के लिए पुस्तक की प्रतियां सुलभ नहीं है लेकिन फोल्डर की प्रतियां भिजवायी जा रही हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगमरमर पत्थर की खान के विकास की योजना

३८७ श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली के ग्राम भैसलाना में किसी प्रकार का संगमरमर पत्थर वर्षों से निकलता जा रहा है और राज्य सरकार बराबर इस पत्थर को निकालने का ठेका देती आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस खान के विकास की कोई योजना राज्य सरकार बना रही है ? यदि हां तो किस प्रकार की योजना होगी ?

(२) क्या इस क्षेत्र से संगमरमर पत्थर को निकालने के बाद कहीं बाहर भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्या यहां ऐसी कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं हो सकती ?

उत्तर

(१) जी हां। क्योंकि खानें निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में दी हुई हैं ? उनके विकास की योजना राज्य सरकार द्वारा बनाने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु विभाग के अधिकारी उन पट्टाधारियों को खानों का विकास करने के सम्बन्ध में समय समय पर सलाह देते रहते हैं।

(२) जी हां। खान क्षेत्र पर संगमरमर काटने व पालिस करने की फैक्ट्री स्थापित करने में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं जैसे पानी व बिजली की कमी तथा सड़क का अभाव आदि इसके अतिरिक्त खनन पट्टाधारियों के दृष्टिकोण में ग्राहकों को आकर्षित करने तथा उनकी इच्छा जैसा माल उपलब्ध करने के लिये जयपुर ही उपयुक्त स्थान है। अतः उन्होंने जयपुर में ही फैक्टरियां स्थापित की हैं।

झुन्झुनू जिले में चमड़ा उद्योग

३८८ श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी)—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि मण्ड्रेला कस्बा (जिला झुन्झुनू) में व चनाणा ग्राम (जिला झुन्झुनू) में काफी संख्या में चमड़े का कार्य करने वाले कारीगर रहते हैं ?

(२) क्या झुन्झुनू जिले में कोई चमड़े की इन्डस्ट्री है ?

(३) क्या राज्य सरकार मण्ड्रेला कस्बे में व चनाणा ग्राम में कोई चमड़े का उद्योग चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१—जी हां।

२—कोई आर्गनाइज्ड इन्डस्ट्री नहीं है।

३—ऐसा कोई विचार नहीं।

कस्बा सुल्ताना में लोहा उद्योग

३८९ श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी)-क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि कस्बा सुल्ताना (जिला झुन्झुनू में भारी संख्या में लोहे का काम करने वाले कारीगर रहते है ?

(२) क्या झुन्झुनू जिले में कोई लोहे का उद्योग चालू है ?

(३) क्या राज्य सरकार सुल्ताना कस्बे में कोई लोहे का उद्योग चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१—जी हां।

(श्री उद्योग मंत्री)

२— जी हां।

३—ऐसा कोई विचार नहीं।

ग्राम सूंठेका में तालाब के निर्माण में आई भूमि व कुओं का मुआवजा

३६० श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम सूंठेका, तहसील कोटड़ी (जिला भीलवाड़ा) में तालाब बन रहा है जिसमें कुछ जमीन तथा कुएं पेटे में आगये हैं ? यदि हां, तो सम्बंधित सभी व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन और कुओं का मुआवजा मिला है या नहीं ? यदि नहीं, तो उसमें क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

१—डूब में आये हुए दो कुओं व दो बीघा जमीन का मुआवजा देने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी माण्डलगढ़ के यहां कार्यवाही चल रही है। अवार्ड आते ही मुआवजा चुका दिया जावेगा जमीन के बदले जमीन देना वह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बाकी काश्तकार खाली होने पर डूब में आई भूमि पर अपना हक रखना चाहते हैं।

गोवटा तालाब की डूब में आये ग्रामों के लोगों को सहूलियतें

३६१. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गोवटा तालाब, तहसील मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा के पेटे में कितने गांव आये ? उन गांवों के लोगों को फिर से बसाने में राज्य ने क्या क्या सहूलियतें दीं ?

(२) क्या सब सम्बन्धित लोगों को ठीक तरह से बसा दिया गया है ? और उन सब को जमीन दे दी गई है और कुवे बन चुके हैं ?

(३) यदि कुछ लोगों को जमीन आदि नहीं दी गई है तो अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(१) दो गांव रामथली व खांगरजी का खेड़ा पेटे में आये। प्रभावित लोगों को नगद मुआवजा दिया गया है और दूसरी जगह खेती हेतु भूमि भी अलाट की है।

(२) इसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है फिर भी इस विभाग की जानकारी के अनुसार डूब में जाने वाले सब कभी के बस चुके है तथा डूब में जाने वाली भूमि का जिन लोगों ने नगद मुआवजा लेना चाहा उनको नकद मुआवजा दिया जा चुका है। व जिन्होंने भूमि के बदले भूमि की मांग की थी उनको राजस्व विभाग द्वारा जमीन दे दी गई है। इस दी गई भूमि में कुए बन चुके हैं या नहीं इसका इस विभाग को

(श्री सिंचाई मंत्री)

. . .

ज्ञान नहीं लेकिन डूब में आने वाले कुओं का नकद मुआवजा ले चुके हैं।

(३) जमीन के बदले जमीन राजस्व विभाग द्वारा दी जाती है।

लघु सिंचाई योजना, तहसील सांगोद

३९२. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी)–क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांगोद में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किन किन स्थानों पर कितनी कितनी पावर के डीजल सैटस बांटे गये हैं ?

(२) उपरोक्त डीजल सैट्स से अलग अलग जगहों पर कुल कितना कितना रकबा सिंचित किया जा सका है और उन पर विभाग द्वारा कितनी कितनी रकम खर्च की गई है ?

(३) उजाड़ नदी पर सरकारी व प्राइवेट डीजल सैट्स से कुल कितनी सिंचाई की जा रही है और सरकार द्वारा सिंचाई के लिये नदी से पानी की सप्लाई बनाई रखने की क्या योजना बनाई गई है ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांगोद ने ग्राम पालक्या के पास उजाड़ पर छोटा सा बांध लगा कर पानी की सतह बढ़ाने की योजना बनाई है ? इस योजना से कितनी पीवत बढ़ जाने की संभावना है ?

उत्तर

१—तहसील सांगोद में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा कोई डीजल सेट नहीं बांटे गये हैं।

२—प्रश्न नहीं उठता है।

३—प्राइवेट डीजल सैट से की गई सिंचाई के आंकड़े इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। उजाड़ नदी हर तीन स्थानों पर सरकारी पंपिंग सैट लगाये गये हैं जिससे निम्नलिखित सिंचाई की गई है :—

पंपिंग स्टेशन	६५--६६	६६ --६७
हिंगी	२१--एकड़	४९ एकड़
कुन्दनपुर	३०--एकड़	१०७ एकड़
अतरालिया	—	३५ एकड़

नदी में उठान सिंचाई के लिये पानी की बिल्कुल कमी नहीं है।

४—जी नहीं।

गोपालपुरा टैंक निर्माण योजना

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(१) तहसील किशनगंज में गोपालपुरा टैंक के निर्माण की योजना कितने लाख रुपयों की बनाई गई है और कब तक लागू की जावेगी ?

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(२) इस तालाब के बनने से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ?

(३) क्या सरकार ने तहसील किशनगंज में बिलासी टैंक निर्माण योजना को भी स्वीकृत कर लिया है ?

उत्तर

१—लगभग ३१.२५ लाख रुपये की यह योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचाराधीन है।

२—औसत सिंचित भूमि ६,३२० एकड़ होगी।

३—जी नहीं।

मांढ़न्दा बांध, तहसील बूंदी

३६४. **श्री केशरीसिंह** (हिन्डोली):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील बूंदी में मांढ़न्दा का बांध कब बना था ?

(२) इस बांध का कमान्ड एरिया कितने एकड़ है ?

(३) इसमें पानी किस नदी का आता है ?

(४) पिलाई किस दर से ली जाती है और कितनी बार पानी दिया जाता है ?

उत्तर

१—तहसील बून्दी माढ़न्दा में नाम का कोई बांध नहीं है। गांव का नाम हो तो पता करने में सुविधा होगी।

२,३ व ४ : प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान नहर की प्रस्तावित योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति

३६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान केनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि लूणकरणसर क्षेत्र में अक्सर अकाल पड़ते रहने से यहां के नागरिकों को अपने मवेशियों को लेकर इधर उधर जाना पड़ता है ?

(२) क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि राजस्थान नहर की प्रस्तावित योजना के प्रथम चरण की क्रियान्विति से अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन में सहयोग मिलने के साथ साथ इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे तथा इस क्षेत्र को अकाल से मुक्ति प्राप्त होगी ? अगर हां, तो ऐसी महत्वपूर्ण योजना की क्रियान्विति में सरकार विलम्ब क्यों कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) राजस्थान नहर के प्रथम चरण की योजना पर कार्य चालू है। लूणकरणसर क्षेत्र की सिंचाई के लिये प्रस्तावित लिफ्ट

Page No. 80

शाखा राजस्थान सरकार व केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। स्वीकृत होने तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर क्रियान्वित की जा सकेगी।

ढारिया बांध योजना

३६६. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में गांव खोड़ के समीप ढारिया बांध बनाने की योजना की सर्वे की गई थी? यदि हां, तो कब और उसका क्या नतीजा रहा?

(२) इस बांध को बनाने में कितनी लागत का अनुमान है और इसका निर्माण कब किये जाने की सम्भावना है?

(३) इस बांध के निर्माण का कार्य अब तक चालू नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(१) जी हां, सन् १९६० के करीब इस योजना को स्थगित कर दिया गया है।

(२) अनुमानित लागत करीब २५०००० रु० की थी अब इस योजना को स्थगित कर दिया गया है।

(३) इस योजना के बनने से इस नदी के निचले भाग में करीब ३८५१ एकड़ भूमि में सेवज सिंचाई पर बुरा असर होता और दूसरा इस बान्ध के ओवरफ्लो के लिए उपयुक्त नींव नहीं थी अतः इस योजना को स्थगित कर दिया गया।

झरमल बांध योजना की मांग

३६७. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गांव बिराटिया खुर्द, तहसील रायपुर, जिला पाली के ग्रामवासियों द्वारा झरमल का बांध बनाने की योजना की मांग की गई है?

(२) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कारवाही की गई और उसका क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) योजना स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से मालूम हुआ कि इस क्षेत्र का पानी जामन्त सागर में जाता है जो पहले ही पूरा नहीं भरता। अतः इस योजना को सर्वे प्रोग्राम में नहीं लिया गया।

रामगढ़ तालाब, तहसील शाहबाद का विकास

३६८. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नन्दलाल)

(१) क्या यह सही है कि रामगढ़ तालाब, तहसील शाहबाद के सिंचाई हेतु विकास के लिए रकम स्वीकृति की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तालाब का सर्वे हो चुका था, व ठेका दिया जा चुका था और कार्य शुरू कर दिया गया था ? यदि हां, तो काम बन्द क्यों पड़ा हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां, २५००) रु० ।

(२) सर्वे पंचायत समिति, शाहबाद द्वारा किया गया था । तथा इसका अंकलन ३७५०) रु० का तैयार किया गया था जिसके आधार पर २५००) की स्वीकृति हुई थी । नियमानुसार १२५०) का श्रमदान ग्रामवासियों द्वारा किया जाना तय हुआ था परन्तु ग्रामवासियों ने अभी तक श्रमदान नहीं किया । कार्य का ठेका नहीं दिया गया क्योंकि श्रमदान होना नियमानुसार अत्यावश्यक है ।

राजस्थान की नदियों का पानी

३९९. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) :-- क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनका मानसून में पानी पड़ोसी राज्य में चला जाता है क्योंकि उन पर अभी कोई बांध नहीं बनाये गये हैं ? क्या राज्य सरकार यह नहीं मानती कि राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए दूसरे राज्यों को इस पानी को काम में लेने का मौका देना अव्यवहारिक होगा ?

(२) क्या यह सही है कि साही नदी पर मोड़ देकर जवाई बांध में पानी डालने से बहुत कम की लागत से एक सफल सिंचाई कार्य पूरा किया जा सकता है क्योंकि बांध एवं नहरें पहले ही से मौजूद हैं ?

उत्तर

(१) मुख्यतः चम्बल, बनास, साही, माही, साबरमती व पश्चिमी बनास हैं । इनके जल को उपयोग में लाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं तथा सर्वेक्षण जारी है ।

(२) जी हां, यह योजना जल विद्युत व योजना आयोग के विचाराधीन ।

जवाई बांध में साही नदी का पानी डालने की योजना

४००. श्री पृथ्वीसिंह (बाली):—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जवाई बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ ?

(२) उक्त बांध बनने के पश्चात् कितनी बार भरा ?

Page No. 82

(३) जवाई बांध में साही नदी का पानी डालने की क्या सरकार की योजना विचाराधीन है ?

(४) अगर हां, तो कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) सन् १९५७ में।

(२) अभी तक यह बान्ध अपने पूर्ण बल तक जल नहीं भरा।

(३) जी हां।

(४) योजना सेन्ट्रल वाटर एड पॉवर कमीशन के विचाराधीन है। कार्य चालू करना स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उचित धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

तहसील लूणकरनसर के ग्रामों में लिफ्ट ईरिगेशन द्वारा सिंचाई

४०१. श्री रावतराम (छापर-सु०):-क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कैनाल से लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा तहसील लूणकरनसर (बीकानेर) के कितने गांवों की भूमि सिंचित की जायेगी ? यह भूमि कुल कितने एकड़ होगी और कौन ? कौन से गांवों की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) इस योजना से उक्त गांवों को कब तक पानी मिलना शुरू हो जायगा और यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

(३) उक्त योजना की सर्वे रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) लिफ्ट ईरिगेशन की योजना अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय होने के पश्चात ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठाता।

चूरू जिले के ग्रामों में लिफ्ट ईरिगेशन द्वारा सिंचाई

४०२. श्री रावतराम (छापर-सु०):— क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल से लिफ्ट ईरिगेशन के द्वारा चूरू जिले के कुछ गांवों की भूमि को सिंचित करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को स्कीम में शामिल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या उक्त स्कीम की सर्वे करवाली गई है। यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की

(श्री रावतराम)

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इसका कार्य कब तक शुरू हो जायगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सिद्धमुख कैनाल

४०३. **श्री रावतराम** (छापर-सु०):— क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सिद्धमुख कैनाल (चुरू) का कार्य चालू वर्ष में प्रारम्भ हो जायगा ? यदि हां, तो उक्त कैनाल की सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि व इससे कितना क्यूसेक पानी मिलेगा तथा चूरू जिले के कौन-कौन से गांव इससे लाभान्वित होंगे आदि जानकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) उक्त कैनाल पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है तथा इसका कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) योजना की रूप-रेखा तैयार होने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

ग्राम रामासिया के पास जवाई केनाल पर पुलिया का निर्माण

४०४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पाली तहसील में गांव रामासिया के पास जवाई केनाल बहती है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव रामासिया की मवेशी जाने के लिये जवाई केनाल पर कोई पुलिया नहीं है ? यदि हाँ, तो सरकार गांव रामासिया की समस्या का निराकरण करने के लिये पुलिया का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

ग्राम रामपुरा तथा ग्राम खेरवा में नदी में बाढ़ आने पर कटाव

४०५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बातने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांव रामपुरा ढाणी, गांव खेरवा (जिला पाली) में नदी आने पर कटाव होता है ?

Page No. 84

(श्री मूलचन्द डागा)

(२) क्या सरकार गांव खेरवा की ढाणी के कटाव को बन्द करने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) पाली का कार्यालय

४०६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले के अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग का कार्यालय-भवन पाली में बन चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि पाली जिले का अधिशासी अभियंता (सिंचाई) पाली में न रहकर दूसरी जगह रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां सन् १९६२ में ।

(२) जी हां, केवल पाली जिले के लिये अधिशासी अभियन्ता का पद नहीं है जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालौर बाड़मेर जिलों के लिए एक अधिशासी अभियन्ता है । जिसका मुख्यावास सुमेरपुर है । सुमेरपुर विभिन्न जिलों में सिंचित क्षेत्र तथा कार्यभार के मध्य में है ।

लोअर रेला बांध, तहसील नीम का थाना

४०७. श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लोअर रेला बन्ध, तहसील नीम-का थाना का कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कितना समय निर्माण पूर्ण होने का निर्धारित किया गया था ?

(२) निर्धारित समय में कार्य पूर्ण हुआ या नहीं ? यदि नहीं तो क्या कारण है ?

(३) क्या इस वर्ष इस बन्ध का पानी रोक दिया जावेगा ?

(४) क्या इस बन्ध से कोई नहरों के निर्माण की योजना है ? यदि है, तो कितनी लम्बी व किस-किस गांव तक बनेगी और कब तक बनेगी ?

(५) क्या अपर रेला बन्ध का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

(६) क्या इस बांध के नीचे नहर बनाने का कार्य होना था वह अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ ?

(७) क्या इस बांध में पानी रोका गया था और उसका उपयोग न होने पर सरकार को कितना घाटा हुआ और कौन जिम्मेदार है ?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(८) अब नहर का कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(९) क्या अपर रेला नहर नहीं बनने से जो पानी रोका गया है वह भी सिंचाई के काम नहीं आता है ?

उत्तर

(१) कार्य तारीख १९-४-१९६१ को प्रारम्भ हुआ था और कार्य पूरा होने के लिए एक वर्ष निर्धारित किया गया था।

(२) जी नहीं, कार्य के तखमीने में जो मिट्टी बांध पर डाली जाती थी, उसकी ढुलाई का फासला कम लिया हुआ था और ठेकेदारों को मिट्टी दूर से लानी पड़ती थी इस कारण वह काम मंजूर शुदा समय पर पूरा नहीं हो सका।

(३) जी हां।

(४) जी हां। नहरों की लम्बाई इस प्रकार है :—

१- २७०० फीट) आसामपुर गांव के आस
२- १२०० फीट) पास व बांध के समीप
३- २७०० फीट) की ढाणियां।

नहर का शेष कार्य भूमि अवाप्ति होने के बाद प्रारम्भ किया जावेगा।

(५) जी हां २३- १-६३ ।

(६) जी नहीं। नहर का कार्य कुछ हो गया था लेकिन आगे काश्तकारों ने काम को रोक दिया क्योंकि भूमि की अवाप्ति नहीं हुई थी।

(७) जी हां। पानी का पूरा इस्तेमाल हो गया था।

(८) नहर का कार्य भूमि अवाप्ति होने पर पूरा कर दिया जावेगा।

(९) जी नहीं।

मनोहर थाना परवन परियोजना

४०८. श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मनोहर थाना परवन परियोजना की सर्वे रिपोर्ट क्या है ?

(२) क्या राज्य सरकार के सामने शीघ्र ही इस योजना को क्रियान्वित करने का कोई कार्यक्रम है ?

(३) उक्त योजना से कितनी भूमि सिंचित की जा सकेगी ?

उत्तर

(१) इस परियोजना की अनुमानित लागत ६ करोड़ रुपया आंकी गई है, तथा इससे १,४६,३८८ एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान है।

(२) अभी फाउन्डेशन इन्वेस्टीगेशन बाकी है व जल की उपलब्धि की जांच जारी

Page No. 86

(श्री सिंचाई मंत्री)

है। पूर्ण हो जाने पर केन्द्रीय योजना आयोग को भेजी जावेगी।

(३) लगभग १,४६,००० एकड़।

डाया योजना का सर्वे

४०९. **श्री देवीलाल (सराड़ा) :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पलोदड़ा-डाया योजना, लटी आमलो रेला के अन्तर्गत डाया योजना की सर्वे कब कराई गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना का एस्टीमेट तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) सन् १९६५-६६ में।

(२) जी नहीं।

राणा प्रताप सागर से उदयपुर तथा भीलवाड़ा से पाली विद्युत् लाइन

४१०. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :** क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या यह सही है कि राणा प्रताप सागर से उदयपुर के लिए और भीलवाड़ा से पाली के लिये दो लाइनें खींचे जाने का एस्टीमेट स्वीकृत की गई थी ?

(२) यदि हां, तो दो लाइनें अभी तक किन कारणों से नहीं खींची गई हैं ?

(३) ये काम कब तक चालू होंगे ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) स्टील के मिलने में देरी के कारण और विद्युत शक्ति उपलब्ध न होने के कारण।

(३) काम चालू है।

ढाणी धाबाई एवं ढाणी सेवां शरहद नरहड़ के कुओं को बिजली

४११. **श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) :** क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ढाणी धाबाई व ढाणी सेवां शरहद नरहड़ (जिला झुंझुनू) के सिंचाई के कुओं के मालिकों से कुओं को बिजली देने के लिये सिक्योरिटी जमा करवाई गई है ?

(२) अगर हां, तो कितने कुओं के मालिकों से कितने कुओं के लिये किस-किस तारीख को ?

(३) क्या किसी कुए को अब तक बिजली दी गई है ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(४) अगर नहीं तो क्यों नहीं दी गई ? और इतनी अधिक देरी के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ इनका कौन जिम्मेवार है ?

(५) अब इन कुओं को कब बिजली दी जावेगी ?

उत्तर

(१) केवल ढाणी धावाई के कुओं के कुछ मालिकों ने बिजली की सिक्योरिटी जमा करवाई गई थी। ढाणी मेखां के किसी भी किसान ने जमा नहीं करवाई है।

(२) सात कुओं के मालिकों ने सिक्योरिटी जमा करवाई थी। कुओं के मालिकों के नाम व सिक्योरिटी जमा कराने की तारीख निम्नलिखित है :—

नाम	सिक्योरिटी जमा करवाने की तारीख
१. श्री चन्द्रराम पुत्र भानाराम	५-४-६५
२. श्री मानाराम पुत्र टोडाराम	५-४-६५
३. श्री चन्द्रराम पुत्र भानाराम	५-४-६५
४. श्री रामकुमार पुत्र सांवलराम	५-४-६५
५. श्री सांवलराम पुत्र भानाराम	५-४-६५
६. श्री ईशरराम पुत्र बनवारी	५-६-६५
७. श्री मूलाराम पुत्र जोरावराम	५-४-६५

(३) जी नहीं।

(४) ढाणी धावाई नरहड़ ग्राम से आई हुई है और अर्जियों में गांव का नाम नरहड़ लिखा हुआ था नरहड़ ग्राम का विद्युतीकरण पहले नहीं हुआ था। इसे केवल १९६६-६७ में कन्ट्रीब्यूटरी, स्कीम में रखा था मगर उस साल एलाटमेंट काफी देर से आया अतः कार्य नहीं हो सका। इस वर्ष में कोई बजट नहीं है और न इस साल की योजना ही बनी है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अब इस ग्राम का विद्युतीकरण कब होगा। गलत सूचना देने की जिम्मेवारी किसानों की है।

(५) निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

झुंझुनू जिले के ग्रामों को सिंचाई के लिये बिजली

४१२. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष झुंझुनू जिले के कितने ग्रामों को सिंचाई के लिये बिजली दी जावेगी ?

(२) ऐसे ग्रामों का चयन किस आधार पर किया जावेगा ?

(३) जिन ग्रामों में बिजली है उन ग्रामों के कितने कुओं को इस वर्ष बिजली दी जावेगी ?

(४) जिन ग्रामों को इस वर्ष बिजली दी जावेगी उनके नामों की घोषणा कब तक कर दी जावेगी ?

Page No. 88

उत्तर

(१) अभी निश्चित से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(२) यदि योजना लाभप्रद हो और धन-राशि उपलब्ध हो।

(३) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम कहूमर में कृषि कार्य हेतु बिजली

४१३. श्री मंगलसहाय (कहूमर-सु०) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) ग्राम कहूमर मे कितने लोगों को कृषि कार्य के लिये बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं ?

(२) कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र कृषि कार्य के लिये बिजली दिये जाने के लिये अभी विभाग में पेंडिंग पड़े हुए हैं ?

(३) जिन कृषकों को बिजली दी गई है उन्हें बिजली रात्रि को दी जाती है अथवा दिन के समय ? और कितने घंटे प्रति दिन दी जाती है ?

उत्तर

(१) ग्राम कहूमर में कुल ७ उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिये बिजली दी गई है ।

(२) केवल तीन आदमियों की फाइलें पेंडिंग हैं ।

(३) दिन के समय में किसी को बिजली नहीं दी जाती रात्रि को १० बजे से सुबह के ८ बजे तक बिजली दी जाती है ।

बीकानेर शहर के उद्योगों को बिजली

४१४. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) बीकानेर शहर के पॉवर हाउस में तथा अलग अलग कुओं पर कुल कितनी कितनी वेरायटी के टरबाइन्स इंजिन एवं जेनरेटिंग सेट लगे हुए हैं ?

(२) उपरोक्त आइडल पॉवर पर कुल कितना सालाना खर्चा होता है ?

(३) इस विद्युत् संकट कालीन स्थिति में इस पॉवर को काम में क्यों नहीं लिया जाता जब कि स्थानीय उद्योग वाले अधिक रेट पर बिजली लेने को तैयार हैं ?

उत्तर

(१) बीकानेर शहर के पॉवर हाउस तथा कुओं पर निम्नलिखित टरबाइन व जेनरेटिंग सेट्स लगे हुए हैं:—

पावर हाउस बीकानेर:

(१) टरबाइन जनरेटिंग सैट्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी १००० किलोवाट

(२) टरबाइन जनरेटिंग सैट्स इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी २००० किलोवाट

(३) टरबाइन जनरेटिंग सैट्स बी. टी. एच. ३००० किलोवाट

(४) टरबाइन जनरेटिंग वेटिंग हाउस २५०० किलोवाट

डीजल जनरेटिंग सैट्स:—

(१) डीजल जनरेटिंग सैट ब्लैक स्टोन २२४ के० डब्ल्यू० जो कि २००० किलोवाट बिजली जनरेट कर सकता है पावर हाउस में लगा हुआ है।

(२) डीजल जनरेटिंग सैट १०४ किलोवाट जो कि १०० किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है शिव बाड़ी में लगा हुआ है।

(३) डीजल जनरेटिंग सैट १०४ किलोवाट जनरेटिंग सैट जो कि १०० किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है गंगा नगर में लगा हुआ है।

(४) डीजल जनरेटिंग सैट केटरवीहर १०० किलोवाट जो कि ८० किलोवाट बिजली पैदा कर सकता है जेत वेत पर लगा हुआ है ?

(५) डीजल जनरेटिंग सैट सकोड़ा २२० के० डब्ल्यू पावर हाउस में लगा हुआ है और चलाने लायक नहीं हैं।

(६) डीजल जनरेटिंग सैट स्कोडा २५६ के० डब्ल्यू० पावर हाउस में लगा हुआ है और चलाने लायक नहीं हैं।

(२) उपरोक्त टरबाइन (स्टेन्ड बाई प्लान्ट) पर लगभग रु० ४,५५,००० प्रति वर्ष होती है।

(३) इन सैट्स को कभी २ डी बताया जाता है स्थानीय उद्योगों से जो प्रार्थना पत्र आये है उनकी मांग केवल ३८/४० किलोवाट है इतनी कम मांग के लिये सैट्स चलाने पर बहुत अधिक लागत आयेगी जिसका भार स्थानीय उद्योग सहन नहीं कर सकेंगे।

मोकलसर पावर हाउस द्वारा बिजली की सप्लाई

४१५. श्री कालूराम (सिवाना) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिवाना तहसील में मोकलसर पावर हाउस द्वारा बिजली की सप्लाई अचानक कम कर देने से किसानों को रबी की फसल में दस लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो क्या इसके लिये सरकार किसानों को मुआवजा देगी ? और

(श्री कालूराम)

सरकार इस तरह से सप्लाई कम कर देने वाले पावर हाउस के स्टाफ के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) हानि की जानकारी इस विभाग को नहीं है। मोकलसर पावर हाउस के इंजिनों में खराबी हो जाने से उनकी मरम्मत करने के समय में कम उत्पादन होने से कुछ दिनों के लिये मास दिसम्बर, जनवरी और मार्च के महीनों में बिजली कम समय के लिए दी गई।

(२) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्षति-पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता। पावर हाउस के स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता चूंकि "देवी आपत" के कारणों से हुई इन्जिनों की खराबी के कारण ये बिजली देने में विवश थे।

पंचायत समिति कामां के ग्रामों को बिजली

४१६. **श्री मजलिस खां (कामां)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां, जिला भरतपुर के ग्राम गढ अजान बिलंग और कनवाड़ा को बिजली सप्लाई किया जाना राज्य सरकार ने मंजूर किया था ? यदि हां, तो यह मंजूरी कब की गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों ग्रामों का लाइन खेचने के लिये सर्वे भी करा लिया गया था ? यदि हां, तो यह सर्वे कब कराया गया, और बिजली सप्लाई न होने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह प्रश्न सदन में बार बार उठाया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उत्पादन योजना को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रामों को बिजली सप्लाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। यह गढअजान बिलंग कनवाड़ा १९६५-६६ कृषि कार्य योजना में शामिल किये गये थे जिसकी स्वीकृति रा. स्टेट. वि. मण्डल ने २२-६-६५ को दी थी।

(२) उक्त ग्रामों का सर्वे तो स्वीकृति से पहले ही करवा लिया था। धनराशि के अभाव के कारण उक्त ग्रामों का विद्युतिकरण नहीं किया जा सका।

(३) जी हां। १९६६ में यह प्रश्न उठाया गया था। धनराशि के अभाव में अभी निश्चित रूप कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसका विद्युतिकरण कब हो सकेगा।

कामां तीर्थराज को बिजली

४१७. **श्री मजलिस खां (कामां)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री मजलिस खां)

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के कस्बा कामां के तीर्थराज पर बिजली पहुँचाने की योजना मंजूर हो चुकी है ? यदि हां, तो यह योजना कब मंजूर हुई ?

(२) क्या यह भी सही है कि तीर्थराज के लिये बिजली की लाइन डालने हेतु सर्वे भी हो चुका है ? यदि हां, तो यह सर्वे कब कराया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि म्यूनिसिपल बोर्ड, कामां ने भी बार बार विद्युत विभाग से तीर्थ को बिजली दिये जाने के लिये मांग की है ? यदि हां तो यह मांग कब कब और किन किन तारीखों में की गई ?

(४) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड ने बिजली की लाइन के खर्चे के लिये भी धन जमा कराने को लिखित में दे दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(५) क्या कारण है कि कामां तीर्थराज को बिजली सप्लाई नहीं की जाती जब कि तीर्थराज पर पूरे साल समस्त भारत वर्ष से यात्री लोग आते रहते हैं और वहां पर कई कई दिनों तक वे रात्रि-विश्राम भी करते हैं ?

(६) क्या यह सही है कि कामां तीर्थराज बृज भूमि के मध्य में होने के कारण धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। यदि हां, तो क्या शीघ्र से शीघ्र बिजली की सप्लाई की जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २४-९-६६ को।

(२) जी हां। सन् १९६६ में।

(३) जी हां। दिनांक २४-३-६६, ३१-६-६६, १२-१२-६६ और २-१०-६६

(४) जी नहीं, कभी नहीं।

(५) म्युनिसिपल बोर्ड, कामां में बहुत समय तक मिनीमम चार्जेज देने का बौण्ड नहीं भरा और तत्पश्चात् उन्होंने खम्भों की ढुलाई भी नहीं करवाई जिसे करने के लिये उन्होंने प्रारम्भ में मौखिक रूप से अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली थी।

(६) इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्रातिशीघ्र बिजली देने का प्रयत्न किया जायेगा।

चिड़ावा सब डिवीजन में ट्रांसफारमर

४१८. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सब डिवीजन चिड़ावा में कुल कितने ट्रान्सफारमर लगाये गये हैं ?

(२) उक्त ट्रांसफारमरों पर कितने आदमियों की नियुक्ति की गई है ?

(३) ऐसे कितने ट्रांसफारमर हैं जिन पर विभाग का कोई भी आदमी नहीं रहता है ?

(४) जिन ट्रान्सफारमरों पर कोई आदमी नहीं है उनके फ्यूज जब जल जाते हैं

(श्री मूलचन्द कटेवा)

या कोई अन्य खराबी होती है तो ठीक कौन करता है ?

(५) क्या इससे जनता को नुकसान है ?

(६) अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इसके बारे में शीघ्र कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मार्च १९६७ तक कुल ६४ ट्रांसफारमर सब डिवीजन चिड़ावा में लगाये गये हैं।

(२) उक्त ट्रांसफामरों पर कुल ६२ आदमी लगाये हुए हैं।

(३) कुल २५ जगह पर कोई आदमी नहीं है जिनमें से १४ गावों में कोई कनेक्शन नहीं है।

(४) ऐसे गांवों में जहां ट्रांसफारमर पर आदमी नहीं रखा है और कनेक्शन है वहां फ्यूज पास के गांव वाला आदमी बांधता है।

(५) जी नहीं। फ्यूज उड़ने पर पास के गांव के आदमी को इत्तला देकर फ्यूज बंधवाया जा सकता है।

(६) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्राम औजटू के किसानों द्वारा बिजली के प्रार्थना-पत्र

४१९. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि औजटू ग्राम जिला झूंझूनू के बहुत से किसान अपने कुओं पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते है ?

(२) ऐसे कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र ए. ई. एन. चिड़ावा को प्राप्त हुए हैं और किस किस महीने में।

(३) क्या इनके एस्टीमेट बनाए गए है ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों नहीं बनाए गए ?

(५) क्या यह सच है कि उन को इन्कार कर दिया गया है कि एस्टीमेट नहीं बनाए जावेंगे ?

(६) क्या राज्य सरकार कनेक्शन शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेगी।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कुल २० प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

(विद्युत मंत्री)

अक्टूबर १९६५ .... ३ नं०

दिसम्बर १९६५ .... २ नं०

जनवरी १९६६ .... २ नं

फरवरी १९६७ .... २ नं०

अप्रेल, १९६७ .... २ नं०

मई, १९६७ .... ४ नं०

जून, १९६७ .... ५ नं०

(३) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से जो प्रार्थना पत्र अप्रेल १९६७ तक आये थे उनके एस्टीमेट बनाये जा चुके है।

(४) माह अप्रेल के बाद आने वाले प्रार्थना-पत्र के खेतों का सर्वे कर लिया गया है तथा कुए वर्तमान एल० टी० लाइन से दूर होने की वजह से इनके लिए के० सी० की लाइन का एस्टीमेट बनाया जा रहा है।

(५) जी नहीं।

(६) कुओं को कने न देना, योजना लाभदायक होना तथा पय धनराशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

सिवाना व मोकलसर सू जाति व परिगणित जन जाति के म ल में बिजली

४२०. श्री कालूराम (सिवाना) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सिवाना व मोकलसर (जिला बाड़मेर) के अनुसूचित जन जाति व परिगणित जन जाति के मोहल्लों में बिजली नहीं दी गई है ? अगर हां, तो कब तक बिजली दे दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां।

परिगणित जन जाति के मोहल्लों के विद्युतिकरण के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। गत वर्ष इसी कार्य के लिये ५ लाख रुपये का प्रावधान भी रखा गया था। इस वर्ष धनाभाव के कारण कुछ कार्य सम्भव न हो सकेगा। ज्योंही अर्थ संकट दूर हुआ, इस ओर प्रयत्न किया जावेगा।

ग्रामों को सिंचाई के लिये बिजली दिये जाने हेतु विद्युत् मंडल को ऋण

४२१. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अगर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किन्हीं ग्रामों को सिंचाई के लिये बिजली दिए जाने के लिये विद्युत मण्डल को ऋण दिया जावे तो क्या उन ग्रामों को बिजली दी जा सकेगी ?

(२) अगर हां, तो कुल लागत का कम से कम कितना प्रतिशत ऋण चाहा जावेगा ?

(३) ऐसे ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जावेगा तथा उस ऋण की अदायगी कितने वर्ष बाद होगी ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। यदि विद्युतिकरण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को ऋण दिया जावे तो उन ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा सकता है अगर स्कीम फीजिबल और लाभप्रद हो।

(२) इस समय के अभाव को दृष्टि में रखते हुए तमाम ही द्रव्य देना होगा।

(३) ऐसे ऋण पर ७ प्रतिशत ब्याज दिया जावेगा तथा उसकी अदायगी ५ साल बाद की जावेगी।

तहसील चिड़ावा में सिंचाई के लिये बिजली

४२२. **श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी)**: क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार को जानकारी में है कि झूंझनू जिले की चिड़ावा तहसील में जहां जहां कुए बनाए गए हैं वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में पानी मिला है और पम्प २४ घंटे चलाने पर भी बराबर पानी मलता है?

(२) क्या सरकार की यह भी जानकारी है कि जिले में इस तहसील की भूमि अधिक उपजाऊ है?

(३) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस तहसील के हर ग्राम में काफी तादाद में कुए बने हुए हैं और बन रहे हैं?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई के लिये बिजली देने में इस तहसील क्षेत्र को प्राथमिकता देने का विचार रखती है?

उत्तर

(१ से ४) कुओं की संख्या पानी की उपलब्धि तथा जमीन की उर्वरा शक्ति के बारे में तो विद्युत मण्डल का सीधा सम्पर्क नहीं है किन्तु जहां तक चिड़ावा तहसील को प्राथमिकता देने का प्रश्न है इस पर योजना बनाते समय अवश्य विचार कर लिया जावेगा।

डाबड़ी धीरसिंह-मलसीसर बिजली लाइन

४२३. **श्री रामनारायण (मंडावा)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डाबड़ी धीरसिंह, जिला झूंझनू से मलसीसर तक दी गई बिजली लाइन पर कितना व्यय हुआ है? उक्त विद्युत् लाइन कौनसी साल में खींची गई थी? क्या उक्त लाइन पूरी हो चुकी है?

(२) इस लाइन पर पड़ने वाले कितने गांवों का विद्युतिकरण किया गया है? तथा उन गांवों में कितने कनेक्शन हुए हैं? इन गांवों के निवासियों के कितने आवेदन-पत्र बिजली कनेक्शन लेने के विचाराधीन हैं? उन आवेदन पत्रों में से सिंचाई के कनेक्शन कितने हैं?

(३) डाबड़ी धीरसिंह से बाजला और दिलालपुर आदि गांवों को जो बिजली लाइन

(श्री रामन रायण)

दी गई है उन गांवों में कितने कितने कनेक्शन्स हुए हैं ? बिजली बोर्ड को सालाना कितनी आमदनी होती है ? इन गांवों के किसानों को रोशनी के कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार डाबड़ी धीरसिंह से धनूरी क्यामसर तक बिजली लाइन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(५) क्या यह सही है कि ग्राम धनूरी क्यामसर की जमीन इस क्षेत्र में सबसे अच्छी सिंचाई की जमीन है ?

उत्तर

(१) यह लाइन १९६५-६६ के वित्तीय वर्ष में तैयार की गई थी तथा उसी वर्ष में पूरी कर दी गई थी।

(३) बाजला और दिलालपुर में अभी तक कोई कनेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि बाजला की तो अभी तक कोई अर्जी कनेक्शन के लिए नहीं आई है। तथा दिलावरपुर की केवल एक अर्जी कृषि के लिए दि० २३-५-६७ को प्राप्त हुई है। बोर्ड को इस समय इन गांवों से कोई भी आमदनी नहीं है। यहां पर बिजली के कनेक्शन न देने के कारण यह है कि पहले कोई अर्जी इस बारे में प्राप्त नहीं हुई है।

(४) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(५) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

रायपुर व कुसालपुरा में कुओं के लिये बिजली की मांग

४२४. श्री पुखराज कालानी (सोजत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(२) इस लाइन पर जिन गांवों का विद्युतिकरण हुआ है उनके बारे में जानकारी नीचे दी जाती है।

क्र० सं०	गांव का नाम	विद्युतिकरण की तारीख	बिजली के लिए विचाराधीन अर्जियों की संख्या	कृषि के लिए आवेदन पत्रों की संख्या	वर्तमान कनेक्शनों की संख्या
१.	ककेडेऊ	५-३-६७	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
२.	अजनीसर	२४-३-६७	,,	७	,,
३.	बरवा की ढानी	२५-३-६७	३	२	,,
४.	मलसीसर	२४-३-६७	२८	७	,,

(श्री पुखराज कालानी)

(१) क्या यह सही है कि रायपुर व कुसालपुरा गांव जो रायपुर तहसील (पाली जिले) में हैं, को बिजली की लाइन दे दी गई है ? यदि हां, तो इन दोनों गांवों को बिजली के कनेक्शन कब कब दिए गए ?

(२) क्या इन गांवों के कुओं के लिए बिजली के कनेक्शन की मांग बिजली विभाग के समक्ष आई है ? यदि हां, तो कितने कनेक्शन्स अभी तक इन गांवों को कुओं के लिए अलग अलग दिए हुए हैं ? यदि नहीं दिए गए हैं, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सोजत तहसील के ग्रामों को बिजली तथा कुओं पर कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

४२५. **श्री पुखराज कालानी** (सोजत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सोजत तहसील के किन किन गांवों में इस समय बिजली के कनेक्शन्स दे दिये गए हैं ? व किन किन गांवों को कनेक्शन देने के लिए कार्य चालू है ?

(२) जिन जिन गांवों में बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं क्या वहां कुओं पर भी कनेक्शन दिए गए हैं ? यदि हां, तो हर गांव में कुओं पर कनेक्शन के लिए कितनी अर्जियां आई हैं व कितने कनेक्शन दे दिए गए हैं व कितने कनेक्शन अभी तक बाकी हैं ? जो बाकी हैं वे कब तक दे दिए जायेंगे ? इसकी सूची प्रार्थना-पत्र आने की तारीख व कनेक्शन देने की तारीख बताते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) चंडावल गांव में बिजली ले जाने के कार्य की क्या प्रगति है ? वहां के लिए बिजली की लाइन ले जाने का कार्य कब शुरू हुआ था व क्या वहां लाइन ले जाने का कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या वहां बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक देने की उम्मीद है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कस्बा मण्डावा में बिजली के लिए आवेदन-पत्र

४२६. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) मण्डावा कस्बा (जिला झुंझुनू) में वहां के निवासियों के कितने आवेदन-पत्र बिजली कनेक्शन लेने के विचाराधीन हैं तथा कितने दिनों से ?

(२) क्या राज्य सरकार मंडावा की हरिजन बस्तियों तक बिजली लाइन ले जा कर उन लोगों को विद्युत सुविधा देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या मण्डावा से पास खालासी तक बिजली लाइन गत वर्ष में गई है ? यदि हां, तो वहां के कितने काश्तकारों को बिजली दी गई है ? क्या यह सही है कि उस गांव के चार काश्तकार सर्व श्री रतीराम,

(श्री रामनारायण चौधरी)

धोकलराम और बेगराज वगैरह को काफी दिनों से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है ? क्या यह भी सही है कि इन लोगों के सिक्योरिटी के रुपये जमा हो चुके हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार इस बिजली की लाइन को महरादासी और मौजास ग्रामों तक बढाने का इरादा रखती है ?

(५) क्या पंचायत समिति, झुंझुनू ने उपरोक्त मांग बिजली बोर्ड के पास भेजी है ?

उत्तर

(१) कस्बा मण्डावा जिला झुंझुनूं के निवासियों की ११ अर्जियां तो घरों व दुकानों में लाइट के लिये और चार अर्जियां कुओं के लिये विचाराधीन हैं। इनमें से ६ अर्जियां लाइट की तो सन् १९६६ से और बाकी अर्जियां फरवरी सन् १९६७ तक की है।

(२) हरिजन बस्तियों के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है। हां अगर राजस्थान राज्य विद्युत मन्डल के नियमानुसार यदि योजना लाभदायक हो तो कार्य किया जा सकता है।

(३) जी हां। खालसी का वास का विद्युतिकरण १७-२-६७ को किया गया। अभी तक किसी भी काश्तकार को बिजली नहीं दी गई है। जी हां, इन लोगों की अर्जियां जनवरी ६७ में आई थी और सिक्यूरिटी के रुपये मार्च ६७ से जमा हो गये लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये। रतीराम के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ?

(४) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(५) जी नहीं।

मनोहर थाना का विद्युतिकरण

४२७. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या मनोहर थाना कस्बे में विद्युतिकरण करने का राज्य सरकार कोई इरादा रखती है ?

(२) क्या राज्य सरकार ने इस बाबत कोई सर्वे कराया है ? और यदि हां, तो बिजली कहां से दी जायगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां बिजली देने के बारे में अभी कुछ भी निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता।

आसीन्द तहसील में कृषि कार्य हेतु बिजली

४२८. **श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

(१) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील में बिजली देने का आश्वासन राज्य सरकार ने विधान सभा भवन में कई दफा दिया है। यदि हां तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील का तमाम क्षेत्र कृषि क्षेत्र है ? यदि हां, तो फिर कृषि उत्पादन हेतु अब तक इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि आसीन्द तहसील क्षेत्र में सरकार ने बिजली देने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में कब तक बिजली दे दी जायगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कस्बा रावतसर में बिजली

४२९. **श्री रामचन्द्र आर्य (खण्डेला)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर तहसील नोहर में बिजली पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो कस्बे में कितने कनेक्शन दिये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि लोगों ने काफी तादाद में प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं और उनको बिजली नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है जब कि कुछ लोगों को बिजली दे रखी है ?

(३) क्या यह सही है कि इसकी आबादी को देखते हुए तथा राजस्थान केनाल की बड़ी मंडी होने के नाते इस कस्बे को बिजली मांग के अनुसार देना आवश्यक है ? यदि हां, तो कब तक दी जायेगी ?

(४) क्या वहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग में भी बिजली देना आवश्यक है ? यदि हां, तो कब तक बिजली दी जावेगी ? और नहीं, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

उदयपुर सिटी के पास स्थित गांवों में सिंचाई के लिये बिजली

४३०. **श्री देवीलाल (सराड़ा)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर सिटी से दस पंद्रह मील की दूरी पर स्थित गांवों के काश्तकारों को सिंचाई के कुओं पर बिजली देने की योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि गांव सीसारमा, बूझड़ा, नाई, तीतड़ीं गोरधन विलास उदयपुर सिटी के नजदीक स्थित है ? यदि हां, तो कितनी दूर है ?

(३) क्या उक्त गांवों के काश्तकारों को बिजली दी जाने की योजना चल रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, उदयपुर से दस पंन्द्रह मील की दूरी पर स्थित सभी गांवों के किसानों

(विद्युत मंत्री)

को बिजली देने की स्कीम नहीं बनाई गई है। हां कुछ गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है और वहां पर किसानों को कनेक्शन भी दिए गए है। सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतिकरण करना संभव नहीं है ?

(२) जी हां, दूरी निम्न प्रकार है—:

१. सीसारमा .... ४ मील

२. बूजडा .... ५ मील

३. नाई .... ६ मील

४. तीतड़ी .... ३ मील

५. गोरदन .... बिलास ३ मील

(३) जी नहीं।

कृषि कार्य हेतु बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र, चौमूं

४३१. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सहायक अभियन्ता, बिजली विभाग चौमू के कार्यालय में जनवरी, १९६५ से लेकर आज तक कितने किसानों के अपने कुओं पर कृषि हेतु बिजली प्राप्त करने के लिए प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुए हैं ? प्रार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनमें से कितने किसानों को बिजली दे दी गयी तथा कितनों को नहीं दी गई तथा क्यों ?

उत्तर

(१) कुल प्रार्थना पत्रों की संख्या १९७६ है। सूची संलग्न है।

(२) इनमें से ७७९ को कनेक्शन दे दिये गये हैं। १५९ प्रार्थना पत्र फाइल किये गये व १०३८ फाइलें विचाराधीन हैं। इसका मुख्य कारण अर्थाभाव एवं ग्रुप स्कीमों में समस्त उपभोक्ताओं का रकम जमा नहीं करवाने का कारण है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत मंडल के प्रतिवेदन का उपस्थापन

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम १९४८ की धारा ७५ (१ए) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मंडल द्वारा चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आडिट रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो प्रगति रिपोर्ट है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संक्षिप्त विवरण है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलेक्ट्रिसिटी की आडिट रिपोर्ट का क्या हुआ ? उसके बारे में आपने व्यवस्था दी थी, निर्देश दिया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आडिट रिपोर्ट पेश करूंगा उसका क्या हुआ ?

श्री हरीदेव जोशी : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से देखकर हाउस को रिपोर्ट करूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि अतारांकित प्रश्न के उत्तर शुद्ध और साफ होने चाहिये जो अतारांकित प्रश्न का उत्तर मुझे दिया गया है वह बिल्कुल पढ़ा नहीं जा सकता, बड़ा अफसोस है कि बार बार आपके आदेश दिए जाने के बाद विभागीय सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में और सजग कर दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न का जिस प्रकार से बटवारा किया जाता है उसमें इनडिवीज्युअल से सम्बन्धित तो प्रश्न पूछा जाता है....

श्री अध्यक्ष : यह यहां का प्रश्न है ?

मैं इसका जवाब दूंगा। अब और मुझ से क्या चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : पब्लिक इम्पोर्टेन्स के जो प्रश्न हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को देख लूंगा। नसीराबाद की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : मैं इस सम्बन्ध में जानकारी कलेक्टर अजमेर से प्राप्त नहीं कर सका हूं इसलिये जानकारी के अभाव में स्टेटमेन्ट नहीं दे सकूंगा। इस लिये निवेदन यह है कि इसको उस तारीख तक रोक दिया जाय जब तक कि पूरी जानकारी आ जाय।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी तरफ से ही बोल रहा हूं कल तक आप दे सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अब तक जानकारी नहीं आ पायी है कल और स्टे कर दिया जाय और परसों इसको लिया जाय तो मैं माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी दे सकता हूं। टेलीफोन द्वारा भी जानकारी देने के लिए कहा गया है इसलिये कल न रखकर इसको परसों के लिए रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : परसों के लिये फिक्स अप करता हूं। जयपुर जिले में काश्तकारों से लेवी की वसूली के सम्बन्ध में पी० के० चौधरी का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले स्थगन प्रस्ताव लिये जाने चाहिये immediarely after the question hour.

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले स्थगन प्रस्ताव लिये जायं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राष्ट्रीयकरण पुस्तक मंडल के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष : Order ! Order ! जो स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं में उनको स्वीकार करता हूं या उस पर स्टेटमेंट देने का है ये दो प्रश्न मेरे सामने हैं। स्थगन प्रस्ताव पर स्टेटमेंट नहीं हो ऐसी स्थिति में उसको बिजीनस में प्राथमिकता देना उचित नहीं होगा। मैं अपनी क्या व्यवस्था दे रहा हूं। बाद में ले लेंगे...

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तो स्थगन प्रस्ताव जो पेश किया गया है वह पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों के रिटायर किये जाने के बारे में उसका स्टेटमेन्ट आज पेश किया जाना था। वह स्टेटमेन्ट पहले आना चाहिये इमीजियेट इम्पोर्टेन्स का जो क्वश्चन होता है उसको हमेशा प्राथमिकता दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न को समझ लूंगा। मेरी दिक्कत यह है कि एक ही आधार और मिलते जुलते तथ्यों वाले कई स्थगन प्रस्ताव आये हैं मैं उन सब स्थगन प्रस्तावों को सामूहिक रूप से एक ही ढंग से लेना चाहता हूं। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय स्थगन प्रस्तावों में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्टेटमेन्ट दें, प्रत्येक पहलू का विश्लेषण कर दें। इसमें आपका हित है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सम्बन्ध में कल व्यवस्था हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : मेरी दिक्कत आप समझेंगे, माननीय सदस्यों द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं वे इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव हैं जिसमें माननीय मंत्री महोदय प्रत्येक प्रस्ताव पर अलग अलग वक्तव्य दे दें तो भी ठीक नहीं और दूसरे प्रस्तावों को छोड़ कर दूं यह भी ठीक नहीं। सब माननीय सदस्यों के प्रस्तावों को एक में समावेश कर के एक वक्तव्य सभी प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए मंत्रीजी देवें। इसी आधार पर मैंने व्यवस्था दी है।

राज्य कर्मचारियों तथा राजपत्रित अधिकारियों को ५५ वर्ष की आयु पर रिटायर करने आदि से संबंधित श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री भैरोंसिंह शेखावत ने एक प्रश्न दिनाक ७-७-६७ को पूछा था किन्तु उसका पूरा उत्तर प्राप्त न होने के कारण उसे उस दिन स्थगित रखा गया था। उक्त प्रश्न में यह भी जानकारी चाही गई थी कि १-१०-६६ को या उसके बाद नियुक्त हुए राज्य कर्मचारियों को राज्य सेवा से पृथक करने के निर्णय से कितने राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी अलग अलग विभागों में प्रभावित होंगे तथा जो कर्मचारी सरप्लस होंगे इन्हें क्या वैकल्पिक कार्य दिया जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने भी एक अल्प-सूचना प्रश्न का नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने ३० जून, १९६ को राज्य सेवा से मुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों की जानकारी चाही है और यह भी जानना चाहा है कि उन अधिकारियों में से कितने अधिकारी को पुनः नियुक्त किया गया है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गिरधारीलाल व्यास, सदस्य विधान सभा ने इस आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि आयुर्वेद विभाग के वैद्यों के रिटायर होने की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ वर्ष की जानी चाहिए जैसा कि चिकित्सा विभाग के डाक्टर्स के संबंध में किया गया है। उन्होंने इसका मुख्य कारण दवाखानों में क्वालीफाइड वैद्यों का अभाव होना बतलाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल तथा श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इस आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के वर्क-चार्ज स्टाफ को ५५ वर्ष की आयु पर ही रिटायर करने के आदेश दिए गए हैं जब कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु ६० वर्ष की रखी गई है। एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल ने उदयपुर में सरकार द्वारा पी० डब्ल्यू० डी० एवं सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ५५ वर्ष की आयु पर रिटायर करने के सरकारी आदेश से उत्पन्न स्थिति के बारे में दी है।

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के रिटायरमेन्ट के बारे में सदन के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न रूप में जानकारी चाही गई है। अतः मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस विषय में राज्य सरकार द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट की जाये।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे उपरोक्त विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई जानकारी देते हुए एक वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र देने की कृपा करें। मैं उपरोक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया उस प्रश्न के द्वारा कितने लोग ५५ वर्ष के बाद मुक्त कर दिये गये हैं...

श्री अध्यक्ष : उसको भी ले लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दी है इसमें मुख्तलिफ एडजार्नमेन्ट मोशन्स माननीय सदस्यों ने दिये हैं उसमें जो सबजेक्ट मैटर है हैं वह बिलकुल ऐसा नहीं है और एक ही विषय से संबंधित नहीं है और जैसा कि मुख्य सवाल जिसके ऊपर पहले एडजार्नमेन्ट मोशन है वह ५५ वर्ष की आयु पर पी०डब्ल्यू०डी० या सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को इल्लीगल तरीके से रिटायर किया गया है। यह प्रश्न है उसके साथ किसी माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि १-१०-६६ के बाद जो लोग मुक्त हुए हैं उनको हटाना यह दोनों भिन्न प्रश्न हैं इनकी लीगेलिटी, इनका बेसिस बिलकुल अलग हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ सूचना के लिए पूछा है कि कितने लोग इससे सरप्लस डिक्लेयर होंगे। अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि वह राज्य कर्मचारियों से संबंधित हैं लेकिन जो बुनियाद है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप क्या चाहते हैं ?

Page No. 103

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि इन प्रश्नों को अलग अलग लिया जाये। इनकी इम्पोरटेन्स अलग अलग है। इनमें क्वश्चन्स इनवाल्वड बिल्कुल अलग अलग हैं जैसे कि पी० डब्ल्यू० डी० या सिंचाई विभाग के कर्मचारी जिनको कि ५५ साल की आयु पर हटा दिया गया है यह एन्टायरली बिलकुल डिफरेन्ट क्वश्चन है। इसका जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट हो गया। उन लोगों को हटाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : मैं इस स्थिति को समझ गया हूँ।

माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में शंकायें हैं। और आशंका यह है कि कहीं जो प्रश्न उन्होंने विशद रूप से रखा है वह कहीं संकुचित नहीं हो जाये, और माननीय मंत्री महोदय से उस पर उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिले। मैंने जैसी व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के आधार पर मैं माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के तथ्यों और आधारों को विस्तृत रूप से रखते हुए माननीय मंत्री महोदय के पास अपनी तौर से उसको भेजूंगा ताकि माननीय सदस्योंके स्थगन प्रस्ताव पर उत्तर देने में कोई में कोई दुविधा पैदा न हो और उसका उत्तर अस्पष्ट न आ पाये इसलिए यद्यपि मैंने यह व्यवस्था एक ही दिन सारे स्थगन प्रस्तावों के संबंध में स्टेटमेन्ट देने के लिए दी है लेकिन प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव के जो तथ्य के आधार हैं उनको विस्तृत रूप से उनके सम्मुख रखकर उनका स्पष्टीकरण मांगा जायगा जिससे मानीय सदस्यों को स्पष्टीकरण मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल :इसमें १-११-६६ के बाद लोगों को रिटायर करने का है यह इनफार्मेटिव क्वश्चन है और समय लगेगा। मैंने क्वश्चन भी पूछा था....

श्री अध्यक्ष : यदि समय लगेगा नहीं आ पायेगा तो मैं उसको अलग कर दूंगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इसको आपने आज के लिए फिक्स किया था कब के लिए फिक्स कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : किस को ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो अभी व्यवस्था दी।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से बात करके फिर उसको देख लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव कोटा जिले के अन्दर लेवी वसूली इस प्रकार से कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कब दिया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज दिया है।

श्री अध्यक्ष : के बजे दिया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं १० बजे आ गया था....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय उस समय क्या कर रहे थे ?

(श्री अध्यक्ष)

मैं चाहूंगा माननीय सदस्य आप कम से कम कुछ सुविधा का ध्यान रखें। आज दिया है, मेरे पास आया है मैं उस पर निर्णय ले रहा हूं। आप कहें तो मैं जानकारी के लिए भेज दूं।

और इसी तरह से आपका....

(श्री रामचन्द्र आर्य बोलने के लिए खड़े हुए)

आप (श्री रामचन्द्र आर्य) स्थान ग्रहण कीजिए आर्य साहब। मैंने उसको ले लिया है। स्टेटमेन्ट देने के लिए कहा है और आप मुझसे बात कर चुके हैं। मैंने आपको जानकारी भी दी थी। मैं इस पर स्टेटमेन्ट देने के लिए कह रहा हूं फिर आपने इस प्रश्न को यहां पर उठा दिया।

(श्री रामचन्द्र आर्य पुनः बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं आपका यह ......

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन लेवी के संबंध में ऐसा हो रहा है कि वहां पर पुलिस जबरदस्ती घरों में घुस रही है।

श्री अध्यक्ष : अब आप कहां चले जा रहे हैं ? Order ! Order please ! माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव आपका है यहां पुलिस कैसे घुसने लग गयी। मैं उस पर विचार कर रहा हूं आप यहीं पुलिस को ले आ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जोधपुर मेडीकल कालेज के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। कल आपको देरी से मिलने के कारण आज आपने उसका रेफरेन्स नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है।

एक माननीय सदस्य : तो उस पर स्टेटमेंट कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : आज मैं उस पर निर्णय कर लूंगा। प्रश्न समाप्त होने के बाद में मेरे और आपके प्रश्नोत्तर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरे एडजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : २४ घन्टे पहले स्थगन प्रस्ताव दिया और आज के दिन में कोई फर्क नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य कभी इस सुविधा और दुविधा पर अलग से अध्ययन करें।

माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था उसे मैंने कल दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य सदस्य विधान सभा ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर स्पष्टीकरण हेतु वक्तव्य देने के लिए कहा है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा द्वारा कक्षा ६ के लिए जो पुस्तकें राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल राजस्थान द्वारा निर्धारित की गई हैं तथा कक्षा ८ के लिए जो सामाजिक ज्ञान निर्धारित है उसके क्रमशः १० व ८४ पृष्ठ के सम्बन्ध में आपत्ति की है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करने हेतु शीघ्र ही एक वक्तव्य दें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह तथा श्री मुकट बिहारी लाल ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत थोड़े समय की चर्चा के लिए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण द्वारा जीपों की खरीद के लिए सूचना दी है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत......

श्री भैरोंसिंह : स्थगन प्रस्ताव मेरा नहीं है। इनका तो दूसरी बात का स्थगन प्रस्ताव है और मेरा स्थगन प्रस्ताव दूसरी बात का है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब है कि आपके स्थगन प्रस्ताव को इनसे अलग कर दूं?

श्री भैरोंसिंह : इनको तो परचेजेज के बारे में है।

श्री रामकिसन : यह तो दो प्रकार की चर्चाओं के लिए है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको अभी रिजर्व करता हूं। माननीय सदस्य मुझ से चेम्बर में मिल लें तो में इसको देखूंगा कि इसको किस तरह से सेपरेट किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली विधान सभाओं से इस साल में हम यह देख रहे हैं कि हमको शोर्ट नोटिस क्वश्चन का तो जवाब ही नहीं मिलता है। आपने यह व्यवस्था कर दी थी और नियमों के अन्दर भी यह व्यवस्था है कि शोर्ट नोटिस क्वश्चन का तीन दिन के अन्दर सरकार से जवाब ले सकते हैं। अब अगर हम उस व्यवस्था का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं तो हमें किसी शोर्ट नोटिस क्वश्चन का जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद में आता है काल अटेंशन नोटिस। उसके बारे में क्वश्चन देते हैं और उस सूचना के आधार पर सरकार उस मामले में जवाब देती है लेकिन उस बारे में भी कुछ नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है दो घण्टे की चर्चा! उसके ऊपर भी कोई तवज्जह नहीं होती। इन चीजों से भी जब काम नहीं चलता तो मजबूर होकर एडजोर्नमेंट मोशन लाना पड़ता है। कई ऐसे प्रश्न है जिसमें एडजोर्नमेंट मोशन मूव नहीं करना चाहते लेकिन सरकार का ध्यान तुरन्त आकर्षित करना चाहते हैं तो फिर मजबूर होकर एडजोर्नमेंट मोशन लाना पड़ता है क्योंकि शोर्ट नोटिस क्वश्चन का जवाब मिलता नहीं है। मैं समझता हूँ कि एडजोर्नमेंट मोशन का जो महत्व है.....

Page No. 106

श्री अध्यक्ष : में इसके लिए माननीय सदस्य आपके एडजोर्नमेंट मोशन पर अलग से वक्तव्य देने की अनुमति देता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : वह प्रश्न नहीं है, अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडजोर्नमेंट मोशन मूव क्यों किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि यह जान सकें कि सरकार तुरन्त उस पर क्या कार्यवाही कर रही है, यह बताये। अब उस एडजोर्नमेंट मोशन में तीन दिन की डिले कर दी जाय तो तीन दिन में तो शोर्ट नोटिस क्वश्चन से ही सरकार से उत्तर ले सकते हैं। लेकिन जब समय पर जवाब नहीं मिलता है तो एडजोर्नमेंट मोशन का सहारा लेना पड़ता है। तो जो एडजोर्नमेंट मोशन की डेफिनेशन है इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब बदकिस्मती यह रही है कि एडजोर्नमेंट मोशन, शोर्ट नोटिस क्वश्चन, काल अटेंशन, नोटिस और हू आवर डिस्कशन, सब बदकिस्मती से एट पार चल रहे हैं और यहां नियमों का पूर्णतया उल्लघन हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां पर सरकार को रोका जाय, यदि सरकार को इस प्रकार का लिबरल एटीट्यूड दिया गया तो सरकार किसी बात का उत्तर देने को तैयार नहीं होगी। आज जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन सदन में प्रस्तुत हुए हैं वे पिछले सदनों के मुकाबले में एडजोर्नमेंट मोशन सबसे ज्यादा प्रस्तुत हुए हैं। इसका केवल एकमात्र कारण यह है कि जो आपकी व्यवस्थायें हैं उन व्यवस्थाओं का सरकार अमलनहीं कर पाती है और खेद के साथ कहना पड़ता है कि आप भी उस पर अमल नहीं करा पाये हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसमें क्या कठिनाई है कि सरकार उत्तर नहीं दे सके, ऐसी कौन सी सरकार के सामने कठिनाई है ? बोर्डर रोड्स के मामले को लेकर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाय....

श्री अध्यक्ष : Order please !

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : क्या कर रहे हैं इसमें ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिह श्री मुकुट बिहारी लाल ने प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत थोड़े समय की चर्चा के लिए राजस्थान के सिमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जीपों की खरीद के लिए सूचना दी है। मैं इस विषय में थोड़े समय की चर्चा के लिए समय नियत कर दूंगा।

श्री भैरोंसिह के स्थगन प्रस्ताव पर मैं अलग से कहूंगा।

अब जो दूसरा प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य संतुष्ट हों, मैं समझता हूं कि मैं पहले अपने आंकड़ों को देखूंगा कि कौन से स्थगन प्रस्ताव, शोर्ट नोटिस क्वश्चन और काल अटेंशन नोटिसेज हैं जिन पर कार्यवाही नहीं हुई है, उनको देखकर मैं इस पर कुछ व्यवस्था देने का प्रयत्न करूंगा।

Page No. 107

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय.......

श्री केसरीसिंह हाडा : Point of information, Sir !

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था, जिस इलाके से में आया हूं उस इलाके की जनता पर बड़ा जुल्म हो रहा है। पुलिस डण्डों के जोर से लोगों के घरों में घुस कर गल्ला वसूली कर रही है, चारों ओर लोगों पर जुल्म हो रहा है और लोगों से जबरदस्ती लेवी वसूल की जा रही है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस स्थगन प्रस्ताव पर न जाने कब जवाब देंगे और उधर पुलिस लूट कर रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे पहले ही सादर निवेदन किया है कि यह प्रश्न आज आपका आया है किन्तु फिर आप उस पर बोलने लग गए। यह एडजोर्नमेंट मोशन है, मुझको अवसर दें जानकारी प्राप्त करने का अथवा स्टेटमेंट देने को कहने का। आप उसके पहले ही बोलने लग गए। पहले ही आपसे निवेदन किया ..

श्री भैरोंसिंह : यह तो परसों का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा अभी मैंने और भैरोंसिंहजी ने स्थगन प्रस्तावों और काल अटेंशन नोटिसेज के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन किया कि हमें ऐसा आभास होने लगा है कि शोर्ट नोटिसेज और काल अटेंशन नोटिसेज इन दोनों के बजाय अगर किसी सवाल को उठाना है तो एडजोर्नमेंट मोशन ही सबसे उत्तम तरीका है अपने मामले को उठाने का और सरकार से कुछ न कुछ जवाब लेने का। उदाहरण के रूप में निवेदन करूं कि लेवी के मामले में एडजोर्नमेंट मोशन दिया है राजस्थान भर के बारे में कि अनेक जिलों में कितनी ज्यादतियां हो रही हैं। इसके सम्बन्ध में मैंने उसका विवरण भी दिया है और, अध्यक्ष महोदय, वह एडजोर्नमेंट मोशन दस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। आज १२ तारीख है लेकिन उस एडजोर्नमेंट मोशन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब ही यह है कि हाउस को एडजोर्न करके उस विषय पर चर्चा की जाय अब हाउस एडजोर्न नहीं हो तो गवर्नमेंट का उस पर स्टेटमेंट हो। अब जो सारे राजस्थान के बारे में एडजोर्नमेंट मोशन था उसको तो छोड़ दिया गया और एक जिले का काल अटेंशन मोशन ले लिया गया....

श्री पी० के० चौधरी : मेरा प्रस्ताव भी इसी बारे में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपके मोशन पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर १४ तारीख को स्टेटमेंट देने के लिए रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आपने उस पर तो १४ तारीख रखी है और जो काल अटेंशन नोटिस है जो एक डिस्ट्रिक्ट के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मामले में है उसको तो प्रायोरिटी दे दी गई और जो सारे राजस्थान के लिए एडजोर्नमेंट मोशन था उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई....

श्री अध्यक्ष : आपका आशय मैं समझ गया हूं। उस प्रश्न पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए यह पोइन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आशय बिल्कुल नहीं है कि किसको प्रायोरिटी मिले और किसको नहीं मिले। मैटर कौन सा इम्पोर्टेंट हैं किसका कब स्टेटमेंट होना चाहिए, इन सारी चीजों को ठीक ढंग से जब तक कोआर्डीनेट नहीं करेंगे तब तक यह मामला सुलझने वाला नहीं है। आज आपने लेवी के मामले का जो एक डिस्ट्रिक्ट का काल अटेंशन मोशन है उसको ले लिया और उस पर डिस्कशन हो गया और चार दिन बाद जब एडजोर्नमेंट मोशन लेंगे तो फिर उसका क्या महत्व रह जायेगा। फिर चार दिन बाद उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसे मैं आज ही देखूंगा। किस तरह से कोआर्डीनेशन हो सकता है और लेवी के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है और जयपुर जिले में लेवी के प्रश्न पर जो काल अटेंशन नोटिस दिया है जिसे आज लिया जा रहा है। उसके बारे में भी देखूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : मैं इस सारे प्रश्न को...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोइन्ट इसमें एक ही है कि लेवी की वसूली में जो ..

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो हरैशमेंट हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : हरैशमेंट भी इसमें शामिल है राजस्थान के मामले में।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, तब मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। आप किसी भी प्रकार से यहां से कोटा जिलाधीश को यह आदेश दिला दें कि जब तक लेवी पर यहां डिबेट नहीं हो जाय और इस तरह की कार्यवाही के लिए मंत्री महोदय जब तक आदेश नहीं दे दें तब तक लेवी की वसूली को स्थगित रखें। पुलिस के जो जुल्म और ज्यादतियां इन इलाकों के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !

श्री लालूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा।

श्री केसरीसिंह हाडा : मैंने ५ तारीख को टू हावर डिस्कशन का नोटिस दिया था।

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री केसरीसिंह हाडा : हम तो रह गए और बाद वाले.....

श्री अध्यक्ष : इस तरह आपस में मत लड़िये। आप सब विद्वान हैं, आप समझ सकते हैं। आप मुझ से इसे खानगी में कह देते लेकिन इस तरह से लड़ना कि यह दूसरों को पहले ले लिया और मुझे नहीं लिया, यह ठीक मालूम नहीं होता। बिराजिये आप।

श्री केसरीसिंह हाडा : खानगी का मुझे मालूम नहीं था कि खानगी कहां है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं मालूम देता कि दूसरे माननीय सदस्यों को प्राथमिकता दे दी और मुझे नहीं दी। मैं तो समान स्तर पर सभी सदस्यों को देखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उसमें कौनसी तारीख की साहब ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य...

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही लिया है।

ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत, जयपुर जिले में काश्तकारों से लेवी की वसूली सम्बन्धी मामले पर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लेवी के सिलसिले में सरकार ने जो आर्डर इश्यू किया है उसके बाद जयपुर जिले में जो भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि नियमानुसार लेवी की वसूली नहीं हो रही है बल्कि एक प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है लोगों पर। यानि जिन लोगों के पास अनाज नहीं हैं सरकार को देने के लिये उनको मजबूर किया जा रहा है। गजट नोटिफिकेशन १२ मई को इश्यू हुआ है और जिन्होंने १२ मई से पहले स्टाक बेच दिया उनसे नकद रुपया लिया जा रहा है। यह डिफरेन्स के नाम से लिया जा रहा है। गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं और बाजार के जो भाव हैं वह उनसे लिया जा रहा है। लेकिन तहसीलदार बाजार में गेहूं किस भाव पर खरीदता है, यह तो भगवान जाने। लेकिन, अध्यक्ष महोदय उनको आपके जो प्रोफार्मा दिये हुये है नं० ४ के वे उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। उनको पक्की रसीद नहीं दी जाती है। उसका भी नमूना मेरे पास मौजूद है। उसमें यही लिखा था कि सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ क्विन्टल गेहूं खरीद लिया गया, उसकी कच्ची रसीद है। मेरे पास उसका एक नमूना भी है। यानि वे पक्की रसीद नहीं देते क्योंकि उनके पास अब अनाज ही नहीं। ४० परसेन्ट के डिफरेन्स से उनसे ले रहे हैं। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, लेवी के आर्डर आने के बाद सरकार ने इसमें जो

(श्री प० के० चौधरी)

व्यवस्था रखी है अर्थात् उसमें जो प्रोविजन लेवी का है कि—

'Collector or any other officer not below the rank of Tehsildar empowered by the Collector in this behalf may reduce the levy due from the producer in cases of failure of crops, drought, damage by insects or by any other cause...'

(१२.१२ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो उससे काफी लोग अफेक्टेड हुये यानि जिनके पास गेहूं नहीं हैं उन्होंने देने से इन्कार नहीं किया लेकिन दरअसल बात यह नहीं है। जनता की किसी की सुनवाई नहीं हुई। जो पैसे वाले लोग थे उनकी तो सुनवाई हो गई, क्योंकि वे उनको जीप में बैठा कर ले जा सकते हैं। बाकी लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब आप कहते हैं कि पटवारी ने जो लिख दिया है उस पर कुछ नहीं हो सकता है। पटवारी की रिपोर्ट को हम चेलेन्ज करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। पटवारी ने जो रकबा गवर्नमेंट को दिया उसके अनुसार उसको लागू कर दिया। आप कहते कि रकबा जमीन के हिसाब से लिया जाता है उससे यह नहीं मालूम पड़ता है कि गेहूं का हुआ या जौ का हुआ। कुछ जगह जैसे गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में ऐसा भी केस हुआ है जहां काश्त ही नहीं की गई है और जमीन पड़त है जिसमें गेहूं की खेती नहीं की गई है। १५ बीघा के गेहूं में बाजरा बोया गया है। रकबा का असेस का सवाल आया है तो माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जो एस० डी० ओ० के पास दरख्वास्तें दी गई हैं उनकी जांच करें। फील्ड इन्सपेक्टर से कहें कि वह फील्ड पर जाकर जमीन का इन्सपेक्शन करें। घर बैठे रिपोर्ट न करें। जमीन चाहे गेहूं की हो और चाहे चने की हो और चाहे पड़त हो। उनकी जमीन के अनुसार लेवी असेस की गई है। किसी पर १९ क्विन्टल, किसी पर २० क्विन्टल जिस प्रकार असेस किया है उसी प्रकार लगा दी गई है। यह नहीं करेंगे कि किसी का कितना डेमेज हुआ है। डेमेज के लिये उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन लोगों की सुनवाई अवश्य हुई है जो उनको जीप में बैठाकर ले जा सकते हैं और उन्होंने वहीं बैठकर फैसला किया है। यह सही है तो माननीय खाद्य मंत्री महोदय जिन लोगों की बात आप मानते हैं उनके फैसले चाहे आप घर पर बैठे दें या कहीं भी दें उनके माफिक फैसले दे दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहें तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूं। जो व्यक्ति इस हैसियत से जिनके अन्दर सैक्रेटेरियेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सैक्रेटरी रहे हैं उस व्यक्ति ने गेहूं की काश्त की उस पर ५ क्विन्टल लेवी लगाई गई और एक व्यक्ति ने ३५ एकड़ में काश्त की उनसे ३ क्विन्टल लेवी ली गई। उसमें ३३ एकड़ गेहूं का हिसाब लगाया गया है। दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी के

(श्री पी० के० चौधरी)

पास एक डेपुटेशन मिलने गया था उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि गेहूँ बाजार में खरीद कर लेवी नहीं देनी पड़ेगी। एक डेपुटेशन खाद्य मंत्री महोदय से भी मिला था घर पर उन्होंने कहा था कि गेहूं नहीं है तो बाजार से गेहूँ खरीदकर देने की जरूरत नहीं है। आज लोगों को मजबूर किया जा रहा है और जिस प्रकार से उनको मजबूर किया जा रहा है वह सरासर अन्याय है। जयपुर जिले में लेवी का जो इमीजियेट प्रभाव है उसको हटाया जाय। माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जिनके पास गेहूं नहीं होगा तो उनको बाजार से लाकर नहीं देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वह उनका पालन नहीं कर रही है। लोगों को जेलों में जाने की धमकी देते हैं। जो काश्तकार उनको जीप में बैठाकर ले जा सकते है उनको वे तंग नहीं करते हैं। जो गरीब काश्तकार हैं उनको पटवारी परेशान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक काश्तकार का इन्सीडेन्ट बता सकता हूँ जो बहुत गरीब है और जिसको घर से ले जाकर पुलिस ने पीटा है। लेवी पहुंचाने के सिलसिले में जब एक लड़के के साथ मारपीट कराई। मेरे यहां तो की ही है आमेर तहसील की बात बता रहा हूँ कि पहले पिटाई की और उस पर ५० रु० जुर्माना किया और जो उसकी मदद करने के लिये आये उनके ऊपर १०-१० रु० जुर्माना किया। इस प्रकार जो इसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट है उसकी जो धारा है और उसमें जो पावर्स दिये गये हैं उसका नाजायज तरीके से अर्थात एक प्रकार से नादिरशाही कर रहे हैं। आमेर सब डिवीजन जयपुर सब डिवीजन, सामोद सब डिवीजन इन सब में इस प्रकार से नादिरशाही चला रहे हैं। उनके साथ मारपीट की और कहा कि अगर तुम्हारे घर पर गेहूँ नहीं है तो बाजार से लाकर दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसके लिये इमीजियेट आर्डर इश्यू करें इन जिलों में लेवी की वसूली को रोकने के लिये और आज इसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के तहत २००, २०८-तीन तीन सौ दरख्वास्तें आई हैं। उसकी जांच करने के लिये आप उन्हें बुलाकर पूछ लीजिये। आपने फील्ड पर जाकर कभी भी जांच नहीं की है। एक काश्तकार की जमीन के बारे में भी आपने कभी फील्ड पर जाकर जांच नहीं की। किसी की भी जांच नहीं की है और फैसला दे दिया है बिना मौका देखकर ही। एक भी जमीन पर जाकर आपने जांच नही की है। घर बैठकर ही फैसला दे दिया है। आपके पटवारी भी कभी फील्ड पर जाकर नहीं देखते हैं और वे जो कुछ लिख देते हैं उसी के आधार पर आप लेवी वसूल कर रहे हैं। जहां ५ बीघा काश्त हुई है वहां २ बीघा लिख देते हैं, जहां २ बीघा काश्त हुई है वहां १५ बीघा लिख देते हैं और आज १३५ रु० क्विंटल गेहूं के हिसाब से बाजार से लाकर गेहूं देने को आप मजबूर कर रहे है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा दूसरी बात जो आर्डर गरीब काश्तकारों के लिये है, वह अगर किसी सेठ पर

(श्री पी० के० चौधरी)

होता तो हाई कोर्ट से स्टे ले आता और आपकी सारी की सारी कार्यवाही गलत हो जाती । इसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट का जो प्रावधान है उसके अन्दर जिसके पास स्टाक है तो उस स्टाक में से आप लेवी ले सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका यह आर्डर १२ मई को पब्लिश हुआ और १२ मई को उसका डिसपोजल हुआ, स्टाक खतम हो गया । आपके इसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट में कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत आप एक्शन ले सकते हो । एक्ट में साफ है । एक्ट में आपकी जो धारा दी है सेक्शन ३ में वह यह है :—

"For requiring any person holding in stock any essential commodity to sell the whole or a specified part of the stock to the Central Government or a State Government or to an officer or an agent of such Government or to such other person or class of persons and in such circumstances as may be specified in the order........'

लेकिन जिसके पास १२ मई को स्टाक नहीं था, जिन्होंने १२ मई के पहले ही स्टाक डिसपोज आफ कर दिया, आज इस बात को मान भी लें कि उनकी लेवी होल्डिंग २ एकड़ से ज्यादा की होल्डिंग थी लेकिन १२ मई को उनके पास स्टाक नहीं था तो आप अपने आर्डर से लेवी वसूल नहीं कर सकते । एक तो लीगल बात यह आती है कि १२ मई से जिन्होंने स्टाक डिस्पोज आफ किया है चाहे जो लेवी है वह लेवी आप आज उससे वसूल नहीं कर सकते हैं । क्योंकि वह गरीब काश्तकार है और हाई कोर्ट में नहीं जा सकता । किसी बनिये या सेठ के पल्ले पड़े होते तो हाई कोर्ट से वह स्टे लाता । इस बारे में सरकार का जितना भी एक्शन हुआ है वह सारा गलत है ।

जो आपका आर्डर है उसमें पेनल्टी का प्रोवीजन नहीं रखा है । पेनल्टी आप एसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के तहत लगायेंगे । उसमें सेक्शन ७ में पेनल्टी दी है कि सेक्शन ३ में स्टाक होल्ड करता हो । स्टाक मौजूद हो और उस स्टाक को आपके आर्डर के खिलाफ डिसपोज आफ करता है तो आप एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते है । लेकिन वह आप कर रहे हैं गरीब काश्तकारों के साथ जो कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है तो वह बिल्कुल सरकार का गलत एक्शन है । आपका जो एक्ट है वह बिल्कुल गलत है ।

दूसरा यह बेसिस होता है, सेल्स टेक्स कैसे होता है, इन्कम टैक्स कैसे होता है । इन्कम टैक्स एसेस होता है तो उसका बेसिस क्या है ? उसके लिए बनिया रिटर्न देता है, इन्कम टैक्स एसेसी रिटर्न देता है उसके बेसिस पर वे करते हैं कि कितना देना है और कितना नहीं देना चाहिये । एसेसमेंट में कोई चेन्ज करना हो, उसके एसेसमेंट में कोई परिवर्तन करना हो तो उसको हियरिंग की अपोर्चुनिटी दी जाती है

(श्री पी० के० चौधरी)

लेकिन काश्तकारों के लिये इस बात का कोई प्रोवीजन नहीं है उसके लिये तो पटवारी ने जो कुछ लिख दिया है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है । कानून में आपने प्रोवीजन रखा है । आपका जो गजट नोटिफिकेशन है वह डिफेक्टिव है । आपने कहा है कि 'प्रोवाइडेड' आपने क्लाज ३ में कहा है :—

'Provided that the Collector or any other Officer not below the rank of the Tehsildar empowered by the Collector in this behalf may reduce the levy due from a producer in cases of failure of the crops, drought, damage by insects or by any other cause beyond the control of the producer.'

यह आपने कहां कहा है कि पटवारी ने गलत दर्ज कर दिया है, रकबा ज्यादा लिख दिया है या कम लिख दिया है तो आपने कलेक्टर या और किसी को कहां पर एम्पावर किया है ? आप लेजिस्लेशन लाते हैं तो यह बात कहां है कि रकबा पटवारी ने गलत लिखा है तो आर्डर में उसका प्रोवीजन किया है । आपका आर्डर तो फेल्योर आफ क्राप्स का है, डेमेज का है, इन्सेक्ट्स खा गये हैं उसका है । यह कहां पर प्रोवाइड किया गया है कि पटवारी ने रकबा ज्यादा लिखा है तो उसको एमेंड करने के लिए आपने कहां पर एम्पावर किया है कलेक्टर को ? यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है । उपाध्यक्ष महोदय, सारा का सारा आर्डर इल्लीगल है और मनमाना है ।

मैं निवेदन करूंगा कि जब तक इसकी जांच नहीं कर लें तब तक इसको पोस्टपोन किया जाय, और जो बातें मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इन तीन सब-डिविजनों में कम से कम जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं उनकी एक एक एप्लीकेशन की जांच करके फैसला किया जाय । किस एप्लीकेशन पर एस. डी. एम. ने मौके पर जाकर जांच की है ? तहसीलदार एन्फोर्समेन्ट तहसीलदार है तो बहुत सी जगह तो एस. डी. ओज. ने इन पावर्स को तहसीलदारों को नहीं दिया है । रिड्यूस करने के पावर खुद के पास रख ली है । तहसीलदार मौके पर जाकर देखें । इस बात को लाइटली मत लें । आपके आफिसर जो हैं, आपके कलेक्टर और तहसीलदार का मैकेनिकल एप्रोच है । आपका एक मैकेनिकल एप्रोच है आपका नेचुरल एप्रोच होना चाहिए । आपका कलेक्टर और तहसीलदार टाइम दे देते हैं और मौके पर नहीं जाते है । कोई कहता है तो कहते है कि जीप लाओ, हम ट्रेक्टर में नहीं जाते हैं । पटवारी को बुलाओ । पटवारी को बुलाने जाते है तो वह कहता है एस. डी. ओ. का लिखित आर्डर लाओ । वह आयेगा तो जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा । हमने इसके बारे में मन्त्रीजी से कहा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से, हाइएस्ट आथोरिटी आफ दी स्टेट से कहा है । उनके पास जाने के बाद भी यह हालत है ?

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम, शेम)

यह डेमोक्रेसी का मखौल है। डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि हम गांवों में जाकर बगावत करें। हम काश्तकारों से कहेंगे कि आप लेवी मत दो और जेलों में जाओ। (विपक्ष से हियर, हियर) आप नहीं सुनते हैं। कान बन्द कर लेते हैं और फाइल में लिख देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह पी.सी.सी. के सेक्रेटरी बोल रहे हैं।

श्री पी. के चौधरी : मैं कहूंगा कि इस तरह का एक्शन लिया गया है वह मनमाना स्टेप लिया गया है। आपका जयपुर का कलेक्टर तो हियरिंग में बैठा हुआ है। उसको तो हियरिंग से ही फुरसत नहीं है। जयपुर इतना बड़ा जिला है और कलेक्टर है सुपर टाइम। जयपुर को सुपर टाइम जिला बनाया गया है और यहां पर सुपरएनुएशन के लोगों को रखते हैं। उसमें यंग आदमी चाहिए। वी वान्ट इनर्जेटिक पीपल। सुपर टाइम के आदमी को वहां पर लगा दिया है। सुपरएनुएशन का आदमी रखते हैं जिसमें कि एनर्जी नहीं है। आप एक्शन लें। इस बात के साथ में आपका काल अटेन्शन मोशन रखता हूं।

श्री अमीलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं और आपको जानकारी के लिए कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

माननीय सदस्य ने जिस भावना से अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं पूर्ण सहमत हूं। यह लेवी का क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल एक जयपुर जिले के लिए ही नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट का नोटिस अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में दिया है कि कोटा में भी लेवी लेने के लिए सरकार अग्रसर हो रही है। थोड़ी बहुत जानकारी जयपुर जिले की मुझे मिली है इस लेवी के सम्बन्ध में। मेरे खयाल में यह एक अदूरदर्शिता, क्रूरता और अत्याचार की पराकाष्ठा है कि जुलाई के महीने में सरकार लेवी ले रही है। अगर लेवी मौ लें तो गेहूं पक जाय और खलिहानों में आ जाय होली के पश्चात् अप्रेल या मई में लेवी हो सकती है। आज जब नई खेती का आयोजन लोग कर रहे हैं, खेतों के अन्दर व्यस्त हैं उस वक्त लेवी लेना मेरे खयाल से अत्याचार की पराकाष्ठा है। बारबार इस सदन में यह चर्चा की गई कि आपकी जानकारी प्राप्त करने के तथ्य हैं वे बिल्कुल गलत और तथ्यहीन हैं आपकी गिरदावरी गलत है और जो कुछ भी जानकारी है वह भी गलत है। माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं। मुझे इस बात का इस हद तक इल्म है कि लोगों के घरों के अन्दर पटवारी और छोटे-मोटे कर्मचारियों ने घुसकर कहा है कि यह लेवी तुम अगर नहीं देते हो, तुम्हारे घरों के अन्दर नाज नहीं है तो बाहर से खरीद कर लाकर दो। मेरे खयाल से सरकार के लिए यह बिल्कुल

Page No. 115

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ही अशोभनीय है कि इस तरह की व्यवस्था जुलाई के महीने के अन्दर राजस्थान में जयपुर जैसे में तो क्या राजस्थान में किसी भी जगह लेवी वसूल करें।

इस सदन की कुछ दिनों से कार्यवाही देखकर मुझे यह आशंका हो रही है कि मानों हमारा जनतन्त्र ठप्प सा हो रहा है। एक तरफ सरकार बहरी, गूंगी, मदान्ध हो कर बैठी हुई है और मर्जी के अनुसार कर रही है चाहे विरोधी पक्ष से कुछ भी कहा जाय, चाहे कुछ भी सत्य हो या तथ्य हो। अभी नसीराबाद के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने वहां की खाद्य समस्या के सम्बन्ध में कहा। मंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं कि उनको जानकारी प्राप्त नहीं है इतने स्थगन-प्रस्ताव, इतने काल अटेंशन नोटिस आते हैं उन पर एक चुप्पी की सी व्यवस्था यह ढिलाई की पराकाष्ठा है जैसे क सरकार बहरी हो किसी किस्म की जनतन्त्र की व्यवस्था के अन्दर रेस्पोन्सबिलेटी तो होना चाहिए, बिल्कुल कोई रेस्पान्सिबिलेस नहीं है, कोई उत्तर देने की चेष्टा नहीं है, और उसके ऊपर यह लेवी की जो कुछ व्यवस्था की है उसका प्रकार विरोध हम मानते तो मेरी तो भावना इतना उग्र है कि अगर अत्याचार को कोई सहन करता है, और आज के समय जब में इनें दाने के लिए भिखारी हैं तो अत्याचार सहन केवल है वान ही कर सकता है, इन्सान नहीं कर सकता है।

मैं वैसे अत्यन्त उग्र होकर और कई बातें अन्ट-शन्ट कहने का आदी नहीं हूँ किन्तु अगर यह लेवी की व्यवस्था और गरीब किसानों को इस तरह से परेशान और कर्मचारीगणों का अत्याचार अगर जनता के ऊपर रहा तो मेरे ख्याल में यह लास्ट स्ट्रा देट ब्रेक्स दो केमल्स नेक है, हमारी सहनशीलता को बिल्कुल पराकाष्ठा हो जायेगी और कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे जैसा व्यक्ति भी इस अत्याचार को नहीं सहन करके आन्दोलन के ऊपर तुल जाय (करतल ध्वनि) आपका क्या राज्य है ? आप समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं ? मेरे ख्याल में आप भ्रष्ट अधिनायकवाद और अत्याचार की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आप कृपा करके, अगर मेरी आवाज आपके बहरे कानों पर पहुँचती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार, बहरी सरकार को आपके द्वारा निवेदन करूं कि लेवी की व्यवस्था को आप बन्द करें, शीघ्रातिशीघ्र बन्द करें....

श्री विजयसिंह : बन्द करो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और भविष्य में अगर आप लेवी लें, इस लेवी को अगर लें तो फिर वसूल करने को व्यवस्था न करें।। लेवी का कोई वातावरण राजस्थान के अन्दर किसी जगह भी नहीं है। लेवी के आदेश को आप स्थगित न करें, आप जो लेवी लेने की व्यवस्था है उसको बन्द करें। और शीघ्रातिशीघ्र बन्द करें। यह मेरी मांग है।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लादूराम सुलानिया।

Page No. 116

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप बहुत थोड़े में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलानिया : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने लेवी के प्रति ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। इस विषय में आपके द्वारा मैं भी दो शब्द कहता हूँ। आज लेवी की समस्या ऐसी है कि गाँवों की जो हालत है, लेवी वसूल करने के अन्दर उसके प्रति जो अनियमितता बरती जाती है वह बहुत ही दर्दनाक है और शोचनीय है। जैसे हमारे नेता महोदय ने आपके सामने अभी-अभी बताया, इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है गांवों में कि उनको नोटिस जो दिये गये हैं वह सही टाइम पर नोटिस नहीं दिये गये हैं और नोटिस में कोई विवरण नहीं लिखा गया। इस प्रकार की अनियमितायें हैं कि उनको आज नोटिस दिया गया, कल लेवी ले ली। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जुलाई को २९ तारीख तक नोटिस दिये और ३० को लेवी लेना चाहते हैं और एक तारीख पर उनके खिलाफ मुकदमें....

श्री उपाध्यक्ष : जुलाई २९ तो अब आने वाली है।

कई माननीय सदस्य जून ! जून !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जून २९।

श्री लादूराम सुलानिया : जून २९। एक दिन पहले नोटिस दें और चौबीस घण्टे बाद लेवी वसूल करना चाहें। तो २४ घण्टे में देने को लेवी उनके घर पर पड़ी है ? वह तो खेतों में पड़ी हुई है। इस प्रकार की अनियमितता बरतने के बाद में लेवी वसूल करना चाहते हैं। उनके गेहूँ की उपज नहीं हुई, खेतों में गोजरा बोया है, उसमें गेहूँ के तिनके होते हैं लेकिन नोटिस में गेहूँ लिखा है। लोगों ने लेजाकर एस० डी० ओ० को बताया कि यह हमारे खेत में पैदा हुआ है, इसको गेहूँ कैसे मानते हैं। सांभर के एस० डी० ओ० ने कलेक्टर जयपुर के यहां यह समस्या रखी, यह कैसा रूप है, और कितना गेहूँ होने पर गेहूँ माना जाय। वहां से गवर्नमेंट को रेफर कर दिया कि वह निर्धारित करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन किसानों के खेतों में गोजरा भी नहीं, कुछ मामूली दो-तीन क्विन्टल गेहूँ है, उनके लिए भी गेहूँ लिखकर मनमाने ढंग से लेवी लिखकर पेश की है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उनके होने का मूल कारण है कि लोगों से मनमाने ढंग से लेवी वसूल करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री को यह बताऊं कि यही नहीं, प्रधान एम० एल० ए०, अभी माननीय सदस्य ने सरपंच का नाम लिया था....

श्री उपाध्यक्ष उन्होंने लिया उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया, आपके मन में ऐसी तकलीफें हैं, उनको बता दें। जो माननीय चौधरी ने कहा है वह न बतायें।

श्री लादूराम सुलानिया : वही बता दूं। सरपंच तक....

Page No. 117

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार नाम लेते हैं। वैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में चर्चा करने का अधिकार नहीं है लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए सदन की तरफ से तीन-चार माननीय सदस्य कह दें अलग-अलग क्षेत्रों में कैसी तकलीफें हैं, ताकि मंत्री महोदय को सही स्थिति मालूम हो जाय।

श्री लालूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप मे अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि तारीख को लास्ट डेट थी, एक तारीख को तहसीलदार ने मुकदमें बना कर पेश कर दिये। वह इसलिए कि उनके प्रति उनकी सद्भावना नहीं थी। वह मौका देख रहे थे कि लेवी के मौके पर जो व्यक्तिगत विद्वेष हैं उनको निकालें। ऐसे आफिसर ऐसे विचार रखते हुए लोगों के साथ जुल्म और अन्याय करते हैं। मैं सदन को आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय से भी कि इस प्रकार की घटनायें घटी हैं उन पर बहुत ज्यादा विचार करके लेवी वसूल न की जाय, लेवी को बन्द कीजिये और जिन लोगों से वसूल की है उनको वापिस लौटाई जाय। दूसरी बात यह है कि लेवी वसूली में जितनी लेवी वसूली नहीं हुई उससे ज्यादा खर्चा कर्मचारियों का असेस हुआ है। ऐसी स्थिति में लेवी को मनमाने ढंग से एक जरिया पूरा करने के लिए लगा कर लोगों को हरेस किया है, मैं इसका विरोध करता हूं, और इसको बन्द किया जाय और जिनसे वसूल की है उनको मय ब्याज़ी के वापिस लौटाई जाय।

श्री कुम्भारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस लेवी के बारे में सिर्फ एक पाइन्ट मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इन्होंने इरिगेटेड एरिया में लेवी ली है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप इरिगेटेड एरिया किसको मानते हैं, क्योंकि इरिगेशन के लिए कम से कम चार पांच पानी की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट की स्कीम है कोटा जिले में, कालीसिंध और परबन से इरिगेशन होता है। गवर्नमेंट रिकार्ड से यह साबित है कि उन स्कीम्स से दो एक पानी से ज्यादा पानी नहीं दिया गया है और सिंचित मानकर गवर्नमेंट ने गेहूं की फसल प्रत्येक पर लेवी लगाई है। यह बात साधारण से साधारण किसान बता देगा कि गेहूं के लिए कम से कम चार पानी की आवश्यकता है। ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट की जो स्कीम हैं उनसे दो एक पानी दिये गये हैं और उनसे स्पेसिफाइड स्केल पर लेवी ले रहे हैं। यह सरासर गलत है।

दूसरी बात यह है कि प्राइवेट वैल्स हैं उनमें बरसात की कमी के कारण कइयों में पानी का लेवल नीचे चला गया था और सामान्य तौर पर चार पांच पानी उनसे दिया जाता था, उसके बजाय अब के काश्तकार अपने कुओं से मुश्किल से दो तीन पानी पानी की कमी के कारण दे पाये हैं। इसलिए प्राइवेट वैल्स से भी जिन्होंने गेहूं पैदा किया है उनसे लेवी नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि वह पूरी पिलाई नहीं दे सके हैं।

दूसरी बात यह है कि जैसा मुलानिया जी ने कहा कि श्री पटवारी का रिकार्ड है उसमें राइट तौर से इन्द्राज नहीं हैं, जिन

Page No. 118

(श्री जुझारसिंह)

लोगों ने खेतों में जौ और चने किये हैं उनको भी गेहूं लिख दिया गया है और जिसने छः बीघा में गेहूं किया है, उसका तीस बीघा कर दिया गया है, बीस बीघा कर दिया गया है। इस प्रकार से अनियमिततायें लेवी में शामिल करके लेवी लेना चाहते हैं। दो साल हो गये हैं, काश्तकारों के पास में पैदावार नहीं हुई है, लेकिन कम से कम जो बात आपके ध्यान में है, जो पानी देने में दिक्कत है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से दो एक पानी केवल दिये हैं, उनसे किसी हालत में लेवी नहीं ली जानी चाहिए।

मैं एक और निवेदन कर दूं कि यह स्कीम है कालीसिंध और परवन की। इस स्कीम से झालावाड़ के एरिया को और कोटा के एरिया को इरिगेट करते हैं। झालावाड़ का एरिया तो अकालग्रस्त घोषित किया गया है, फिर भी जितना पानी उस स्कीम का झालावाड़ को दिया गया है उतना ही पानी कोटा जीले को भी मिला है। झालावाड़ का एरिया तो अकालग्रस्त घोषित है इसलिए वहां से लेवी नहीं ली जा रही है और कोटा एरिया से लेवी ले रहे हैं। एक स्कीम से जितने एरिया में पानी मिला है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट में तो सिंचित नहीं मानी है और उससे लेवी नहीं ली है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर लेवी लेने लग जायें। यह सरासर अन्याय है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और जहां पूरा पानी सप्लाई नहीं हुआ है वहां एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे और जो वाजिब बात है उसके अनुसार लेवी लेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहदेव।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉल अटेंशन नोटिस रखा है मैं उनसे इस मामले में सहमत हूं। मैं प्रथम तो यह कहूं, मैं लेवी का पूर्णतया विरोध करता हूं। लेवी राज्य सरकार ने यदि लगाई है ..

श्री उपाध्यक्ष : इसके मूल आधार पर जाने की आवश्यकता अभी नहीं है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर एक बहुत सीमित दायरे में चर्चा हो सकती है।

श्री सहदेव शर्मा : सीमित में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था इसलिए दी कि जिन माननीय सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने का काम पड़ता है, वास्तव में वहां स्थिति क्या है उसके बारे में तकलीफ हों उनको वह कह सकें। इसलिए यह सुविधा दी गई है।

श्री सहदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गस्त गिरदावरी जिस टाइम पर बनाई गई उस टाइम पर न पटवारी को आभास था कि लेवी लगाई जायेगी, न जनता को आभास था कि लेवी लगाई जायेगी। इस तरह मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि रांग एन्ट्रीज हुई हैं, घर के घर बैठे हुए एन्ट्रीज हुई हैं। पटवारी ने घर के घर बैठे एन्ट्रीज

(श्री सहदेव शर्मा)

की हैं, यह मैं कह सकता हूं। इसके अलावा एस. डी. ओ. जो दम भरते हैं कि हमने चैक किया है तो उन्होंने भी चैक नहीं किया है। यदि गस्त गिरदावरी को सही करने के लिए कहा जाता है तो वह तैयार नहीं है क्योंकि वह दोषी घोषित होता है। इसके साथ ही गस्त गिरदावरी का टाइम आता है, उसके बाद एस० डी० ओ० के द्वारा रीचेकिंग का टाइम आता है, उसको रीचेकिंग करना चाहिये। लेकिन वह नहीं मानता है क्योंकि उस पर दोष आता है। इसलिये मेरा निवेदन है खाद्य मंत्री जी से कि गस्त गिरदावरी के जो आंकड़े हैं उनको आप ठीक करवाइये फिर लेवी वसूल कीजिये। आप लेवी वसूल करना चाहते हैं तो जो सरकार की नीति है वैसे ही वसूल कीजिये, तरीके से वसूल कीजिये। जिस प्रकार से लेवी वसूल करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आजाद होने के बाद बीस वर्षों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। आपके अधिकारी इस मामले में बर्बरता कर रहे हैं। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सांभर डिवीजन के बारे में बताया, मैं आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट के आमेर जिले के सिरसी गांव के बारे में बताता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : सिरसी का फरमा दिया है। अपने क्षेत्र के बारे में बताइये, जहां कहीं आप गये हैं।

श्री सहदेव शर्मा : मैं आमेर के बारे में बता रहा हूं। सिरसी क्षेत्र आमेर में है।

श्री उपाध्यक्ष : सिरसी के बारे में कह दिया है।

श्री सहदेव शर्मा : वहां एस० डी० ओ० साहब २६ तारीख को शाम को जाते हैं और वहां सरपंच को बुलाया जाता है क्योंकि पटवारी ने कह दिया था कि सरपंच के कारण वसूली नहीं हो रही है। एस० डी० ओ० ने बेहूदा शब्द यूज किये, वह शब्द मैं नहीं कहूँगा, असंसदीय शब्द हैं, असंसदीय होते हुए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस सरपंच के माध्यम से आप पचायत राज को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, उसको यह कहा गया—जेल में बन्द कर दिया जायगा। सरपच तुझे जेल में बन्द कर दिया जायगा और जनता के बीच में बैठाकर जूते लगाये जायेंगे यह आप सरपंचों की इज्जत करते हैं। उसके आगे मैं बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय एक गांव में जाते हैं एस० डी० ओ०, वहां जाकर एक मकान पर जाते हैं। मकान पर कोई नहीं मिलता है तो दूसरे मकान पर जाकर उस बूढ़े किसान की मां मिली, उससे कहते हैं—कहां है वह ? वह खेत में होता है तो खेत में जाकर उसको बुलाया जाता है। गांव में वापस उसको लाया गया और गांव में बैठाकर उस किसान को जूते दिये गये। यह आपके अधिकारियों का तरीका है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आपकी सरकार है।

श्री सहदेव शर्मा : पुलिस द्वारा इतने अन्याय किये जाते हैं और घरों में से लोगों को बुलाकर जूते लगाते हैं, आप जागीरदारों का कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप

(श्री सहदेव शर्मा)

बताइये, आपकी पुलिस लोगों के जूते लगाती है। एक किसान को गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी नहीं थी तो कहा गया कि इसकी पगड़ी से बांध कर ले चलो और उसको जीप में बैठाकर ले जाया गया। सरपंच साहब ने कहा कि आप बेहूदा शब्दों को यूज मत कीजिये, आप इलाके में आयें और देखें कि लेवी की वसूली में सहायक बन रहा हूं या बाधक बन रहा हूं। उसके बाद खाद्य मन्त्री जी आपके एस० डी० ओ० साहब सरपंच के पास गये और कहा कि सरपंच साहब आप मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है। वह सरपंच क्या माफ करेगा, उसकी गांव में बेइज्जती की गयी। खाद्य मन्त्री जी आप इसकी जांच कीजिये कि किस तरह प्रशासन चले, इस तरह प्रशासन चल नहीं सकता, चला तो आपका राज आपको खा जायगा। प्रशासन चलाना है तो एस० डी० ओ० को पूछिये, आप इसकी जांच कीजिये, मन्त्री महोदय में जांच में आपको पूर्ण सहयोग दूंगा। लेवी वसूली कीजिये, लेवी वसूली होगी तो सही तरीके से होगी। सिवार गांव आमेर तहसील में आता है, २२ बीघा कच्ची जमीन पर लेवी लगाई २२ बीघा पक्की की। ११० मन कुल गेहूं हुआ और ४५ क्विटल लेवी लगाई। कलेक्टर को कह कर जांच करवाई गई बाद में तहसीलदार ने माना पर एस० डी० ओ० कहते हैं कि जांच को अपने शीशे में लगाकर देखो, ४५ क्विटल लेवी तुमको देनी पड़ेगी।

इस तरह के उदाहरण में आपको ज्यादा नहीं देना चाहता। लेवी वसूल कीजिये, आपकी सरकार की नीति है, आप चाहें जैसे करें पर इसके साथ ही साथ कहता हूं कि लेवी प्रमाणकारी और सही तरीके से वसूल कीजिये ताकि आपका प्रशासन चलता रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बरसात होने के बाद मौसम का हाल क्या है, उसमें आप कहते हैं कि किसान सेन्टर्स पर ले जा कर लेवी रखें, आपने कोई ट्रान्स-पोर्टेशन चार्जेज किसानों को नहीं दिये हैं। खाद्य पर बहस हुई थी तो कहा था कि यू० पी० से ज्यादा सुविधा यहां दे रहे हैं। पर यू० पी० में ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज दिये जाते हैं और यहां बेगार ली जाती है। मेरे जिले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा सीमावर्ती इलाका है, उनमें सीधे रास्ते से सेन्टर्स पर अनाज ले जायं तब तो यू० पी० में ले जाने के आरोप में पकड़ लेते हैं और चक्कर खा कर जायं तो बीस बीस मील का चक्कर खाना पड़ता है। मैंने स्वयं ने किसानों की ओर से जिलाधीश, उपजिलाधीश को कहा कि गेहूं के साथ गोजरा जो पैदा होता है पर तहसीलदार, एस० डी० ओ० कहते हैं कि हमको तो ऊपर से हुक्म है कि, इनके खेत में गेहूं के साथ जो पैदा हुआ होगा, बाजार से लाकर दें, हम तो बिलकुल निखा-लिश शुद्ध गेहूं लेंगे, जौ का छींटा नहीं होना चाहिये। एक मन गेहूं में चार सेर जौ आते हैं तो खरीद में काट देते हैं, वह भी

(श्री नत्थीसिंह)

आपके राज्य के खजाने में नहीं जाता, कहां जाता है यह तो बाद में पता चलेगा। १ मन में चार सेर जो आते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और हजम कर जाते हैं। इस तरह की दिक्कत उनके साथ हो रही है। लोगों ने कहा कि हमारे यहां गोजरा पैदा हुआ, आपने कहा कि जीप में बैठा कर ले गये, मेरे इलाके में ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके बतई गेहूं पैदा नहीं हुआ पर उनसे गेहूं लिया गया। एस० डी० ओ० तहसीलदार कहते हैं कि हमारी तो पूछ तभी होगी जब कि ज्यादा से ज्यादा गल्ला वसूल कर के दे देंगे। इस प्रकार की धारणा बन गई है, इससे ज्यादा नुकसान हुआ है इसे आप दूर नहीं करेंगे तो इस तरह ज्यादती हो रही है वह होती रहेगी। मेरे इलाके के एक गांव में प्यारेलाल को कहा कि गेहूं दो, उसने दरख्वास्त दी कि मेरे यहां गेहूं पैदा नहीं हुए जो पैदा हुए हैं, उसके खिलाफ वारन्ट निकाला उसका पुत्र मास्टर था, उसको बुला कर हवालात में इसलिये बैठा दिया गया कि तुम सरकारी नौकर हो, तुम्हारा बाप लेवी नहीं दे रहा है, तुम्हारी नौकरी छुड़ा देंगे, जो पटवारी ने लिख दिया वह लेवी लेंगे।

भरतपुर क्षेत्र में सैलाड़ी पर लेवी नहीं ली जायगी, जिसमें नहरी पानी गया है, पर डीग में तहसीलदार आज तक आपके इस आदेश को मानता नहीं है, कहता है कि हमें हुक्म है, डेहरी पर भी लेवी लेंगे। आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मौसम का यह हाल है कि हमारे यहां कोई साधन नहीं है या तो अपने सिर पर ढो कर ले जायें या कहीं से गधा लायें। गाड़ी जा नहीं सकती, आप ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज देते नहीं हैं। खाद्य मंत्रीजी के दिल में और है, वाणी पर और है मजबूरी है उनकी। मौसम का यह हाल है आप हिम्मत के साथ कहिये कि अब लेवी नहीं ली जायगी। जिनकी दरख्वास्तें हैं उनको बिना सुने दस्तूर बना लिया है अपना जिला प्रमुख मौजूद थे कलेक्टर को कहा गया कि सुनो साहब, तो कहा गया कि सुनने से बनता क्या है, लेवी लेनी है। इस प्रकार का रुख बन गया है सरकारी अधिकारियों का, यह रुख गलत है। आर्डर है, उसको सुनते नहीं है, चार्जेज आपने अदा नहीं किये हैं।

एक बात और निवेदन कर देता हूं मेरे इलाके में ३२-३३ पिछड़ी जाति के जाटव लोगों ने लिख कर दिया कि पौने दो बीघा नहीं किया है पर पटवारी ने लिख दिया इसलिये तुमसे ४० क्विन्टल लेंगे। इस तरह की ज्यादती किसानों के साथ हो रही है। किसानों के प्रतिनिधि के नाम पर आप मंत्री-मंडल में बैठे हैं, हिम्मत के साथ कहें कि अब बन्द नहीं होती है तो मैं केबिनेट के साथ नहीं हूं, अभी आप मन्त्री हैं, हम आपको मुख्य मंत्री तक बना सकते हैं, हिम्मत हो तो छोड़ कर आ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र। श्री रामचन्द्र का आखिरी भाषण होगा इसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपकी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। गंगानगर क्षेत्र में राजस्थान कैनाल आई हैं। उसका पानी वहां अक्टूबर के बाद में नहीं चलता है, उस क्षेत्र में कैनाल क्षेत्र के काश्तकारों से जबरन लेवी वसूल की गई है और की जा रही है और बाजार से खरीद कर लोगों से ली जा रही है। यह रेकार्ड पर है कि वहां नहर नहीं चलती है, नहर नहीं चलती है तो पानी कहां से देंगे।

सिंचित एरिया से ही लेवी वसूल की जायेगी लेकिन वह असिंचित एरिया होते हुए भी काश्तकारों से लेवी ली जाती है तो किस प्रकार से कहा जाय कि न्याय किया जाता है और लेवी सही ढंग से वसूल की जाती है। यह तो बिल्कुल ही नादिरशाही है, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो ये बातें आपके सामने रखीं बिल्कुल सत्य हैं। इस प्रकार से आज जनता के साथ बरताव करें कि लोग गेहूं बाजार से खरीद कर सरकार के पास जमा करायें। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। उनके पास गेहूं नहीं है। एक पटवारी के लिखने से और गिरदावरी करने से उन लोगों के साथ गेहूं वसूल करने की जबरदस्ती की जाय, कितनी बुरी बात है। मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। राजस्थान कैनाल क्षेत्र के जितने काश्तकार हैं, उन लोगों से जो अनाज वसूल किया गया है, वह उनको वापस दिलाया जाय या कमेटी बनाई जाकर उसकी जांच कराई जाय कि कहां कहां से गेहूं खरीदा गया है। मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा कि लोगों ने बाजार से गेहूं खरीदे हैं, ऊंचे भावों पर लेकर लोगों ने लेवी जमा करवाई है और अब तक करवा रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है कि नहर १५ अक्टूबर के बाद में नहीं चलती है तो गेहूं की भूमि सिंचित कैसे हो गयी ? लेकिन सरकार आंख मींचकर लेवी वसूल करना चाहती है तो इस प्रकार की व्यवस्था से कभी लेवी वसूल नहीं होती और आपका उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और सिवाय बुराई के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको ठंडे दिमाग से ध्यान देना चाहिए और लोगों ने जो बाजार से खरीद कर आप के पास अनाज जमा कराया है, वह उन्हें वापस लौटाया जाय और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय, तब तो समझेंगे कि आप न्यायसंगत कार्य कर रहे हैं। आंख मींचकर अन्याय करना चाहते हैं तो यह अन्याय अधिक दिन नहीं चल सकता। मैं अधिक न कहकर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में जितना राजस्थान कैनाल का क्षेत्र है, उसमें पानी नहीं मिला और जितने लोगों से लेवी वसूल की गई हैं, वह नाजायज तरीके से और बाजार से खरीद कर जमा कराई है। इस पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैं आपके सामने उस इलाके का जो तथ्य है पेश करता हूं और इस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवायेंगे तो उसके बाद आपको मालूम होगा कि किस प्रकार लोगों के साथ बुरा बरताव किया जा रहा है और काश्तकारों के साथ किस प्रकार जबरदस्ती अनाज वसूली के लिए कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार की धांधलेबाजियों को आपको बंद करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरी सिंह ।

श्री केशरी सिंह हांडा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी चौड़ी बात करना नहीं चाहता । मैं सदन के सामने केवल तथ्य रखना चाहता हूं कि राज्य सरकार का एक ही महकमा है इरिगेशन और एक ही महकमा है राजस्व । दोनों महकमों के अलग २ रेकार्ड काश्तकारों के सामने आते हैं, पिलाई ली जाती है अमुक जमीन की और लेवी ली जाती है अमुक जमीन की । इस विषय में में काश्तकारों ने मुझे लिख कर दिया और खाद्य मंत्री महोदय को भी लिख दिया उनके पास भी पहुंच गया होगा मैं कलक्टर से मिला । उन्होंने कहा कि ऐसी गलतियां तो हो जाया करती हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलती अगर एक काश्तकार के साथ हो तो इस प्रकार की गल्ती कितने ही काश्तकारों के साथ हुई होंगी और हजारों मन कहां कहां से अनाज आपने नाजायज तरीके से वसूल किया । उसमें एक पैसे का अनाज पैदा हुआ नहीं आप रकबे पर लेवी ले रहे हैं, एक रकबे में बम्पर क्रोप भी हो सकती है और रकबे के अंदर बहुत खराब क्रोप हो सकती है तो खराब क्रोप पर भी वहीं और बम्पर क्रोप की वही लेवी, यह इन्साफ कहां है ? इन्साफ का नाम नहीं रहा । जैसे लेवी ली जाती है, यह विचार नहीं है कि काश्तकार के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसपर कितना कुठाराघात है । कोई उनके पास अनाज नहीं. फिर भी उनको कोसा जाता है खाद्य मंत्री के पास रिपोर्ट पहुँच गई है । मैं नहारसिंह की दरखास्त सदन की मेज पर रखता हूं । सदन को इससे जानकारी हो जायगी ।

श्री श्रवणलाल : ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : लेवी का मसला बहुत अहम मसला था इसलिए सब दलों की ओर से माननीय सदस्यों को कहने का अवसर दिया गया, उसके बाद में लम्बा चौड़ा विवाद नहीं हो सकता ।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : कम से कम में आधे घण्टे से तैयार हो रहा हूं, आसन ध्यान नहीं देता, तो इसमें मेरी गल्ती नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इस पर बोलने का किसी माननीय सदस्य को साधारणतः अधिकार नहीं है सिवा उन माननीय सदस्य के जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है.....

श्री विजयसिंह रावत : मैं बार बार खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन अहम मसला है. मन्त्री महोदय के सामने जो चित्र है वह आ जाय, इसलिए अलग अलग दलों के दो-दो, तीन-तीन माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और जो शिकायतें हैं, वह एक ही तरह की ज्यादातर शिकायतें हैं । जो इस बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित हो गया । इसलिए आप सदस्यों का सहयोग चाहूँगा । आप खाद्य मन्त्री के उत्तर को सुनें ।

Page No. 124

श्री विजय सिंह रावत : लेकिन मुझे भी तो....

श्री उपाध्यक्ष : यह भी निवेदन कर दूं कि अलग-अलग इन्सटान्सेज दिये जायं तो उस बारे में, जैसे जयपुर के बारे में पूछें तो वहां के इन्सटेन्सेज के बारे में मन्त्री महोदय तैयार हो सकते हैं लेकिन पाली सिरोही और दूसरी जगहों के प्रश्न उठाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए इस मामले में मैं आपका सहयोग चाहूंगा।

श्री विजयसिंह रावत : कल मैं खड़ा हुआ तो आपने समय नहीं दिया, आज खड़ा हुआ, एक घंटे से खड़ा होता आया लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के व्यवहार को मैं रिजेन्ट करता हूं। आपकी तरफ से विरोधी दल के नेता बोल लिए, श्री सहदेव बोले और उसके बाद मुलानियाजी बोले। पूरी चर्चा तो थी नहीं, इसलिए आपका सहयोग चाहूंगा। थोड़ा ठंडे दिल से सोचें। आप चाहें जब आपको अवसर दे दिया जाय, उचित नहीं है।

खाद्यमन्त्री।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मन्त्री) : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर जिले में लेवी वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य सरकार ने लेवी का फैसला मई के महीने में किया था, मई के प्रथम सप्ताह के अन्दर। अप्रैल में पहले मैं सदन में निवेदन कर चुका हूं कि लेवी का फैसला जो राज्य सरकार ने किया है, वह देश और राजस्थान की परिस्थितियों को देखकर किया है, उस समय मैंने निवेदन किया था। लेवी से जितनी भी परेशानियां होती हैं, सब मसले राज्य सरकार के सामने थे और यह फैसला इसलिए करना पड़ा कि अनाज की समस्या राष्ट्र की समस्या है और अप्रैल महीने में भारत सरकार ने देश भर के मुख्य मन्त्रियों और खाद्य मन्त्रियों को वहां बुलाकर इस बात की सीरियसनेस और अरजेन्सी को उनको सामने रखते हुए यह निर्देश दिया था कि जो इम्पोरटेड व्हीट है, जो विदेशों में से मंगाया जाता है, उसकी तादाद में कमी होती जा रही है और मुझे यह भी बताने में कोई इनकार नहीं है, कुछ बातों को स्पष्ट नहीं रखना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, पर यह निवेदन करूंगा कि जिस समय लेवी लगाई गई उसके बाद भारत सरकार को जो खाद्यान्न विदेशों से मिलता था, उसमें ४ लाख टन की कमी हुई है और अनाज की मांग बढ़ी है। अर्बन एरिया में माननीय सदस्यों ने इस बात की दर्खास्तें दी हैं कि सस्ते गल्ले की दुकानें खोलनी चाहियें। केन्द्रीय सरकार से हमें ३० हजार टन का कोटा मिला। भारत सरकार के द्वारा मन्थली अलाटमेंट आता है, उसमें भी जून के महीने में ५ हजार और कुछ टन का कम का कोटा आया है क्योंकि भारत सरकार को विदेशों से मिलने वाले खाद्यान्न में कमी हुई है। भारत सरकार की परेशानी यह है कि पीएल ४८० मे खाद्यान्न मिल रहा है पर उसमें भी अधिक हार्डेर फोरिन एक्सचेन्ज है बड़ी जरूरी बातों पर

Page No. 125

(श्री परसराम मदेरणा)

खर्च करना चाहिये जो राष्ट्र का उत्पादन करते हैं और साथ ही इम्पोर्टेन्ट सेक्टर है, जिनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, उनका फोरिन एक्सचेन्ज बाहकर प्रार्ट्रेलिया से गेहूं लेने का होंच किया है इसलिये कि किसी तरह से खाद्यान्न की सप्लाई लाइन को इन्टेक्ट रखा जा सके। यह सप्लाई लाइन इन्टेक्ट रखना निहायत जरूरी हो गया था। फोरिन एक्सचेन्ज से मशीनरी और दूसरी चीजें जरूरी है देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, वह नहीं लेकर खाद्यान्न मंगाया जा रहा। इन परिस्थितियों में लेवी लगाई गई है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : राजस्थान को आवश्यकता है ३४ हजार टन की और लेवी के द्वारा २ हजार टन वसूल करना चाहते हैं। बीस हजार टन के लिये परेशान करना चाहते हैं यह क्या बुद्धिमत्ता है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे बात कहने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के स्केग्ररसिटी एफेक्टेड विलेजेज हैं वहाँ की रहने वाली पापूलेशन है। कस्बों में रहने वाली आबादी है। रबी में जो लोग काश्त करते हैं वहां पर भी कहतसाली है। स्केग्ररसिटी एरिया डिक्लेअर हुआ है। १५ लाख की पापूलेशन इस स्केग्ररसिटी एरिया में में आई है। कुल मिला कर राजस्थान के अन्दर अनाज उन लोगों को देने की जरुरत है। मिनिमम अनाज उनको सप्लाई करना चाहिये यह भी मानकर चलें तो उनकी आवश्यकता ५४ हजार टन तक पाती है और और भारत सरकार ३८ हजार टन देती है और इसमें भी आज जो इजराइल और मिश्र की लड़ाई हुई है और स्वेज केनाल बन्द हुई है मेडिटरेनियन सी से होते हुए आ रहे हैं उन जहाजों को हिन्द महासागर से केप आफ गुड होपर की तरफ डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो इस से सप्लाई लाइन में जबर्दस्त बखेड़ा आया है। इन सारी स्थितियों में राजस्थान में जो अनाज पहुँच रहा है वह अबतक एक लाख टन के आसपास रहा है। जब कि हमारा कोटा ३.२६ हजार टन है। ३, १० तारीख का है ६ तारीख का है ३ तारीख की इत्तला है कि १० जुलाई तक यह लेवी १ लाख ४ हजार ३१७ क्विन्टल हम वसूल कर पाये हैं।

मैं कह रहा था कि यह लेवी का आर्डर प्रसारित करने से पहले इस मसले पर देश की सरकार ने और कांग्रेसी सरकारों ने और नान कांग्रेसी सरकारों ने निर्णय लिया कि इन्टरनल प्रोक्योरमेन्ट होना चाहिये, इस राष्ट्रीय समस्या का अगर कन्ट्रोल में लेना चाहते हैं तो और दूसरा रास्ता नहीं था। और यह भी आदेश दिये थे कि अगर स्टेट गवर्नमेन्ट इन्टरनल प्रोक्योरमेन्ट के लिये लेवी नहीं लगाती है तो नतीजा यह होगा कि विदेशों से अनाज मंगाने पर मुनस्सर होना पड़ेगा और खाद्यान्न जो किसान के पास है अगर उसी स्टेज पर उससे लेकर उपभोक्ता को वितरित किया जावे तो इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

(श्री परसराम मदेरणा)

वास्तव न करें हम उपलब्ध करा सकते हैं, वितरण कर सकते हैं अधिक से अधिक करने की कोशिश करेंगे। इसलिये यह जो लेवी का आर्डर १५-५-६७ का प्रकाशित हुआ उसका जिक्र फुंगरा में आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। इसके बाद में राज्य सरकार ने लेवी आर्डर का कोई चार पांच रोज पहले आठ तारीख को और इसके बाद में ११ तारीख को एक जनरल सरकूलर के द्वारा कलेक्टर को हिदायत दी कि आप स्पेशली खतौनियां लेकर करिये। उसके आधार पर मांग पत्र वितरित किये जाने चाहिये थे। इन स्पेशल खतौनियों की स्क्रुटिनी के लिये भी आदेश दिये गये थे खाद्य विभाग की तरफ से। लैंड रिकार्ड इन्सपेक्टर, तहसीलदार, एस० डी० ओ० गिरदावरी के वक्त चैकिंग करते हैं वह इसमें करना चाहिये। और मैं यह मानकर चलता हूं कि नीचे के राजस्व अधिकारियों ने इसमें सावधानी बरती होगी।

कुछ मुसीबतें आ सकती हैं। फील्ड टू फील्ड क्राप में वेरियेशन्स होना लाजिमी हैं और मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं इसे। और कई बातों पर फैक्टर्स पर यह मुनस्सर करता है। खाद, पानी, किसान कितना बोवनी के वक्त ध्यान देता है और दूसरा खाद कितना देता है, काऊ डंग का खाद कितना देता है। इन बातों से फील्ड के प्रोडक्शन में वेरियेशन होता है।

तो हमने आदेश दिये थे कि जो मांग-पत्र काश्तकार को सर्व की जावे उसमें उल्लेख हो कि १०-१५ रोज के बीच में एस० डी० ओ० की कोर्ट में अगर कोई ओब्जेक्शन उनको हो तो कर सकता है। एन्ड आई ओब्जेक्शन की बात तो दस से १५ दिन के बीच में एस० डी० ओ० के पास करें और इसला दें।

श्री केसरीसिंह हाडा (बूंदी) : आन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर। नोटिसेज में इस बात का उल्लेख कतई नहीं है कि दस या पन्द्रह रोज में वह ऐतराज पेश कर सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिर आप नो प्रोफिट मोटिव से क्यों लेते हैं। आप बाजार रेट से उनसे लीजिये। फिर आपको अगर सबसिडाइज करना हो करिये, नुकसान खुद उठाइये और लोगों को दिलवाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नुकसान तो पब्लिक सेक्टर में पहले ही बहुत ज्यादा है।

श्री परसराम मदेरणा : इन ओब्जेक्शनों को एस० डी० ओ० ने डिसपोज आफ किया है। ओब्जेक्शन्स आये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा ऐतराज यह है कि मेरा पोइन्ट बिलकुल क्लीयर है। १२ में से पहले जिन्होंने स्टाक बेच दिया है तो क्या आप चाहते हैं कि वे बाजार से खरीद कर लाकर दें। Point one !

Point two ! जिनकी रौंग एन्ट्री हुई है। पांच बीघा या दो बीघा भी नहीं बोया और १० बीघा लिख दिया तो क्या इस

Page No. 127

(श्री पी० के० चौधरी)

तरह को रो। न्ट्रीज को मौके पर जाकर, फील्ड प जा ा जांच कया ?

मैं चैलेंज करता हूं नक्शों में किसी ने नहीं किया है। इस पोइन्ट्स पर आपका डिसीजन चाहता हूं। १२ मई से पहले गेहूं अपना बेच दिया स्टक नहीं रहा तो लेवी किस्म को माफ में पाते हैं। फेर दिया उ को आ कैसे अर्पण करेंगे। आपका एक ा रन पर बिल की प्रलट्रावायर्स। एक्ट में माफ किया है। मैं पढ़कर सुनाऊं आप ो? इसेन्सियल कोमोडिटीज एक्ट में लिखा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने सैक्शन तीन का हवाला दिया। उसको बार बार रिपीट करने से मेरे दिमाग में नहीं आवेगा। मैं बाद में आ रहा हूं उन मुद्दों पर आपने सभी बातें जो उठाई हैं उन पर।

श्री पी० के० चौधरी : दूसरी बात, मैं उन रसीदों को, जिनसे पैसा वसूल किया गया है सदन की मेज पर रखता हूं। ये रसीदें हैं। लेवी वसूली की रसीदें हैं। पांच छ रसीदें मेरे पास हैं। क्या सरकार की डुप्लीकेट रसीदें हैं क्या ?

(रसीदें टेबुल पर रखी विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री केसरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मेरे पास भी ट्रू कापी है और उसके अन्दर भी टाइम दर्ज नहीं है। और उसकी एप्लीकेशन भी नहीं सुनी।

श्री पी० के० चौधरी : गेहूं नहीं लिया, पैसा लिया है और रसीदें दी हैं। अब इस पैसे का रिश्वत लिया है उन लोगों से या अनाज लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अलग अलग मुद्दे उठाये थे उन पर तो बाद में आना चाहूंगा इससे पूर्व में लेवी की प्रक्रिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बाद में माननीय सदस्यों के एक एक पोइन्ट को साफ करने की कोशिश करूंगा।

(एक सदस्य के बीच में बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री सहदेव शर्मा : जयपुर और आमेर की बात मैं कहता हूं। कितनों की लेवी को माफ किया। कितने रिप्रेजेन्टेशन हुए हैं। एक को भी नहीं किया है।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री पी० के० चौधरी : रावल सामोद साहब का किया है कम। ठाकुर साहब को माफ किया है। जीप में बिठाकर ले गये हैं ऐसे लोगों का किया है।

श्री सहदेव शर्मा : यह तो आमेर और जयपुर की बात कहता हूं। आमेर जयपुर सब डिविजन के बारे में कहा है जहां जिनुआइन केस होते हुए भी माफ नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही नहीं है। आमेर का एक किसान मेरे पास आया था।

Page No. 128

श्री सहदेव शर्मा : एक को भी नहीं मिला है इसके बाद।

श्री परसराम मदेरणा : कह रहा था कि हमारे पास जो अनाज था हम रजिस्टर्ड सीड ग्रोग्रर हैं और इस वजह से हमने पंचायत समिति को गेहूं बेच दिया है। उसके बाद म लेवी की डिमान्ड स्लिप लेकर हमारे पास आये। हमने आदेश ही नहीं दिया. फूड कमिश्नर को बुलाकर कहा कि जो रजिस्टर्ड सीड ग्रोग्रर्स हैं, कृषि विभाग और पंचायत समितियों को जो बीज के रूप में गेहूं बेचा है और गेहूं जिन्होंने बेच दिया है तो उनसे लेवी नहीं लेना चाहिये और वे लेवी से एक्जम्प्ट रहेंगे। इस प्रकार के आदेश ३ तारीख को पूरे राजस्थान भर में कर दिये।

श्री नत्थीसिंह : जिन सीड ग्रोग्रर्स से जबरदस्ती वसूल कर लिया है इस आदेश में संशोधन करेंगे कि उनको वापिस दिया जाय ?

श्री सहदेव शर्मा : जयपुर जिले में आपके इस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ है। कोटपुतली के सीडग्रोग्रर्स ने जिलाधीश से बात की वे कहते हैं कि चाहे रजिस्टर्ड सीड ग्रोग्रस हो हम तो आप से लेवी लेंगे।

श्री सुवालाल : मैं पंचायत समिति से हर साल बीज लेता हूं और इस साल भी बीज लिया था और फिर भी पंचायत समिति को आपका नोटिस निकला उससे पहले ही बीज दे दिया। एस० डी० ओ० ने नोटिस निकाल कर मेरे पर लेवी लगायी है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात मेरे नोटिस में आयी है। आयी तो मैंने तमाम जिलों को ऑर्डर कर दिये। मैं समझता हूं रजिस्टर्ड ग्रोग्रस....

श्री सुवालाल : मेरा मामला हाथ में ले लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपके मामले में आपने सीड बेच दिया।

श्री सहदेव शर्मा : और भी कई मामले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय बोल रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : दो सौ क्विन्टल अनाज हुआ होगा। सौ दिया होगा। आपके पास सरप्लस है। और थोड़ा पंचायत समिति को बेच दिया होगा। परिवार के खाने के लिये और ग्रो करने के लिये बीज होता है और बेच दिया है और सरप्लस नहीं बचा है तो लेवी नहीं ली जावेगी। सीड ग्रोग्रस अपना पूरा का पूरा अनाज कृषि विभाग और पंचायत समितियों को दे देते हैं, गेहूं का बीज खरीदने का मौसम आ रहा है, पंचायत समितियां अभी खरीदती हैं, जिन्होंने दे दिया उनसे लेवी नहीं लेनी चाहिये। उस पर आदेश दे दिये हैं....

श्री सहदेव शर्मा : ३।४ तो पंचायत समितियों को दे दिया और १।४ बचता है तो परिवार के खाने के लिये रखते हैं। इस पर कहते है कि बाजार से खरीद कर लाकर

(श्री सहदेव शर्मा)

दो। पदमसिंह जी का दस साल का लड़का जिसके नाम खाता है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराके चालान कराया। जब कि रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर है।

श्री परसराम मदेरणा : पदमसिंह जी के लड़के मुकनसिंह जी के केस का जिक्र कर रहा था। उनको ले आये। उनके नाम जमीन थी। वे मुझसे मिले। इतवार को ही मिले। इतवार होने पर कमिश्नर को बुला कर तमाम राजस्थान के लिये आदेश दिये। उनसे लेवी वसूल नहीं हुई है।

श्री सहदेव शर्मा : वसूल होने का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार की डिमान्ड स्लिप फोर्स करके लेवी ली जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आदेश दे दिये हैं खास तौर से पदमसिंह जी के लड़के के लिये।

श्री विजय सिंह रावत : आदेश तो जारी होते हैं लेकिन पालन कितना हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने दें।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर जिले में आदेश दिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय भैरोंसिंह जी।

श्री रामकिशन : सही घटना बताता हूँ। ३ तारीख के आदेश हैं बताते। भरतपुर में कार्य सलाहकार समिति की बैठक ४ तारीख को हुई थी। कहा गया कि पंचायत समिति को बीज दे दिया उनसे लेवी वसूल नहीं की जाय। यह मेरा लिखित में था। मुकुट बिहारी लाल जी भी हाजिर थे और दूसरे भी थे। कलेक्टर साहब का कहना यह था कि लेवी अलग चीज है और बीज लिया वह दूसरी चीज है। बीज लिया ज्यादा कीमत मिल गयी। अहसान नहीं है। हम तो रकबा कितना है उस पर लेवी लगावेंगे। दोनों मतलब सरकार से पूछ लेता हूं। मैं आपके कहने से नहीं रोक सकता। जो रिकार्ड पर है उसके हिसाब से लेवी ली जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिये पूछना चाहूंगा कि उनको स्वयम् को मालूम है कि विधान सभा के सामने कुछ काश्तकारों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने एक मेमोरेन्डम सब्मिट किया और मेमोरेन्डम सब्मिट करने के पर मन्त्री महोदय ने स्वयम् ने आदेश दिये कि इस चीज की जांच करायी जाय। माननीय मन्त्री जी स्वयं बता दें कि एस डी एम ने या कलेक्टर ने कोई जांच की ? मेरी जानकारी में यह है कि तीन कुओं पर वे गये। जानकारी करके वापिस आ गये। काश्तकारों को दबाया, अनाज देना पड़ेगा। काश्तकार विचार ही कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी को बुला कर कोर्ट में उसको बुला लिया। पांच बजे तो कह दिया कि गिरफ्तार करेंगे। जमानत लाओ। पांच सौ की पहली जमानत दी। कहा कि एक हजार की जमानत

Page No. 130

(श्री भैरोंसिंह)

लाओ। एक हजार की जमानत लाया तो कहा कि दो हजार की जमानत लाओ। दो हजार की जमानत सब्मिट की तो कहा कि पांच हजार की जमानत लाओ। पांच हजार की जमानत लेकर चला गया तो कोर्ट बन्द हो गयी और उसको उठा कर जेल में रख दिया। यह मन्त्री मन्डल की भयंकर अयोग्यता है कि सदन में कहते हैं कि आदेश देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हमने एस० डी० एम० कलेक्टर को आदेश दे दिये हैं वह उनका पालन करेगा। लेकिन आज यह हालत है। मन्त्री मंडल ही अयोग्य है और एरिस्टोक्रेट है जो जनता का खून चूसते हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम की आवाज)

जब आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं तो आप किस मर्ज की दवा हैं। केवल मन्त्री पद सुशोभित करने के लिये। जनता को लूटा जा रहा है। यहां कहते हैं कि आदेश दे दिये हैं, एस० डी० एम० को दे दिये हैं, कलेक्टर को दे दिये हैं। एक तरफ तो यह आदेश देते हैं कलेक्टर को कि इतना अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा। कलेक्टर तहसीलदारों को कहता है। तहसीलदार क्या धरती में से अनाज निकाल लावेगा या गोदामों से निकालेगा। वह किसानों को कहता है कि इतना अनाज देना पड़ेगा। एक तरफ तो आदेश देते हैं और दूसरी तरफ लेवी लेते हैं। न तो हुकूमत का आदेश चलने वाला है और न ही किसानों को राहत मिलने वाली है।

श्री सहदेव शर्मा : दस साल के लड़के को एस० डी० ओ० के द्वारा गिरफ्तार करने का तरीका ठीक था ? लेवी लेने का तरीका गलत था।

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठिये। आपके गुर्राने से मैं डरने वाला नहीं हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खाद्य मन्त्री जी.... ....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। पदमसिंह जी के लिये आदेश दिये और सब के लिये दिये। जो रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स हैं उनसे लेवी वसूल नहीं की जावेगी। दांता ठाकुर साहब उनके साथ थे। इस प्रकार के आदेश सब एस० डी० ओ० के पास गये हैं। वे खुद बता रहे हैं। ठाकुर मदनसिंह जी साथ थे। माननीय सदस्य वे खुद बता रहे हैं उनसे लेवी नहीं ली जा रही है और जो रजिस्टर्ड ग्रोअर्स हैं इनसे लेवी नहीं लेने के ऐसे आदेश एस० डी० ओज० के पास पहुँच गये हैं।

(२ म० प०)

मैं अपने यह निवेदन करूं जहां तक केस चलाने करने का प्रश्न है इस मामले के अन्दर रेवेन्यू आफिसर्स को इजाजत दे रखी है पुलिस फोर्स का........

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले आप हमारी तो सुन लीजिये माननीय मन्त्री जी ने कहा........

Page No. 131

श्री उपाध्यक्ष : पहले मन्त्री जी की सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने इस तरह के आदेश दिये हैं रेवेन्यू आफिसर्स को, उनके लिये कुछ टारगेट्स मुकर्रर किये हैं और रेवेन्यू अधिकारियों ने अपने नीचे के अधिकारियों के लिये टारगेट्स मुकर्रर किये हैं और उनको सख्त हिदायत है अगर उनके द्वारा टारगेट्स पूरे नहीं किये गये तो उन पर एक्शन लिया जायगा इस प्रकार की हिदायतें दी हैं। अगर किसी को इसके बारे में ग्रीवान्सेज हो तो उसको सुनो मत ?

आप सुनते नहीं, नायब तहसीलदार, एस० डी० ओ० कुछ नहीं सुनते आपके गैर कानूनी आदेश हैं उसी बेसिस पर जो पर्चे वसूल होगये उनको जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। लेवी वसूल आपको नहीं करनी चाहिये, प्रोक्योरमेन्ट के खिलाफ वातावरण पैदा करना चाहते हैं और ४८० हमेशा के लिये कायम रखना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सिलसिले में पुलिस की सहायता न ली जाय इस प्रकार के आदेश १७ जून को दे दिये गये कलेक्टर्स को दिये गये "No police force be used, nor attachment made in realisation of wheat levy."

श्री भैरोंसिंह : मैं एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कभी आपने यह देखा कि बारां मंडी में ट्रक्स पुलिस द्वारा भरकर गांवों में जाती हैं उसमें १५ चपरासी और १५ पुलिस कर्मचारी ले जाये जाते हैं। वे लोग गांवों में जाकर घरों का ताला तोड़ते हैं, होटलों का ताला तोड़ते हैं और लोगों को सगीन बताकर उनके खून को चूसा जाता है क्या आपका आर्डर इसी प्रकार का है? आप आर्डर तो देते हैं लेकिन उसकी कम्पलायेन्स कौन करता है? आप बारां चले जाइये वहां आप देखेंगे एस० डी० ओ० के साथ बाकायदा पुलिस जाती है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं मेरे पास उस इलाके के लोग आये हैं जिन पर यह संकट है उन्होंने मुझ से मांग की है कि या तो मैं इस समस्या का समाधान कराऊं अन्यथा मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूं। आज जिस प्रकार के जुल्म इस तथा कथित प्रजातन्त्रीय सरकार में हो रहे हैं वह उनसे देखे नहीं जाते। आज राजनैतिक आधार पर उस इलाके के लोगों को थानेदार, डिप्टी सु० पुलिस कोन्स्टेबल्स तंग कर रहे हैं। मंत्री जी इस बात की जांच करें। बारां क्षेत्र के अन्दर पुलिस लोगों के घर में घुसकर जहां आदमी नहीं थे उनके मकानों के ताले तोड़े, जबरदस्ती से जो उनका खाने का अनाज था, बोने का बीज था उसको जबरदस्ती से निकाला। सरिये और हथौड़े पुलिस वाले साथ में ले गये, ताले तोड़े गये और वहां से अनाज लाकर मंडी में बगैर तोले डाल दिया गया

Page No. 132

(श्री देवीदत्त गडिया)

उसकी कीमत नहीं आंकी। उपाध्यक्ष, महोदय, मांगरोल क्षेत्र के किसान जिनके पास पांच पांच बोरी अनाज बीज के लिये था वह उनसे छीन लिया गया और बाजार में ला कर रख दिया गया। इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार पुलिस द्वारा कराये जाय क्या यह आपके लिये शर्म की बात नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : अपने आपकी बात रख दी अब मंत्रीजी को सुन लीजिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्यों ने काफी बातें मंत्री महोदय के सामने रख दी हैं उस पर उनका जवाब सुन लीजिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मंत्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान सरकार ने, इस प्रकार पुलिस फोर्स को यूज न की जाय, यह आदेश १७ जून को प्रसारित किये। कोटा डिस्ट्रिक्ट में एस० डी० ओ० ने पुलिस की इमदाद ली यह कानून के विरुद्ध है इस बात की इमिजियेटली जांच के आदेश वायरलेस से देता हूं अगर इस प्रकार से पुलिस का यूज किया गया है तो किन किन गांवों में किया गया है उसके लिये राजस्व के कौन से अधिकारी जिम्मेदार है। जिन्होंने इस आदेश की अवहेलना की है।

श्री भैरोंसिंह : यह जानकारी आप किससे करेंगे कलेक्टर से ही करेंगे कलेक्टर और एस० डी० ओ० तो इसमें पार्टी है और उन्हीं के द्वारा यह ज्यादती की गई है।

श्री सहदेव शर्मा : जयपुर जिले के बारे में जो मैंने कहा सरपंच को इस तरह से परेशान किया जिसने लेवी वसूली में सहयोग दिया क्या आप उसकी इन्क्वायरी के बारे में भी आश्वासन देंगे?

एक माननीय सदस्य : सदन की समिति बना कर जांच करवाई जाय।

श्री परसराम मदेरणा : जो रजिस्टर्ड सीड गोवर्स हैं उनसे वसूली की जायगी इसमें क्या बात है ....

श्री सहदेव शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मैंने कहा उसका तो जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री परसराम मदेरणा : यदि लेवी वसूली के लिये कुछ सख्त कदम नहीं उठाये जायेंगे तो लोग जान बूझ कर इवेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

Page No. 133

श्री सहदेव शर्मा : आप लेवी वसूल कर लीजिये इसमें एतराज नहीं है सरपंच आपको गांव से लेवी वसूल करने में सहायता और सहयोग करता है उनको एस० डी० ओ० जूते दिलवाने की धमकी देते हैं क्या आप इस तरह से सरपंच को बेइज्जत करना चाहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : या तो आप भाषण दे दीजिये या आप मुझे अपनी बात रखने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सवाल जवाब नहीं होते । आप यदि मंत्री महोदय का जवाब सुनना चाहते तो बात दूसरी है । पहले आप मंत्री महोदय को सुन लीजिये उसके बाद में कोई सवालात हो तो पूछ लीजिये ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : प्रश्नों का उत्तर आता नहीं है जब पूरा जवाब नहीं आता है तो इस तरह से प्रश्न करने को बाध्य होना पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुकुट बिहारी एवं अन्य सदस्यों के साथ खड़े होने पर)

माननीय सदस्य इतना वाद-विवाद पर न करें यदि आप अपनी बातों का उत्तर चाहते हैं तो मंत्री महोदय को बोलने दीजिये ।

श्री नत्थीसिंह : सन्तोषजनक चाहते हैं

उपाध्यक्ष दफा :कई फा इस बारे में निवेदन कर दिया गया है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सिवाय पी.के. चौधरी के जिन्होंने यह प्रस्ताव दिया है उनके अलावा किसी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं । यह कोई एक इलाके की समस्या नहीं सभी जगह की समस्या है इसलिये सब को अवसर दिया गया । उसके बाद भी मंत्री महोदय को नहीं सुनना चाहते तो इनको समाप्त करने के लिए कहूं ।

श्री नत्थीसिंह : उत्तर देने में ये मजबूर हैं । राजस्थान के मंत्री का हुक्म नहीं चलता मुख्य मंत्री है नहीं । सरकार द्वारा जो यह नादिरशाही और अत्याचार हो रहे हैं, हुक्म मंत्रियों का चलता नहीं । मुख्य मंत्री दुबारा हुक्म दिलाये तो चलता हूं इनका कोई हुक्म चलता नहीं इसलिये ये मजबूर हैं उत्तर देने में ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य सुनने के लिये तैयार नहीं तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री नत्थीसिंह : सुनने के लिये तैयार हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किये । सीड को लेवी में वसूल नहीं किया जाय । तीन तारीख को आदेश प्रसारित होता है हो सकता है ये आदेश चार तारीख तक भरतपुर नहीं पहुँचे होंगे । राज्य सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आयी कि पेटा काश्त होती है इस साल उसमें पैदावार कम होगी । जो पेटा काश्त है उस पर लेवी के

Page No. 134

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डर्स लागू नहीं किये हैं । भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात बतायी कि वहां इनन्डेटेड लेन्ड है । मेरे ख्याल से ऐसी जमीन सिवाय गंगानगर को छोड़कर नहीं होगी । गंगानगर के मामले में कई माननीय सदस्यों ने आवेदन पत्र दिये थे वह कलेक्टर गंगानगर के पास भेजे थे उस पर कहा गया कि आप और ए० सी० और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के व्यक्ति तीनों मिल कर देख लें इननेडेटेड लेन्ड में पैदावार हुई या नहीं ।

उन्होंने मेरे पास यह रिपोर्ट भेजी है । हमने मालूम कर लिया है कि नहरी इलाके से जो पैदावार हुई हैं उससे ज्यादा पैदावार इनन्डेटेड इलाके से हुई है । राजस्थान के ६ जिलों के अन्दर लेवी को एग्जम्ट किया गया है यह राज्य सरकार ने आज्ञा प्रसारित की है । यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में बातें कहीं और खास तौर से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कच्ची रसीद के बारे में यहां जिक्र किया । जहां तक राज्य सरकार के आदेश हैं उसके अनुसार पक्की रसीद दी जानी चाहिए और वहां पर क्यों कच्ची रसीद दी उसके लिए मैं जांच कर लूंगा । मैंने इसके आदेश दे दिये हैं और मैं अधिकारियों को बुला रहा हूं । शाम को बुलाकर यहां के रेवेन्यू आफिसर्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा और जयपुर जिले के संबंध में जो उन्होंने जो ज्यादतियां की हैं या दूसरे नीचे के अधिकारियों ने कन्ट्रोल नहीं किया है उस तरह से, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जांच जरूर हो ऐसे मैं आदेश दे रहा हूं । उन्हें लिखित में आदेश दे दिये गये हैं और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरपंच का जिक्र किया था उसके लिए मैं जिक्र करूंगा कि वास्तव में एस० डी० ओ० ने ऐसा किया है तो बहुत गलती की है और मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच भी जल्दी से जल्दी कराऊंगा और जांच तो होती रहेगी और जो हार्डहैन्डेनेस यदि हुई है तो उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए और ऐसा दुर्व्यवहार यदि कोई अधिकारी करता है तो उसको रखा जावे या नहीं मैं इसकी जांच पूरी तरह से करा लूंगा और इस सैटरडे से पहले पहले मैं कर लूंगा ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यहां पर यह कही कि यह आर्डर में सेक्शन ३ के बारे में और एसेन्शियल कमोडिटीज की धारा ३ के बारे में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही । जैसा मैंने शुरू में कहा था लेवी का आर्डर तो हमने बाद में प्रसारित किया लेकिन उसमें पहले ले ह काश्तकारों को बता दिया था और साथ में काश्तकारों के लिए अखबारों में भी आ गया था कि हम लेवी करेंगे । हमने यह भी कहा कि हम लेट हो जायेंगे लेकिन काश्तकारों की फसल भी अप्रेल के लास्ट वीक में गेहूं की पकती है और जो क्रशिंग वगैरह का काम है वह भी १५-२० मई के पहले वह नहीं कर सकते और नया गेहूं जो बाजार में आता है वह भी मिडिल आफमे के पहले नहीं आता है और काश्तकारों को इत्तला हो गयी थी कि हम लेवी लगाने जा रहे हैं । फिर भी जो जनाइन केसेज है और जिनके पास सरप्लस धान नहीं है या फिर उन्होंने बेच दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

है, तो जुनाइन केसेज में रियायत दी जाये ऐसा आश्वासन मैं सदन को दे सकता हूं और कोशिश करूंगा कि काश्तकारों के पास अनाज बिलकुल नहीं है और उसकी वजह से अनाज को खरीदने वाली बात कही जाती है वह गलत है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जानबूझकर जनरली मैं यह कर देता हूं कि पहले हो गया वह बात दूसरी है लेकिन किसी के पास लेवी का स्टाक है और किसी ने दिया नहीं है यह मैंने आज्ञा प्रसारित कर दी कि लेवी का कलेक्शन नहीं हो रहा है और ऐसे लोग भी हैं जो कि लेवी को अवाइड कर सकते हैं इसलिए वास्तव में जिनके पास अनाज नहीं है उनसे नहीं ली जानी चाहिए और इस प्रकार के जो हार्ड केसेज हैं मैं कलेक्टर्स को कहूंगा वह खुद देखें इस प्रकार कोई केस या आवेदनपत्र आते हैं तो कलेक्टर को खुद को सेटिस्फाई होने के बाद में लेवी वसूल हो, ऐसे आदेश भी मैं दे चुका हूं।

आपने कहा डिफरेन्स के बारे में -मार्केट रेट और लेवी के रेट में डिफरेन्स है। मैं समझता हूं कि डिफरेन्स मांगने का कोई आदेश नहीं है इस प्रकार से किसी ने डिफरेन्स मांगा है और किसी काश्तकार ने दिया है तो मुझे एक काश्तकार का भी नाम बता दीजिए यदि यह सही निकला तो मैं रेवेन्यू आफिसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हूं।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने रसीद दी है। यह सब डिफरेन्स वाला ही है। यह जो कच्ची रसीद मैंने पेश की हैं यह उन्हीं लोगों की हैं जिससे डिफरेन्स लिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको यह बता दूं कि माननीय सदस्य को मैं साथ रख कर रेवेन्यू आफिसर्स को जो मैं शाम को बुलाने का आदेश दे रहा हूं उनसे जांच करने के बाद में आपको रिपोर्ट दे दूंगा। और डिफरेन्स लेने का कतई कायदा नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : आप टाइम बता दें और मैं काश्तकारों को और सरपंच को बुला लूंगा और मैं उनको सामने लाऊंगा वह सामने कहेंगे कि उन्हें कच्ची रसीद दी गई और ३५-४० के हिसाब से लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात मंत्री महोदय कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ७ और ८ के बीच में आज शाम को ही आफिसर्स को बुलाऊंगा और आपको भी आमंत्रित करता हूं और आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को भी निमंत्रित करता हूं कि वह शाम को वह चाहें तो मेरे मकान पर पधारें और जो हार्ड हेन्डेडनेस हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक डेलीगेशन आया था लेवी के विरोध में और उनकी तरफ से एक शिष्टमण्डल आया वह भी विधान सभा भवन के बाहर मेरे चेम्बर में मिला था और उसमें दो तीन तहसीलों के लोग थे। मैंने उनसे पूछा कि आप गांवों के नाम बता दें कि जहां पैदावार

Page No. 136

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने हर तहसील में से तीन-तीन गांव बताये थे और ९ गांव बताये थे। मैंने कलेक्टर को आदेश दिये थे, कलेक्टर उन दिनों छुट्टी पर थे और एडीशनल कलेक्टर को बुलाया और आदेश दिया आप जहां स्वयं जा सकते हैं वहां स्वयं जाइये और जहां नहीं जा सकें वहां एस० डी० ओ० को भेजें और यह मालुम करायें कि गेहूं की पैदावार हुई है या नहीं। उन्होंने कहा है कि गेहूं की पैदावार पहले की पैदावार से ज्यादा है। वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा और बताया गया कि गे की पैदावार बहुत अच्छी है और यह कहा जाये कि ठंड पड़ने से या ओले पड़ने से गेहूँ की पैदावार कम हुई है यह गलत है। इसलिये उनकी लेवी माफ नहीं की जा सकती है। यहां पर फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक दो कलेक्टर्स को डिमाण्ड स्लिप पेश की गयी और चालान पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि डिमाण्ड स्लिप पेश करने के बाद में १०-१५ दिन का आब्जेक्शन इनवाइट करने का समय दिया गया था और अगर ऐसा किया गया तो एक भी काश्तकार का नाम बता दीजिये कि पहले तो तारीख है और फिर चालान किया गया है तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाने में नहीं हिचकिचाऊंगा। वह आज शाम को मेरे यहां पधारें, मैं जानकारी कर लूंगा।

माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने काफी एड्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के सम्बन्ध में इस्तेमाल में लिये जैसा कि वह हमेशा करते हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ लेवी की वसूली के सम्बन्ध में जिस बैकग्राउण्ड में आमेर की हालत के संदर्भ में और लेवी का फैसला लिया गया वह माननीय सदस्यों को मैंने उसकी जानकारी दी थी और मैं लीडर आफ दी अपोजीशन को विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है कि सरकार बहरों और गूंगों की तरह बैठी रहे। जब जब भी ऐसे मामले राज्य सरकार के सामने आये कि इन इन केटेगरीज के लोगों को एग्जम्प्शन मिलना चाहिये उसके लिये एग्जम्प्शन किया गया है चाहे वह इनन्डेटेड एरिया का मामला हो या नहरी इलाके का मामला हो, चाहे सीड ग्रोअर्स से वसूली का प्रश्न हो, चाहे पुलिस को इस्तेमाल में लाने का सवाल हो। यह सब प्रिकाशन्स इसलिये लिये जाते हैं कि जहां पैदावार नहीं हुई है वहां लेवी नहीं ली जाये। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और बारां से आने वाले माननीय सदस्य अभी पुलिस के इस्तेमाल की बात कह रहे थे मैं इसकी भी जानकारी आज करवा लूंगा और मैं यह भी कहता हूं कि किसी दूसरे आफिसर को भेज सकूंगा और कोई अवेलेबल है तो मैं कोटा की जांच भी कराऊंगा कि वहां पर पुलिस इस्तेमाल में ली गयी है लेकिन कई इसको पलीटीकल अफेयर बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं जा सके और अपनी प्राटेक्शन के लिए पुलिस नहीं ले जा सके तो वह अच्छा नहीं होगा। कोई अपनी रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिये पुलिस को साथ रखते हैं और उसको इस बात का

(श्री परसराम मदेरणा)

खतरा है कि जाने के बाद में उसको मैल-हैन्डल किया जा सकता है........

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ........

श्री उपाध्यक्ष ! Order please.

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अधिकारियों को उप जिलाधीश को तहसील में ऐसी कौनसी खतरे की चीज आ गयी जिसके कारण से वह पुलिस ले जाना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रकार से इन शब्दों से साफ जाहिर हो रहा है कि इस प्रकार के आदेश मौखिक रूप में दिए गए है कि वहां पुलिस ले जाओ और राज्य की जनता के अन्दर इस प्रकार से भय पैदा करो और इसका एकमात्र कारण यही है कि इस प्रकार का बहाना ढुंढा जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान) (शोरगुल)

Order ! Order

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार से आपकी कौनसी तलवार चल रही है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जो बातें कही गई हैं उन पर मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं उसको सुन लें। यह कोई ऐसा अवसर नहीं है कि आप दोनों आपस में आरग्यू कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय खाद्य मंत्रीजी से मेरा इतना ही निवेदन है कि उस क्षेत्र के किसानों पर जिस....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री किशनलाल शाह : (नावां) यह जो सरकारी मशीनरी और उसकी ज्यादतियों के आरोप हैं, उन विषयों में जांच का आश्वासन माननीय मंत्रीजी ने दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जांच का माध्यम क्या होगा। जांच की मशीनरी क्या होगी। क्या इस भ्रष्ट मशीनरी से ही जांच करवायेंगे या सदन के माननीय सदस्यों की समिति को बना कर उसके द्वारा जांच करवाने को तैयार हैं।

श्री नत्थी सिंह : आपका तो वैसे ही विश्वास नहीं है।

श्री विजय सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Order please आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इण्डीवीजुअल मुद्दों पर अगर कोई हाईहैंडेडनेस का मामला आया तो राज्य सरकार अपनी सरकारी

(श्री परसराम मदेरणा)

मशीनरी से ही जांच कराना पसन्द करेगी। सदन के सदस्यों की कमेटी बनाने...

श्री किशनलाल शाह (नावां) ! आपकी मशीनरी में कितना विश्वास है। आपके अन्दर सदन का कितना विश्वास है, आपकी मशीनरी में कितना विश्वास है.......

(शोरगुल)–(अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : आपका खुद में ही कितना विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको भय क्यों लग रहा है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आप बीच में दखल न दें।

श्री परसराम मदेरणा : एस० डी० ओ० बिना किसी प्रकार की मौके पर जांच करे फैसला कर रहा है, लेवी वसूल करने के लिये इस प्रकार की शिकायतें.... ...

श्री विजयसिंह रावत : Point of information, sir !

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन नियमों में नहीं आता है।

श्री किशनलाल शाह : इस तरह की छोटी २ मिसालें तो बहुत हैं हम भी मानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की जो आपने शिकायतें बताई हैं कि एस० डी० ओ० बिना मौके पर जांच करे ही फैसला कर रहा है तो उसके बारे में मैं आज ही इस प्रकार के आदेश इश्यू करने वाला हूँ कि वह मौके पर ही ऐसे डिस्प्यूट का फैसला करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक राजस्थान के अन्दर जो लेवी भिन्न २ जिलों में वसूल हुई है मैं उसकी जानकारी भी सदन को देना चाहता हूँ। गंगानगर में ४७,३६० क्विंटल वसूल हुई है........

श्री जुझारसिंह : On a point of order, sir ! जो लेवी वसूल कर रहे हैं जिनमें दो-दो, तीन-तीन पानी देना चाहिये था उसकी जगह एक-एक पानी भी नहीं दिया गया तो वहां पर आप किस कानून से लेवी वसूल कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : जहां पर एक भी पानी नहीं दिया उसका क्या होगा।

श्री जुझारसिंह : जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दो-दो, तीन-तीन पानी देने का प्रावधान है लेकिन........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कोई नई बात नही कह रहे हैं। पहले भी फरमा चुके हैं।

(व्यवधान) (ग्रश्रव्य)

Order ! Order !

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : यह बात सही है कि गंगानगर जिले में भी पूरा पानी नहीं मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि जो लेवी जिलों में वसूल कर रहे हैं, वह ग्रब तक कितनी वसूल हुई हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में ४७,३६० क्विटल वसूल हुई है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे, रहे हैं मन्त्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप इसी बात को दो दफा फरमा चुके हैं, मंत्री महोदय उसका उत्तर दे देंगे ग्रगर ग्राप उत्तर देने देंगे।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर में..........

श्री विजयसिंह रावत : कितनी लेवी वसूल हुई ग्रौर कितनी करनी है यह सवाल दूसरा है, लेकिन जिस बर्बरता के साथ किसानों पर ग्रत्याचार किया जा रहा है, उसकी जांच करवायी जाय। सदन के पांच सदस्यों की कमेटी बना कर इसकी जांच करवाई जाय........

श्री परसराम मदेरणा : बर्बरता ग्रौर इस तरह के कुछ भी शब्द ग्राप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कोई ग्रत्याचार नहीं हुग्रा है। जहां पर भी हाई हैंडेडनेस हो जाती है........

(व्यवधान) (शोरगुल)

(माननीय सदस्य विजयसिंह बोलते रहे)

(ग्रश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री विजयसिंह रावत : किसानों के साथ जिस बर्बरता के साथ व्यवहार........

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(व्यवधान) (ग्रश्रव्य)

माननीय सदस्य विजयसिंह, ग्राप स्थान ग्रहण करें। जहां भावावेश में ग्राकर ग्राप इस तरह से जो यहां पर व्यवस्था की जाती है उसका उल्लंघन करते हैं यह उचित नहीं है। इतना ज्यादा समय दे दिया गया है उसके बाद में मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि मंत्री महोदय स्थान ग्रहण करें ग्रौर ग्रगले विषय को ले लेना पड़ेगा। इसलिये ग्राप पहले इनको उत्तर देने दें ग्रौर उसके बाद कोई बात रह जाय तो उन पर दो चार प्रश्न पूछने का ग्रधिकार होगा।

श्री विजयसिंह रावत : मैं आपके आदेश को, चेयर के आदेश को मानने को तैयार हूँ। मैंने पोइन्ट आफ इन्फोमेशन मांगा था लेकिन मन्त्री महोदय बैठे नहीं तो मुझे मजबूर होकर खड़े होकर कहना पड़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो हमेशा ही मजबूरी में ही खड़े होते हैं मैं निवेदन इसलिए कर रहा था और लेवी के आँकड़े इसलिए देना चाहता हूँ ताकि सदन को जानकारी रहे कि कहां २ पर कितनी लेवी वसूल हुई है। आज गंगानगर में ४७३६० क्वि० लेवी वसूल हुई है। जयपुर में ६१०१ क्विन्टल अलवर में ११४०० क्वि०, भरतपुर में ८०० क्वि०, बूंदी में २७३१ क्वि० कोटा में ५५५० क्वि०, पाली में ३००० क्वि०, चित्तौड़गढ में ३६८५ क्वि० भीलवाड़ा में ३००० क्वि० और सवाई माधोपुर में ३५०० क्वि। इस प्रकार कुल १,०४,-३१८ क्वि० लेवी वसूल हुई है।

श्री रामकिशन : आपने जो भरतपुर के लिए आठ हजार बताया है तो हमारे यहाँ तो चार तारीख को ही कह दिया था कि आठ हजार हो गई है। यह लेट सूचना है आपकी। बहुत पुराने आंकड़ों को कोट कर रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास में इन्फोर्मेशन है वही दे रहा हूँ। फिर मैं वेरीफाई कर लूंगा। आप भी वैरीफाई कर लीजिए। गलती हो सकती है। मेरे पास में टेलीफोन तो लगा नहीं है कि अभी की बात बता दूं। पांच तारीख की इतला है मेरे पास।

श्री रामकिशन : पांच की तो मैं भी कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : तीन तारीख से लेकर और दस तारीख के बीच की सूचना है कि कितनी लेवी वसूल हुई है। मैं लेवी के आंकड़े इस लिए देना चाहता था कि कई जिलों में ज्यादा वसूल हुई है तो कइयों में कम भी हुई है। इस लेवी के मामले में मैं खास तौर से जो खाद्यान्नों का संकट है, जो सीरियसनेस है, जो इमर्जेंसी है, उस इमर्जेन्सी के अन्दर माननीय सदस्य लेवी वसूली में राज्य सरकार की मदद करें और जितनी लेवी मिल सके, वह दिलायें। हम भी लेवी के पक्ष में अधिक नहीं है लेकिन भारत सरकार की भी बहुत ज्यादा मजबूरी है और अभी थोड़े दिनों पहले ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई थी और उस कांफ्रेंस के अन्दर फूड मिनिस्टर की अलग से भी कांफ्रेंस हुई थी और उसमें भी भारत सरकार ने इस बात को दोहराया है कि आप इण्टरनल प्रोक्योरमेंट की कोशिश करें क्यों कि आज जो इम्पोर्ट विदेशों से हो रहा है उसमें किसी वक्त भी कमी आ सकती है और कितनी कमी आ सकती है इस बात का अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसे समय में हमारी परेशानी और भी बढ़ सकती है। इस परेशानी से हम इसी तरह से बच सकते है। खरीफ की फसल अच्छी हो, बरसात अच्छी हुई है और मैं देखता हूं कि दो तीन महीने में इस समस्या के टाईड ओवर से निकल जायेंगे यदि बरसात अच्छी होती है।

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने यहां पर फूड की डिबेट में भी निवेदन किया था और मेरा यह मानना है कि इस साल की खरीफ की फसल अच्छी होगी और खरीफ की फसल अच्छी होने के बाद में प्रत्येक वर्ग की दूसरी पैदावार होगी और जो कोर्स ग्रेन है उसकी ज्यादा पैदावार होती है तो हमारे खाद्यान्न के भावों में और रबी की फसल पर भी अच्छा असर पड़ेगा और यदि बरसातें अनुकूल हो जाती हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट इलाके में जो फसली इलाका है वहां पर भी अच्छी बरसात है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि दो तीन महीने खाद्यान्नों की जो सीरियसनेस है वह मिट जायेगी और इस लेवी वसूली में माननीय सदस्य मदद देंगे, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

(प्रश्नव्य) (व्यवधान)

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : जिन लोगों को लेवी का अनाज लाकर देना पड़ता है ...

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! इसमें कोई सूचना देने की बात नहीं है।

श्री गंगासिंह : किराये का सवाल है साहब इसमें। लोगों को बीस बीस मील से लाकर अनाज देना पड़ता है।

श्री अमीलाल यादव : इसमें गोजरा होने का सवाल भी है। गोजरा बोया गया और गेहूं लिया जा रहा है। दो बातों का जवाब नहीं आया है एक तो ट्रांसपोर्ट चार्ज और दूसरा गोजरा के सम्बन्ध में। दो का जवाब नहीं आया है, इसलिए यह जवाब दिलाया जाय।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न उठाया था कि प्रोजेक्ट स्कीम के अनुसार भी दो तीन पानी देना चाहिए था लेकिन एक एक पानी दिया गया है। आपके रिकार्ड पर यह चीज मौजूद है, उसके बाद में भी आपने एक पानी वाली काश्त को भी सिंचित मान कर दूसरे के बराबर ही लेवी वहां पर ली है, इसका क्या जवाब है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह भी है और जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि एक किसान जिसके पास सात बीघा जमीन है तो उस सात बीघा के अन्दर पिलाई हुई है और उसमें अलग अलग चीजें बोई गई हैं। उसमें गेहूं भी है, जौ भी है, चना भी है, मोठ भी है और ये सारी की सारी डिटेल्स इर्रिगेशन पानड़ी में दी जाती है। उसके बावजूद भी पटवारी ने लगान अपने घर पर बैठ कर उसमें सारा का सारा गेहूं मांड दिया और उस पर लेवी लगा दी। इस प्रकार से रोंग एण्ट्री हो जाती है और अब एम० डी० ओ० के सामने इर्रिगेशन की पानड़ी रखी जाती है और जो असली ऑब्जेक्शन के साथ पेश किया मगर उसके बावजूद भी उस प्रकार के विवरण को सही नहीं माना जाता है।

Page No. 142

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इरिगेशन की रेट्स अलग अलग चीजों पर, जौ, चना गेहूं और मैथी पर अलग होती है। तो इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी जानकारी दें कि जहां पर इस प्रकार की गलती हो गई है उसको ठीक करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इसका भी उत्तर दें कि आपने फर्माया है कि जांच करायेंगे और जांच करने के बाद जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जायगी, लेकिन बात यह है कि जो कलेक्टर, एस० डी० ओ० और पुलिस अत्याचार कर रही है और आप आदेश देंगे उनको भी जांच करने के तो जांच तो वही होने वाली है जो हम जानते हैं पहले से ही। इसलिए इस सदन के ५ सदस्यों की समिति गठित की जाय और वह समिति इस बात की निष्पक्ष जांच करे कि वहां पर बर्बरता हुई है किसानों के साथ कि नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जुझारसिंह ने प्रश्न उठाया कि कई जगह ३-४ वाटरिंग से फसलों की पकाई होती है और जहां पर वाटरिंग एक ही हुआ है और एक वाटरिंग का रेकार्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अन्दर है तो इस मामले पर विचार करके गलत निर्णय ले लिये गये हैं और ऐसे कितने फैसले हैं और अगर होंगे तो निर्णय लेने की बात सोचेंगे कि क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। यह मामला हमारे राज्य सरकार के कन्सीडरेशन में मानकर चलना चाहिए।

दूसरी बात गिरदावरी की कही गई है तो गिरदावरी होती है तो सरपंच अपनी गिरदावरी करवाता है......

श्री रोशन लाल (सलूम्बर) : वह कहां है। गिरदावरी तो पटवारी ने की है। उसने ५० बीघा के अन्दर गेहूं बताया है और इरिगेशन की पानड़ी में आती है उसमें जो फसल होती है उसके मुताबिक जैसे जौ है, गेहूं है या चना है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो चार्जेज करता है तो वह सिंचाई तो चने की लेता है और पटवारी साहब गेहूं वसूल कर रहे हैं तो या तो आपकी पानड़ी गलत या इरिगेशन डिपार्टमेंट की पानड़ी गलत। एक तो आप गलत मानेंगे।

श्री नाथीसिंह : बात साफ है !

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल के बारे में.......

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने जो उठाया है यह क्वेश्चन रेकार्ड से सम्बन्ध रखता है।

श्री रोशनलाल : यह रेकार्ड में है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : रेकार्ड से सम्बन्ध रखता है फिर भी एस० डी० ओ० ने उसको नहीं माना।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये । मैं समझ गया उस बात को । मगर यह रेकार्ड से सम्बन्ध रखता है और गिरदावरी आपने की है या उन्होंने की है....

श्री रोशनलाल : गिरदावरी गवर्नमेंट के अधिकारी ने की है । हमने नहीं की हमारा नाम क्यों लेते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : गिरदावरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जो वह पिलाई करता है उसके बारे में आंकड़े हैं । ऐसे आंकड़ों में अगर बुआई की फसलें या रकबा दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसको कन्सीडरेशन में लिया जा सकता है । इरिगेटेड एरिया है तो निश्चित तौर से उसको कन्सीडरेशन में लेना चाहिये । इस तरह के आदेश मैं वायरलेस से दिलाऊंगा आज ही शाम को ।

यह जो हाइहैन्डेडनेस की बात कही है........

श्री रोशनलाल : उसका सारा आ गया ।

श्री परसराम मदेरणा : ...आप फालतू की बात कहना चाहते हैं । एक-दो मामले कोट किये हैं तो हमारे लेवी के आर्डर में है कि पुलिस को इस्तेमाल में नहीं लाया जाय लेवी की वसूली में । मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा और पूछूंगा कि कौन से गांव में पुलिस गई और क्यों गई, इसके पहले कि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दूं । आपके जिले में तो कोई प्रोब्लम है नहीं, फिर भी अत्याचार या हाई-हैंडेडनेस इस तरह की दूसरी बातें कहना मैं समझता हूं कि इन चीजों को ज्यादा शुगर-कोटिङ्ग करना है । इनको इतना बढ़ाकर मत कहिये, और जहां तक हाई-हैन्डेडनेस जुनाइन है उन्हीं केसेज को हाई लाइट करना चाहिये ताकि उन पर एक्शन लिया जा सके और इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जा सके ।

श्री नत्थीसिंह : किराये वाली बात और रह गई ।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल का जिक्र मंत्री महोदय ने नहीं किया । राजस्थान कैनाल एरिया में कोई पानी नहीं दिया गया है गेहूँ के लिये वहां पर भी लेवी वसूल की गई । इसके बारे में आपने उत्तर नहीं दिया है ।

दूसरा मन्त्री महोदय ने यह फरमाया है कि मोल खरीदा गया गेहूं राजस्थान कैनाल एरिया मे नहीं दिया गया—इसकी जांच करा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हू वहां पर मोल खरीद कर गेहूं जमा करते हैं । राजस्थान कैनाल एरिया में गेहूं में कोई पानी नहीं लगता है । अक्टूबर में नहर का पानी बन्द हो जाता है तो पानी कहां से आया है । इस बात का जवाब दें ।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष एक टेनेन्ट को दो एकड़ की छूट दी है । अगर कोई टेनेन्ट दो एकड़ से ज्यादा गेहूँ बोता है तो उससे लेवी ली जाय । मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीजी, दो एकड़ के अन्दर एक टेनेन्ट होता है लेकिन अगर एक

Page No. 144

श्र लाल करोल)

खाते के अन्दर चार हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से बराबर हैं तो वे अलग खाते माने जायेंगे या एक ही टेनेन्ट माना जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक ही खाता।

श्री नन्दलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा से एक सूचना आयी है कि दिनांक २५-६-६७ को कोटा में एक वेगन गेहूं का आया तो वह वेगन खुला हुआ था और उसमें ४४५ बोरी केवल थीं जिसमें से २५० बोरी गेहूं गल करके सड़ गई हैं। एक तरफ........

श्री परसराम मदेरणा : इसका सम्बन्ध इससे नहीं है।

श्री नन्दलाल : एक तरफ तो लेवी में इतनी ज्यादतियां बरती जा रही हैं और दूसरी तरफ अधिकारियों की गलती से गल्ला सड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्रवणलाल : वह लेवी का गल्ला है।

श्री नन्दलाल : कोटा जिले में इतनी ज्यादतियां बरती जा रही हैं दूसरी तरफ मनों गल्ला खराब हो रहा है यह सोचने की चीज है।

श्री नत्थीसिंह : किराये के बारे में कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात वहां पर कही है कि कलेक्टिंग सेन्टर्स पर जो काश्तकार अनाज लाता है तो उसको किराया दिया जाना चाहिये। मैं कहता हूं यह बात कि कलेक्टिंग सेन्टर्स पर लाने के लिये ट्रांसपोर्ट चार्जेज देना चाहिये या नहीं इसके बारे में राज्य सरकार के मंत्री मण्डल में पहले विचार किया गया था। जिस वक्त में गेहूं की प्रोक्योरमेंट प्राइसेज में १०-१० रुपये बढ़ाये गये थे तो उस वक्त इस बात को भी कन्सीडरेशन में लिया गया था और उसके बाद रेट्स बढ़ाये गये थे।

श्री नत्थीसिंह : वह तो चूंकि मार्केट प्राइस ज्यादा थी इसलिये बढ़ाया गया था।

श्री अमीलाल यादव : वह तो बिल्कुल बेगार हो जायगी अगर चार्जेज नहीं दिलायेंगे तो।

श्री परसराम मदेरणा : यह पाइन्ट मंत्री मण्डल के सामने आया था कि ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज नहीं दे रहे हैं तो कम से कम रेट बढ़ा दिये जायं। ट्रांसपोर्ट चार्जेज के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ८४ रुपये क्विंटल में लेवी ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्जेज देना शुरू कर दें तो मार्केट रेट के बराबर पड़ता है। उसको कमी वाले इलाके में भेजेंगे तो जो लेवी का परपज है कि सस्ते दाम में कन्ज्यूमर को गेहूं मिलना चाहिये

(श्री परसराम मदेरणा)

वह परपज दूर हो जायगा। एक तरफ तो मांग करते हैं कि नसीराबाद में अनाज नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि लेवी वसूल मत करो। एक तरफ मांग करते हैं अनाज का कोटा बढ़ाने की और दूसरी तरफ कहते हैं कि लेवी मत लो और बहरी और गूंगी सरकार कहते हैं। अगर राजस्थान सरकार के पास स्टाक होता तो वह लेवी नहीं लगाती। मैं खुद ही नहीं चाहता कि लेवी लगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी हर सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मेरा यही कहना है कि सब्सिडी देकर लेवी वसूल करें। यह नहीं करते हैं तो फिर आप जानें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय की यह मजबूरी है। वे अगर यहां बैठते तो वे भी ऐसा ही करते। चौधरी चरणसिंह हो गये, कुर्सी पर बैठे तो उनकी भी यही मजबूरी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भगवान की कृपा है कि बैठने को नहीं मिला। आपको ही मुबारक हो।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को सब बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं।

श्री नत्थीसिंह : लेवी वाले सिद्धान्त का हमने विरोध किया है यू० पी० में।

श्री परसराम मदेरणा : वह सिद्धांत किस काम का ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह राज करना थैंकलेस टास्क है कोई भी जाये कोयले का टीला होगा।

श्री रोशनलाल : बहुत अच्छा किया आपने।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी चर्चा यहीं समाप्त करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त करें।

श्री पी.के. चौधरी : रोंग एन्ट्रीज कर....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, इस लेवी के सम्बन्ध में जो ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभी जिलों से आने वाले माननीय सदस्य अपने अपने जिलों की कठिनाइयां रखना चाहते हैं और स्वाभाविक भी है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जब वह अपने अपने इलाके में जाते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता हैं उनको नजदीक से नजदीक एम. एल. ए. मिलता है और उसके पास वह अपनी शिकायतें स्वभावतः रखते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वैसे जो एडजोर्नमेंट मोशन राजस्थान में लेवी के सम्बन्ध में रखे गये हैं उन पर परसों सरकार की तरफ से वक्तव्य होगा। माननीय मंत्री की ओर से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कल साइक्लोस्टाइल्ड इस लेवी का मूल आदेश, उसमें किये गये अब तक के संशोधन, उसके बाद अब तक वसूल की गई लेवी और जो कुछ भी यह सारा मसला है उसके सम्बन्ध में हो सकते हैं, उनका एक कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट और गवर्नमेंट का आफिसियल वर्सन इस बारे में है, जो मुद्दे यहां पर कहे हैं-उनकी साइक्लोस्टाइल्ड कापी माननीय सदस्यों के पास पहुंचा दें। वह एक प्रकार से गवर्नमेंट की चीज होगी और माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो जो स्थानीय लेवल की कठिनाई आती है, तो उनके पास कोई ओथोरेटेटिव चीज रहती है तो उसके आधार पर वह मार्ग दर्शन दे सकते हैं कि यह गवर्नमेंट का आफिशियल वर्सन है, यह गवर्नमेंट का लेवी आर्डर है, यह शिड्यूल था, यह अमेंडमेंट किये गये हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजें, मैं समझता हूं, सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुंच जायं। ऐसे महत्वपूर्ण आदेशों के सम्बन्ध में एक परम्परा बना लें, और भी सरकार। ध्यक्ष जी भविष्य के लिए यह परम्परा बन जाय। आखिर जो ऐसे पब्लिक आर्डर है पब्लिक यूटीलिटी के मैटर्स हैं, ऐसे आदेशों की प्रतियां यदि माननीय सदस्यों के पास पहुंच जांय, तो ऐसे मामलों में, जिनका जनता, सरकार और जन प्रतिनिधियों से सम्बन्ध होता है, और मैं समझता हूं, जो आप सहयोग की बात करते हैं, वह सहयोग आपको जन प्रतिनिधियों से मिल सकता है। केवल समाचार पत्रों में वक्तव्य छपवा देने से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। वास्तविक रूप से आपको सहयोग तब मिल सकता है जब सब बातों की जानकारी रहेगी। एक बात।

दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और गैर कांग्रेसी सरकारों ने जिस प्रकार से लेवी लेने के मामले में काश्तकारों को अट्रेक्ट करने के लिए इन टाइम उनको जो चीजें दी हैं उसी तरह से क्या राजस्थान में यह नहीं की जा सकती कि लेवी उनसे लेते हैं तो उनको ऐसे अट्रेक्शन दे दिये जायं कि जो लेवी देगा उसको दस किलो खांड का, बीस किलो खांड का परमिट मिलेगा, उसको सीमेन्ट अच्छी तरह से मिल जायगी, उसको और चीजें मिल जायेंगी। वह चीजें इन टाइम दें। ज्यादा से ज्यादा लेवी ली जाय और उनको चीजें दी जायं। उसमें कीमत का भी कोई झगड़ा नहीं रहेगा। इन टाइम पेमेन्ट हो जायगा। यह और स्टेट्स में किया जा रहा है जहां लेवी के टार्जेट्स को एक्सीड कर दिया गया है। राजस्थान में टार्जेट से पीछे तो रह गये हैं साथ ही हरेसमेंट की शिकायतें भी आ रही हैं वह ज्यादा हैं। आज दो ढई घण्टे की चर्चा केवल जयपुर डिस्ट्रिक्ट की कठिनाइयों को लेकर हुई है वह इस बात का सबूत है कि राजस्थान में लेवी के मामले में भयंकर ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन सारी बातों की जानकारी, परसों आप स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट के पहले इन तमाम आदेशों की कापी माननीय सदस्यों को वितरित कर दें तो परसों विचार करने में सहूलियत रहेगी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के आर्डर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : लेवी के आर्डर की कापी माननीय सदस्यों को सेशन की शुरूआत में सरक्यूलेट कर दी थी। उसके बाद में रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स हैं और जो पेटा काश्त के सरक्यूलर्स निकले हैं, उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक वह माननीय सदस्यों को वितरित हो जायं ताकि माननीय सदस्यों को जानकरी हो जाय। उसके बाद में तीसरा ..

एक माननीय सदस्य : पुलिस वाला भी।

श्री परसराम मदेरणा : जो अमेंडमेंट किया गया है। प्रोक्योरमेंट की प्राइसेज, जैसा मैंने सदन में कहा था, दस दस रुपये पर केटेगरी पर बढ़ाई थीं, उसका अमेंडमेंट किया है। उसके बाद और अमेंडमेंट नहीं किये हैं। आरिजिनल अमेंडमेंट को सभी माननीय सदस्यों को शुरू शुरू में वितरित किया गया है...

श्री राम किशन : वह मिल गया है।

श्री परसराम मदेरणा : इस आर्डर की कापी इस सदन का सदस्य होने के नाते मेरे पास भी आई है। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को मिल गई है....

श्री राम किशन : पहले वाले की मिल गई है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सरक्यूलर्स जरूरी हैं, उनकी साइक्लोस्टाइल्ड कापी माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव मैंने रखा था, उसका उत्तर माननीय मंत्री दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। परसों (व्यवधान) आर्डर प्लीज ! परसों इस विषय पर और चर्चा हो रही है। परसों इन सब बातों को और उठाया जा सकता है। अब इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं उत्तर चाहता हूं, राजस्थान कैनाल का पूरा पानी नहीं दिया गया है तो फिर कैसे लेवी ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात पर थोड़ा ध्यान कीजिये कि जयपुर जिले की चर्चा थी। आपकी सुविधा के लिए बोलने का अवसर दिया था। परसों फिर यह मैटर सदन के सामने आ रहा है। कृपया उस दिन तक ठहर जाइये। अब चर्चा समाप्त की जाती है। (व्यवधान) Order please ! विधायी कार्य।

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६७। खंडशः विचार ! खंड ७ !

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटेंशन मोशन था .. ..

एक माननीय सदस्य : तेरह को है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह कैसे हो सकता है। वह आज के लिए था।

श्री पी० के० चौधरी : पढ़िये, इसके नीचे। तेरह लिखा हुआ है। थर्टीन्थ।

(२.४८ म० प०)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६७ पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, बजाज साब में मेरा संशोधन यह है कि—"In the new proviso proposed to be added in the first line after the word "dealer" insert the words 'who deals only in sales tax paid goods, or."

इन शब्दों को जोड़ने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जो गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट सजेस्ट किया गया है वह इस तरह से हो जायगा :

"Provided that in the case of a dealer who deals only in sale stax paid goods or whose turnover as determined in the last assessment order passed in his case, does not exceed such limit as may be notified by the state government in the offiical gazette in this behalf, the assesement and determination of tax due shall be made for two years at a time by one single order, after all the returns in respect of such period of two years have become due" ......

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार सरकार की ओर से यह संशोधन उन डीलर्स के लिए जो छोटे हैं और जिनका असेसमेंट एक पर्टीक्यूलर मात्रा से अधिक नहीं होता उनको रिलीफ देने के लिए हो, बजाय इसके कि उनका सालाना असेसमेंट हो उनका दो साल में असेसमेंट करने की सुविधा दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह

(२.५० म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

सजेशन है इसके साथ एक ऐसे डीलर की ओर भी कठिनाई है जो सेल्स टेक्स का लाइसेन्स लेता है लेकिन वह जनरल सेल्स टैक्स पेड गुड्स में डील करता है। रिटर्न भी उनका देना पड़ेगा, असेसमेंट भी उनका कराना पड़ेगा ....

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया, मैं आपकी इजाजत से वित्त मंत्री महोदय से इस प्रश्न पर एक जानकारी चाहूंगा। यह धारा १० सब क्लाज १ का, जिसके बारे में प्रोविजन लेकर आये हैं,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

इसके अन्तर्गत अगर कोई व्यापारी जो उसको तिमाही रिटर्न देना है, समय पर दे देता है तो असेसमेंट आथेरिटी बिना उस व्यापारी को बुलाये, उसके टर्न ओवर के आधार पर असेसमेंट निर्धारित कर देता है। इसमें में जानकारी चाहूंगा कि जिस सेक्शन के अन्तर्गत आप यह प्रावधान ला रहे हैं...। राजस्थान के अन्दर एक भी ऐसा केस है जहां पर बिना उस व्यापारी को बुलाये केवल उसे टर्न ओवर के आधार पर असेसमेंट किया है। ऐसा नहीं है। तो इस प्रोविजो को लाने की क्या आवश्यकता है। जब कि आज तक एक भी व्यापारी को बिना बुलाये केवल उसके टर्न ओवर के आधार पर असेसमेंट नहीं किया गया?

श्री मथुरादास माथुर : कह गये ?

You have moved your amendment ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : Yes ! Yes !

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदया, मुझे खेद है कि मैं इस अमेंडमेंट को मानने में मजबूर हूं, मैं इस अमेंडमेंट को नहीं मान सकता। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया कि एन्युअल असेसमेंट न होकर कुछ केटेगरी के टर्न ओवर के डीलर्स हैं उनका दो साल का असेसमेंट कर लिया जाय, दो साल का असेसमेंट करेंगे तो इससे हरेसमेंट कम होगा इस लिए यह अमेंडमेंट लाये हैं। बजट स्पीच में मैंने कहा था कि हरेसमेंट कम करेंगे इसलिये यह अमेंडमेंट लाया गया है। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि पेड सेल्स टेक्स के डीलर्स ज्यादा हों। जितना लोंग प्रोसेस हो उतना ही हरेसमेंट ज्यादा होता है। ला सिम्पल होता है उससे आराम रहता है। ५० हजार तक का टर्न ओवर जिनका है, उनका दो साल में एक दफा असेसमेंट हो जाय। अब सवाल........

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं तो केवल यह जानकारी चाहता हूं कि जिस सेक्शन के तहत अपने अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रोविजन लाये हैं, उसके तहत इस प्रकार का निर्धारण है कि स्वत: तिमाही का टर्न ओवर दिया जाता है, उस पर असेसमेंट ओथोरिटी असेसमेंट कर देती है। क्या आज तक एक भी ऐसा केस है कि जहां व्यापारी को दुबारा न बुलाया जाकर केवल टर्न ओवर के आधार पर ही असेसमेंट कर दिया हो ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न प्रश्न नहीं है। व्यापारी को बुलाया जा सकता है। हम समझते हैं कि ५० हजार से ज्यादा टर्न ओवर हैं तो बुलायेंगे और हम समझते हैं कि जो उसने दिया है वह ठीक है तो नहीं बुलायेंगे।

मैं निवेदन कर रहा हूँ कि व्यापारी को बुलाना न बुलाना कानून में कोई अहमियत नहीं रखता। हमारी स्कीम आफ थिंग्स है कि १५ हजार तक जिनका टर्न ओवर है उन व्यापारियों को बुलाते नहीं, सेल्स टैक्स लेते नहीं। इसके बाद एक लेटर स्टेज और किया है, १५ हजार से ऊपर के डीलर्स हैं, छोटे

(श्री मथुरादास माथुर)

व्यापारी के टर्न ओवर में नहीं आते हैं. एक्सेप्शन में नहीं आते हैं, उनका असेसमेंट दो साल में एक बार करेंगे। ५० हजार का थिंकिंग है, इसको और ऊपर कर सकते हैं, उससे ऊपर के हैं उस हिसाब से कानून बना हुआ है चालू रहेगा। आपने कहा कि जो सेल्स टैक्स पे कर चुके हैं, उनसे असेस किया ही नहीं जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे कहने का मतलब है सेल्स टैक्स पेड गुड्स में जो डील करते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे व्यापारी हमारे यहां लाखों की तादाद में नहीं हैं दो चार होंगे। इस प्रकार का प्रोवीजन रखेंगे तो वे नान पेड सेल्स टैक्स का भी धंधा शुरू कर देंगे, फिर तलाशियां होंगी और कहेंगे कि हरेसमेंट कर रहे हैं, गरीब जनता मर रही है, असेम्बली में तो ५० हजार का टर्न ओवर करने वाला भी गरीब हो जाता है, इसलिये मुझे खेद है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्रीमती सभानेत्री : श्री पी० के० चौधरी।

श्री मथुरादास माथुर : मूव ही नहीं किया।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि उनकी अदम मौजूदगी में इसे नामंजूर कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मूव ही नहीं किया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय रामानन्दजी आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस नहीं ले रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप वापिस ले लीजियेगा, बहतर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वोट करवा लीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्दजी ने जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लाज ७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाज ७ स्वीकार किया गया।

क्लाज ८ पर अमेंडमेंट नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लाज ८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्रीमति सभानेत्री)

क्लाज ८ स्वीकार किया गया।

क्लाज ६

श्री रामानन्दजी अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्री महोदया, क्लाज ६ में एक नया प्रोविजो जोड़ने का मेरा संशोधन है, वह इस प्रकार है :

"The following provisos be added at the end of new section 10 C sought to be added :—

"Provided that the assessing authority may, if such application is made within time, and there are prima-facie sufficient grounds for likely acceptance of such application, stay the realisation of assessing tax till the application is finally disposed off. Provided further that in case the assessing authority issues a stay order for realisation of tax, the application must be disposed off within one month of issuing of such stay order."

इसका मकसद सभापति महोदया, यह है कि पहले इस प्रकार के जो रिटर्न्स आते पेश नहीं करते थे उस पर सेल्स टैक्स आफीसर अपने बेस्ट जजमेंट डिलीवर कर देता था, उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती थी। अब इस सेक्शन के जरिये एक अपील प्रोवाइड की गई है।, असेसमेंट के रीओपनिंग का प्रोविजन किया गया है। रीओपनिंग का जजमेंट कर दिया पर उस जजमेंट में जो करीब एक्सपार्टी जजमेंट होता है, जो किसी वजह से मालूम नहीं हो सका डीलर, उस पर एक तरफा टैक्स लगा दिया। उसको हार्डशिप समझ कर रीओपन करने का प्रोविजन किया है। इन्कम टैक्स में भी इस प्रकार का प्रोविजन है, उसी प्रकार यह प्रोवीजन किया गया है। अब यह सहूलियत दी गई है तो लोजिकली जो एक्स पार्टी टैक्स लगाया गया है, उसके पेमेंट को इन्सिस्ट नहीं करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अपील दायर कर दी और गुम हो जाय और वह अपील सालों तक चलती रहे और टैक्स इवेड हो जाय। इसलिये मैंने इसके लिये काशन लिये हैं। पर अपील में काशन जरूरी नहीं। ऐसी प्राइमाफेसी अपील हो, जिसके मंजूर होने की आशा हो तो उस हालत में टैक्स का रियेलाइजेशन स्टे कर दिया जाय। जिसमें स्टे कर दिया जाय, उस अपील को पेंडिंग नहीं छोड़ा जाय। एक महिने के अन्दर अन्दर फैसला कर दिया जाय ताकि स्टे ज्यादा लम्बा नहीं रहे। इससे स्टे के ज्यादा लम्बे पड़े रहने के चान्सेज नहीं रहेंगे। एक्सपार्टी टैक्स लगा दिया तो एक दफा तो पेमेंट करना ही पड़े इससे हर तरह के विक्टिमाइजेशन की गुंजायश रहती है इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह अमेंडमेंट उसी कान्सेप्ट में है, पार्लमेंट ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अमेंडमेंट मूव किया है उसका सप्लमेंटरी है। मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, माननीय रामानन्दजी ने जो तरमीम रखी है, मुझे खेद है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। कारण यह है कि पूरे सेल्स टैक्स एक्ट और इस बिल की भाषा को देखें, स्कीम आफ थिंग्स को देखें तो अपीलेट अथोरिटी को स्टे करने के पावर नहीं दिये गये हैं। नोरमल अपील जो करेगा तो उसका स्टे आर्डर करने का अधिकार अपीलेट अथोरिटी को नहीं दिया है। जो सिम्पल सवाल है, उनके लिये होल स्कीम में नहीं है।

(३ म० प०)

स्कीम आफ थिंग्स शब्द दिया गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स जो हैं जैसे कामर्शिल टैक्सिज आफीसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट की उसको कुछ पावर्स हैं। फिर जो डिप्टी कमिश्नर हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको पावर्स दी गई हैं कि वह स्टे करें। इसकी वजह यह है कि मैंने इस आइडिया को डेवलप किया है इन्कम टैक्स की अपील में एपेलेट अथोरिटी को स्टे करने के अधिकार नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर्स को हैं। वह आफिसर इस बात को जानता है। एपीलेट अथोरिटी नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, इन्वेरीबली सुनता है चाहे भाषा लिखी है प्राईमा फसी मालूम हो जाय। प्राईमा फेसी पहली हीयरिंग से मालूम नहीं पड़ती है जब तक डिटेल्स में नहीं जाय तो वह स्टे कर देगा। आजकल एपीलेट अथोरिटी देश भर में हैं वे होते जा रहे हैं। तो अगर वे स्टे करते जायेंगे तो मेरा टैक्स का मामला तो ठप्प हो जायगा और आप कहेंगे कि एरीयर्स बहुत हो गए हैं, वसूली नहीं हो रही है, सरकार के करोड़ों रुपए एरीयर्स के हो रहे हैं। आप आज फिगर्स को देखें, ३०-४० परसेंट स्टे की वजह से पड़े हुए हैं। तो मुझे एक्यूज्ड की तरह सदन में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए वह अपील पेश कर दें, असेसिंग अथोरिटी के पास चला जाय, डिप्टी कमिश्नर के पास चला जाय जिसका जुरिस्डिक्शन या डिस्ट्रिक्ट आफीसर के पास चला जाय, जाकर कहें कि मैंने अपील पेश कर दी है तो वह स्टे कर सकता है एपेलिट अथोरिटी को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसके कारण हैं। इन्कम टैक्स में भी अधिकार नहीं है। इसलिए इन तरमीमों को मैं मन्जूर नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपील का मामला नहीं है This is a matter of fact a review before the assessing authority. जिस पर सेल्स टैक्स लगाया है एक्स पार्टी, पेश नहीं हुआ। चाहे खुद पहुंच नहीं सका, नोटिस नहीं मिल सकता। इसलिए अगर एक्स पार्टी जजमेंट्स होते हैं या रिटर्न्स पेश नहीं हुए........

श्री मथुरादास माथुर : एसेसिंग अथोरिटी को लिमिटेड पावर्स हैं। स्टे की पावर्स अलग कैटेगरीज में हैं, वे स्टे के मामले में एक्ट की स्कीम जहां तक हैं, स्टे दे सकते हैं और राज्य सरकार की मन्शा है कि कम से कम स्टे देने चाहिए क्योंकि बाद में यदि

(श्री मथुरादास माथुर)

फैसला हो जाता है तो यह रकम एडजस्टीबल है। अगर एक हजार का टैक्स देना पड़ रहा है और ५००) का अन्याय हो रहा है तो ५००) एडजस्ट हो जायेंगे और ५००) आगे चले जायेंगे। राज्य सरकार पैसे लेकर भागती तो नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : (श्री रामानन्द अग्रवाल से) आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

(माननीय सदस्य द्वारा कुछ नहीं बोला गया)

प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द ने जो संशोधन पेश किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खंड ९ पास किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ९ स्वीकृत हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : खंड १० में कोइ तरमीम नहीं है, इसलिए पास किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि खंड १० पास किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १० स्वीकार किया गया।

श्रीमती सभानेत्री : खंड ११। श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लाज ११ में मैंने दो संशोधन रखे हैं :—

(1) In the porposed first proviso for the figures and the words '3 months' substitute the words 'one month.'

(2) In the proposed second priviso for the figures 'Rs. 5000/- substitute the words 'the amount of tax which is suspected to be evaded.

जो सरकार की तरफ से प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है, इसमें जो कागजात सीज किए जाते थे और जिसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं था कि इतने समय में वापस कर दिए जायं, उसके लिए सरकार ने तीन महीने का समय इस संशोधन द्वारा निर्धारित किया है। मैंने उस संशोधन में तीन महीने के बजाय, एक महीने का समय रखने की तजवीज की है। मैं समझता हूं कि यदि किसी ऑफीसर को उसमें कुछ देखना है तो एक महीने का समय भी अपने आपमें बहुत काफी होता है और इमीजिएटली उनको रीजन्स तो देने ही होते हैं, जब भी कागजात सीज करने पड़ेंगे तो रीजन्स देने पड़ेंगे तो उनको कागजात एक बार प्रेलिमिनरी तौर पर देखने होंगे। इसलिए मैं

Page No. 154

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझता हूँ कि उनको कम से कम हैरेसमेंट हों, इसलिए इस पीरियड को एक महीना किया जाय।

दूसरा सजेशन यह है कि इसमें रखा है कि कागजात वापस करते समय उनसे ५ हजार रुपये तक की जमानत ली जा सकती है। मैं समझता हूँ कि यह ५,०००) आरबीट्रेरी रकम है, इसका कोई आधार नहीं है। कागजात रखने का कारण टैक्स इवेजन हो सकता है। अगर टैक्स इवेजन ५० हजार का हो तो ५ हजार बहुत कम होगा और अगर टैक्स इवेजन केवल ४५००) का हुआ तो ५ हजार बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैंने सजेस्ट किया है कि बजाय आप इस रकम को इसमें रखें, मैं समझता हूँ कि जितना भी टैक्स इवेजन का खतरा हो, उसके अनुपात से, उसके नजदीक में, एमाउंट की सिक्योरिटी ली जानी चाहिए ताकि हेरफेर एकाउन्ट्स में न कर दिये जायं और इसलिए इस आरबीट्रेरी रकम को हटाकर टैक्स इवेजन की रकम के आधार पर सिक्योरिटी रखी जाय। ये मेरे दो संशोधन हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे फिर खेद है कि मैं दोनों तरमीमों को मंजूर नहीं कर सकता। कारण यह है कि राजस्थान में आज तक सेल्स टैक्स के अन्दर जो कुछ भी डाक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स या बहियां सीज किये जाते थे, उसमें कोई टाइम-लिमिट नहीं थी। पहली बार इस संशोधन के जरिए टाइम-लिमिट रखी है। हमारे यहां पर असेसिंग ऑथोरिटीज के पास इतना वर्कलोड रहता है कि उन लोगों के बेस्ट एफर्ट्स होते हुए भी कुछ न कुछ समय लग जाता है और इसलिए अगर मुझे आगे जाकर मालूम पड़ा अनुभव के बाद तो तीन महीने की लिमिट को मैं रिवाइज कर सकता हूँ, मगर पहली बार इसके लिए टाइम-लिमिट रखी है तो इतनी रीजनेबल टाइम-लिमिट तो होनी चाहिए और एसेसिंग ऑथोरिटीज के पास जो वर्कलोड है, मैं जानता हूँ। तीन महीने की मैंने मैक्सीमम लिमिट रखी है। यह नहीं कि हर केस में तीन महीने लगने चाहिए; आर्डिनरिली एक महीने हो जाना चाहिए लेकिन लिमिट देते वक्त मैंने यह मैक्सीमम लिमिट रखी है। मेरे ख्याल से रामानन्दजी इससे सहमत होंगे।

दूसरी बात हमने कही है कि मान लीजिए कि बहियां तीन महीने के बाद लौटा दीं फिर आगे जाकर कोर्ट के लिए या अपील के लिए या एसेसमेंट के फाइनलाइजेशन के लिए वह फिर पेश नहीं करता तो यह किया है कि सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो ५ हजार रखा है वह नोशनल है। यह सिक्योरिटी पेमेंट की नहीं मांगी गई है। यह इसलिए है कि वह बहियां पेश करेगा। अगर शरीफ आदमी है तो वैसे ही पेश कर देगा, सैल्स टैक्स से बचकर कहां जाएगा? फिर मैंने रखी है ५ हजार की सिक्योरिटी। यदि वह लिक्वीडेशन में आ जाय, दीवालिया हो जाय, फिर भी बहियों के लिए मैंने ५ हजार रखा है। ज्यादा फिगर करने में और भी डिफीकल्टी हो जाएगी। आपके क्लाज को मानलें तो एक लाख का सस्पेक्टेड टैक्स है, सस्पेक्टेड टैक्स जानना मुश्किल होता है। आप कहेंगे एक लाख, मैं कहूंगा २५ हजार तो सस्पेक्टेड टैक्स की एक नई इन्क्वायरी शुरू हो जाएगी। इसलिए ५ हजार रखा है; एवरेज समझ कर रखा है, जो

(श्री मथुरादास माथुर)

बिल्कुल वाजिब है। मेरे ख्याल से रामानन्दजी इसे मंजूर करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है....

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं पॉइन्ट आउट करना चाहती हूं। इस क्लाज की लेंग्वेज का कन्स्ट्रक्शन है वह लीगल लेंग्वेज के मुताबिक ठीक नहीं है—

'Provided further that before returning the accounts etc., this word etc., is vague. It should be specified."

यह इस तरह होना चाहिये। जैसे ऊपर वाले क्लाज में दिया हुआ है।

'Provided that the accounts, registers and documents so seized,— it should be specified like this otherwise it is vague. So my submission is that these words should be added.

श्री मथुरादास माथुर : रिपीट कर दिया जावे। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे यह सुपरफ्लुस है।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्दजी ने जो ऐमेंडमेंट प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ११ स्वीकार किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक संशोधन और था माननीय सदस्या का।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो बाद में भी ठीक हो सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : खण्ड १२ में कोई संशोधन नहीं रखा गया। तो प्रश्न यह है कि खण्ड १२ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ स्वीकार किया गया।

खण्ड १३ और १४ इनमें भी कोई संशोधन नहीं रखा गया था।

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ और १४ दोनों स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड १३ और १४ दोनों स्वीकार किये गये।

खण्ड १५ में संशोधन आया था पर मूव नहीं किया गया। इसलिये इसको मूव

(श्रीमती सभानेत्री)

नहीं माना जाकर खण्ड १५ को भी स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १ अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और नाम स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

खण्ड १ अधिनियमनसूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्री महोदया, इस बिल को पारित किया जावे।

श्रीमती सभानेत्री .प्रश्न यह है ....

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो बोलने के बाद में पैदा होता है।

सभानेत्री महोदया, इस विधेयक के संबध में सदन में काफी चर्चा हुई है। सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो टैक्स राजस्थान की गरीब जनता पर सीधे प्रभावशील होते थे उनका विरोध किया। सरकार को तरफ से टैक्स वसूल करना है और टैक्सों से सरकार की आय को बढ़ाना है, इस दृष्टिकोण से जो भी टैक्स के विरोध में मुद्दे उठाये गये, उनका उत्तर देने की चेष्टा की गई है।

माननीय वित्तमन्त्री जी के भाषण से तो ऐसा लगता था कि यदि सरकार ने बिक्रीकर के माध्यम से टैक्स नहीं लगाये तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति कन्ट्रोल से बाहर जा सकती है, और यदि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को बनाकर रखना है तो टैक्स लगाने के अलावा राज्य सरकार के पास और किसी प्रकार का कोई साधन शेष नहीं रहा।

सभापति महोदया, टैक्स लगाने का आम तौर पर कोई विरोध नहीं किया जाता। यह भी निर्विवाद साफ रूप से सत्य है कि टैक्स के बिना सरकार की आमदनी नहीं हो सकती। लेकिन टैक्स की एक सीमा है। एक मर्यादा है कि टैक्स पेयर भी टैक्स देवे, सरकार के पास में भी पैसा चला जावे और टैक्स पेयर के पास इतनी सेविंग भी हो जावे कि उस सेविंग के माध्यम से जिस व्यवसाय से टैक्स दे रहा है वह चाहे उद्योग हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, किसी भी प्रकार को एक आर्थिक व्यवस्था हो, उसको भी वह सुरक्षित बनाकर रख सके, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि सरकार स्वयं अब इस नतीजे पर पहुंच गई कि जनता की टैक्स देने की क्षमता हो या नहीं, इस बात की कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार स्वयं भी यदि मान कर चले कि जनता में टैक्स देने की क्षमता समाप्त हो गई और इसके बाद भी टैक्स इम्पोज करने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

माननीय मन्त्री महोदय को पता होगा कि राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना,

(श्री भैरोंसिंह)

इसका जो ओरिजिनल उन्होंने ड्राफ्ट सदन में प्रस्तुत किया था, और सदन में नहीं भारत सरकार को जो प्रस्तुत किया था, उसमें स्वयं राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजस्थान की जनता अब अधिक कर भार को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मैं उस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो एक्स्ट्रेक्ट है सदन में पढ़कर सुनाना चाहूंगा ताकि माननीय वित्त मन्त्री जी जो उस समय योजना मन्त्री थे और इसके नाते ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किये और मोहर लगाई वह आज के तीन वर्ष पहले किस स्थिति को स्वीकार करते हैं और आज चूंकि वित्त मन्त्री बन गये उस हालत में यह टैक्स प्रोपोजल मूव कर रहे हैं इसकी जानकारी सदन को देना चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : योजना मन्त्री अब भी हूं।

श्री भैरोंसिंह : योजना मन्त्री भी हैं। तो जो ड्राफ्ट २३ मार्च, ६४ को सरकार ने तैयार किया था आज तीन वर्ष हो गये। ३ वर्ष पहले जिस स्थिति को सरकार ने स्वीकार किया योजना के प्रारूप में उस स्वरूप में लिखा है—

"That the increasing requirement of funds for development purposes, the burden of taxation in the State, as in the country as a whole, has increased considerably. In the course of last 15 years due to inflationary trend in the economy and shortage of consumer goods the prices have recorded a rising trend. This has naturally caused a considerable burden on the people."

इसके आगे लिखा है, इतना ही नहीं

"The degree of sacrifice is high and the prices will limit the increase of revenues in the State..........''

अब इस बात को ६४ में राज्य सरकार ने स्वीकार किया। यह उस हालत में स्वीकार किया था जिस हालत में हम तीसरी पंच-वर्षीय योजना के काल में चल रहे थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो राज सरकार ने बहुत बड़ा धोखा जनता को दिया। माननीय मन्त्री जी को जानकारी है प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में इस राज्य सरकार ने कोर बिना प्लान बनाई २३६ करोड़ की उसे घटाकर २०८ करोड़ किया था और उस के साथ राज्य सरकार ने जहां ३२ करोड़ का टैक्स लगाने का प्रावधान था, २४ करोड़ का प्रावधान रखा था, वह नोट आज मेरे पास है। अगर सुनना चाहें तो पढ़कर सुनाऊं। लेकिन २३६ करोड़ की योजना घटाकर २०८ करोड़ हो गई। इसके साथ-साथ एडीशनल टैक्सेशन ३२ करोड़ का २४ करोड़ करना चाहते थे। २४ करोड़ से बढ़ाकर हमने तीसरी योजना में टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई है ३२ करोड़ नहीं, बल्कि ३३

(श्री भैंरोंसिंह)

करोड़ तक वसूली की है। तो तीसरी योजना में जो जनता को वादे किये थे उनके खिलाफ हमने अधिक टैक्स वसूल किये।

६४ में राज्य सरकार स्वीकार करके चलती है कि राजस्थान की जनता सेक्रीफाइस के पॉइन्ट ऑफ व्यू से एडीशनल टैक्सेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से एडीशनल टैक्स बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रही है, तो दो आधारों पर सरकार ने निर्धारित किये हैं। इन दोनों आधारों पर मोरल ड्यूटी सरकार की नहीं रहती कि राजस्थान की जनता पर नये टैक्स लगावे।

अब सरकार कई बार इन टैक्सों के जवाब में कुछ लग्जरी गुड्स, कन्ज्यूमर्स गुड्स के नाम पर डिफरेन्सियेशन करने की कोशिश करती है। पर प्रत्यक्ष में देखने की कोशिश करें तो अमीर लोग ही इन का उपयोग करते हैं, इसके नाम पर टैक्स लगाते हैं जैसे रेफ्रीजरेटर पर टैक्स लगाया, न मैं रेफ्रीजरेटर का हामी हूं, न उसमें पड़ी वस्तुओं का उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, न खरीद के पक्ष में हूं। पर आपकी बात कहता हूं रेफ्रीजरेटर पर टैक्स लगाया। कहते हैं लग्जरी गुड्स है, अमीर लोगों का सामान है। मानकर चलते हैं। पर टैक्स लगाने का परपज यह नहीं है कि रेफ्रीजरेटर राजस्थान में आवे उनकी बिक्री हो और उस बिक्री पर सेल्स-टैक्स लगे उससे राजस्थान के एक्सचेकर को पैसा मिले। मैं निश्चित रूप से कहता हूं मोटर और मोटर पार्ट पर जितना टैक्स लगाया है कम्पेरेटिव स्टेटमेंट बना लें, मेरे पास है। उससे यह चीज प्रूव होती है कि जितना ज्यादा टैक्स लगाते है लोग दूसरे मार्केट को ढूंढने की कोशिश करते हैं।

रेफ्रीजरेटर की खरीददारी या तो सरकार करती है या अमीर लोग करते हैं। जिनको दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाने में कोई संकोच नहीं होता है, जिनकी केजुवल विजिट्स दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में होती है। उन शहरों में राजस्थान टैक्सेशन कम होता है। अगले वर्ष इन चीजों पर टैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो जानकारी होगी कि वास्तव में जो टैक्स लगे हैं, राजस्थान में रेफ्रिजरेटर्स आये थे उनकी संख्या में कितनी कमी हुई है। टैक्स लगाया पिछले महीने जिस समय रेफ्रीजरेटर्स की बिक्री होने वाली नहीं थी, कूलर्स की बिक्री होने वाली नहीं थी। इन रेफरीजरेटर्स और कूलर्स पर, मुझे मालूम है, टैक्स लगाया, यहां से पर्चेज नहीं करते हैं और दिल्ली में जाकर पर्चेज करते हैं। आप यह देख लें कि क्या दिल्ली में परचेज की हुई चीज राजस्थान में नहीं आ सकती?

श्री मथुरादास माथुर : रुकावट....

श्री भैंरोंसिंह : यही मैं कह रहा हूं कोई रुकावट नहीं है। जयपुर में लावेंगे तो इन्क्ल्यूडिंग ट्रान्सपोर्ट चार्जेज वह सस्ता पड़ेगा। इन रेफ्रिजरेटर और कूलर के पक्ष में जो आय होने वाली है वह आगे जाकर कम होगी इस प्रकार की व्यवस्था इन लग्जरी गुड्स को लेकर सरकार करती है तो मुझे काफी अफसोस होता है।

सभापति महोदय, इस चुनाव के बाद राजस्थान की सरकार और कांग्रेस पार्टी को

(श्री भैरोंसिंह)

अपनी नीतियों के आधार पर जनता का वर्डिक्ट लिया है। इसमें सरकार स्वीकार कर के चलेगी कि टैक्सेशन के भार के कारण जनता का विरोध कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और गवर्नमेंट का कार्यक्रम है। टैक्स रिलीफ देने का काम आने वाली सरकार करेगी और टैक्स लगाने का काम वर्तमान हुकूमत का है। इस तरह करते जा रही है। इसी सदन में इस बारे में चर्चा हुई कि अनाज पर टैक्स कम हो जाय; इसी सदन में यह चर्चा हुई कि अनाज के भाव बढ़े नहीं, इसी सदन में कई बार यह चर्चा हुई कि अनाज की कमी के कारण लाखों व्यक्ति भूखों मरते जा रहे हैं, इसी सदन में इस बारे में कई बार चर्चा हुई कि लोगों के पास पैसा है लेकिन खाने को नहीं मिलता। एक तरफ आप ट्रेडर्स को दोष देना चाहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट को दोष देना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ तो कान्ट्रीब्युटरी फैक्टर राजस्थान की सरकार का भी है। राजस्थान की सरकार यह सोचती है कि जितना अनाज मंहगा होगा, सेल्स टैक्स की आमदनी बढ़ेगी और स्टेट एक्सचेकर में पैसा आवेगा। सरकार ने स्वयं ने अपनी कमाई के नाम पर अनाज के भाव बढ़ने पर बहुत बड़ा योगदान दे रखा है कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान के अन्दर किस चीज पर टैक्स नहीं लगाया? होटल में जाकर रोटी खायें तो मालूम होगा कि सारी चीजों पर टैक्स लगा रखा है। इस का सारा इम्पेक्ट राजस्थान की इन्डस्ट्री और ट्रेड पर पड़ रहा है। मैं कई बार सदन में कह चुका हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान का ट्रेड उस वक्त तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि राजस्थान के मुकाबले में स्टेन्ड हुए दिल्ली और पंजाब के मार्केट्स हैं उनसे राजस्थान को नहीं बचा पावेंगे। करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार ने इन्डस्ट्री और छोटे-मोटे उद्योगों के लिये लगा दिया। रॉ मेटिरियल में भी छूट है। काफी लोगों को ले आये हैं इन्डस्ट्री के लिये उनका पैसा लगा है, लेकिन उद्योगों की उन्नति क्यों नहीं हुई? कोई मशीनरी खरीदना चाहेगा तो जयपुर के बाजार में नहीं दिल्ली जावेगा। दिल्ली के ट्रान्सपोर्ट चार्जेज और उसके स्वयं का किराया दोनों को मिला कर और कोई सामान खरीदेगा तब भी राजस्थान के मुकाबले में सस्ता मिलेगा। इसका राजस्थान में इफेक्ट यह होता है कि छोटी-मोटी इन्डस्ट्री यहां पनपती नहीं है, यहां बड़े उद्योग पनपते नहीं है। उत्पादन हो जाय, न सेल हो पाता है और अल्टीमेटली टैक्स पर इफेक्ट पड़ता है। आप तो टैक्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपने सेल की व्यवस्था नहीं की। कमी की स्थिति तो पैदा कर दी। सेल बढ़े और बढ़े हुए सेल पर टैक्स मिले। इस आस्पेक्ट की आज तक क्यों नहीं परवाह की? एक लिस्ट बना रखी है कि इन चीजों पर टैक्स लगेगा। टैक्स के कारण से कीमत नहीं बढ़े तो राजस्थान में पर्चेज करेंगे। सभापति महोदया, पंजाब राजस्थान का मुकाबला कर रहा है। पंजाब के लुधियाना और दूसरे शहरों में चले जाइये। राजस्थान के किसान के लिये इम्प्लीमेंट्स, छोटे-मोटे काम, स्टेशनरी वगैरा के काम सीधे लुधियाना और अम्बाला से जाकर सामान लाते हैं। क्यों लाते हैं? आपको मार्केट की चिन्ता

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है। आपको तो सैल्स टैक्स की चिन्ता है मार्केट की चिन्ता नहीं है। एक दिन हालत यह होगी कि सैल्स टैक्स मिलेगा नहीं और राजस्थान का मार्केट खत्म हो जावेगा। ट्रेड को बचाने को नहीं सोचते। लग्जरी गुड्स और बाकी के गुड्स की न सोचकर सैल्स टैक्स की सोचते हैं यह राजस्थान सरकार की बुद्धिमत्ता है! जो ट्रेड राजस्थान के अन्दर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकता है, जो राजस्थान की नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, जो स्टेट रिसोर्सेज के लिये बहुत बड़ा इम्पेक्ट राजस्थान की इकोनोमी में रखता है उस ओर ध्यान नहीं दिया बल्कि सैल्स टैक्स के रूप में सोच कर राजस्थान के ट्रेड को खत्म किया।

सभापति महोदया, इसकी कोई सीमा नहीं कि कितना बढ़ा और कितना नहीं। सेल्स टैक्स एक जरिया है जिसको बढ़ाते गये हैं। ६१-६२ से लेकर आज तक उसको बढ़ाते आये हैं। कोई आमदनी की सीमा है? इन्डस्ट्रीज की रिपोर्ट है उसको उठाकर देख लीजिये। मीडियम, स्माल स्केल और मेजर इन्डस्ट्रीज की रिपोर्ट्स हैं उनको उठा कर देख लें एक ही डिस्एपॉइन्टिंग पिक्चर मिलती है कि यह दो वर्ष बाद खत्म हो गई। मेजर इन्डस्ट्री पनप गयी। मेजर इन्डस्ट्री पर टैक्स नहीं लगा पाते हैं तो दूसरी तरह से लगाते हैं। स्माल स्केल और मीडि-यम इन्डस्ट्री पर टैक्स लगाते हैं वह धीरे २ जाकर खत्म हो गई। राजस्थान सरकार का पैसा, इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का पैसा और लेबर की मजदूरी वह सब डिस्एपियर होती गई। यह औद्योगीकरण की नीति धीरे २ समाप्त होती जा रही है। और आज विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार ने टैक्स की चिन्ता की तो एक दिन यह आ जावेगा कि राजस्थान कीमतों की दृष्टि से रिसोर्सेज की दृष्टि से पूरा बरबाद हो जायगा और दिल्ली और पंजाब में बढ़ोतरी होगी। बढ़ रही है। पंजाब ने सारे हिन्दुस्तान को चुनौती दी है। जिस प्रकार जापान ने सारे एशिया को अपने प्रोडक्शन से चुनौती दी उसी प्रकार से पंजाब ने सारी स्टेट्स को चुनौती दी है। उसको मीट करने के लिये उन चीजों पर कम टैक्स लगा कर उनकी ज्यादा बिक्री और उत्पादन बढ़े उसकी चिन्ता करते। हम तो एक ही चिन्ता करके चलते हैं कि राजस्थान में कोई चीज ऐसी नहीं रहे कि जिस पर सेल्स टैक्स न लगे। चाहे उत्पादन राजस्थान में उसका होता हो या बाहर होता हो।

एक तरीका इस राज्य सरकार का बड़ा अजीब है। जो माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उन्होंने सदन में बताया कि पहले कितना सेल्स टैक्स लगा था और आज कितना लगता है लेकिन एक चालाकी सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब बजट एस्टीमेट पेश करते हैं तो गरीब बन कर आते हैं। उस वक्त कहते हैं टैक्सेशन से कम आमदनी होती है और दो साल बाद इनकम रिफ्लेक्ट करते हैं। उस समय बनी गरीब सरकार अमीर बन जाती है। उस वक्त कहा एक पैसा नहीं और एक्चुअल में रिटर्न आये दस रुपये। मैं इनकम के आंकड़े पेश करके बताना चाहूंगा। राज्य सरकार को घाटा हुआ। राज्य सरकार धोखा देना चाहती है

(श्री भैरोंसिंह)

सेल्स टैक्स में कम आमदनी बताकर एक्चुअल में ज्यादा रिसीव की। यह जनता और सदन को धोखा देने की निरंतर आदत पड़ी हुई है।

सभापति महोदया, ६१-६२ में बजट एस्टीमेट्स मेरे पास नहीं है, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं उसके हिसाब से ४.६० लाख एस्टीमेटेड थी, वसूली हुई वह ४६२ लाख। माइनर एडजस्टमेन्ट। ६२-६३ में ५८१ लाख बजट एस्टीमेट और वसूल हुई ६४४ लाख। ६३-६४ में बजट एस्टीमेट ६८० लाख और उसके अगेंस्ट में वसूली हुई ६७६ लाख। ६४-६५ में १०२५ लाख एस्टीमेटेड थी उसके अगेंस्ट में वसूली हुई ११६१ लाख। ६५-६६ में ११६७ लाख बजट एस्टीमेट थे और वसूली हुई १४१६ लाख।

आप इससे अधिक लगा लीजिये। सैलसटैक्स कम बताकर आप गुमराह करना चाहते हैं कि हम टैक्स कम लगा रहे हैं। लेकिन उसके एक्चुअल रिटर्न्स इतने बढ़े हुए होते हैं कि जिनको देखने से पता लगेगा पांच से दस लाख का ही फर्क नहीं तीन तीन करोड़ का फर्क आता है। इससे हम यह मानकर चलते हैं कि राज्य सरकार को एस्टीमेट्स का पता नहीं लगता, राज्य सरकार इसके रिवीजन करते समय उससे इनकम कितनी होगी इसका उसको ज्ञान नहीं होता है। एक्चुअल रिटर्न्स जो वसूल होता है वह एक रुपये के बदले दस रुपये होता है। इतना वसूल करने के बाद भी राज्य सरकार के बजट को देखा जाय तो घाटा नजर आता है। यह घाटा तो राज्य सरकार के साथ बन्धी हुई चीज है जिसको वह छोड़ने को तैयार नहीं। वह घाटा क्यों होता है? सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया इस कारण से घाटा हो गया। इस कारण से सरकार का कहना है कि घाटा हो रहा है। आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ती नहीं। भारत सरकार से आपको सहायता मिलती है। आपने जो आंकड़े तैयार किये हैं उसके आधार पर आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर आप बता देते हैं। जहां तक एक्साइज की वसूली करने का सवाल है उसके लिये सब को पता है राज्य के कॉन्ट्रेक्टर्स में करीब ६८ लाख रुपये की बकाया है। उसमें केवल अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बकाया है २० लाख के करीब की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार कॉन्ट्रेक्टर्स की गुलाम है? जो कॉन्ट्रेक्टर्स उनपर हावी है? सरकार का उनमें ६८ लाख रुपये बकाया अभी तक क्यों चला आ रहा है? क्या उसको वसूल करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? इस साल नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न सालों गारन्टी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस किया उनकी बकाया चली आ रही है। वह वसूली न पहले वाले वित्त मन्त्री महोदय से हो पायी और न इनसे होने की है। इसका कारण यह बताया जाता है कि गारन्टी सिस्टम में यह था कॉन्ट्रेक्टर्स को जितनी शराब चाहेगी वह सब सरकार सप्लाई करेगी। जो गारन्टी हमने दी उसके अनुसार उनको शराब सप्लाई नहीं कर पाये। वह क्यों नहीं कर पाये इसके बारे में मैं आपको प्रमाण देने को तैयार हूं? गंगानगर शूगर फेक्टरी में जहां यह शराब बनती है वहां मोलासेज की सप्लाई नहीं हो सकी उसके कारण शराब उत्पादन नहीं हो सका। इसका इन्डीकेशन उन कॉन्ट्रेक्टर्स

(श्री भैरोंसिंह)

को मिल जाता है और उसके बाद वे दनादन इन्डेन्ट भेजना शुरू कर देते हैं कि हमें सौ बोतलें चाहिये ३०० बोतलें चाहिये। एग्रीमेंट के अनुसार उनको इन्डेन्ट मीट करना चाहिये यदि नहीं करते हैं एग्रीमेंट का भंग होता है। उसका आधार लेकर उन्होंने वह सब रुपया रोक लिया। यह शराब यहां क्यों नहीं मिलती है ? क्यों राजस्थान सरकार ने ६८ लाख का घाटा खाया ? इसमें बहुत बड़ा राज है। मैं इसके साथ ही यह आरोप भी लगाना चाहता हूं इस प्रकार के काम में कुछ मन्त्रियों का मोटिव पैसा कमाने का रहा है। इसीलिये गंगानगर शुगर फेक्टरी में शराब का निर्माण पूरा नहीं होता। और इसी कारण ठेकेदारों का पैसा नहीं मिला। इस संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं शराब बनाने के लिये मोलेसेज राजस्थान सरकार को राजस्थान से मिलता है। वह भोपालसागर शुगर फेक्टरी से मिलता है वहां से नहीं मिलता है तो कभी आन्ध्र से, कभी यू० पी० से रेक्टीफाइड स्पिरिट खरीदते हैं। राजस्थान के मोलेसेज का उपयोग गंगानगर शुगर फेक्टरी में नहीं होता।

मैं उदाहरण के लिये आपसे कहना चाहता हूं कि १४.९.४ से १३.६.६७ तक राजस्थान के कन्ट्रोलर आफ मोलासेज ने ८६००० क्विंटल मोलासेज का परमिट गंगानगर शुगर फेक्टरी को दी। ये मोलासेज उदयपुर की डिस्टीलरी उठाकर ले जाती है, बाकी के जितने भी कारखाने हैं वे आकर ले जाते हैं, लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि गंगानगर शुगर फेक्टरी जो आज यह कहकर चलते हैं कि मोलासेज न मिलने के कारण शराब नहीं बना सके, उन्होंने केवल २१ हजार क्विंटल मोलासेज उठाये और बाकी ६५ हजार क्विंटल मोलासेज भोपाल-सागरकेपासरहने दिया और मैं दावेके साथ कहता हूं कि वे कन्ट्रोल भाव पर न बेचकर इल्लिसिट डिस्टिलेशन के लिये ब्लैक मार्केट में चले गये।

आज आप इल्लिसिट डिस्टिलेशन को रोकने की बात करते हैं। आप बताइये कि गंगानगर शुगर फेक्टरी के नाम जो मोलासेज का परमिट निकला उन मोलासेज का क्या हुआ ? जो परमिट इशू किया गया था वह कहां गया ? उसका लोगों ने इल्लिसिट डिस्टिलेशन किया। इसकी जांच होनी चाहिये। लेकिन आप जांच नहीं करवायेंगे। आप मन्त्री थे या दूसरे थे, पिछले दिनों दिल्ली में कांफ्रेन्स हुई थी एक्साइज मिनिस्टर्स की उसमें राजस्थान का कोटा निर्धारित किया गया ५८० हजार गेलन रेक्टीफाइड स्प्रिट का और २५० लाख क्विंटल मोलासेज का, लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, कि इसको कांट्रेक्टर के मुनाफे की बात समझें, या सरकार की अयोग्यता समझें या इन दोनों की मिलीभगत समझें, रेक्टीफाइड स्प्रिट का कोटा केवल आधा ही उठाया और मोलासेज का एक क्विंटल भी नहीं लिया। आज सरकार कहती है कि मोलासेज न मिलने के कारण शराब पूरी मात्रा में नहीं बना पाये और इसलिये कांट्रेक्टर को शराब नहीं दे पाये। तो माननीय मन्त्री जी इसकी यदि जांच करायें तो इसमें कई एक घोटाले आपको मिलेंगे कि मोलासेज कौन खा

(श्री भैरोंसिंह)

गया और गंगानगर शुगर फेक्ट्री से शराब का उत्पादन कम क्यों हुआ ·

आज गंगानगर शुगर फेक्टरी घाटे में चल रही है तो इसकी आमदनी बढ़ाने के लिये शराब का भाव बढ़ाने की बात करते हैं। और इसके लिये आग्युमेंट कितना कवर दिया जाता है कि हम शराब बंदी करना चाहते हैं और शराब अगर महंगा होगा तो लोग कम पीयेंगे। अब मैं नहीं समझ सकता कि जिन लोगों को शराब पीने की आदत पड़ गई वे कैसे छोड़ेंगे ? कितने आदमियों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, वे सदन में भी झूठ बोलेंगे। मन्त्री लोग तो इसमें एक्सपर्क हैं। अब उनसे कहो कि झूठ बोलने की आदत छोड़ो तो वे नहीं छोड़ सकते। तो जिन लोगों को शराब पीने की आदत पड़ गई है वे अगर आप ११ रुपये बोतल से बढ़ाकर १२ रुपये बोतल की कीमत कर दें, या १० रुपये से बढ़ाकर ११ रुपये बोतल कर दें तो उनके लिये क्या फर्क पड़ेगा ?

जिस समय माननीय मंत्री महोदय स्टेट एन्टरप्राइजेज के मंत्री बने तो मैंने सोचा कि आप काफी ऐक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैंडसम भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : हैंडसम तो आप कहिये, या जो इनके हैंडसम होने का लाभ उठाते हों वे कहें। सभापति महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय ये आये थे उस समय मुझे यह आभास हुआ कि ये बड़ी योग्यता से स्टेट एन्टरप्राइजेज से लाभ कमायेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी खत्म हो गई, इन्टेलीजेंस भी खत्म हो गई, ये बड़ी मेहनत करके काम करते थे वह मेहनत करना भी खत्म हो गया।

आज एक मिसाल मैं रखूं धौलपुर हाइटेक फैक्ट्री का। सरकार ने उसमें १८ लाख का नुकसान बताया है। साढ़े आठ लाख का और है और साढ़े तीन लाख की बकाया और है, इस तरह कुल मिलाकर उसमें ३० लाख का घाटा है। जिस समय इसको लिया था उस समय हमने विरोध किया कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आयेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सब को कंट्रोल कर सकता हूं। इधर से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार को इसमें इनवॉल्व नहीं करना चाहिये, लेकिन नहीं माने और इनवॉल्व किया। और आज ३० लाख का घाटा उठाकर उस धौलपुर हाइटेक को बन्द करना पड़ा। इस धौलपुर हाईटेक के बारे में जो नुकसान हुआ इसकोकौन वहन करेगा ?

सभापति महोदया, अगर अमेरिकन लॉ हिन्दुस्तान में इन्ट्रोड्यूस कर दिये होते और उनके आधार पर गलती करने वालों से घाटे की वसूली की कोई व्यवस्था होती तो उस समय राजस्थान की सरकार कोई बिल पेश करे कि अमुक मंत्री के गलत निर्णय के कारण और अमुक अधिकारी की गलती के कारण राजस्थान की जनता के एक्सचेकर के ऊपर

(श्री भैरोंसिंह) -

इतना भार पड़ा है। इसकी वसूली के लिये हम कोई कानून बनाना चाहते हैं तो मेजें कूटकर उस पर कानून का समर्थन करते, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा कोई गलत निर्णय से कितना ही नुकसान पहुंचायें, कोई अधिकारी गलत निर्णय कर दे और राजस्थान के स्टेट एक्सचेकर के ऊपर कितना ही आघात कर दे, उसको कन्ट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था नहीं है तो वित्त मंत्री महोदय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एक गलती के कारण हमने ३० लाख रुपये का घाटा खाया, और उस ३० लाख के घाटे की वसूली करने के लिये आप ३० लाख रुपये का टैक्स लाकर जनता से वसूली करना चाहते हो—मैं सदन से कहता हूँ कि जिन मंत्रियों ने घाटा पहुंचाया यह उनसे वसूली करें। उनकी सम्पत्ति को जप्त करें, उनके मकान और सम्पत्ति को जप्त करें तो मंत्रियों की आंखें खुलेगीं। वह भी महसूस करेंगे कि जनता को घाटा पहुंचाने की स्थिति में जिम्मेदारी किस प्रकार से वहन करनी होगी। कोई कहे कि यह वाजिब नहीं, कोई किस प्रकार से कर ले। जैसे इस साल का घाटा यह तो कुछ अजीब है पर यह अक्सर होता है कि चुनाव के पहले वर्ष में राजस्थान की सरकार खूब खर्च करे। आज जैसे जैसलमेर के बारे में सवाल आया जैसलमेर में मिडिल स्कूल खोला जाये। अब शिक्षा मंत्री जी कहने लगे कि कोई प्रावधान नहीं है—ऐसा क्यों? सब जानते हैं कि जितनी भी मिडिल स्कूल, हायर सैकेन्डरी स्कूल्स खुलने वाली थीं चौथी पंचवर्षीय योजना में वह पहले ही साल में खोल ली गयीं ताकि लोगों को मोब्लाइज करके उनसे वोट लिये जायं। स्कूलें खोल दी गयी हैं वह भी नहीं है लेकिन बात सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले एक वर्ष के अन्दर राजस्थान में ऊन विभाग जिसका भी काम आप देखते हैं पिछली बार थे आप, यह शायद स्टेट ट्रेडिङ्ग में नहीं आता। दूसरे मंत्री हैं। ऊन की खरीद के लिये इस सदन को शायद जानकारी होगी कि ८८ लाख रुपये का एडवांस दिया गया। ऊन के व्यापार में राज्य सरकार को आज तक मुनाफा नहीं हुआ। लाखों रुपयों का घाटा हुआ। ऊन एक किसान से खरीदा, ऊन का ग्रेडिंग किया और ऊन को बेच दिया उसमें किस बात का घाटा? ऊन लेते हैं सस्ती, ग्रेडिंग चार्जेज वसूल करके लेते हैं, जो छीजत होती है उसकी किसान से वसूली करके लेते हैं, उसके बाद में केवल किसान से खरीदी और सरकार का हाथ लगा, हाथ लगने के बाद बिक्री करी उसमें भी लाखों रुपयों का घाटा। कहां गये ८८ लाख रुपये? रुपये एडवांस दिये गये। कायदा यह है कि ए० सी० बिल के अगेन्स्ट में यदि रुपया ड्रा किया जाये, एडवांस लिया जाय तो बाकी के डिपार्टमेंट्स के लिये तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट का सरकूलर है कि एक महीने के अन्दर रिटर्न्स सबमिट किये जायें और सबमिट नहीं करने पर केवल ऊन विभाग के इस कार्य के सम्बन्ध में एडवांस दिया जाता है उसके लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने व्यवस्था की है २ महीने की। जरा हिसाब लगाकर देखिये। बी० सी० बिल्स जो कि ए० सी० बिल्स से प्रिपेयर होने चाहिये वह मियाद में नहीं हैं बल्कि आज भी लगभग ११ लाख रुपये के हिसाब का पता नहीं लग रहा है। यह रुपया कहां है? सरकार के खजाने से निकाला जाय और

(श्री भैरोंसिंह)

लोगों को दे दिया जाय, हिसाब में आये नहीं—मैं यह पूछता हूं कि जादू कौन सा है ? किस जादू से रुपया चलता है, किस जादू से खर्च चलता है, क्यों नहीं कन्ट्रोल कर पाते हैं ? आज ऊन के व्यापार में घाटा, शराब में घाटा, आज हाईटेक में घाटा । कौनसा आपका उद्योग चलता है जिसमें आप घाटा नहीं खा रहे हैं । हम घाटा तो खाते जायं और जनता के ऊपर टैक्स लगाते जायं ।

सभापति महोदया मैंने पिछली बार जिक्र किया था । करने के लिए यह वित मंत्री जी हैं इसलिये दुबारा फिर कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी को एक जानकारी है पिछले साल की रोड कन्स्ट्रक्शन के बारे में । हमने सामान लिया वह ८८ लाख रुपये का सामान था । अब ८८ लाख रुपये का जो सामान खरीदा वह मैं बताऊंगा कुछ समय के बाद जब उसी परपज के लिये डिस्कशन होगा । मैं इस सदन को बताना चाहूंगा उस समय लेकिन मंत्री जी से जानकारी करना चाहूँगा कि आप तो योजना मंत्री थे, आप निर्माण मंत्री भी थे, आपको तो राजस्थान की फाइनेंस की चिन्ता भी थी और आपको यह ख्याल होगा कि अगला बजट मुझे प्रस्तुत करना है उस हालत में राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय बजट का जवाब देते हुए यह कह जाय कि मशीनरी के ऊपर सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया गया तो अब वसूल कर लिया जायेगा....

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह : कहा है ।

श्री मथुरादास माथुर : सेल्स टैक्स सरकार खरीदती है कोई मशीनरी उस पर भी टैक्स है तो उस पर भी लगता है-मैंने यही कहा था ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कहते हैं तो क्या सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : कर लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : सब आइटम्स पर ।

श्री मथुरादास माथुर : जितने आइटम्स सेल हुए है उन सब के ऊपर सेल्स टैक्स वसूल कर लिया ।

श्री भैरोंसिंह : जितने आइटम्स सरकार ने खरीदे उसके ऊपर हो गया क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : बोर्डर रोड्स के लिए...

श्री मथुरादास माथुर : बोर्डर रोड्स के लिए जीप्स का सवाल था । जीप्स के ऊपर जानकारी कर ली है और जीप्स के ऊपर जितनी भी जीपें खरीदी गयीं और सरकार कोई चीज खरीदती है उसमें भी सेल्स टैक्स लगता है और वह सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया है । यह मैंने उसी दिन पूछ लिया था ।

श्री भैरोंसिंह : सेल्स टैक्स जो सरकार ने दिया वह एग्जम्प्शन सर्टीफिकेट से वसूल किया है या आर्डिनेरी परचेजर जो परचेज करता है उसके हिसाब से किया है। ३ परसेन्ट और १० परसेन्ट, ३ परसेन्टका टैक्स लिया है वसूल होना चाहिए १० परसेन्ट से। तो ७ परसेन्ट के हिसाब से ८८ लाख रुपये का कितना घाटा हुआ अन्दाजा लगाइये तो कितना होता है......

श्री विजयसिंह रावत : ८ लाख ८० हजार।

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्री जी को बताने दीजिए। कितना टैक्स लगता कितना नहीं लेकिन निर्माण मंत्री जी के नाते सभापति महोदया, मैं उन सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स खरीदे अग्रवाल ट्रेक्टर्स, कोतवाली रोड गंगानगर से। इनसे २६ ट्रेक्टर्स खरीदे। मैंने कल डी० जी० एस० डी० की रेट्स का एक शिड्यूल मंगाया। सरकार कहती है हमने या तो टेन्डर्स से खरीदे या डी० जी० एस० डी० की रेट से। अब यह रेट्स सारी की सारी स्टेन्डर्ड है, इनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और ट्रेड के जो नार्म्स हैं, उनकी जो प्रेक्टिसेज हैं उनके बेसस पर इस प्रकार की चीज कहीं से भी खरीदें एक ही भाव मिलेंगी और जो कम्पनी ट्रेक्टर्स बनाती है वह सारे हिन्दुस्तान में एक रेट से ही बेचती है। अब वही ट्रेक्टर्स, सभापति महोदया, राजस्थान की सरकार ने खरीदे हैं २५,५०७ रुपये का, फर्म की रेट है २१८०० रुपये। उसमें आप टैक्स शामिल कर दें तो होता है २२१७४ रुपया तो २२१७४ रुपये का ट्रेक्टर २५,५०७ रुपये में खरीदा गया और २६ ट्रेक्टर्स खरीदे और एक एक के ऊपर कोई जांच करे तो एक एक ट्रेक्टर के ऊपर २-२ हजार रुपये ज्यादा दिये गये जो ५२ हजार रुपये ज्यादा दिये गये और कोई जांच करे तो ५२ हजार की एन्ट्री उस फर्म के बही खाते में नहीं है। अब उसकी कीमत तो उसने अपने बही खाते में दर्ज की है जो कि फर्म की रेट है वह और सरकार ने खर्च में बताये हैं २५,५०७ रुपये तो वह २-२ हजार रुपये का डिफरेन्स कहां गया? यह ५२ हजार रुपया किस की जेब में गया? किस का प्रचार हुआ? आज सारी बातों को लेकर, सभापति महोदया, मैं इस सदन को कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की सरकार आखिर किस बात का इंतजाम करती है? टैक्स लगेंगे, और जाते-जाते कह देंगे जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे है इसलिए भारत सरकार तो पहले ही इसके पीछे लठ लेकर पड़ी है और राजस्थान सरकार भी पीछे पड़ेगी तो दोड़ बिल्ली कुत्ता आया इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। आज कभी सरकार यह भी कहेगी कि क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं इसलिए इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, अब यह स्थिति भी आ जायेगी .... इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया कि जो सरकार अपने रिसोर्सेज को कन्ट्रोल नहीं कर पाती, जो सरकार अपनी नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ा नहीं पाती, जो

Page No. 167

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार अपने पूंजी विनियोजन है उस पूंजी विनियोजन की शक्ति को लागू नहीं कर सकती, उस सरकार को टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं रहता। वह सरकार टैक्स लगाकर आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो सोचा अर्थ यह निकलता है कि सरकार गरीब जनता का खून चूसना चाहती है। यह बात ठीक है कि आप लोगों का बहुमत है और उस बहुमत के आधार पर कुछ भी करें। विरोधी लोग कुछ भी कहते रहें हमें इस बात की चिन्ता नहीं है, हमने तो जो टैक्स लगाना वाजिब समझ लिया हम उस टैक्स को वसूल करेंगे, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि योजनाओं के नाम पर टैक्स वसूल करें, राजस्थान के किसानों की उन्नति के नाम पर टैक्स वसूल करें, उसके पहले आपको चाहिए कि आप अपने खर्चे में किसी प्रकार की कटौती करें। वह खर्चे में हम कटौती नहीं कर सकते। यहां यह कहना तो अप्रासंगिक होगा लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार बड़ी शान के साथ कहती है कि जिसकी उम्र ५५ वर्ष की हो गई है उनको हम रिटायर करेंगे।

सभापति महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दो आदमी हमारे मुख्य-मंत्रीजी के खास हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर आफ एज्यूकेशन, शम्भूदादा जिनसे आप सब लोग वाकिफ हैं, और दूसरे हैं डायरेक्टर आफ आयुर्वेद श्री प्रेमशंकर जी। इन दोनों का एक्सटेंशन किया गया है। अब दोनों का जब एक्सटेंशन किया गया तो बाकी लोगों के दिलों में हार्टबर्निंग होती है तो एक दूसरे की शिकायत करते हैं। और शिकायत करने का नतीजा यह होता है कि मंत्रिमण्डल में झगड़े होते हैं और झगड़े होने पर बटवारा किया जाता है कि तुम्हारा एक आदमी ले लिया तो मेरा भी एक आदमी ले लो। इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के एडीशनल चीफ इंजीनियर श्री मेहता रिटायर हुए। वहां एक टेक्निकल एडवाईजर श्री सत्संगी भी हैं जिन्हें रिटायर होना है या हो गए हैं। दोनों को ही री-एम्पलॉय करने की बात चल रही है। एडीशनल चीफ इंजीनियर को टेक्निकल एडवाईजर और टेक्निकल एडवाईजर को चेयरमेन इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड बनाने की कोशिश हो रही है और कागजात शुरू हो गए हैं। कौल साहब और चन्दमल जी को एम्पलॉय करने के कागजात शुरू हो गए हैं। एक को फाइनेंस कार्पोरेशन का और दूसरे को रोडवेज कार्पोरेशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। यह सारी बातें आखिर एम्पलॉयमेंट के सिलसिले में क्यों चलती है; लेकिन राजस्थान की सरकार के ऊपर टैक्सपेयर का जितना बर्डन आ रहा है....

(श्री मथुरादास माथुर गर्दन हिलाते हुए मुस्करा रहे थे)

आप गरदन हिलायें इस बात की तो मुझे खुशी है। गरदन हिलती रहे तब तक तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कहीं गरदन खड़ी की खड़ी रह गई और आपने यह कह दिया कि मेरी चली नहीं, ये लोग तो आ

श्री भैरोंसिंह)

गये, इनको मैं कैसे हटा सकता हूँ तो मुश्किल होगी।

एक माननीय सदस्य : रामजी काक के बारे में नही कहा।

श्री भैरोंसिंह : रामजी काक की तो बात ही अलग है, उनको तो कोई मंत्री फेस नहीं कर सका। उस रामजी काक के सामने तो कोई मंत्री गया और साष्टङ्ग प्रमाण किया। वे तो इतने माहिर हैं, इतने विशारद हैं, इतने विशेषज्ञ हैं कि वे तो किसी भी काम के लिये विशेषज्ञ हैं किसी भी काम के लिये मैं समझता हूं कि

श्री गिरधारीलाल व्यास : आज तो बहुत अर्से में नाम लिया उनका।

श्री भैरोंसिंह : अर्से में नहीं कई बार लिया है। अर्से से नाम लेने का कारण तो यह है कि इन मंत्रियों में कोई भी कुछ सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति में आज वह लोगों को री-एम्पलॉय करने और री-एडजस्ट करने की बातें चल रही हैं। उस खर्चे में राज्य सरकार कमी नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि राजस्थान सरकार को अब किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाने का न तो कोई नैतिक अधिकार है, न राजस्थान सरकार इस जनता पर टैक्स लगाए इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई औचित्य नजर आता है। सरकार को चाहिये कि अपने खर्चे मे कटौती करे और यदि सरकार स्वयं कटौती नहीं कर सकती, सरकार की स्वयं की बुद्धि कटौती के काम मे नहीं चलती तो मैं इस राजस्थान सरकार से कहूंगा कि विरोधी दलों की सहायता ले। हम इस प्रकार के तरीके बतला सकते है कि जिन तरीकों से काफी कटौती की जा सकती है। आज मद्रास सरकार ने खादी बोर्डों को जो सहायता दी जाती थी उसको बन्द कर दिया है और यह कह दिया है कि हम खादी की पाबन्दी को जो पिछली सरकार ने लगा रखी थी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी कई विभाग हैं जिन विभागों को स्क्रेप आफ किया जा सकता है। कई पद ऐसे हैं जिनको स्क्रेप आफ किया जा सकता है, लेकिन यह कर नहीं पाते। बराबर हम उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, उस चंगुल से बाहर निकलने की हम लोगों के अन्दर शक्ति नहीं है और उसके कारण खर्चा बढ़ता जा रहा है, जानवरों पर टैक्स लगाना पड़ रहा है, अनाज के भाव बढ़ाते जाते हैं, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और जैसे मुगलिया साम्राज्य का बादशाह ऐशो आराम करता था उसी तरह से राजस्थान का मंत्री-मण्डल निश्चिंत होकर जनता का शोषण कर रहा है। यह शोषणकारी प्रवृत्ति बहुमत के आधार पर कितनी चलेगी यह तो भगवान बतायेगा, लेकिन जनता निश्चित रूप से इसका बदला लेगी। आज नहीं ले यह हो सकता है, कल भी नहीं लिया जाय यह भी हो सकता है लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी। एक शनिवार निकाल लेगी, सात-आठ शनिवार निकाल सकती है लेकिन दसवें शनिवार को तो बकरे को तो कसाई की छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा। उसी तरह से राजस्थान सरकार बहुमत के नाम पर जनता को कितना ही लूटे इस समय, आपके हाथ में हुकूमत है, लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

एक दिन जनता का राज्य आएगा और उस समय एक एक चीज का बदला लिया जावेगा।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : मान-सभापति महोदया, टैक्स बिल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स लगाने में हमारे राज्य ने जो नीति अपनाई है उसमें वह कामयाब नहीं होती है। यह माननीय सदन के सभी सदस्यों ने अपने विचारों में सरकार पर आरोप लगाया है और वह आरोप सत्य है। सरकार इन सारे आरोपों को सुन लेती है और सुनने के बाद इस कान से सुना और उस कान से निकाल देती है, उस पर अमल नहीं करती। ऐसी स्थिति में मंत्री तो सब भाग गये और भागना भी चाहिये, कोई बात नहीं है। टाईम ऐसा ही आ रहा है कि भागेंगे वे।

तो माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि टैक्सों में, टैक्सों के लगाते टाईम में और टैक्सों को वसूल करने में जो राज्य सरकार ने अपनी ओर से अनियमितताएं बरती हैं और मनमाने ढङ्ग से काम करने पर भी इसमें नाकामयाब रहे हैं। जैसा अभी मेरे से पूर्व हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि भरतपुर के एक ही घोटाले में तीस लाख रुपयों का घोटाला हुआ और वह रुपया मंत्री से वसूल किया जाय। मैं निवेदन करता हूं कि कानून के दायरे में जिस मंत्री का भी दायित्व हो उनसे वसूल करना चाहिए। ऐसे नियम बने हुए हैं और उन नियमों का पालन कराने के लिए जनता के राज में व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जनता के राज का मतलब यह नहीं है कि जनता के धन का दुरुपयोग अपने मन से लोग करें। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता था कि आज जो टैक्सों की वसूली नहीं हो रही है उसमें भी राज्य के मंत्रियों का ही बहुत बड़ा हाथ है और उस हाथ होने का सही सबूत हमारे पास क्या है, वह मैं निवेदन कर दूं। हर वक्त हमारे सामने बात आती है कि हम जांच करवायेंगे। जांच कराने के लिए कह दिया और जांच हो नही। इसमें कितनी लम्बी-चौड़ी बातें हो जाती हैं। आज हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं विधान सभा के अन्दर कि हम जांच करवायेंगे लेकिन जांच करने के लिए नियुक्त किसकी होती है? उसी को जो लोग उस घोटाले के जमाने के व्यक्ति हैं, जो घोटाले करते हैं उनके नाम उस जांच के आर्डर्स होते हैं और वह जांच करने में असमर्थता प्रकट करते हैं। खुद की चोरी खुद बरामद नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जांच कमेटी हो तो जांच की कमेटी हो जो इस सीरीज घोटाल की जांच करे। इसके लिए अलग से नियुक्त होनी चाहिए। जिस किसी क्षेत्र में यह घोटाले हों तो उस क्षेत्र के विधान सभाई सदस्य उस जांच के अन्दर शामिल होने चाहिए और उनके रूबरू उसकी जानकारी और सारी जांच होनी चाहिए तो सही बात उसमें सामने आ सकती है। मैंने टैक्सों के बारे में बहुत सीधे से अपने विचार व्यक्त किये हैं।

(४.०० म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री लादूराम सुलानिया)

मैं मेरी तरफ से निवेदन करूं कि हमने राजस्थान जब से आजाद हुआ है और इस बारे में परिगणित जातियों के लिए करोड़ों रुपये राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने खर्च किये हैं, लेकिन आज एक मिसाल नहीं है सारे राजस्थान में कि किसी एक परिगणित जाति वाले की कोई फैक्ट्री हो जिसकी प्रोडक्शन की चीजों पर राजस्थान सरकार ने टैक्सों में छूट दी है। अगर इस बारे में किसी के विचार इधर से नहीं आये तो मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस बारे में पूरी बारीकी से विचार करेंगे कि जिन लोगों को उठाने का बीड़ा उठाया है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग आगे नहीं आ सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो लोग गरीब हैं, जिनका मोरल कमजोर है, गिरा हुआ है, उनके लिए हर साल लाखों और करोड़ों रुपये खर्च करते हैं उनको आज तक किसी प्रकार से कोई सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स या और कोई ड्यूटी सरकार लगाती है तो उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी है? यह एक सबसे बड़ा आघात है कि उनको किसी प्रकार भी रिलीफ नहीं दिया गया है। यह एक बहुत घातक बात है।

मैं यह निवेदन कर दूं कि अव्वल तो ऐसा मौका राज्य सरकार ने आज तक नहीं दिया कि वह फैक्ट्री लगायें और उसके अन्दर कोई चीज पैदा करें और उस में चीज का प्रोडक्शन होकर उसमें जो चीजों की बिक्री हो उनको इस टैक्स से छूट दें, लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि १९५० के बाद वन श्रमिक सहकारी समितियों का गठन किया गया है, और वे वन श्रमिक सहकारी समितियां परिगणित जातियों और परिगणित जन-जातियों के लोगों ने गठित की हैं। रूल के तहत बिल्कुल साफ है कि सहकारी समितियों को सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स से बिल्कुल रहित रखते हैं, परे रखा गया है और उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज वन विभाग किसी सहकारी समिति को एक जंगल का मान लें कि ५० हजार का ठेका देता है तो उसमें शेड्यूल में यह है कि कोयला भी बनाया जा सकता है और लकड़ी भी जलाई जा सकती है, तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोयलों पर टैक्स है और जलाऊ लकड़ी पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वन विभाग यह कहकर सारे के सारे ५० हजार की पूरी कीमत पर सवा छः प्रतिशत टैक्स वसूल करता है कि इसका आप कोयला बनाओगे। जब तक किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता है, जब तक माल नहीं बना, कोयला तैयार नहीं हुआ, कोयला तैयार होने से पहले लकड़ी कटी नहीं जंगल में खड़ी है, फिर भी वन विभाग वे सवा छः पर्सेन्ट किया, करने को तैयारी का और वसूल करते हैं तो यह बिल्कुल अनियमितता है। जब तक कोयला बनाकर बाजार में नहीं बेचा जाय तब तक उनसे वसूल करने का अधिकार नहीं है ...

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं कह दूं कि जो आपका

(श्री मथुरादास माथुर)

प्रश्न है तो जंगल की लकड़ी पर टैक्स लगता है और कोयले पर नहीं। इसलिए आप गलत फहमी में न रहें। कोयले का टैक्स लकड़ी पर ले लेते हैं। लकड़ी पर टैक्स अलग है। जंगल की लकड़ी बिकती है और वह कोयले के लिए बिकती है तो वह वुड टैक्स है वह लकड़ी पर टैक्स है। उसके बाद कोयला बनाकर बेचा जाता है तो कोयले पर अलग से टैक्स होता है।

श्री लादूराम सुलानिया : लकड़ी पर टैक्स है तो वह कौन सी लकड़ी है? वह इमारती लकड़ी है उस पर टैक्स है। जलाऊ लकड़ी पर टैक्स नहीं है। इसका मैंने काफी अध्ययन किया है। जलाऊ लकड़ी पर सेल्स टैक्स नहीं है। कोयला बनाकर सेल करे तो उस पर टैक्स है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग के अधिकारी कहते हैं, वे जंगल बेचने वाले हैं इसलिए फर्स्ट पार्टी हैं। मैंने कहा कि जंगल बेचने वाले आप फर्स्ट पार्टी नहीं है वह तो मूल मालिक है और जो परचेज करते हैं वह फर्स्ट पार्टी हैं, और जो परचेज करता है तो वह शकल बदलता है और लकड़ी से कोयला बनाता है और शकल बदलने के बाद....

श्री मथुरादास माथुर : शकल बदलने के बाद ही तो हम कहते हैं कि कोयले पर टैक्स है।

श्री लादूराम सुलानिया : सेल्स टैक्स नहीं लगता है। वह सेल्स टैक्स इस तरह से लगता है कि चाहे कोयला बनाओ चाहे न बनाओ अगर एक मन भी कोयला बना दिया तो टैक्स लगेगा और एक मन भी नहीं बनाया तो टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि जलाऊ लकड़ी पर टैक्स नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि टैक्स नहीं लगता है जलाऊ लकड़ी पर। सीधा जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल होता है तो नहीं लेते हैं, लेकिन जिन जंगलों में कोयला बनाने की शर्त रखते हैं और लकड़ी बेचते हैं और कोयला भी बेचते हैं इस तरह से दोनों किस्म की वस्तु जहां रखते हैं तो उनसे लेते हैं। जंगल में कोयला नहीं बनाया तो उसकी कीमत पर टैक्स नहीं लेते हैं। जैसे ५० हजार मन लकड़ी है और २ हजार मन लकड़ी का कोयला बनाया तो २ हजार मन लकड़ी के कोयले पर टैक्स लेने के अधिकारी है न कि बाकी की बची हुई ४८ हजार मन लकड़ी पर भी जो कि जलाऊ लकड़ी है और जो उन्होंने सैल की है जिसके लिए सेल्स टैक्स लगाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए और उनसे वह टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जहां तक टैक्स का सवाल है। टैक्स सरकार ले और टैक्स की आय से सरकार का खजाना इधर से भरे लेकिन यह मालूम नहीं कि इधर खजाना भरे और खजाने से निकाल कर जो जनता की प्रगति के कार्य हैं, जिनसे जनता का फायदा होता है उन पर वह लगाये, मगर उसमें लगाने के बजाय उसका दुरुपयोग करे तो उसका हम किसी भी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उसका सदुपयोग किया गया है।

Page No. 172

(श्री लादूराम सुलानिया)

मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं कि आज आप रोडवेज को ले लें। राजस्थान में रोडवेज की बात लेकर चलें तो राजस्थान रोडवेज एक्ट जब बना तो हम लोगों ने उसका डटकर विरोध किया कि वह सरकार से नहीं सम्हलेगी, सरकार से मोटरें नहीं चलेंगी। सरकार के पास में पैसा नहीं है, और वह सारा जनता का काम नहीं कर सकती है, इसलिए वह सारी जनता का सिरदर्द अपने पर न ले। इसलिए आज तक जैसा चलता आया है लोगों को चलाने दें, लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि जब से रोडवेज चली तो दूसरी मोटरों का जो किराया था उन किराये की दरों में और आज की जो दरें हैं वे पांच गुना ज्यादा हैं। जब पहले एक रुपया मोटर का था तो आज पांच रुपये किराया वसूल करते हैं। भावों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दुगना फर्क हुआ है और इनका ब्याज पांच गुना बढ़ाने के बाद भी आज राजस्थान रोडवेज का सारे का सारा मामला उठाकर देखें तो कितना घोटाला है? एक मोटर चलाने वाला है, एक बस का मालिक है, वह ५ ७ बच्चों के परिवार का एक मोटर से पालन करता है, लेकिन ५०० गाड़ियां चलाकर भी घाटा बता दिया। काम सम्हला नहीं। जो काम सरकार से नहीं सम्हले तो वह सरकार क्यों अपने हाथ में ले?

आज सेल्स टैक्स, गाड़ियों के टैक्स के बारे में, रोड टैक्स, गुड्स टैक्स के बारे में, ... सारे टैक्सेज के बारे में सारे के सारे मामले इतने घोटाले में पड़े हुए हैं। एक गाड़ी सोडाला सड़क पर खड़ी है, एक आमेर थाने में खड़ी है, एक पुलिस में खड़ी है, एक कोटा में खड़ी है तो एक अलवर में खड़ी है। अनियमितताएं बरतने के कारण, टैक्स नहीं देने के कारण, घोटालों के कारण सरकार को लॉस होता है। वह सरकार का लॉस नहीं होता है, वह सारी जनता को लॉस होता है। सरकार कन्ट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए उनकी जिम्मेवारी है यदि कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं तो अपने हाथ में क्यों ले?

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मंत्री से अपना मंत्रित्व नहीं सम्हलता है तो कुर्सी से चिपके रहने से क्या फायदा? जिसने एक्ट बनाया और बार-बार प्रश्न पूछते हैं तो जानकारी नहीं। जानकारी होगी कैसे? उनको फुरसत नहीं मिलती है। जानकारी नहीं लेते हैं। नौकरशाही उन पर पूरी हावी है, फिर ऐसी स्थिति में जानकारी देने में असमर्थ रहते हैं। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जो आज टैक्स का बिल है इसमें घाटा किस प्रकार से होता है वह सारी बातें माननीय सदस्यों ने आपको बारीकी से एक एक बताई हैं। उसके बाद में मंत्रीजी उत्तर दें और टेढ़ा-मेढ़ा करके दें और सीधा कहे कि घाटा नहीं हुआ है, नफा हुआ है। हमारे सारे सदन का अधिकार है कि अगर हम घाटे में जाय तो उस घाटे को रोकें, और उस घाटे को रोककर जनता के धन का सदुपयोग करायें और सदुपयोग अच्छे काम के लिए करें। अगर हम कहें कि कहीं सड़क बनवा दें तो वे कहेंगे कि बजट नहीं

(श्री लादूराम सुलानिया)

है। बजट आयेगा कहां से ? टैक्स लगाने के बाद वसूल नहीं कर सकते । मैं यह निवेदन कर दूं। कि जनता टैक्स बाकी है यह सारे का सारे राजस्थान के मंत्रियों, सम्बन्धित अधिकारियों या इनके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो जनता का आदमी तो और जिसका कोई वेकिंग नहीं हो, जिसके पास कोई सिफारिश न हो उसमें सरकार टैक्स बाकी हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि शराब पर जो टैक्स था और उन टैक्सों के बारे में जो बकाया आपके सामने अभी माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने बताई ६८ लाख रुपये, और ६८ लाख रुपये गारन्टी सिस्टम के अभी तक बाकी है, यह वसूल नहीं हुए है । इसी प्रकार से जब एक डिपार्टमेंट के ६८ लाख रुपये बाकी हैं तो एक चीज है हमारे राजस्थान में ऐसी बरती जाने वाली चीजें सैकड़ों की संख्या में है और उन सबकी संख्या को लगाये तो यह संख्या करोड़ों रुपये हैं जो बाकी हैं अगर नये टैक्स लगाये जा रहे हैं, टैक्सों में वृद्धि करें तो इससे अच्छा यह हो कि यह सबसे वसूली करें, और वसूली करने के बाद सदन को जानकारी दें कि एक पैसा टैक्स का बाकी नहीं है। और अब हमारा पेट और खजाना भरा नहीं है इसलिए हम नये टैक्स लगाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खजाने में बहुत जगह नहीं है। खजाना हमारा राजस्थान का खाली नहीं है ; खजाने में किसी प्रकार का घाटा आने वाला नहीं है । घाटा है तो हमारे मंत्रियों के पेट में है, और अगर इसकी जाँच कराये तो एक सीधी सी बात है । एक मंत्री को पहले तुलवा लें वैज्ञानिक कांटे पर और अगर ज्यादा वजन हो तो इनको हेवी कांटे पर तुलवा लिया जाय, तोलने के लिए अगर इनके पास पैसा नहीं है तो हम अपने वेतन में से उनको दे देंगे और फिर एक साल बाद तोल लें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे एक साल में दुगने होते हैं । उनका पेट खाली है, खजाना राजस्थान का खाली नहीं । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि धन का दुरूपयोग न करें । टैक्स की वसूली करें । गरीब जनता पर जो टैक्स लगता है वह अन्याय पूर्ण है । उसका मैं घोर विरोध करता हूं । और आपके द्वारा भी माननीय मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि लकड़ी पर भी टैक्स है । जलाऊ लकड़ी पर कोई टैक्स नहीं है यह बात बिल्कुल गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजयसिंह रावत !

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो करारोपण विधेयक है उसमें काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है । किसी भी सरकार को सरकार चलाने के लिए कर लगाना आवश्यक है, लेकिन जो कर लगाया जाता है उस कर का किस तरह से प्रयोग किया जाय और प्रयोग करते वक्त उस सरकार के ध्यान में उस प्रदेश की सारी जनता के बारे में यह निश्चित जानकारी होनी चाहिये कि वह इस्वेलिटि के द्वारा उस कर

(श्री विजयसिंह रावत)

का बराबर उपयोग कर रही है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय मेरे को राजस्थान के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे को है और खास तौर से मेरे क्षेत्र के बारे में। चुनाव के दौरान इस राजस्थान की सरकार का एक मैंने नया तजुर्बा किया है। यहां के जो मंत्री-मण्डल के सदस्य थे जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनके बारे में काफी बात-चीत यहां सदन में आ चुकी है। उस आधार पर यह कह सकता हूं कि आज एक ओर राजस्थान की सरकार त्राहि त्राहि कर रही कि हमारे पास घाटा है। बजट को बेलेन्स नहीं कर सकते, इसलिये कर लगाना आवश्यक है, और दूसरी ओर यह राजस्थान की सरकार पैसे को जो उस जनता के खून से, उस जनता के पेट से काट-काट कर जो पैसा वह कर के रूप में वसूल करती है उस पैसे का दुरुपयोग यह सरकार ५ वर्ष में, ४ वर्ष और ३६३ दिन के बाद ६४ वें दिन अगर खर्च कर देती है जैसा कि पिछले चुनावों में किया है। चुनावों के दौरान के अन्दर लगभग ७-८ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वह लगभग एक डेढ़ महीने में खर्च किया गया है क्या राजस्थान की सरकार इस बात से सहमत नहीं होगी ? इस पर सदन में इधर से और उधर से काफी चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने यह डिमान्ड की है कि चुनावों के दौरान के अन्दर राजनैतिक आधार पर इस राजस्थान की गरीब जनता को पैसे का दुरुपयोग करके और फेमिन के नाम से जहां पर फेमिन के कार्य नहीं खोलने चाहिये थे और जहां पर पैसा नहीं लगाना चाहिये था वहां पैसा लगाया गया। वहां सड़क बनाई गई केवल टेम्प्ट करने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए। वह सड़कें तो थोड़ी सी बारिश होने पर, उपाध्यक्ष महोदय, सारी की सारी पानी के अन्दर बह गई और वहां पर जो रुपया लगा है वह बिलकुल फिजूल चला गया। इस प्रकार से राजस्थान की सरकार टोटल फेमिन के नाम से चले। १२-१३ करोड़ रुपये देकर चले और १६ करोड़ रुपया बजट में ओवर ड्राफ्ट करके इस राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर नये कर लगाकर फिर से इस प्रकार से इस स्थिति में करें कि जो रोटी मिलती है तीन टाईम के बाद मिले तो राहत नहीं होगी। इसके साथ-साथ यह भी मैं कहूंगा कि जो कर लगाया जाता है वह आज अरबन ऐरिया और रूरल ऐरिया के अन्दर सरकार ने इतना डिफरेन्स रखा है कि इस डिफरेन्स का माननीय सदस्य विरोध करेंगे, और आप ताज्जुब करेंगे कि आज ८७ प्रतिशत ग्रामीण जनता है और जो टैक्स वहां पर लगाते हैं वह चार आने और चार हजार पड़ता है। सबको टैक्स में शामिल होना पड़ता है। लेकिन आज उत्थान की दृष्टि से, लोगों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, और लोगों को जीवनयापन के लिहाज से राजस्थान की सरकार ने अपनी आंखों के आगे काली पट्टी बान्ध रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज रूरल ऐरिया के अन्दर जहां पर कि पानी की समस्या है, जहां पर राशनों की समस्या है, जहां और दूसरी समस्यायें हैं, लेबर की समस्या है, उन सबको सरकार इग्नोर करती जा रही है जहां टैक्स उठाया जाता है तो अरबन एरिया

(श्री विजयसिंह रावत)

से अधिक होता है । वहां पर जल-योजना की समस्या है। जल-योजना के लिए राजस्थान की सरकार ने लगभग साढ़े छः करोड़ का प्रावधान रखा है । जहां पर इन मंत्रियों ने चुनाव के दौरान आश्वासन दिये थे कि यहां पर जल संकट दूर कर दिया जायगा, किन्तु आज तक कोई आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर रूरल ऐरिया के अन्दर खेती होती है और वहां की महिलायें ५-५ मील दूर से पानी लाती हैं। यह बात इस सदन में कही गई है, और दूसरे दिन उनके बच्चे पैदा होते है । राजस्थान की महिलायें इतनी मुसीबत से पानी लाती है । यह कितनी दर्दभरी घटना है। क्या उस महिला का परिवार राजस्थान सरकार को कर नहीं देता है ? क्या वह कर देने में साझेदार नहीं होती है ? लेकिन राजस्थान की सरकार कभी भी इस बात पर सहमत नहीं हुई है कि जो कर हम अदा करते हैं उस कर का पूरा युटिलाईजेशन हो । इस प्रदेश के हर एक गांव के अन्दर हर तहसील के अन्दर, हर कस्बे के अन्दर वह इक्वल हो और सबको समान राहत मिले । इसके साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि पिछले सत्र के अन्दर जो मंत्री रहे थे उन मंत्रियों के आचरण के बारे में, उन मंत्रियों के कारनामों के बारे में आपने काफी देखा होगा । आप पिछले सत्र के वित्त मंत्री महोदय को अच्छी तरह से जानते होंगे । उनके बारे मे मैं इतना कह सकता हू कि जब वे राजस्थान को विधान सभा के अन्दर वित्त मंत्री बनकर आये थे, आने से पहले उनकी स्थिति यह थी कि वे किराये की साईकिल पर चलते थे और आज उन्होने साढ़े तीन लाख का बंगला बना लिया है। यह कहां से आ गया है? मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी से कि क्या एक वित्त मंत्री बनने के नाते पांच वर्ष में आप भी साढे तीन लाख की एक कोठी बना सकते हैं ? और क्या ....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो सदन में मौजूद नहीं हैं उनके बारे में यदि पहले नोटिस नहीं दिया जाय तो किसी तरह के पर्सनल रिमार्क्स देने की परम्परा नहीं रही है। हम बहुत डिग्नीनेफाइड तरीके से क्रिटिसिज्म करते रहे हैं । इसलिए जो सदन में नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं उनके बारे में पहले हमें नोटिस दें और फिर अपनी बात कहें तो हम भी जवाब दे सकते हैं । नोटिस दिये बिना यहां खड़े होकर कह दें यह शोभा की बात नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : पुरानी बात को दोहरा रहे हैं ।

श्री विजयसिंह रावत : मैं पूरी बात कहूं तो आप खुश हो जायेंगे । परम्परा यहां पर नोटिस देने की, सूचना देने की है। परन्तु मंत्री-मण्डल में मंत्री महोदय ऐसे हों जिनके द्वारा धन का दुरुपयोग किया जाय, राजस्थान की गरीब जनता से उगाया जाकर धन का दुरुपयोग किया जाय तो यह न्यायोचित नहीं है । यह परम्परा में शामिल होना चाहिए, अगर है नहीं तो भी ।

(श्री विजयसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न इस बात का है कि टैक्स उगाये जा रहे हैं, टैक्स लगाये जा रहे हैं और टैक्सों पर सख्ती की जा रही है दूसरी ओर राज्य सरकार यह मानती है कि जो बड़े बड़े सेठ हैं, जैसे रामनारायण के बारे में आया, साहू जैन के बारे में आया और इसी प्रकार के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो शराब बेचते हैं जिनके अन्दर गारन्टी सिस्टम का रुपया बाकी है, इसी प्रकार जो दूसरी संस्था हैं, जैसे खादी ग्रामोद्योग और दूसरी संस्थायें समाज-कल्याण, सोशियेल वेलफेअर की, इनके अन्दर कई प्रकार के भ्रष्टाचार और गबन हो रहे हैं। उनको रोक कर उनके अन्दर जो रुपया बाकी है, जो अधिकारी इसके तहत के अन्दर दोषी ठहराये गये हैं, जिन्होंने इस रुपये का, जो राजस्थान की गरीब जनता से उगा कर इकट्ठा किया है, दुरुपयोग किया है, उनके बारे में आपने कोई कार्यवाही की है ? यदि माथुर साहब, दलील दें तो एक आदमी भी नहीं बता सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की गरीब जनता से उगाई गई धनराशि का जिन्होंने दुरुपयोग किया है, उनमें से किसी भी आदमी पर दोषारोपण करके सजा दी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस राजस्थान के स्टेट रोडवेज को आप ले लीजिये। इस राजस्थान रोडवेज के अन्दर बसें नई आती हैं और बसें नई आने के बाद छः महीने के बाद आप पायेंगे कि उड़न-खटोले जैसी उनसे आवाज आयेगी और उस आवाज को सुनने के बाद में तीन दिन तक सिर का भार नहीं उतरेगा और एनासीन लेनी पड़ेगी। यह बात क्यों होती है। यह स्टेट रोडवेज का गैराज है, इसके अन्दर क्या होता है। मोटर पार्ट्स बदल दिये जाते हैं और वह न्यू पार्ट्स दिल्ली के चोर बाजार में जाते हैं और वहाँ से पुराने पार्ट्स आते हैं वह फिट करते हैं। इस कारण से पिछले साल आपको ९ लाख का घाटा हुआ है। यह सरकार किसी भी चीज का नेशनलाइजेशन करने के बाद में अच्छी तरह से नहीं चला सकती। आप देखिये कि प्राइवेट बसें चलती हैं, उनको पुलिस रोकती है और उनका चालान होता है। उन पर सरकार का प्रहार होता है फिर भी वह फायदे में चलती हैं। सरकार स्टेट रोडवेज चलाती है तो चलाने के बाद उसको नौ-नौ लाख का घाटा होता है। और अब तो सुना है श्री श्री १०८ बाल कृष्ण-कौल को स्टेट रोडवेज का चेयरमैन बनाने जा रहे हैं, जिन्होंने साढ़े तीन लाख की बिल्डिंग बनाई हैं, जिनके बारे में गरमा-गरमी हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में कर लगाना क्या न्यायोचित है ? यदि कर लगा कर उसकी उगाई की जाय और उगाई करके उसका दुरुपयोग किया जाय न कि सदुपयोग किया जाय। सरकार दुरुपयोग करके राजस्थान की जनता को इस हालत से इतना उत्तेजित करना चाहती है, इन अत्याचारों से, इन अनियमितताओं से और इस बर्बरता से कि अगर वह इसे सहन नहीं कर सकेगी तो वह दिन दूर नहीं है कि मंत्री जी, आज, हलुवा पूड़ी खाकर, टमाटर खाकर लाल हो रहे हैं और रोजाना जो स्टेट मोटर गैराज

(श्री विजयसिंह रावत)

की दी हुई गाड़ी में बैठ कर आते हैं और दलील दे देते हैं कि आदेश दिया गया है। आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश-आदेश कुछ नहीं दिया जाता है। बस बला टाल देते हैं। अध्यक्ष महोदय के सामने मंजूर कर लिया और यहां से निकलने के बाद सब आदेश खत्म हो गया। यह सारी बात अब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। मंत्री महोदय अपनी गाड़ियां ले गये चुनाव के दौरान और सरकारी गाड़ियों में सरकारी पैट्रोल जलाया। सरकारी गाड़ियों के द्वारा चुनाव का प्रचार किया। माथुर साहब दलील दे रहे हैं कि ऐसी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि दो बजे मैंने फार्म भरा १७ तारीख को और दो बज कर पांच मिनिट पर बाल कृष्ण कौल वहां गाड़ी में आये, जो पैंतालीस हजार की गाड़ी है और फर्स्ट क्लास, झण्डी लहराती हुई और हम दोनों ने शपथ ली। यह जनता की गाढ़ी कमाई का यह हो रहा है। आप चरणसिंह की तरह हो जाइये और दो ढाई साल के लिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आप हमारे साथ होइये, फिर देखिये कि हम आपका साथ देते हैं। एक दफा पहले जब हिन्दुस्तान की चीन के साथ लड़ाई चली थी उस वक्त हम लड़े। एक दफा फिर आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। आप साहस करें। आप में साहस होना चाहिए।

अब आपने जो टैक्सेज लगाये हैं उनमें इक्विलिटी होना चाहिए रूरल और अरबन में। दूसरी चीज यह है कि उसका सदुपयोग होना चाहिए। यह दोनों चीजें नहीं हुई तो आगे मन्त्री जी होंगे और काले झण्डे लेकर उनके पीछे राजस्थान की जनता उनको खाने के लिए भागेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९६७ में मन्त्री महोदय ने कुछ टैक्सेज प्रपोज किये हैं, उनका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि साल दर साल जो टैक्स लगते हैं उनका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। आज राजस्थान में जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वह करीब करीब बन्द हो चुके हैं। सड़कों के विकास के लिए राजस्थान की सरकार के पास पैसा नहीं है। पानी की स्कीमों के लिए राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरे इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, एक्सटेंशन वर्क के लिए राजस्थान सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। फिर आप टैक्सेज लगा रहे हैं उनका जस्टीफिकेशन क्या है? आप साफ दर साल टैक्स लगाते हैं। पिछले सालों से आप टैक्सेज लगाते आ रहे हैं। इसलिए राजस्थान की जनता और राजस्थान के जन प्रतिनिधियों का यह राइट है आपसे जानकारी करें कि पिछले टाइम आपने जो टैक्सेज का कलेक्शन किया है, उसका किस तरह से आपने सदुपयोग या दुरुपयोग किया है। मैं ज्यादा विषयों पर नहीं बोलूंगा, मैं खास-खास मुद्दों की

(श्री जुझारसिंह)

तरफ ही माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान रोडवेज के मन्त्री यहां पर मौजूद हैं। इनके पास चार सौ पचास गाड़ियों की फ्लीट है, और इस राजस्थान रोडवेज पर करीब दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान सरकार का है। यदि कोई साधारण व्यापारी दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो पन्द्रह बीस हजार के व्याज पर वह दे देता। इसी तरह से आपको इस इन्वेस्टमेंट से आमदनी होनी चाहिए थी। आज राजस्थान रोडवेज की १६० गाड़ियां आऊट आफ रोड्स वर्षों से पड़ी हैं। यह आउट आफ रोड्स हैं, लेकिन उनको चलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी मरम्मत कराने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके इन्तजाम की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपने जो नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ कदम बढ़ाया था, उसके दो-तीन साल के बाद में १६० गाड़ियां आउट आफ रोड हो जायं, रोड पर नहीं चला पायें, उसकी व्यवस्था नहीं हो, और उसके बाद भी जनता पर टैक्स लगाये क्योंकि आपका राइट है इसलिए टैक्स लगायेंगे और स्थिति को बिगाड़ते जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या व्यवस्था की है? आपने राजस्थान होटल कार्पोरेशन अपने किसी मित्र की हेल्प करने के लिए चलाया। उसके दस महीने के आंकड़े आये हैं उनमें तीन लाख का घाटा बताया है। राजस्थान होटल कार्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर रामजी काक का एपॉइन्टमेंट किया गया जिनको कोई एक्सपीरियेन्स नहीं है। उन्होंने होटल बिजिनेस की कोई शिक्षा नहीं पाई है। सब लोग जानते हैं, जब यह एपॉइन्ट हो रहे थे उस समय कहा गया था कि यह अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है। यदि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो किसी जानकार आदमी के हाथ में दें। लेकिन उस वक्त उस बात को नहीं सुना। नतीजा जो होना था, जिसकी सम्भावना थी, जिनको सब लोग जानते थे वही हुआ। दस महीने की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें तीन लाख का घाटा है। उसके बाद भी यह चीज चलाते रहेंगे और इस में दिलचस्पी नहीं लेंगे, और टैक्स बराबर लगाते रहेंगे। यह चीज इस तरह से करते हैं तो हम लोगों का यह जानने का फर्ज है, दायित्व है कि जो टैक्स लगाते हैं उसका सदुपयोग होता है कि नहीं?

इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए जो आपने स्कीम चलाई हैं उनके लिए मैं अर्ज करता हूं कि जो इरिगेशन स्कीम चलाई वह इसलिए चलाई कि कुछ अर्से के बाद में रिटर्न देने लगें और उससे आमदनी हो। आज जितनी स्कीम है वह घाटे में चल रही है। जिन स्कीम्स से साढ़े सात पर्सेन्ट रिटर्न का एस्टीमेट लगाया था उन स्कीम्स से केवल ५ पर्सेन्ट आ रहा है। कालीसिंध की जो स्कीम है, वह बीस हजार एकड़ का इरिगेशन करने के लिए थी, लेकिन उससे तीन हजार एकड़ में भी इरिगेशन नहीं हो पा रहा है। उससे आप एक-दो पानी दे रहे हैं। जब कि आपने बीस हजार एकड़ की सिंचाई करने के लिए वह स्कीम बनाई थी। इसी तरह से भीम सागर की स्कीम है, वह चालू नहीं हो पाई है, और सरकार ने पन्द्रह लाख रुपये लगा

(श्री जुझार सिंह)

दिये हैं। उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह रिटर्न नहीं दे रही है। इसी तरह से परबन की स्कीम है उसमें से भी कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। ओरिजिनल स्कीम साढ़े सात पर्सेंट रिटर्न देने वाली थी। आज सिवाय गंग केनाल के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वह सब लॉस में चल रहे हैं। आपने करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और जनता को बताया है कि इसमें इतने हजार एकड़ की सिंचाई करेंगे। इसके बजाय इर्रिगेशन में कमी आ गई है और रिटर्न का जो अनुमान किया था वह भी नहीं आया है।

इस तरह की आपकी योजनाएं हैं, आप हर चीज हर नुकसान उठाते जायं, उन्हें सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दें, बराबर टैक्सेज लगाते जायं, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनका कहां तक जस्टिफिकेशन है? जनता कहां तक बर्दाश्त करती रहेगी? आफ्टर आज आपका भी फर्ज है, मंत्री महोदय होने के नाते दायित्व है, जिम्मेदारी है कि जनता के प्रति रेस्पोन्सिबिलिटी निभायें। आपकी बहुत सी वसूलियां नहीं हो रही हैं, करोड़ों की वसूलियां नहीं हो रही हैं, देते जाते हैं, एडवान्सेज करते जाते हैं वसूलियां नहीं होती हैं और अल्टीमेटली राइट आफ करना पड़ता है, अभी आपने राइट आफ किया है और कई तरह के ड्यूज राइट आफ कर दें। एक तरफ व्यवस्था नहीं है, वसूली करने का ढंग नहीं है, दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दें, ऑफिसर्स पर एक्शन नहीं लें, जनता पर टैक्सेज लगाते जायं। इसके लिए मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपने टैक्सेज १९६७ में प्रपोज किये हैं इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं इनका विरोध करता हूं। यही बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, १९६७ की थर्ड रीडिंग सदन में विचारार्थ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने भू-राजस्व पर जो सीलिंग से बाहर की जमीन है, ३० स्टेन्डर्ड एकड़, उस पर लैंड रेवेन्यू सरचार्ज को डबल किया है। ७५ रु. के ऊपर जहां टिनेन्ट चार आना यानि २५ नये पैसे टैक्स देगे बाद में ७५ से २४९.९९ पैसे तक, २५ नये पैसे देगा बाद में २५० से ऊपर आठ आना यानि ५० नये पैसे टैक्स देगा, पर इसमें वित्त मंत्रीजी ने और तरमीम कर दी है। पहले से ६२ से यह चला आ रहा है, पर अब कहा कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है, उसका जितना लगान होगा उतना ही सरचार्ज होगा। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। ८ आना था, उसको ५० नये पैसे कर देते तो कोई बात नहीं थी। काश्तकारों के लिए जो लास्ट टाइम से टैक्स बढ़ा रखा है अनाज और घास पर टैक्स लगा रखा है। अनाज के भाव बढ़ गये इसका असर काश्तकारों पर सीधा पड़ता है। मंडी में काश्तकार अनाज बेचने लाते हैं तो आढ़तिये चोप चौखी खर्ची कर अनाज खरीदते हैं इस टैक्स का हिसाब लगा कर। तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा हालांकि थर्ड रीडिंग पर कुछ नह

(श्री नाथूलाल कगौल)

होगा, जो होना था हो गया पर घी और अनाज पर टैक्स से किसानों पर सीधा असर पड़ता है। वित्त मंत्रीजी और राजस्थान सरकार सोचती है कि इसका असर काश्तकारों पर नहीं पड़ता, पर यदि वे खुद काश्तकार होते और अनाज, घी मंडियों में लेकर आते तो उनको पता चलता कि इसका असर काश्तकारों पर पड़ता है। मैं काश्तकार हूं और काश्तकार होने के नाते वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज के टैक्स को वापिस लेना चाहिये, घी पर टैक्स लगा रखा है, उसको वापिस लेना चाहिए।

दूसरा मेरा नम्र निवेदन है कि वित्त मंत्रीजी नये-नये टैक्स लगाते रहते हैं। किसानों पर उनके जानवरों के लिए टैक्स लगा दिया। जानवरों के लिए चर्चा चल रही थी तो सदन में फरमा दिया कि यह काश्तकारों पर लागू नहीं होगा पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सही अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इस क्लाज को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज नहीं तो ६ महीने के बाद जानवरों पर टैक्स लग सकता है, जैसे पशु मेले भरेंगे उनमें, पंचायत मेला भरायेगी तो उसमें। तो मेरा नम्र निवेदन वित्त मंत्रीजी से है कि जो टैक्स काश्तकारों पर लगे हुए हैं उनको कम करें और उनको खत्म करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर मेरे खयाल से काफी चर्चा हो गई है। अतः अगर सदन की अनुमति हो तो वित्त मंत्रीजी को जवाब देने की अनुमति दी जाय ?

एक माननीय सदस्य : काफी समय है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा वित्त मंत्रीजी ने घाटे की पूर्ति के लिये कई प्रोपोजल्स सदन के सामने रखे हैं और सदन बराबर दो दिन से इस पर विचार कर रहा है। मैं यह कहूंगा कि जब नये टैक्स लगाये जाते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिये। उनको न्याय संगत करार देने के लिये पिछली जो सरकार की रीति-नीति अर्थ-व्यवस्था पर रही है उस पर विचार करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि राज्य की अर्थ व्यवस्था बिलकुल विवेकहीन है। जो आय हो, अच्छे गृहस्थ की तरह राज्य सरकार को चाहिये कि अपनी जितनी आमदनी हो, उसी में काम चलाने का प्रयास करे। यह मैं मानता हूं कि एक विकासशील राज्य के लिये टैक्स लगाना अनिवार्य हो जाता है पर हम देखें कि जो राष्ट्रीय स्रोत हैं, जो वसुंधरा से, धरा से आय हो सकती है। यदि उन साधनों से पूरी क्षमता से आय करें और उसके बाद कमी पड़ती हो तो यह सही है कि जनता करों की जिम्मेदारी को वहन कर सकेगी और उसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेगी। पर यदि हम देखें तो मितव्ययता की दृष्टि राजस्थान सरकार की बिलकुल नहीं है। मेरे जिले के थोड़े से उदाहरण रखूंगा, यह देखा जाय कि हम किस प्रकार रुपयों को बचा सकते हैं, उसके थोड़े से उदाहरण रखूंगा।

टौंक, सवाई माधोपुर दोनों शिक्षा की दृष्टि से एक जिला है, इस जिले में ४

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

एस० टी० सी० स्कूल चलते हैं। इस विधान सभा में प्रश्न किया था कि मुझे बताया जाय कि ४ एस० टी० सी० स्कूलों में कितने ट्रेनीज वार्षिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और कितनों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मन्त्री महोदय का जवाब था कि ४ एस० टी० सी० स्कूलों में १५०० ट्रेनीज वार्षिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और बड़ी मुश्किल से ५० को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनका खर्चा १॥ लाख, टौंक और डिग्गी में एस० टी० सी० स्कूल और सवाई माधोपुर में २ एस० टी० सी० स्कूल हैं. वहां १५०० छात्र सालाना ट्रेनिंग लेते हैं, डेढ़ लाख का खर्चा एक्सचेकर पर उन एस० टी० सी० का पड़ता है। यह कौनसा विवेक है कि पढ़े-लिखे ट्रेनीज को ट्रेनिंग देने का बहाना लेकर डेढ़ लाख रुपया सालाना जाया करते हैं? माता, पिताओं पर उनके लिये खर्चा करने की जिम्मेदारी ठहराते हैं और उसके बाद डेढ़ हजार व्यक्तियों को सालाना बेरोजगार बनाते हैं?

इसी प्रकार दूसरा प्रश्न रखा था कि इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का कार्यालय टौंक और सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट शिक्षा की दृष्टि से एक है, उनका शिक्षा निरीक्षक का कार्यालय रह जाता है करौली में। उत्तर पूर्वी जिले के भाग में निरीक्षक के कार्यालय को रखते हैं। उसका अनुमान मांगा कि कितना विशेष व्यय इसे करौली में रखने से होता है उसका अनुमान ८० हजार रुपया वर्ष में आता है अध्यापक वगैरह करौली में जाते हैं। तो इस प्रकार दो लाख रुपया सालाना अधिक व्यय राज्य की विवेकहीन व्यवस्था के कारण केवल एक मद शिक्षा पर हमारे जिले में हो रहा है। इसका दूसरा अल्टरनेटिव निकल सकता था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक एस० टी० सी० रख लिया जाय बाकी तोड़ दिये जायें। इससे बेरोजगारी के बढ़ने में भी कमी करेंगे और ट्रेनीज को भी काम पर लगा सकेंगे।

करौली से हटा कर सेंटर सवाई माधोपुर में कर दिया जाता है तो मैं मानता हूं कि जो कुछ व्यय इस मद में होता है वह आधा रह जायगा।

यह केवल शिक्षा के बारे में उदाहरण मैंने रखा है। इससे एक लाख रुपया सालाना की बचत राजस्थान सरकार को इस एक मद में होती है।

तो इसी प्रकार मैं आमदनी के बारे में कुछ अर्ज कर रहा था। आमदनी के बारे में जैसे फॉरेस्ट है, माइनिंग है, इसके अलावा आपकी इरिगेशन स्कीम्स हैं। फॉरेस्ट का हमारे सवाई माधोपुर जिले में एक बहुत बड़ा कांड है। वह कब हुआ? जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने के बाद फॉरेस्ट स्कैंडल हुआ। हमारे सवाई माधोपुर में जब जागीरों का पुनर्ग्रहण हुआ तो जागीरदारों को प्राइवेट पार्टीज ने कुछ रुपये देकर अपने हक में पट्टा करा लिया सादे कागजों पर। इस प्रकार मैं मानता हूं कि १० लाख के जङ्गल को कटवा दिये, उनको अनुमति दी गयी। एक्सचेकर को इससे बहुत बड़ा नुक-

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

सान हुआ है। केवल व्यक्तिगत लाभ के लिये काम किया गया। मैं मानकर चलता हूँ कि इतनी कीमतों पर जंगल नहीं मिल सकते। लेकिन इन्क्वायरी की जाय तो कई मन्त्रियों के विरुद्ध कांड निकलेंगे।

इसी प्रकार एक काश्तकार अपनी जमीन में अपने हल के लिये एक पेड़ काट लेता है तो ५०) जुर्माने का प्रावधान है, और फॉरेस्ट को जाने दीजिये १५ गुना जो पेड़ की कीमत होती है वह एक काश्तकार से वसूल करते हैं। अभी हाल में मैंने सदन में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था कि एक बहुत बड़ा जंगल है खैरपुरा, उसके पास वहां पर माइनिंग का ठेका दिया गया, उस माइनिंग के ठेकेदार को पत्थर निकालने का ठेका दिया गया। कायदे से जहाँ फॉरेस्ट हो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जंगल नीलाम किया जायगा, उसके बाद माइनिंग का काम होगा। लेकिन हुआ क्या उसमें? दो दिन के अन्दर–अन्दर वह घना जंगल बिल्कुल काट लिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका एसेसमेंट किया १,१५,०००) और उस पर राज्य सरकार ने फैसला किया। कोई १० हजार रुपये में उसको दिया। इस प्रकार एक तरफ तो आप भारी टैक्सेज लगाते जायं, दूसरी तरफ जो कानून अपने हाथ में लेकर राज्य की सम्पत्ति को नष्ट करते हैं या उसको हथिया लेते हैं उनके साथ रियायतें की जाती हैं, जिसका सीधा सम्बन्ध एक्सचेकर पर पड़ता है। माइनिंग लीज सीमेंट फैक्ट्री ने बिल्डिंग मेटीरियल्स के नाम से लिया, सारा स्टोन लिया जाता है, इन्डस्ट्रियल परपजेज के लिये, उसके लिये रायल्टी देते हैं। दो महीने तक देते रहे और दो महीने तक इतनी ट्रक्स निकाली, कोई एक्सपेरीमेंट नहीं हो रहा था। सीमेंट का कोई पत्थर निकाला था और बराबर बिल्डिंग मेटीरियल्स के नाम से कम से कम ५० ट्रक्स डेली लाकर १०-१० चक्कर निकाले, पत्थर निकालते रहे और इस प्रकार फैक्ट्री का काम चलता रहा और सीमेंट पत्थर से बनाया, रायल्टी बिल्डिंग मेटिरियल की दी।

इस प्रकार राज्य की शिथिलता के कारण मैं यह मानता हूं कि इतना बड़ा स्कैंडल होता है। धन चला जाता है तो रोक नहीं होती तो निश्चित रूप से सन्देह होता है कि बगैर राज्य सरकार की मिली भगत से इतने बड़े स्कैंडल नहीं हो सकते।

ईरिगेशन स्कीम्स के बारे में जो स्कीम्स राज्य सरकार बनाती है वह पहले तो यह है कि योजना के लिये रुपया एलॉट हो गया। १० लाख का एस्टीमेट है। योजना के लिये ईयर मार्क किया गया। जो प्लान्ड स्कीम है उसके अधीन सूद तो देना ही पड़ेगा ४-४, ५-५, ६-६ वर्ष में योजना को पूरा कर लेते हैं और जब बांध तैयार हो जाता है, नहरें निकलने में ५ वर्ष लेते हैं। एक तरफ रुपया ईयर मार्क होता है, रुपये पर सूद होता है और दूसरी तरफ स्कीम पर रिटर्न नहीं मिलता है। उसका नतीजा यह होता है कि वह योजना अलाभकारी हो जाती है। अभी मोरेल का बन्धा बना हुआ है। आपने योजना में रखा था कि ८० लाख एकड़ भूमि इससे सिंचित होगी। लेकिन मुझे खेद है कि ५ वर्ष हो गये बांध बने हुए, आज तक नहरों को जितना आगे बढ़ाना चाहिये था—आज

(श्री हरि बल्लभ शर्मा)

तक नहीं बढ़ाया, उसका पानी बेकार जाता है ।

खंडार के बन्ध को १० साल से ज्यादा हो गये ! आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज बंधे से ५०० एकड़ भूमि भी सिंचित नहीं होती है जबकि लागत डेढ़ लाख रुपया है । स्कीम्स अपनाई जाती हैं रुपया लगा देते हैं और फिर क्यों अलाभकारी होती हैं, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इस घाटे का भार किस पर पड़ता है ? राज्य सरकार की नजर जाती है गरीब जनता पर, गांव में रहने वालों पर कि यही एक ऐसा आदमी है जिसको पता नहीं चलता। यही एक साधन है, सारी जमीन सेटल्ड है, आराम से रकम वसूल कर सकते हैं वहां पर सीधी टैक्स किसान पर लगा दी जाती है । घाटे का भार, दुर्भाग्य है, किसानों पर सबसे अधिक पड़ा है । किसानों पर, मध्यम वर्ग और जो श्रेणी रह जाती है वह है पूंजीपति लोग उन पर कोई भार टैक्स का नहीं पड़ता ।

इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का प्लानिंग है । बिजली के खम्भे खड़े हैं, ५-५ वर्ष से खड़े हैं, केवल वायरिंग उन पर करानी पड़ती है लेकिन पता नहीं खंभे खड़े रहते हैं, पैसे लगाए, १०-२०, ५०-६० मील लेबर ने काम किया, राज्य सरकार का पैसा लगा लेकिन उसको पूरा नहीं किया राजनैतिक कारणों से । मैं मानता हूँ कि राजनैतिक प्रतिशोध निकालते हैं लेकिन उसके कारण एक्सचेकर पर कितना बड़ा घाटा होता है, सारी स्कीम कितनी अलाभकारी होती हैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता । तो मेरा सुझाव है कि दरअसल जो इस प्रकार की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, जो इस प्रकार के काम आप हाथ में लेते हैं, उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण हो जाए, राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाने से आप उस योजना को पूरा भी करना चाहते हैं लेकिन उसमें डिले भी करना चाहते हैं और डिले के कारण, लोगों को दिखाने के लिए और यह सदन में कहने के लिए कि हमारा पक्षपात कुछ नहीं है हम बराबर काम कर रहे हैं, उस योजना में कुछ काम कर दिया और आधा रुपया व्यय करके जब घाटा हो जाता है तो वहां छोड़ देते हैं । होता क्या है कि वह अलाभकारी स्कीम बन जाती है । आपका पैसा चाहे एक लाख हो चाहे ५०,००० एक स्कीम पर जाय और जो बाकी जगहों पर लगाते हैं तो वह एक बहुत बड़ी राशि राज्य सरकार की ऐसी जगहों पर फंस जाती है तो राज्य का लाभ नहीं होता हैं । हमारे यहां पर १९६१ में वाटर वर्क्स की स्कीम आरम्भ हुई थी, ३० लाख की स्कीम थी । जिस समय लागू की गई मैं नगरपालिका का अध्यक्ष था । योजना थी कि बनास नदी से सवाई माधोपुर को पानी दिया जायगा, लेकिन जो सोर्स रहेगा वह जयपुर उद्योग सीमेंट फैक्ट्री । अध्यक्ष के नाते मैंने इसका विरोध किया था कि हम सीमेंट फैक्ट्री की गुलामी नहीं करना चाहते पानी चाहिए या जयपुर उद्योग को और नाम लिया जाता है सवाई माधोपुर को पानी देने का । इसी तरह से बिजली दी गई तब वह सवाई माधोपुर के नाम से दी गई । सवाई माधोपुर को बिजली मिलती नहीं और सारी जयपुर उद्योग लेता है । इसलिए पिछले अनुभव के

Page No. 184

(श्री हरि बल्लभ शर्मा)

आधार पर हमने इसका घोर विरोध किया था। ३० लाख की स्कीम थी वाटर सप्लाई की। नगरपालिका ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सोर्स जयपुर उद्योग को दिया जा रहा था। ३० लाख सरकार ने ईयरमार्क कर दिए, लेकिन क्योंकि वह नगरपालिका जो स्वीकृति नहीं दे रही थी, उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थी बोर्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थी कि सोर्स जयपुर उद्योग के हाथ में रहे इसलिए तीन साल तक यह योजना खटाई में पड़ी रही। आखिर १२ लाख रुपये में जयपुर उद्योग को दे दी गई। बनास नदी से फैक्ट्री तक पानी ले आए और सवाई माधोपुर और उसके आसपास पानी तीन साल बराबर देते रहे। हम झुके नहीं। हमारा कहना था कि सोर्स स्टेट अपने हाथ में ले। जिस प्रकार सवाई माधोपुर कस्बा या नगर पालिका एक कन्ज्यूमर रहता है उसी प्रकार जयपुर उद्योग को कन्ज्यूमर रखना चाहिए जब तक पूरा कर्जा नहीं चुकाया जाता लेकिन आखिर में क्योंकि डराया, धमकाया, समझाया कि मान लिया जाय। यह स्वीकार नहीं किया गया गया तो पानी तो बनास से जयपुर उद्योग में आना ही है, वह यहां आकर ही रहेगा, लोग पानी के बगैर रह जायेंगे और सबसे बड़ा प्रेशर था कॉलोनी का जहां हमारा सारा अधिकारी वर्ग रहता है।

हुआ क्या? मेरे पश्चात जो चेयरमैन बने उनको बोर्ड पर साइन करने पड़े और इसके पश्चात् वह योजना लागू हुई, और आश्चर्य होगा ३० लाख की स्कीम। जयपुर उद्योग लिमिटेड को पांच मील का छोटा टुकड़ा पड़ता है उसमें तीन साल लग गये पाइप लाइन लगाने में। अब देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, हो क्या रहा है यह हो रहा कि १५—१५ दिन तक पानी नहीं मिलता है। आखिर वह नुकसान होगा किसको?

नगर पालिका को होगा, उस पर कर्जा और ब्याज चढ़ता रहेगा इसी प्रकार बढ़ता हुआ इन्स्टेट हो जावेगा, रिटर्न नहीं होगा तो सरकार बाद में राइट ऑफ करेगी। यह सब किसके कारण करना पड़ा? केवल उसे बड़े उद्योग के कारण।

तो यह स्कीम जब तक राज्य सरकार की ऐसी भावना रहेगी और इस प्रकार से रुपयों के विनियोग होते रहेंगे, तब तक किसी प्रकार से लाभकारी योजना फलीभूत हो नहीं सकेगी। और आखिर में जब यह सरकार राज्य स्तर पर मितव्ययता करने को तैयार नहीं, अपने खर्चे घटाने को तैयार नहीं, राज-नैतिक कारणों से मितव्ययता करने को तैयार नहीं तो उन सबका परिणाम निकलने वाला क्या है?

एक उस मैनेजर की तरह जो खर्चों को तो रोक नहीं सकता, आदतें खराब पड़ गई है, चाहे घर के बरतन कपड़े बेच दे, चाहे सारा मकान बेच दे, और अगर उधार मिलता है तो भले ही उसे चुका सके या नहीं, लड़के बच्चे चुका पावेंगे या नहीं, इसकी चिन्ता किये बगैर निश्चित रूप से मेरा खर्चा किसी प्रकार से होना चाहिये, रुकना नहीं चाहिये बल्कि घर वालों से बिगाड़ अलग से कर लेता है, तो इस प्रकार राज्य सरकार अपने खर्चों को तो

(श्री हरि बल्लभ शर्मा)

कन्ट्रोल नहीं कर सकती तो टैक्स लगा दो। सीधा सवाल आता है।

तो इस पृष्ठ भूमि में राज्य सरकार टैक्स लगाती है तो निर्विवाद रूप से जनता को वह अखरता है। जब होली लगती देखता है तो बुरा लगता है। नीचे वाला जानता है सब चीजों को। किंवदन्तियां अनेक प्रकार की चलती हैं सवाई माधोपुर के जंगल कटते रहें पर उनको जलाने के लिए एक लकड़ी नहीं मिल सकती। रिजर्व फॉरेस्ट मुफ्त में कटते रहे उनके चहेते ठेकेदारों द्वारा, पर वहां के रहने वालों को लकड़ी जलाने को हैड लोड पर भी नहीं मिल सकती। इस प्रकार का राज्य सरकार का रवैया है। टैक्स पेयर मुसीबत में होता है। गाढी कमाई का पैसा वह टैक्स के रूप में देता है, और आप ले रहे हैं वह अगर आप बरबाद करते हैं इस तरह से तो यह उसके साथ विश्वासघात ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अत्याचार भी कर रहे हैं।

टैक्स आप उससे ले रहे हैं, पर लाभ नहीं पहुंचाते। टैक्स लगाने की नौबत नहीं आती अगर राज्य सरकार ठीक ढंग से अपनी व्यवस्था करती और कुछ मितव्ययता के मार्ग को अपनाती और कुछ जो हमारे रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट के हैं, माइनिंग के हैं और जिन कामों में पूंजी का विनियोग होता है तो उसे लाभकारी बनाया जाता तो शायद टैक्स लगाने की नौबत नहीं आती और अगर आती भी तो इतने भारी टैक्स नहीं लगाये जाते।

तो जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार टैक्स लगाने आ रही है मैं उन प्रोवीजन्स का घोर विरोध करता हूं।

श्री केसरीसिंह हाडा: उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मथुरादास माथुर : पांच मिनिट रह गये हैं अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री..........

श्री मथुरादास माथुर : चलेगा कैसे ?

श्री केसरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसे कल पारित करना चाहिये था। पर आज का दिन भी जा रहा है फिर पांच बजे के बाद में सदस्य कहने लगेंगे कि बैठेंगे नहीं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को सदन ने पास किया है। उसमें एक दिन तो ज्यादा लग गया है। फिर लग जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप रास्ता बताइये। हम भी क्या कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : टाइम कन्ट्रोल होना चाहिये। सभी पार्टियों को आपस में मिलकर तय करना चाहिये। इसे कल पारित हो जाना चाहिये था। कल नहीं हो पाया, आज दिन भर बहस चली। थर्ड रीडिंग पर बोल चुके। कई पहले बोल चुके हैं। कई बजट में कई आइटमों और पोइन्ट पर बोल चुके थे। फिर भी इस पर बहस चालू रखी गई। मुझे आपत्ति नहीं। पर यह बिल आज

(श्री मथुरा दास माथुर)

पारित हो जाना चाहिये। चाहे रात को हमें सात आठ बजे तक बैठना पड़े। कल तो शादियां भी थीं। गवर्नमेंट ने मान लिया। पर आज निवेदन है कि यह आज पारित होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : डिबेट आज हो जावेगी। उत्तर आपका कल मिल जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : उसमें देर हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल सही है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने बिल के लिए समय निर्धारित किया है। पर उस बिल को लोगों ने देखा नहीं। उस समय लगा कि छोटा सा होगा। पर बिल के आने के बाद उस पर समय लगने की सम्भावना है। इसके लिये चाहे बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दुबारा बुलानी पड़े।

श्री मथुरादास माथुर : उस बिल के लिए दो की जगह तीन दिन मांग लें। पर यह तो कल तक हो जाना चाहिये था। मैं मान सकता हूं उस बिल के लिए एक दिन और मांगे। अभी तक वह बिल तो आया ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कल जब इन्ट्रोड्यूस के लिए रखा जावेगा उसके पहले आपका भाषण खतम हो जावेगा। तो आज पांच मिनिट में जो बोलना चाहें बोल लें। इसमें हर्ज क्या है ? आपके भाषण के तुरन्त बाद वह बिल आ जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर : इसके माने यह हुए कल उस बिल पर बहस चलेगी और बहस और जनरल डिबेट के बाद क्लाज बाई क्लाज चलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मंत्रीजी ने खुद ने बनाया है इसे। हमने भी इसे गहराई से देखा है। आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट खुद ही इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दे। सब समय बच जावेगा। नहीं तो, निश्चित रूप से डिबेट चलेगी। फिर समय का सवाल नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए दो की जगह तीन दिन लें। यह तो बिजिनेस कमेटी के ते करने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग फिर बुलानी पड़ेगी। पहले देखा नहीं था। अन्दाज था कि मामूली सा बिल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा नियम ऐसा है कि जिससे आसन को यह अधिकार हो कि डिबेट को समाप्त बीच में ही करा दिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : डिबेट को रेगुलेट करने का आसन को पूरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : पर रेगुलेट करने को दरख्वास्त तो अब आई है। अगर पहले आप कहते कि आज यह होना चाहिए तो उस हालत में आसन व्यवस्था दे देता कि इतने बजे तक चर्चा समाप्त हो जावेगी। इसके

(श्री उपाध्यक्ष)

बाद आपका जवाब हो जावेगा। इसके अलावा समापन का प्रस्ताव रहता है जो मैं समझता हूं उसका उपयोग करना नहीं चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा क्या लिया। चलाओ।

श्री केसरीसिह हाडा (हिंडौली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार की टैक्स नीति इस प्रकार से बढ़ रही है जैसे द्रोपदी का चीर बढ़ता था। हर प्रकार का टैक्स जनता पर....

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह बिल पारित न हो जावे सदन का समय बढ़ाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ाया जावे।

कई विपक्षी सदस्य : नहीं है सहब अनुमति।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जब-तक यह बिल पारित न हो जावे १५।२० मिनिट में जवाब दे दूंगा। तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

कई विपक्षी सदस्य : नहीं बढ़ाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे खयाल से ऐसा है कि इस विषय पर सदन की राय ली जावे यह उचित नहीं होगा। इसलिए १५।२० मिनिट का समय....

श्री भैरोंसिह : काफी लोगों के प्रोग्राम्स बने हुए हैं। अभी दिक्कत नहीं आती है तो कुछ नहीं कहते। हम तो आठ आठ-बजे तक भी बैठे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम भी जब आपका प्रस्ताव आया रात को ८ बजे तक बैठे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of Order, Sir. १५६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ :

"In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business .."

(५.०० म प)

श्री उपाध्यक्ष : यह बात बिल्कुल ठीक है।

श्री पी. के चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय,

"....and where time is so allotted, he shall, at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted."

(श्री पी० के० चौधरी)

अब ५ बजने वाले हैं । मेरा सुझाव है कि You may put the question.

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट में अर्ज कर दूं । सारे समझ लेंगे । माननीय सदस्य ने काल अटेन्शन नोटिस दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय १५ मिनिट और बढ़ाया जाता है ।

श्री केसरीसिंह हाडा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़े में हो ।

श्री केसरीसिंह हाडा : हर साल टैक्स बढ़ाते हैं । ५२ से देख रहा हूँ कि हर साल टैक्स बढ़ाते हैं । १५ साल हो गये टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं टैक्स की नीति बढ़ती जा रही है । और इस प्रकार से टैक्स बढ़े हैं तो उसका जनता की बिक्री पर, दुकानदारों की बिक्री पर काफी असर पड़ेगा । मैं उदाहरण के लिए निवेदन करूं कि कोई व्यक्ति सिनेमा में जाने वाला है सिनेमा में एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ गया, जो बालकनी में बैठने वाला है वह उससे नीचे बैठने लग जावेगा, ड्रेसिंग सर्किल में बैठने लग जावेगा । इससे सिनेमा वालों को घाटा रहेगा । देखने वालों को तो धक्का लगा मगर सिनेमा वाले कहां तक घाटा उठाते रहेंगे ? इसी प्रकार कोई रेफ्रिजरेटर खरीदता है, कूलर्स खरीदता है, टैक्स बढ़ गया है बाहर से ले आवेंगे तो यहां के दुकानदार को नुकसान होगा । इसी प्रकार टैक्स सरकार ने काश्तकारों पर भी बढ़ा दिया है । काश्तकारों पर पहले ही काफी टैक्स थे । इरिगेशन चाजेज चौगुने हो गये । लगान बढ़ गया पैमाइश के बाद । सरचार्ज पहले ही था । सरचार्ज भी दूना हो गया । और सरकार की नीति ऐसी है कि टैक्स पर टैक्स बढ़ाया जाय । एक तरफ सरकार काश्तकारों के लिए कोई इस तरह का इन्तजाम नहीं करती कि जो लेबर है, जो काश्तकार अपनी काश्त के लिए आदमियों को नियुक्त करता है उसके लिए कोई पाबन्दी नहीं है । अगर काश्तकार का आदमी काम छोड़ कर चला गया तो उसकी सारी काश्त बरबाद हो जावेगी । पहले इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी कि काश्तकार का एम्पलॉई, काश्तकार का जो नौकर था, मजदूर था अगर वह छोड़ कर चला जाय तो उसको सजा मिली करती थी । इसी भय से काश्तकारी बनी रहती थी । और काश्तकारी नहीं बिगड़ पाती थी । अब क्या हो गया है कि एक तरफ मिनिमम वेजेज एक्ट लागू किया कि इतने मिनिमम पैसे मिलने चाहिये, लेकिन उसके साथ-साथ काश्तकार को यह फेसिलिटी नहीं मिली कि अगर उसका मजदूर काम छोड़ जावेगा तो क्या होगा ? काश्तकार पर इतने टैक्स बढ़ाये तो किस प्रकार काश्तकारी होगी । काश्तकारी हो जाती है तो लेवी सिर पर भूत बन कर सवार हो जाती है । जमीन में पैदावार न हो, पिलाई न हो तो पैदावार कम होती है और उस पर भी लेवी वसूल हो जाती है । इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जो टैक्सेशन का इतना भार जनता पर बढ़ाया जा रहा है

(श्री केसरीसिंह हाडा)

यह कतई अनुकूल नहीं है। और एक दिन वह आवेगा कि जनता टैक्स नहीं दे सकेगी और टैक्स नहीं दे सकेगी तो नतीजा क्या होगा सरकार स्वयं समझ सकती है कि उसका नतीजा सरकार को भुगतना होगा। आज ये टैक्स इतने क्यों बढ़ाये जा रहे हैं? इसका कारण केवल यह है कि पिछले टैक्स जो लगाये गये वे वसूल नहीं हो सके। खर्चा सरकार का बढ़ता गया। योजना सरकार की रुकी नहीं और मैं यह कहूं कि हर तरह योजना के नाम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। बांधों का एक्सपेरिमेंट किया फेल हो गये, बांध टूट गये। गुढ़ा का बांध टूट गया। और यहीं तक कि सरकार इस हालत में नहीं है कि जो रकम सरकार ने बांधों पर लगायी है उसका सूद भी चुका सके। इस प्रकार की योजनायें कहां तक कामयाब हो सकती हैं? वह कहां तक चला रही है इसका तो ईश्वर ही मालिक है? मैं निवेदन करूंगा कि टैक्सेशन की नीति है उसको घटायें। कम से कम टैक्स लगायें और लगाये हैं उनको वसूल करें। अगर वसूल नहीं करते है तो अधिकारियों को सम्हालें। उनको पिन अप करें। अगर उनको पिन अप नहीं कर सकते हैं तो अफसोस की बात है. तो उन्हें नहीं रहना चाहिये। अगर वसूली नहीं होती है, रकम एकाया रहती हे तो मेरा निवेदन है कि इनको रहने का भी कोई हक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करूंगा कि यह पास नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की तीसरी रिडिंग के स्टेज पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रस्तुत मुद्दों पर प्रकाश डाला। वैसे माननीय सदस्यों ने जिस वक्त बिल पेश किया था बजट के दौरान में बहस में और समय-समय पर मुख्तलिफ बातें और मुद्दे उठाये जिनका राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया गया। आज खास तौर से इस वक्त जो बातें कही गयीं और वह यह है कि राज्य सरकार की कर नीति, मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि राज्य सरकार की कोई कर नीति हो, कर किस पर लगाये जायं और कर किस पर नहीं लगाये जांए, कर की निति क्या हो, टैक्सेशन पॉलिसी क्या हो, सरकार के राजनैतिक विचार और पार्टी की नीति के द्वारा जाहिर होती है। मैंने बजट भाषण के दौरान भी जिक्र किया था कि राज्य सरकार की यह नीति रहेगी कि खास कर जिस बिल पर बहस कर रहे हैं और टैक्सेशन पर जो कुछ बजट के दौरान कहा गया है, साफ कहा कि था जिन लोगों ने तीसरी पचवर्षीय योजना से फायदा उठाया है उनसे कुछ लेना चाहते हैं। जो लोग ऐसे हैं उनसे कर के रूप में कुछ लेना चाहते हैं।

सेल्स टैक्स के लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि सेल्स टैक्स में नयी बातें जोड़ रहा हूं। दो विचार-धारायें रखी जावेंगी। लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगेगा और उन चीजों पर टैक्स लगाते

(श्री मथुरादास माथुर)

समय ध्यान रखेंगे कि ट्रेड न बिगड़े और हमारा ट्रेड दूसरी रियासतों में न चला जाय, यह मैंने बजट भाषण के समय सदन में पेश किया था। आज इतनी दलीलें और बहस हुई उनका खयाल रख कर मैं चल रहा हूं। मेरे सामने इस तरह के कई रिप्रेजेन्टेशन आये हैं।

माननीय सदस्यों ने इस सदन में मुख्तलिफ बातों पर रोशनी डाली है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं टैक्स लगाने के बाद में जिन-जिन चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया है लग्जरी गुड्स पर इससे यदि माननीय सदस्य यह सोचते है कि वॉल्यूम आफ बिजिनेस हमारे यहां से उठकर दूसरी जगह चला जायगा, यह बात न हो इसके लिये हम जागरूक हैं। मैं इस समय इतना ही कह देना चाहता हूं कि मेरे पास एक क्वार्टर के आंकड़े आते रहते हैं। अभी एक माह हुआ है पूरे फीगर्स कम्पाइल होकर नहीं आये हैं। लेकिन ज्योंही मुझे इन्डीकेशन मिलेगा कि हमारे यहां का व्यापार दूसरी जगह जा रहा है ज्योंही इस प्रकार का इन्डीकेशन मिलेगा हम टैक्स को रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। आखिर राज्य सरकार यह चाहती है कि इन साधनों से राज्य के कोष में ज्यादा धनराशि प्राप्त हो उस वक्त यह भावना रहती है कि जो सेल हो उस पर हमें टैक्स मिले। अगर वॉल्यूम आफ बिजिनेस टैक्स के ज्यादा होने से गिर जाता है तो ट्रेड और बिजिनेस को स्टेगल करने की हमारी नीति नहीं। इस बारे में वक्तन फ वक्तन हम विचार करते हैं और करेंगे। उस समय हम वोल्यूम आफ टैक्स कमी-बेशी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं। अमूमन जिस समय हम टैक्स लगाते हैं उसी समय यह कहा जाता है इससे वॉल्यूम आफ बिजिनेस गिर जायगा, इससे राज्य की आमदनी कम हो जायगी, इससे हमारा ट्रेड दूसरी जगह जायगा। हर टैक्स के समय यह दलील दी जाती है। पुराने आंकड़ों को उठाकर देखें तो इस प्रकार के कदम से हमारी आय में वृद्धि हुई, हमें सेल्स टैक्स से ज्यादा आमदनी हुई है।

राज्य सरकार के लिये यह भी कहा गया कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स भी ठीक प्रकार से नहीं बनाये जाते, रिवाइज्ड एस्टीमेट में इन्क्रीज ज्यादा हो रही है। ट्रेड की इन्क्रीज का परसेन्टेज बढ़ जाता है रिवाइज्ड एस्टीमेट में ....

श्री भैरोंसिंह : रिवाइज्ड एस्टीमेट में भी आप ठीक नहीं करते।

श्री मथुरादास माथुर : रिवाइज्ड एस्टीमेट से टेन पर्सेन्ट इन्क्रीज करके जो उस समय रेट होती हैं उसमें जोड़ देते हैं। भारत सरकार का भी यही कहना है इसी तरह से पर्सेन्टेज बढ़ाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार की रिवाइज्ड एस्टीमेट में बढ़े हुए फीगर्स नहीं बताते।

श्री मथुरादास माथुर : अगले साल का जब बजट बनता है रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में दस पॉइन्ट इन्क्रीज करके लेते हैं। सभी आंकड़े दस पर्सेन्ट बढ़ाकर लेते हैं राउन्ड फीगर में। इसका आधार यह रखा गया है कि इन दिनों के अन्दर लोगों की परचेजिंग पॉवर बढ़ गई है, रुपये ज्यादा हो गये, स्टेन्डर्ड ग्राफ लिविंग में बढ़ोत्तरी हो गई। वॉल्यूम ग्राफ ट्रेड की जहां तक बात है ज्यादा पैसा लोगों के पास होने से जहां स्टेन्डर्ड ग्राफ लिविंग बढ़ा है वहां व्यापार भी बढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट में आपसे निवेदन करूं ६६-६७ में आपने ओरीजनल एस्टीमेट्स आपके १५०० लाख के थे, रिवाइज्ड में भी वही के वही १५०० लाख है। आप दस पर्सेन्ट अधिक के हिसाब से इसमें केलकुलेट नहीं कर पाये। ६६-६७ में १५०० लाख हैं और रिवाइज्ड एस्टीमेट में भी १५०० लाख हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह हर साल के बजट फीगर्स से दस पर्सेन्ट की वृद्धि कर रिवाइज्ड एस्टीमेट में बताये जाते हैं। एक्चुअल बजट में वह नहीं आता है रिवाइज्ड एस्टीमेट में चलता है। मेरा पॉइन्ट इसमें यह है कि यदि टैक्स का स्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है तो उसको केलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं। जो कुछ भी हम केलकुलेट करते हैं वह कन्जरवेटिव तौर पर करना पड़ता है। एस्टीमेट्स से अगर अधिक आय हो जाय तो कोई गुनाह नहीं होता है। इसी आधार पर हो सकता है हमारी आय ज्यादा आई हो।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट का समय बचा है। सदन की अनुमति हो तो पांच मिनिट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर : यह दलील दी जाती है कि लोगों की परचेजिंग पॉवर कम हो गई वॉल्यूम ग्राफ ट्रेड ज्यादा बढ़ गया। इस दलील को आंकड़ों के आधार पर मैं सही मानता।

माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत होंगे कि जो पन्द्रह पर्सेन्ट टैक्स बढ़ाया गया है उसके के लिये मैं आपको आश्वासन देता हूं तीन महिने के बाद मे फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ग्राफ टर्न ओवर कम आयगा तो माननीय सदस्यों की राय को ध्यान में रखकर सोचूंगा।

इसके अलावा कई बातें ऐसी भी कही गई हैं जिनका जवाब मैं डिमान्ड्स पर बहस करते हुए दे चुका हूं। फिर भी कुछ बातें जो उठायी गयी हैं उनका मैं जवाब देना आवश्यक समझता हूं। यदि टैक्सों के भार से कोई भी इन्डस्ट्री ठप्प हो जाती है, सेल्स टैक्स में वृद्धि के कारण कोई ठप्प हो गई है, ऐसा कोई भी मामला मेरे ध्यान में लाया जायगा तो उसका एग्जामिन करके मैं उसके बारे में तुरन्त निर्णय लूंगा। एक भी इन्डस्ट्री सेल्स टैक्स के लगाने से बन्द होती है या उसके माल पर असर पड़ता है तो मैं उस टैक्स को रिवाइज करने के लिये तैयार हूं। मेरे सेल्स टैक्स की बढ़ोत्तरी के कारण किसी इन्डस्ट्री को हानि होती है या वह ठप्प हो जाती है

(श्री मथुरादास माथुर)

उसके बारे में मुझे कनवीन्स कर दें तो मैं इस रेट को हमेशा रिवाइज करने को तैयार रहूंगा। आज टैक्स के भार के कारण इन्डस्ट्रीज बन्द नहीं होती। बन्द होने का कारण है मेन पॉवर की कमी, मार्केट का कम्पीटिशन है, ये आधार तो फिर भी हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक्साइज के बारे में कुछ बातें कही गई हैं खास तौर से रेक्टिफाइड स्प्रिट के बारे में और सेल्स टैक्स के एरियर के बारे में। एक्साइज में जब गारन्टी सिस्टम चालू किया गया तो उसके बाद कॉन्ट्रेक्टर्स में १८ लाख के एरियर हो गये। इसमें खास कारण है स्प्रिट का उस साल में नहीं मिलना। शुगरकैन के प्रोडक्शन पर यह निर्भर रहता है। उस साल शुगरकेन क्रॉप्स फेल हो गई और उसके कारण जिनको गारन्टी दी गई थी उनके रिप्रेजेंटेशन्स आये उसके लिये राज्य सरकार ने तीन आदमियों की एक सेक्रेटेरिएट लेवल पर कमिटी बिठाई। वे इसकी डिटेल्स में जायेंगे उसके बाद यह देखना है कि हम उसमें क्या रिलेक्सेशन दे सकते हैं। यदि बाद में यह तय हुआ कि उनसे एरियर्स पूरा वसूल करना है तो वह भी कर लेंगे। जब तक वह रुके पड़े हैं तब तक आपको कहने का मौका मिलता है। यदि सदन का पूरा सहयोग रहा तो एरियर्स कुछ भी बाकी नहीं रह पायेंगे। हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट का पूरा बकाया राज्य के कोष मे आ जाय। लेकिन जहां स्टे ऑर्डर है या कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं उनके लिये तो मजबूरी है।

एक बात स्टेट एन्टरप्राइज के बारे में कही गयी। मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान की शुगर फैक्ट्री, डिस्टीलरी, सोडियम सल्फेट आदि सब भारी मुनाफे में चल रहे हैं। हाइटेक के लिये कहा गया कि यह घाटे में चलता है इस ग्लास फैक्ट्री के लिये हमने कोशिश की कि वह ठीक हो जाय, फॉरेन एक्सपर्ट्स से हमने राय ली अगर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद भी अगर चल सकती हो तो हम चलाने के लिये तैयार थे, लेकिन उसको मजबूर होकर बन्द करना पड़ा है। गंगानगर शुगर फैक्ट्री मुनाफे में चलती है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कारबाइट जिनको केमीकल्स हम मानकर चलते हैं, सब में हमें मुनाफा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए इस धारणा को रखते हुए यह घाटा चलता है हमारी स्टेट एन्टरप्राइज में, इन्डस्ट्रीज में और इसलिए यह नहीं होनी चाहिए तो यह धारणा निकाल देनी चाहिए। प्रावेट एन्टरप्राइज थीं उनको राज्य सरकार को लेना पड़ा। इसलिए वह लाइबिलिटी और पुरानी चीजों को लेकर हम चल रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय ५ मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं जो इन्डीविजुअल

(श्री मथुरादास माथुर)

केसेस कहे गये है उनका जवाब प्रॉपर टाइम जब कभी वक्त आएगा दे दिया जायेगा। हम जो भी बात कहेंगे सही बात होगी और जिन पर जवाब देने का होगा वह जवाब दे देंगे। तो इतना बड़ा अमला है, इतना बड़ा शासन है, जहां इतने करोड़ रुपये का बजट पेश किया है मैं मानता हूं कि कई चीजें नहीं होती हैं। आप कह देते है कि एग्रीकल्चर की रेट बढ़ती है तो आपको एतराज है। कहीं पर किसान आ जाते है, कहीं पर प्रोडक्शन आ जाता है। ऐसी हालत में राज्य सरकार ने आज के हालात में, आज की जो फाइनेन्शियल पोजीशन है उसको देखते हुए जो कुछ भी बात रखने की कोशिश की है उससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट होंगे, और जो बिल रखा गया है उसको माननीय सदस्य सदन में पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६७ को जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म॰ प॰ ५-२२ पर गुरुवार दिनाङ्क १३-७-६७ म॰पू॰ ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

— — —

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न मं० ७६७ का उत्तर देखिये)

१. श्री जेठमलजी
२. श्री नारायणजी
३. श्री लुण्डारामजी
४. श्री रामेश्वरजी
५. श्री बंशीरामजी
६. श्री उदारामजी
७. श्री गोपीरामजी
८. श्री चेनारामजी
९. श्री वैंकटलालजी
१०. श्री उरजारामजी
११. श्री भीवारामजी
१२. श्री रामदीन
१३. श्री मंगलाराम
१४. श्री घासीरामजी
१५. श्री बलदेवरामजी
१६. श्री प्रतापजी
१७. श्री देवारामजी
१८. श्री गंगारामजी
१९. श्री पुसारामजी
२०. श्री चतरारामजी

परिशिष्ट २

समयभाव के कारण सभा में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर

कोयला तैयार करने से पूर्व ही सेल्स टैक्स की वसूली

७८४. श्री रामकुमार नन्दवाना (सपोटरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जो ठेके फॉरेस्ट विभाग द्वारा कोयला तैयार करने के लिए दिए जाते हैं उनमें कोयला तैयार करने से पूर्व ही फॉरेस्ट विभाग सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है ?

(२) क्या यह सही है कि कोयला तैयार होने के बाद ठेकेदार उसे बेचने के लिए जयपुर आदि अन्य शहरों पर ले जाता है वहां उस पर दुबारा सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों कर किया जाता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। वन विभाग सिर्फ वृक्षों की लकड़ी पर टैक्स वसूल करता है।

(२) कोयला बनाने वाले ठेकेदार से, यदि वह स्वयम् रजिस्टर्ड डीलर है, तो उसके द्वारा बनाये हुए कोयले की बिक्री पर बिक्री कर लिया जावेगा क्योंकि कोयले पर कर प्रथम बिन्दु पर लगता है। यह कर पहली बार ही लगता है, दुबारा नहीं।

तहसील सिकराय में बिजली

७८५. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कारण है कि जयपुर जिले की सिकराय तहसील को अब तक बिजली नहीं दी गई जब कि जयपुर जिले की प्रायः सभी तहसीलों को बिजली दे दी गई है ?

(२) सिकराय तहसील के प्रमुख कस्बे सिकन्दरा को अब तक बिजली न देने का क्या कारण है जब कि सिकन्दरा कस्बे के पास होकर बिजली की लाइन गई है ? सिकन्दरा कस्बे को कब तक बिजली देने की योजना है ?

(३) सिकराय तहसील के प्रमुख कस्बे गीजगढ़ के लिए बिजली देने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ? और यदि बनाई है, तो कब तक बिजली देने की योजना है ?

(४) क्या सरकार के पास शिड्यूल्ड ट्राइब एरिया को बिजली आदि देकर उन्नत व विकसित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान है ? और यदि है, तो वह क्या है ? क्या सरकार सिकराय क्षेत्र में जो शिड्यूल्ड ट्राइब क्षेत्र है, उसमें विशेष प्रावधान का उपयोग करेगी ?

(श्री किशनलाल वर्मा)

(५) क्या सरकार कृषि उन्नत क्षेत्र जहां कृषि का उत्पादन अच्छा होता है, उसको बिजली देने के लिए प्राथमिकता देती है ?

क्या यह सच है कि तहसील सिकराय जयपुर जिले की अन्य तहसीलों की अपेक्षा उपज के हिसाब से सबसे ज्यादा उपजाऊ तहसील है ?

(६) क्या यह सच है कि तहसील सिकराय में कुओं में पानी बहुत ही ऊपर मिल जाता है इसके कारण यदि वहां बिजली दे दी जावे तो सहज ही में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है ?

(७) क्या यह सच है कि तहसील सिकराय के चारों ओर बिजली लाइन गई है फिर भी तहसील सिकराय के किसी गांव को आज तक बिजली नहीं दी गई है ? सिकराय तहसील को बिजली देने के लिए सरकार कौन सी लाइन द्वारा बिजली देने की योजना रखती है ? और यह योजना कब तक सफल हो जावेगी जिससे सिकराय में बिजली पहुंच जावे ?

(८) क्या सरकार बांदीकुई सब-स्टेशन से सीधी लाइन मानपुर तक लेजाकर सब-स्टेशन बनाने की योजना रखती है जो करीब बांदीकुई से ८—१० मील की दूरी से कम है ?

उत्तर

(१) यथोचित धनराशि के अभाव में यह कार्य नही किया जा सका है ।

(२) सिकन्दरा के पास ३३ के० वी० की लाइन जाती हैं जिसको हर जगह टेप नही किया जा सकता है । यदि समुचित धनराशि उपलब्ध हुई तो अवश्य ही यह कार्य ले लिया जायेगा ।

अभी कोई योजना नहीं बन सकी है ।

(३) रा० रा० वि० म० के पास इस वर्ष धनाभाव के कारण कोई विशेष प्रावधान रखना सम्भव नहीं हो सका है ।

(४) जी हां । योजना लाभप्रद होने पर और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(५) इस बारे में निश्चित जानकारी कृषि विभाग द्वारा प्राप्त हो सकेगी ।

(६) यह बात सम्भव सत्य ही होगी ।

(७) जी हां । लेकिन ३३ के० वी० लाइन है जिसका टेपिंग हर स्थान पर नहीं हो सकता । यदि समुचित धनराशि उपलब्ध हो सकी और यदि लाभप्रद हुई तो यह कार्य शीघ्र ही किया जावेगा ।

(८) अभी योजना नही बनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने पर यह बात निश्चित हो सकेगी ।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ का उत्तर देखिये)

केसेज की खासकर सूची

वर्ष	सी० टी० ओ० स्पेशल सर्विस प्रथम जयपुर के केसों की संख्या	सी० टी० ओ० स्पेशल सर्विस द्वितीय, जयपुर के केसों की संख्या	टोटल
१९६१-६२	—	—	—
१९६२-६३	—	—	—
१९६३-६४	१३८८	—	१३८८
१९६४-६५	—	—	—
१९६५-६६	७०७	—	७०७
१९६६-६७	२३२	४३०	६६२
योग	२३२७	४३०	२७५७
	(—) ६१३ ×	(+) ६१३ ×	
	१७१४	१०४३	

× ये केसेज सी० टी० ओ० सर्किल प्रथम बदल कर आये ।

Page No. 198

स्पेशल सर्किल जयपुर में एसेसमेन्ट के लिए प्राप्त केसेज की जिलेवार सूची

	१९६३-६४	१९६५-६६	१९६६-६७
१—जयपुर	७२०	२७४	४८३
२—सीकर	२६	३९	३०
३—झुंझुनू	४	—	—
४—अलवर	११३	१९४	८३
५—भरतपुर	१०९	८०	६६
६—टोंक	२२	—	—
७—सवाईमाधोपुर	४२	—	—
८—कोटा	८६	—	—
९—झालावाड़	२८	—	—
१०—अजमेर	२२८	१२०	—
	१३८८	७०७	६६२

जिलेवार केसों की संख्या

कार्यालय का नाम	जिले										
	जयपुर	अलवर	भरतपुर	सीकर	झुंझुनू	टौंक	स० माधोपुर	कोटा	झालावाड़	अजमेर	टोटल
सी० टा० ओ०, स्पेशल सर्किल प्रथम, जयपुर	१२२६	१०७	१०९	६२	४	२२	४२	८६	२८	३५८	२३२७
सी० टी० ओ०, स्पेशल सर्किल द्वितीय, जयपुर	२५१	८३	६६	३७	-	-	-	-	-	-	४३०
										कुल योग	२७५७

——————

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ३५५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ को आरंभ से १९६६-६७ तक कुल १९१८९९-२३ रु० का अनुदान दिया गया है । वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रकम
१९५४-५५	७३०५-५०
१९५५-५६	१९५४०-४४
१९५६-५७	२०३४३-००
१९५७-५८	२२१३०-५०
१९५८-५९	११६४९-४८
१९५९-६०	१६२६१-२१
१९६०-६१	—
१९६१-६२	१०८२२-२५
१९६२-६३	७३१२-५०
१९६३-६४	१४९७४-०७
१९६४-६५	—
१९६५-६६	३३३६७-०० (इसमें ६४-६५ की रकम भी शामिल है)
१९६६-६७	१९१८९-२८
कुल योग	१११८९९-२३

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ३५६ का उत्तर देखिये)

सन् १९६५-६६ में पंचायत समितियों को आवंटित की राशि की सूची

नाम पंचायत समिति व जिला	अनुसूचित जन जाति				अनुसूचित जाति				
	छात्र वृत्ति	मकान	पेयजल कूप	कृषि कूप	छात्र वृत्ति	मकान	पेयजल कूप	गृह उद्योग	कुल योग
जिला झुंझुनू									
१—मुवाना	१५०	—	५००	१०००	५००	—	१०००	५००	३६५०
२—सुरजगढ़	—	—	—	—	१०००	—	—	—	१०००
योग:—	१५०	—	५००	१०००	१५००	—	१०००	५००	४६५०

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ३८२ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट (ए)

पूर्व में:—श्यामदास के बालाजी से एक अनुमानिक रेखा रेलवे लाइन व उसकी सीमा के साथ साथ होती हुई।

दक्षिण में:—अमरदास की कोठी तदाकारों की झोपड़ी को मिलाती है।

पश्चिम में:—यही रेखा उत्तर की ओर इदागह से मिर्जापुर की झोपड़ी।

उत्तर में:—वही रेखा पूर्व की ओर आधा की कोड़ी से नहर के ऊपरी भाग से गुजरती है और प्रभु की कोठी को मिलाती हुई पुन: श्री श्यामदास की के बालाजी से मिल जाती है।

———

Page No. 203

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न सं० ३८३ का उत्तर देखिये)

नगरपालिका गंगापुर सिटी ने निम्नांकित खसरा नं० को भूमि अवाप्त करवाई थी उसका विवरण ।

खसरा नं०	रकबा	मुआवजा की राशि	दिनांक जमा
१९५, १९६, १८२, —— —— १-२ १-२-३	३।१६	रु० २९१-२५ पैसा	१६-६-६१
२२०, २१९, २२१, २२२. २३७. २३५, २६३	१३।६	रु० ३५५२-५६ पैसा	१७-४-६१
९१८, ६९९, ७०६, ७०७, ७१०, ७११	३८बीघा	मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ।	
१८७, १७७, १९९, १९७ ।	२।१३	रु० २२८-८० पैसा	१७-४-६५

शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१	२	विधा	विधान
२	४	रज्य	राज्य
२	१६	क्रियाविन्त	क्रियान्वित
३	२	काय	कार्य
३	८	भूतपूव	भूतपूर्व
४	७	नय	नये
४	११	हा	हो
४	२६	प्रावीजन	प्रोवीजन
५	३	डगा	डागा
५	७	स्वयत्त शाषन	स्वायत्त शासन
६	२३	सयुक्त	संयुक्त
७	३	अधिकरियों	अधिकारियों
८	५	पा	पाते
८	२४	प्रश्न	प्रश्न संख्या
८	अन्तिम से २	इलिए	इसलिए
१७	२	इण्डीजुअल्स	इंडिविजुअल्स
१७	१३	स्पेसिफिकेशन	स्पेसिफिकेशन
१७	१६	अया	आया
१७	२७	जय	जाय
१८	३	राजस्थन	राजस्थान
१८	६	आडिया	आइडिया
१८	१८	प्रोड्यूज	प्रोड्यूस

१	२	३	४
१६	५	मालुम	मालूम
१६	७	इण्डीजुग्रल	इण्डिविजुग्रल
१६	१५	पसन	पर्सन
१६	ग्रन्तिम से ७	ग्राडर	ग्राॅर्डर
२०	५	ग्रर्डर	ग्रार्डर
२०	६	ब	बने
२०	७	दूसी	दूसरी
२०	१२	सको	सकी
२०	ग्रन्तिम से ४	जां	जहां
२०	ग्रन्तिम से २	पापरेशन	ग्रापरेशन
२१	ग्रन्तिम से १	एरिग	एरिया
२१	ग्रन्तिम से १	जिन	जिस
२१	ग्रन्तिम से ५	ग्राना	ग्रपनी
२१	ग्रन्तिम से ४	ग्रन	ग्रपनी
२१	ग्रन्तिम से २	ढेते	देते
२१	ग्रन्तिम से २	ग्रा मा	ग्राप भी
२२	१	order Please	order please
२२	२	गंानगर	गंगानगर
२२	३	केदारमाथ	केदारनाथ
२२	३	(गगानगर)	(गंगानगर)
२२	८	स्म्बन्ध	सम्बन्ध
२२	ग्रन्तिम से १	वहा	वहां
२३	शीर्षक	तारांक्त	तारांकित
२३	३	एक्स्पान्शक	एक्स्पान्शन
२३	६	थिति	स्थिति
२३	१०	येजना	योजना

(३)

	१	२	३	४	५
२२	१३	अगल		अलग	
२३	१६	डटेल्ड		डिटेल्ड	
२३	१८	कार्मसिमल		कॉर्मशियल	
२३	अन्तिम से ७	उद्यग		उद्योग	
२३	अन्तिम से १	सर्व		सर्वे	
२४	३	रिसोसज		रिसोर्सेज	
२	६	श्री बिवम्भरनाथ		श्री विशम्भरनाथ	
२५	११	on if		on, if	
२७	शीर्षक	प्रश्नोत्तर		प्रश्नोत्तर	
२७	४	हाता		होता	
२७	अन्तिम से १०	का		को	
२८	अन्तिम से ५	कन्जम्प्शन		कन्जम्पशन ?	
२९	शीर्षक	प्रशोतर		प्रश्नोत्तर	
२९	४	का		की	
२९	१२	: के		के	
२९	अन्तिम से १२	श्री मथुरादस		श्री मथुरादास	
३०	१२	श्री भरोंसिह		श्री भैरोंसिह	
३१	शीर्ष	ताकित		तारांकित	
३१	१०	जनना		जनता	
३१	१६	फीगर्ं		फीगर्स	
३१	१८	कितका		कितना	
३२	३	नोटफिकेशन		नोटिफिकेशन	
३२	१२	(सिरोह)		(सिरोही)	
३३	अन्तिम से २	पार्लियाट्री में है		पार्लियामेंट्री है	
३५	१	प्राप		आप	
३५	१०	१-१/२		१-१½	
३५	अन्तिम से ६	क्या		(३) क्या	

१	२	३	४
४१	१४	हना	होना
४१	१५	चाहए	चाहिए
४१	१७	चहिए	चाहिए
४५	६	प्रोपोजल	प्रोपोजल्स
४५	८	किसा	किसी
४७	११	मंत्रा	मंत्री
४७	अन्तिम से १	ाा	किया
४८	८	तालका	तालिका
४८	अन्तिम से ४	वेस	केस
४८	अन्तिम से ३	भाब	भाव
४६	१	वोई	कोई
४६	१४	वाद	बाद
५३	१३	शत	शर्त
५३	१४	आधर	आधार
५४	६	आलमअल	आलम अली
५५	अन्तिम से १०	चाहुंगा	चाहूंगा
५६	अन्तिम से ११	कृापा	कृपया
५७	अन्तिम से ७	श्री शंकरलल	श्री शंकरलाल
६२	६	अजियां	अर्जियां
६२	अन्तिम से २	३.४.६७,१०	३/४/६४ १०/
६२	अन्तिम से १	४,	४/
६५	अन्तिम से ३	जुद्गाना	×
६७	६	श्री मथुरादसमथुर	श्री मथुरादास माथुर
६६	१२	शालओं	शालाओं
७१	१४	सस्था	संस्था
७२	६	परन्टेज	परसेन्टेज
७२	६	आर	और
७४	६	लाइंन्स	लाइसेन्स
७६	अन्तिम से ११	सस्था	संस्था

१	२	३	४
७९	अन्तिम से ६	कार्यवाह्	कार्यवाही
८२	शीर्ष	प्रश्नेत्तर	प्रश्नोत्तर
८४	अन्तिम से ९	व्यवस्थावज	व्यवस्थापक
८५	अन्तिम से १२	मालुम	मालूम
८८	१०	समप्त	समाप्त
९४	३	कभी	कमी
९७	अन्तिम से ८	डिस्ट्रिक्कट	डिस्ट्रिक्ट
१०७	अन्तिम से ८	स्कूल	स्कूलों
११४	अन्तिम से ८	को 'श्रेणी'	को 'अ' श्रेणी
११९	अन्तिम से ७	स्वर्ण	सवर्ण
१२६	१३	स्कम	स्कीम
१२८	१	वोजना	योजना
१२९	अन्तिम से २	करने कार्यक्रम का	करने का कार्यक्रम
१३६	अन्तिम से ८	सधाई	सफाई
१३६	अन्तिम से १	चाल	चालू
१४७	१	मंधी	मंत्री
१५३	अन्तिम से १६	सम्वधित	सम्बन्धित
१५५	१	मंर्चो	मंत्री
१५८	२	बून्दी माटून्दा में	बून्दी में माटून्दा
१६१	३	स्वीकृति	स्वीकृत
१६१	१३	अंकलन	आकलन
१६२	अन्तिम से १०	विद्युत	विद्युत्
१६४	५	सव	सर्व
१६६	४	फा	का
१६६	१३	समया	समस्या
१७२	अन्तिम से १२	मन्त्रा	मन्त्री
१७२	"	बतातो	बताने
१७६	१२	बतने	बताने
१७८	अन्तिम से ६	क्बा	क्या
१७९	७	मरम्त	मरम्मत

१	२	३	४
१८०	१५	गडग्रजान	गढ़ग्रजान
१८०	ग्रन्तिम से ४	विद्युतिरक	विद्युतिकरण
१८५	ग्रन्तिम से ४	महुल्ल	मोहल्लों
१८६	ग्रन्तिम से ६	)।	(२)
१८६	शीर्षक	(श्री रामनरायण)	(श्री रामनारायण)
१८६	७	बिजी	बिजली
१६०	५	ग्र्री	ग्रर्जी
१६२	१२	कस्ब	कस्बा
२०१	७	ह	हैं
२०१	ग्रन्तिम से ११	ग्रापक	ग्रापके
२०२	ग्रन्तिम से ५	१६६	१६६७
२०३	शीर्ष	प्रस्तव	प्रस्ताव
२०३	ग्रन्तिम से १०	जसा	जैसा
२०४	१३	मैटर है	मैटर
२०५	ग्रन्तिम से १०	देने में कोई में कोई	देने में कोई
२०६	शीर्ष	प्रस्तावर	प्रस्ताव
२०६	२	ववच्चन	क्वेश्चन
२०६	३	वश्चन	क्वेश्चन
२०६	५	पायेगा ता	पायेगा तो
२०६	ग्रन्तिम से ४	प्रा	ग्रा
२०८	१७	फक	फर्क
२०८	ग्रन्तिम से ६	स्थमन	स्थगन
२१३	शीर्ष	प्रस्ताथ	प्रस्ताव
२१४	३	उठने	उठाने
२१४	८	किती	कितनी
२१४	१४	एडजोर्नट में	एडजोर्नमेंट
२१७	४	क	कि
२१७	१२	ो	तो
२१८	ग्रन्तिम से ३	।४०	है । ४०
२२२	शीर्ष	ध्यााकर्णण प्रस्ताव	ध्यानाकर्णण प्रस्ताव

१	२	३	४
२२७	शीर्ष	प्रताव	प्रस्ताव
२२८	शीर्ष	ध्यानाकषण	ध्यानाकर्षण
२२६	१६	अटेत्शन	अटेन्शन
२२६	१८	क	कि
२२६	अन्तिम से ६	काइ सन	कोई सहन
२२६	अन्तिम से ४	अत्यचार	अत्याचार
२३०	२	कमचारीगणों	कर्मचारीगणों
२३१	४	यात	बात
२३२	१५	किसनों	किसानों
२३३	३	लेकन	लेकिन
२३६	अन्तिम से १	पटजरी	पटवारी
२३८	१२	दाबा	दावा
२४०	अन्तिम से ५	गेहं	गेहूँ
२४०	अन्तिम से ३	गेहं	गेहूँ
२४१	शीर्ष	१४१]	२४१]
२४१	३	अते	आते
२४१	६	गेह	गेहूँ
२४१	१३	धाणा	धारणा
२४४	अन्तिम से ५	आर	और
२४५	१०	इस विषय में	इस विषय
२४५	अन्तिम से २	दरखांस्त	दरख्वास्त
२४६	शीर्ष	ध्यानाकषण	ध्यानाकर्षण
२४६	अन्तिम से ४	एरिया में	एरिया
२५०	२	आती है और	आती है
२५०	अन्तिम से १२	निणय	निर्णय
२५१	८	रज	रोज
२५२	अन्तिम से ६	१२ में	१२ मई
२५७	अन्तिम से ६	श्री उप:ध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२५८	२	हैं बताते	बताते हैं
२५८	२२	करने के पर	करने पर

१	२	३	४
२६०	अन्तिम से ६	चलान	चालान
२६१	५	श्री उपद्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२६१	अन्तिम से ५	पुलस	पुलिस
२६१	अन्तिम से ४	व	कि
२७४	शीर्ष	२७	२७४
२७४	१३	में	में यह
२७६	अन्तिम से ८	ले ी	लेवी
२८४	अन्तिम से ४	श्री रीशनलाल	श्री रोशनलाल
२८७	शीर्षक	श्र लाल रोल)	(श्री नाथूलाल करोल)
२९३	१०	जानकरी	जानकारी
२९५	अन्तिम से ६	Sale	Sales
२९६	१	offiical	official
२९७	२	देना	देता
२९८	१४	अवर	ओवर
२९९	शीर्ष	९६७	१९६७
३०१	९	crovisos	Proviso
३०३	१	सप्लमेंटरी	सप्लोमेंटरी
३०३	१६	कार्मशिल	कार्मशियल
३०३	१७	टेक्सिज	टेक्सेज
३०३	अन्तिम से ३	फसो	फेसी
३०४	१२	जय	जाय
३०६	३	श्रीमती सभानेत्री	———
३०६	७	(l)	"(l)
३०६	१२	priviso	proviso
३०६	१५	evaded	evaded"
३०६	अन्तिम से ९	यहीने	महीने
३०८	अन्तिम से ४	कहंगा	कहूंगा
३०९	४	श्रीमत्ती कान्ता कथरिया	श्रीमती कान्ता कथूरिया
३०९	१०	this	This

१	२	३	४
३०९	१६	it	It
३१०	शीर्ष	अग्रेत्तस	अग्रेत्तर
३१३	१६	इहकी	इसको
३१७	शीर्षक	(श्री भैरोहि)	(श्री भैरोंसिह)
३२०	२१	मनीय	माननीय
३२०	२२	अये	आये
३२१	५	में	के
३२१	६	रिवाइज्य	रिवाइज्ड
३२२	११	करो	करने
३२३	१७	मोलेसेन	मोलेसेज
३२४	५	कहत	कहता
३२५	१३	एक्सपर्क	एक्सपर्ट
३३१	अन्तिम से ६	बेसल	बेसिस
३३७	४	मान-	माननीय
३३८	अन्तिम से ११	घोटाल	घोटाले
३३८	अन्तिम से ६	और	में
३४१	८	जात	जाता
३४१	२२	परजेल	परचेज
३४२	२२	चाहए	चाहिए
३४२	२३	चाहए	चाहिए
३४४	शीर्ष	विधेयक १९६७ पर अ	विधेयक १९६७ पर अग्रेतर विचार [३४४
३४४	८	क	को
३४४	अन्तिम से ७	घटा नी	घाटा नहीं
३४५	३	जनता	जनता का
३४५	५	सम्बग्धित	सम्बन्धित
३४५	१०	सरकार	सरकार का
३४७	अन्तिम से २	खालने	खोलने
३४८	३	प्रपत	प्राप्त
३४९	१	जज-योजना	जल-योजना

१	२	३	४
३४६	३	लगभक	लगभग
३४६	५	दिगे	दिये
३५०	१६	डिग्नीनेफाइड़	डिग्नीफाइड
३५१	अन्तिम से ३	महीते	महीने
३५४	७	जुभारसिंह	जुझारसिंह
३५४	अन्तिम से ११	पैसो	पैसा
३५४	अन्तिम से ६	साफ	साल
३५७	१	ध्वान	ध्यान
३५८	६	श्री नथूलाल करौल	श्री नाथूलाल करौल
३५८	७	श्री नायूलल	श्री नायूलाल
३५८	अन्तिम से १	नह	नहीं
३६०	१४	जी	जो